तृतीय माला, खण्ड १५—अंक २३

बुधवार, २० मार्च, १९६३
२९ फाल्गुन, १८८४ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(चौथा सत्र)

3rd Lok Sabha

(खण्ड १५ में अंक २१ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)　　चार शिलिंग (विदेश में)

विषय सूची

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न* संख्या ४६७ से ५०८ . . . २१८५—२२११

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५०९ से ५१५ . . . २२११—१४

अतारांकित प्रश्न संख्या ९६९ से ९८१ और ९८३ से १०१९ . . . २२१४—३४

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . २२३४—३५

राज्य सभा से सन्देश . . . २२३५

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

सोलहवां प्रतिवेदन . . . २२३५

लोक लेखा समिति

नवां प्रतिवेदन . . . २२३५

किरिबुरु परियोजना के स्थान पर भीड़ द्वारा किये गये हिंसात्मक कार्यों के बारे में वक्तव्य

श्री के० दे० मालवीय . . . २२३५—३७

अनुदानों की मांगें

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय . . . २२३७—२३०४

श्री यशपाल सिंह . . . २२३७—४२

श्री ज० ब० सिंह . . . २२४२—४३

श्री विभूति मिश्र . . . २२४३—५५

श्री शं० शा० मोरे . . . २२५६

श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा . . . २२५६—५७

श्री यु० सिं० चौधरी . . . २२५७—६१

श्रीमती लक्ष्मी बाई . . . २२६१—६५

श्री लीलाधर कटकी . . . २२६५—६६

श्री योगेन्द्र झा . . . २२६६—६९

श्री ब० कु० दास . . . २२६९—७०

श्री सिंहासन सिंह . . . २२७०—७३

श्री काशी राम गुप्त . . . २२७४—७८

श्री अ० म० थामस . . . २२७८—८६

श्री काशी नाथ पांडे . . . २२८६—८७

श्री ह० च० सौय . . . २२८७—८९

श्री मुत्तु गौंडर . . . २२८९—९०

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा

बुधवार २० मार्च, १९६३

२९ फाल्गुन, १८८४ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अनुसूचित आदिम जातियों का विकास

+

†*४९७. { श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी : }

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित आदिम जातियों के विकास के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में कोई वित्तीय कटौती की गई है ;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक और किन शीर्षों के अन्तर्गत ; और

(ग) क्या राज्य योजनाओं में भी ऐसी ही कटौती की गई है ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या मैं जान सकता हूं कि ढेबर आयोग ने जिस वित्तीय सहायता की सिफारिश की थी वह सभी राज्यों को दी जाएगी अथवा उस सिफारिश में भी कोई कटौती की जाएगी ?

†**श्रीमती चन्द्र शेखर** : तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये ऐसी कोई भी कटौती नहीं है ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार के पास कोई जानकारी है कि राज्य योजनाओं में कटौती राज्यों की सामान योजनाओं में कटौती से बहुत अधिक है ?

†मूल अंग्रेजी में

3211 (Ai) LS—1.

†श्रीमती चन्द्र शेखर : जैसा कि मैं ने पहले कहा है, यद्यपि तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि के लिये समस्त व्यय में कोई कटौती नहीं है, केवल वर्तमान राष्ट्रीय आपात स्थिति के कारण राज्यों तथा केन्द्र ने अब पुनरनुस्थापन करने का सुझाव दिया है या ऐसा करना आरंभ भी कर दिया है। माननीय सदस्य उस अधिकतम कटौती को पहले ही हमारे ध्यान में ला चुके हैं जो कि अनुसूचित आदिम जातियों पर लगाई गई है और हम पश्चिम बंगाल सरकार के साथ यह बात उठा रहे हैं कि वह देखे कि क्या यह सच है।

†श्री स० चं० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या देश के विभिन्न भागों में आश्रम विद्यालय खोलने की अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित आदिम जाति आयोग की सफारिशों को स्वीकार कया जायेगा और उन पर कटौती का प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

†श्रीमती चन्द्र शेखर : १९६३-६४ में आदिम जाति खंडों में २० प्रतिशत की कटौती होगी परन्तु उसका अभिप्राय यह नहीं है कि हम उसे पुनःस्थापित करने नहीं जा रहे हैं। इसे योजना अवधि के अन्दर अन्दर ही पुनःस्थापित किये जाने के लिये प्रत्येक संभव उपाय किया जा रहा है ।

†श्री ब० कु० दास : तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में लड़कियों के छात्रावासों के लिये १० लाख रुपयों का उपबन्ध था । क्या वह उपबन्ध अभी तक भी है अथवा उसकी भी कटौती कर दी गई है ?

†श्रीमती चन्द्र शेखर : केन्द्रीय वृत्तखंड में भी हमने राष्ट्रीय आपात स्थिति का सामना करने के लिये, जो कि आरंभ में बड़ी भीषण थी, अपने आयव्ययक को कम करने या उसमें कटौती करने के बारे में नहीं सोचा था । वह आवंटन ३० लाख रुपये था । हम उसे पुनःस्थापित करने की सोच रहे हैं और प्रत्येक संभव उपाय किया जा रहा है । यद्यपि केन्द्रीय वृत्तखंड में स्थिति ऐसी है, राज्य वृत्तखंड में भी लड़कियों के छात्रावासों के लिये ६९४ लाख रुपये अलग रखे हुए हैं और उन पर कोई अधिक प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

†श्री हेडा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि एक सामान्य परिपत्र जारी किया गया है कि कोई नई योजना आरंभ न की जाये तथा उन योजनाओं में भी जो कि चल रही है कम से कम १० प्रतिशत की बचत की जाये ?

†श्रीमती चन्द्र शेखर : यदि ऐसा हो भी तो गलत नहीं है ।

श्री बैरवा कोटा : सन् १९६२ में सरकार ने शेडयूल्ड कास्ट्स के बच्चों को कितनी छात्रवृत्तियां दी हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह अलहदा सवाल है ।

†श्री दाजी : माननीय मंत्री ने कहा है कि कटौती कोई नहीं हुई थी बल्कि पुनरनुस्थापन था । क्या माननीय मंत्री जी हमें ठीक ठीक बतायेंगी कि पुनरनुस्थापन किस प्रकार का है और क्या इस दुनरनुस्थापन के कारण किन्हीं उत्पादन लक्ष्यों और योजनाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ?

†श्रीमती चन्द्र शेखर : कुछ कमी हुई है और १९६३-६४ के आयव्ययक में जिन योजनाओं को दृष्टिपल किया गया था उनमें से कुछ को स्थगित किया गया है । परन्तु यह एक अस्थायी

†मूल अंग्रेजी में

अवस्था ही है क्योंकि. जैसा कि मैंने कहा है, हम उन्हें यथाशीघ्र पुनःस्थापित करने के लिये भरसक प्रयत्न कर रहे हैं ।

†**श्री विश्राम प्रसाद :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या अनुसूकित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की विकास योजनाओं के सम्बन्ध में वित्तीय कटौती करने के लिये सरकार के सामने कोई प्रस्ताव है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर :** एक अलग प्रश्न किया जाये ।

†**श्री महेश्वर नायक :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार जानती है कि कुछ राज्य राज्यों की छात्रवृत्ति योजनाओं में से कुछेक में कटौती कर रहे हैं तथा क्या केन्द्रीय सरकार छात्रवृत्ति योजनाओं को सीमित कर रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** किस बारे में योजनायें ?

†**श्री महेश्वर नायक :** मेरी जानकारी है कि कुछ राज्य जहां तक अनुसूचित आदिमजातियों के विद्यार्थियों को वृत्तिकायें देने का सम्बन्ध है, वर्तमान छात्रवृत्ति योजनाओं को कम कर रहे हैं ?

†**श्रीमती चन्द्र शेखर :** यह बिल्कुल भी सच नहीं है ।

मद्य-निषेध

+

†*४९८. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री श्रीनारायण दास :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री सोनावने :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री यशपाल सिंह :
श्री भक्त दर्शन :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री बासप्पा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री हेम बरुआ :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री कोया :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री बेरवा कोटा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्य-निषेध के विषय में कोई अखिल भारतीय नीति तैयार की जा रही है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री हजरनवीस)** : (क) और (ख) मद्य-निषेध के लिये अखिल भारतीय नीति तीसरी पंचवर्षीय योजना में दी गई है। १८ और १९ जनवरी, १९६३ को नई दिल्ली में हुई राज्यों के मुख्य मंत्रियों की बैठक में इस प्रश्न पर सामान्य ढंग से विचार किया गया था । जो निष्कर्ष निकाले गये थे वे २० जनवरी, १९६३ को जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में दिए गए थे ।

†**श्री दो० चं० शर्मा** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इस बात से अवगत है कि मद्य-निषेध की नीति, जो कि एक बहुत अच्छी नीति है, ठीक तरह से तैयार नहीं की जा रही है क्योंकि शुष्क प्रान्तों के साथ ही साथ मद्य निषेध वाले प्रान्त भी चलते हैं और मद्य पान वाले राज्य शुष्क राज्यों के साथ साथ हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार इस प्रकार की भौगोलिक तथा मद्य-निषेध अनियमित्ता को समाप्त करने के लिये क्या करने जा रही है ?

†**श्री त्यागी** : और पीने वाला सदस्य न पीने वाले सदस्य के साथ !

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि गीला सूखे के साथ रहता है तो निश्चय ही सूखा गीले के साथ रहता है ।

†**गृह-कार्य मन्त्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : माननीय सदस्य ने कहा है वह ठीक है और इस योजना की उपयुक्त क्रियान्विति में आने वाली हमारी समस्याओं में यह भी एक है । परन्तु जैसा कि माननीय सदस्य अनुभव करेंगे यह न तो सरल है और न ही हम चाहते हैं कि मद्य-निषेध को प्रत्येक राज्य पर उनकी स्पष्ट स्वीकृति और सहमति के बिना लागू किया जाय। तथा पड़ोसी राज्यों में कुछ समन्वय और सहयोग हो सकता है। यदि दो राज्य मिल कर चर्चा करें और अपनी समस्याओं को सुलझायें तो इस योजना को अधिक अच्छी तरह क्रियान्वित करना सम्भव हो सकता है ।

†**श्री दो० चं०शर्मा** : श्रीमान्, समाचार पत्रों में यह सूचना दी गई है तथा विधायकों और सासंदियों का भी यही अनुभव है कि अवैध रूप से मदिरा बनाये जाने में वृद्धि हो रही है। क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार का अनुभव क्या है और .....

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरे पूर्वाधिकारी ने कभी कभी माननीय सदस्य से कहा है कि वह जरा ऊंचा बोला करें। मैं उसी प्रार्थना को दुहराता हूं ।

†**श्री दो० चं० शर्मा** : मैं समझता हूं कि प्रतिवेदक मुझे समझ पा रहे हैं ।

श्रीमान् क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इस बात को जानती है कि राज्य विधान सभाओं तथा संसद के कुछ विधायकों का ऐसा अनुभव है कि अवैध रूप से मदिरा बनाये जाने में वृद्धि हो रही है ? यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि समाचारपत्रों, राज्य विधान सभाओं तथा संसद में किये गये इस अवलोकन का खंडन करने के लिये क्या सरकार के पास कोई तथ्य या आंकड़े हैं ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : अवैध रूप से मदिरा बनाई जाती है। परन्तु मेरे पास यह जानकारी नहीं है कि वह बहुत बढ़ गई है और मैं माननीय सदस्य तथा सदन को बता दूं कि जिन क्षेत्रों में मद्य-निषेध बिल्कुल भी नहीं है वहां भी अवैध रूप से मदिरा तैयार की जाती है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्रीमती सावित्री निगम ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी** : वह सदा मुझ से बाजी मार ले जाती हैं ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : ईर्ष्या मत कीजिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है । वह इतने प्रश्नों की सूचना देती हैं और फिर वह उन प्रश्नों में भी भाग लेना चाहती हैं जिनमें उनका नाम सम्मिलित नहीं होता । वह बहुत उत्साही हैं ।

†**श्री बी० चं० शर्मा** : अन्य लोगों के बारे में क्या विचार है जो ऐसा ही करना चाहते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या माननीय मंत्री को पता है कि मद्य-निषेध परिषद् की बहुत सी उपयोगी सिफारिशों को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है और क्या इस परिषद् ने यह भी सिफारिश की है कि जो नगर शुष्क क्षेत्रों के निकट हैं उन के चारों ओर दस मील की कटिबन्ध पट्टी बना देनी चाहिये ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** :जैसा कि सदन को ज्ञात है, मद्य-निषेध कार्यक्रम की अधिक अच्छी क्रियान्विति की समस्या पर चर्चा करने के लिये हाल ही में हम सभी मुख्य मंत्रियों से मिले थे । निर्णय किया गया है कि एक समिति नियुक्त की जाये । यह एक अनौपचारिक समिति होगी । हम नहीं चाहते कि समिति अपनी सिफारिशें करने में अधिक समय ले । विचार यह है कि यह समिति कार्यक्रम की क्रियान्विति में आने वाली सभी कठिनाइयों का अध्ययन करे । माननीय सदस्य ने जिन बातों का सुझाव दिया है उनमें से एक पर वह समिति अवश्य ही विचार करेगी ।

†**श्री शं० शा० मोरे** : क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या उन्होंने मद्य-निषेध की वित्तीय उपलक्षणाओं का निर्धारण कर लिया है और क्या वह मद्य-निषेध के लागू किये जाने के कारण राजस्व में होने वाली कुल हानि हमें बता सकते हैं ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : एक बार मैंने कुछ आंकड़ों का उल्लेख किया था जो मुझे योजना आयोग से मिले थे । परन्तु उन आंकड़ों को लोगों के एक अन्य भाग ने स्वीकार नहीं किया है । मैं उन आंकड़ों का पुनः तब तक उल्लेख करने का साहस नहीं करूंगा जब तक कि वह समिति, जिसकी ओर मैंने अभी संकेत किया है, उसकी जांच न कर ले ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में जब यह विषय विचार के लिये प्रस्तुत हुआ था, तो उस समय कुछ आंकड़े भी रखे गए थे कि अब तक जहां जहां मद्य-निषेध हो चुका है, वहां पर उससे कितनी आर्थिक हानि हुई है और यदि सारे देश में मद्य-निषेध नीति समाप्त कर दी जाये, तो सरकार को कितना आर्थिक लाभ होगा । अगर सरकार के पास इस विषय से सम्बन्धित कोई अनुमानित आंकड़े हैं, तो क्या गृह-मंत्री महोदय उनको देने की कृपा करेंगे ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मैंने अभी निवेदन किया है कि कुछ आंकड़ों की चर्चा हुई थी और इस बारे में एक चित्र तो सामने था । मगर इस बात का विरोध हुआ और कहा गया कि वे आंकड़े ठीक नहीं हैं । इस लिये मैंने निवेदन किया है कि मैं अभी कोई आंकड़े नहीं दे सकता हूं ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या माननीय मंत्री के अपने कोई आंकड़े नहीं हैं ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

अध्यक्ष महोदय : उनके अपने कोई आंकड़ नहीं हैं ।

†श्री अ० ना० विद्यालंकार : क्य यह सच है कि सरकार ने भारत में पूर्ण मद्य-निषध लागू करने के लिये एक क्रमगत कार्यक्रम बनाया है और यदि हां, तो इस लक्ष्य तक हम कब पहुंचेंगे ?

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : हम ने एक क्रमगत कार्यक्रम बनाया था और योजना आयोग ने इस पर विचार किया था तथा गृह-कार्य मंत्रालय से परामर्श किया था। क्रमगत कार्यक्रम के अनुसार तीसरी योजना के अन्त तक लगभग सभी राज्यों ने मद्य-निषेध आरम्भ किया जाना था परन्तु मुझ सन्देह है कि अब उस लक्ष्य तक पहूंचा जा सकगा ।

श्री त्यागी : क्या मिताचार जैसा कोई ठोस शिक्षात्मक कार्यक्रम भी मद्य-निषेध की नीति का भाग है ?

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : जी हां । यह उसका भाग है और मैं उसे बहूत महत्वपूर्ण समझता हूं । वास्तव में, यदि हम पहले जनमत तैयार कर लें तो पूर्ण मद्य-निषेध लागू करना अधिक सरल हो जायेगा ।

श्री यशपाल सिंह : क्या सरकार यह अनुभव करती है कि जब तक यह कानून नहीं बनाया जायगा कि शराबी लोग जेलखाने में भेजे जायेंगे, तब तक शराबखोरी बन्द नहीं होगी ? यदि हां, तो सरकार इस सिलसिले में क्या काम कर रही है ।

श्री त्यागी : उन को गोली मार दो ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने सजेस्टियन दिया है कि शराब पीने वालों को जेलखाने में भेज दिया जाये । मिनिस्टर साहब ने सुन लिया है और वह इस पर गौर करेंगे कि आया उन को जेलखाने भेजा जाय या नहीं ।

श्री यशपाल सिंह : कब तक उम्मीद करें ?

श्री रामेश्वरानन्द : जल कैसे भेज दें । बहुत से मिनिस्टर भी शराब पीते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : उन को जेल भेजने से स्वामी जी को क्या खुशी होगी ?

श्री रामेश्वरानन्द : खुशी उन के जेल जाने से नहीं, बल्कि शराब छुटने से होगी ।

श्री क० ना० तिवारी : जब यूरोप पीता है, चाइना पीता है, रूस पीता है और वहां के लोग हम से एडवास हैं और जब प्राहिबिशन से आर्थिक नुक्सान होता है , तो क्या वजह है कि गवर्नमेंट प्राहिबिशन लागू करना चाहती है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य आर्ग्युमेंट में एन्टर कर रहे हैं ।

†डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या सरकार ने इस देश में मद्य-निषेध की नीति को उलटने के हेतु आवश्यक निर्देश देने के लिये आपात स्थिति के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग की सुगमता और संभावना पर विचार किया है ?

†अध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव है । श्री हेम बरुआ ।

†डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : यह एक प्रश्न है । क्या उन्होंने विचार.......

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : मतलब तो वही है : क्या उन्होंने विचार कर लिया है, उन्हें अवश्य विचार करना चाहिये ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : मैं यह नहीं कहता कि उन्हें अवश्य विचार करना चाहिये । मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने विचार किया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उस रूप में उत्तर दिया जा सकता है । इसकी निश्चय ही अनुमति है ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : हम विचार नहीं कर रहे हैं । . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न है, क्या उन्होंने विचार किया है । वह यह नहीं जानना चाहते हैं कि वह विचार करेंगे या नहीं ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : हमने विचार नहीं किया है ।

†**श्री हेम बरुआ** : यह देखते हूये कि मद्य-निषेध का दुखद परिणाम हूआ है कि मदिरा चोरी छिपे ले जाई जाने लगेगी और स्त्रियां तथा बच्चे भी इस व्यापार में लगे हूये हैं, जैसा कि हाल ही में महाराष्ट्र विधान सभा में प्रकट किया गया है, क्या मैं जान सकता हूं कि कि क्या सरकार का विचार. .

†**अध्यक्ष महोदय** : यह मेरे लिये फिर एक कठिनाई है । माननीय सदस्य सदा ही पहले तो जानकारी देते हैं, और वह भी वहूत विस्तृत जानकारी, तथा तब प्रश्न करते हैं ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या इस अवसर पर आप के विचार करने के लिये मैं एक बात कह सकता हूं ? एक अंग्रेज़ी कहावत है कि बूढ़े तोते को सिखाया नहीं जा सकता । इसलिये इस सादृश्य पर क्या आप मुझे क्षमा करेंगे ? अब कोई नई चीज़ सीखने के लिये मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : परन्तु मैं अपने माननीय मित्र को, जिन्हें मैं बहुत अधिक प्यार करता हूं, वह उपमा नहीं दूंगा । मैं उन्हें उस श्रेणी से बाहर निकालने और एक ऊंचे स्तर पर लाने का प्रयत्न करूंगा ।

†**श्री त्यागी** : इस विषय का उन्हें नशा सा हो गया है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : अभी अभी आप ने कहा है कि आप उन्हें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं : मैं निवेदन करता हूं कि आप सब से एक समान प्यार करें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह तो मैं करता हूं परन्तु मैं उन की श्री दी० चं० शर्मा से तुलना नहीं करता ।

श्री हेम बरुआ : क्या मैं जान सकता हूं कि यह देखने के लिये क्या विशेष उपाय किये गये हैं कि इस नैतिक काम के अनैतिक परिणाम न निकलें ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : इस में सन्देह नहीं कि कार्यक्रम की क्रियान्विति में त्रुटियां और कमियां हैं और इस के कुछ बुरे से परिणाम भी हुए हैं परन्तु सब मिला कर मैं समझता हूं कि जहां कहीं मद्य-निषेध की योजना लागू की गई है वहां लोगों का इस से भला ही हुआ है ।

श्रीमती लक्ष्मीबाई : इंडिपेंडेंस से पहले महात्मा गांधी ने औरतों को एफ़िशेन्ट समझ कर उन से पिकेटिंग कराई थी । इसलिए क्या हाउसवाइव्ज की एक कमेटी बना कर प्राहिबिशन कामयाब नहीं होगी ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

अध्यक्ष महोदय : यह एक सजेस्टियन है ।

औद्योगिक इंजीनियरों की राष्ट्रीय संस्था

†*४९९. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई के निकट पोवाई में 'औद्योगिक इंजीनियरी में प्रशिक्षण के लिये राष्ट्रीय संस्था' को संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि में से एक समझौते के अनुरूप सहायता दी जायेगी;

(ख) प्रस्तावित संस्था को स्थापित करने में कितनी राशि विशेष निधि में से दी जायेगी और सरकार का अंशदान कितना होगा ; और

(ग) क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन प्रविधिक सहायता का प्रबन्ध करने और देने के लिए उत्तरदायी होगा ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मन्त्री (श्री हुमायून् कबीर) :** (क) जी हां ।

(ख) संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि में से पांच वर्षों के लिये मिलने वाली अनुमानित कुल सहायता ६,८३,३०० डालर अथवा ३२.५४ लाख रुपये है । उसी अवधि के लिये केन्द्रीय सरकार का अंश-दान लगभग ७९ लाख रुपये है ।

(ग) जी हां ।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** प्रशिक्षण की अवधि क्या होगी और इस संस्था से निकलने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी ?

†**श्री हुमायून् कबीर :** कई अलग अलग पाठ्यक्रम हैं; कुल मिला कर, लगभग ३१ अलग अलग पाठ्यक्रम होंगे और उन में अलग अलग संख्या में विद्यार्थी लिए जायेंगे परन्तु जब संस्था पूरी क्षमता के साथ काम आरम्भ कर देगी तो संख्या लगभग १४०० प्रति वर्ष होगी ।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या इस संस्था में से निकलने वाले स्नातकों में से औद्योगिक इंजी-नियरों का एक संग्रह बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री हुमायून् कबीर:** वे लोग लिए जायेंगे, जो पहले ही नौकरी में हैं और इसलिए वे सामान्यतः उन्हीं उद्योगों या समवायों में वापिस चले जायेंगे जहां उन की नौकरी लगी हुई है ।

श्रीमती सावित्री निगम उठीं—

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं श्रीमती सावित्री निगम से प्रार्थना करूंगा कि वह प्रत्येक प्रश्न पर अनुपूरक पूछने का अवसर मांगने का इतना उत्साह न दिखाया करें ।

†**श्रीमती सावित्री निगम :** यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अवश्य, मैं मानता हूं ।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ :** क्या मैं जान सकता हूं कि औद्योगिक इंजीनियरिंग में प्रशिक्षण के इस सम्पूर्ण पाठचर्या में कौन से विषय होंगे और क्या यह पाठचर्य अनेकरूप होगी अथवा एकरूप ?

†**श्री हुमायून् कबीर :** कई पाठ्यक्रम होंगे । जैसाकि मैं ने कहा है, ३१ अलग अलग पाठ्यक्रम होंगे । उन में जो पांच अधिक महत्वपूर्ण हैं वे मैं बता देता हूं । एक तो काम आंकने के उच्च ढंगों

---

†मूल अंग्रेजी में

का होगा जिस में प्रेरणात्मक योजनाओं का बनाया और चलाया जाना सम्मिलित होगा और जिसकी २२ सप्ताह की प्रशिक्षण अवधि होगी ; दूसरा काम आंकने और प्रोत्साहनों का होगा जिस की अवधि १८ सप्ताह होगी; तीसरा १६ सप्ताह का उत्पादन योजना और नियंत्रण का होगा जिस में स्टाक नियंत्रण, औजारों के कमरे का नियंत्रण, स्टोर का प्रबन्ध और प्राक्कलन तैयार करना सम्मिलित होंगे ; चौथा पाठ्यक्रम विक्रय संगठन और मार्केट अनुसंधान का होगा जिस की अवधि १० सप्ताह की होगी । पांचवा पाठ्यक्रम रीति अध्ययन का होगा जिस में संयंत्र विन्यास और सामग्री का संचालन सम्मिलित हैं और जो ८ सप्ताह का होगा ।

†**श्री हेडा** : क्या मैं जान सकाता हूं कि किस प्रकार यह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाओं के अन्तर्गत स्वीकृत सामान्य योजनाओं से भिन्न है ?

†**श्री हुमायून् कबीर** : भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थायें मुख्यतः छात्रों के लिये हैं । वे प्रौद्योगिकीय पाठ्यक्रम हैं और वहां युवक आ कर विभिन्न इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकीय विषयों में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं ।

ये चार कारोबार कार्यकारी हैं, जो पहले ही उद्योग में हैं, और कारखानों में काम की निपुणता सुधारने के लिए उन्हें विशेष सामयिक और गति प्रेक्षण तथा अनेक अन्य विशेषताओं का लाभ प्राप्त होगा ।

†**डा० क० ला० राव** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या रुपया आवश्यक रूप से मशीनों और अध्यापकों पर खर्च किया जायेगा तथा भवनों पर नहीं जैसाकि हम अन्य संस्थाओं में साधारणतः करते हैं ?

†**श्री हुमायून् कबीर** : मेरे माननीय मित्र को जानना चाहिये कि मूल्यवान उपकरणों के लिये उपयुक्त इमारतों की आवश्यकता होती है और इस सदन में मुझे प्रश्नों के उत्तर देने पड़े हैं क्योंकि कुछेक बहुत मूल्यवान उपकरणों के लिये समय पर वातानुकूलन नहीं किया गया था ।

†**श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** : इस संस्था में प्रशिक्षित होने वाले इंजीनियरों की अधिकतम संख्या क्या होगी ?

†**श्री हुमायून् कबीर** : उस का मैं ने उत्तर दे दिया है । जब यह संस्था पूरी क्षमता के साथ काम करने लगेगी तो प्रति वर्ष लगभग १४०० प्रशिक्षार्थी इस में से निकलेंगे ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या खर्चा प्रशिक्षार्थियों द्वारा वहन किया जायेगा अथवा अपना प्रशिक्षण जारी रखने के लिये उन्हें किसी प्रकार की वृत्तिका दी जायेगी ?

†**श्री हुमायून् कबीर** : वृत्तिकाओं का तो कोई प्रश्न ही नहीं है । यहां प्रशिक्षण पाने के लिये उन्हें पर्याप्त भारी फीस देनी पड़ेगी क्योंकि वे नौकरी करने वाले लोग हैं ।

शिक्षा उपकर

+

*५००. { **श्री बैरवा कोटा** :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री भक्त दर्शन :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को शिक्षा उपकर लगाने का सुझाव दिया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उन्हों ने कहां तक योजना का समर्थन किया है ?

†**शिक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन)** : (क) जी हां ।

(ख) राज्य-वार स्थिति इस प्रकार है :

(१) राजस्थान, मैसूर, केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारें सुझाव का परीक्षण करवा रही हैं ।

(२) उड़ीसा सरकार ने अभी इस मामले में कुछ न करने का अस्थायी और अनौपचारिक निर्णय किया है ।

(३) बिहार, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और मद्रास की राज्य सरकारों ने पहले से ही शिक्षा उपकर लगाया हुआ है ।

(४) आसाम, जम्मू तथा काश्मीर और उत्तर प्रदेश से उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ।

श्री बैरवा कोटा : इस उपकर के लगने से शिक्षा के प्रचार-प्रसार पर क्या असर पड़ेगा ।

श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन : इस धन का प्रयोग किया जायेगा । जो सैस से पैसा मिलेगा वह तो एजूकेशन इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल होगा ।

श्री बेरवा कोटा : कितनी रकम सरकार को इस से मिलने की आशा है ?

†**श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन** : कुछ राज्यों में उन्हें २ करोड़ रुपये तक मिल रहे हैं । कुछ अन्य राज्यों में उन्हें ७५ लाख रुपये, ५० लाख रुपये, १२० लाख रुपये---इसी तरह से---मिल रहे हैं । .

श्री कछवाय : मध्य प्रदेश से इस सम्बन्ध में कोई पत्र क्या मिला है और यदि मिला है तो उस के सम्बन्ध में सरकार ने क्या उत्तर दिया है ?

अध्यक्ष महोदय : मध्य प्रदेश ने यह किया है या नहीं किया है, इस का ही जवाब दे दिया जाय । पत्र की जरूरत नहीं है ।

†**श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन** : मध्य प्रदेश इस सुझाव का परीक्षण करवा रहा है । हमें कोई उत्तर नहीं मिला है ।

†**श्री विश्राम प्रसाद** : क्या मैं जान सकता हूं कि राज्यों में इस शिक्षा उपकर के आरोपण का शिक्षा मंत्रालय द्वारा बनाये गये साधनों का परीक्षण करने वाले सूत्र पर कहां तक प्रभाव पड़ेगा ?

†**श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन** : साधन परीक्षण सूत्र जैसी कोई चीज नहीं है ।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बय्या** : क्या एकत्रित किये गये शिक्षा उपकर का एक भाग जिला परिषदों और पंचायत समितियों जैसे स्थानीय निकायों को दिया जायेगा अथवा राज्यों सरकारों द्वारा ही इसका विनियोग किया जायेगा और उन्हीं के द्वारा पुनोनिधान की गई योजनाओं पर खर्चा जायेगा ?

†**श्रीमती सौंदरम् रानचन्द्रन** : यह निर्णय करना राज्य सरकारों का काम है । उदाहरणार्थ, मद्रास में इस धन का प्रयोग नये विद्यालयों के भवनों के सुधारने, दोपहर के भोजन आदि के लिये किया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री शिवनंजप्पा** : क्या भारत में कोई ऐसे राज्य हैं जो इस समय पहले ही शिक्षा उपकर ले रहे हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इसका उत्तर दे दिया गया है।

†**श्री शिवननंजप्पा** : कौन से राज्य हैं ?

†**श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन** : अभी मैंने इसका उत्तर दिया था। क्या में उसे दुहराऊं ?

†**अध्यक्ष म ोदय** : आवश्यक नहीं है ।

†**श्री इ जीतलाल मल्होत्रा** : क्या शिक्षा उपकर सभी राज्यों में समरुप है ? यदि कोई अन्तर है, तो वह अधिकतम और न्यूनतम क्या है ?

†**श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन** : अभी तक अधिकतम १९ नये पैसे प्रति रुपया है। कुछ के राज्यों में यह कैवल २ नयेपैसे प्रति रुपया है। यह फिर राज्यों पर ही निर्भर करता हैं।

श्री विभूति मिश्र : एजुकेशन सैस जिन जिन स्टेट्स ने लगाया है, क्या उनकी आर्थिक समस्या हल हो चुकी है, शिक्षा संबंधी उनकी आर्थिक समस्यायें हल हो चुकी हैं ?

अध्यक्ष महोदय : स्टेट्स की सारी आर्थिक समस्यायें या विद्या संबंधी समस्याय ?

श्री विभूति मिश्र : जैसे बिहार ने लगाया है। अब बिहार में एजुकेशन के ऊपर जो मांग थी, वह क्या पूरी हो गई है ?

†**श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन**: यह ठीक नहीं है। यह उपकर तो राज्य सरकार के शिक्षा संबंधी कार्यक्रम को मजबूत बनाने के लिये है, न कि राज्य सरकार को उसके द्वारा स्वीकृत भार से मुक्त करने के लिये। यह सुधारों के लिये है।

†**श्री पु० र० पटेल** : यह शिक्षा उपकर भूमि के लगान पर लिया जाता है। जबकि प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क है, तो क्या भूमि के लगान पर इस उपकर के लेने से निर्धन कृषक और अधिक निर्धन नहीं बन जायगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह तो इस मामले पर तर्क करने की बात है।

†**श्री महेश्वर नायक** : क्या सरकार ने इस बात की जांच कर ली है कि जिन माता पिताओं के बच्चे नहीं हैं उन पर इससे जो बोझ पड़ने की संभावना है वह न्यायसंगत नहीं है ?

†**श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन** : इसका परिवार से कोई संबंध नहीं है।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : विभिन्न राज्यों में इस शिक्षा उपकर को एकत्रित करने की कसौटी क्या है, क्योंकि माननीय उपमंत्री ने कहा था कि एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच उपकर में अन्तर है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह बात राज्य सरकारों पर छोड़ दी जाती है।

†**श्री रामनाथन चेट्टियार** : जी, नहीं। मैं वह कसौटी अथवा मानदंड जानना चाहता हूं जिसके आधार पर यह शिक्षा उपकर लगाया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक राज्य सरकार इसका निश्चय करेगी ।

†श्री रामनाथन् चेट्टियार : क्या मैं नम्रता पूर्वक निवेदन कर सकता हूं कि मैं उस कसौटी को जानना चाहता हूं जिसके आधार पर यह उपकर लगाया जाता है ?

†अध्यक्ष महोदय : उपमंत्री इसका उत्तर दें ।

†श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन : महाराष्ट्र में अधिकांशतः यह व्यापारिक फसलों पर लगाया जाता है । मद्रास में तथा बिहार में भी यह भूमि के लगान पर लगाया जाता है। इसलिये प्रत्येक राज्य में इसका अलग अलग प्रतिरुप है ।

†श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या सरकार का इस उपकर को उन राज्यों में भी लगाने का विचार है जहां कि शिक्षा उपकर पहले से ही लिया जाता है ?

†श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन : जी, नहीं, निश्चय ही नहीं ।

†श्री किशन पटनायक : क्या यह उपकर ऐसे गांवों में भी लगाया जायेगा जहां किसी प्रकार का कोई स्कूल है ही नहीं ?

†अध्यक्ष महोदय : यह बताना राज्य सरकारों का काम है ।

दिल्ली की प्रशासन व्यवस्था में परिवर्तन

\+
*५०१. श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री कृष्ण देव त्रिपाठी :
श्री महेश्वर नायक :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या दिल्ली की प्रशासन व्यवस्था में कोई परिवर्तन करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो यह मामला इस समय किस अवस्था में है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री हजरनवीस) : (क) तथा (ख). मामला विचाराधीन है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : गृह मंत्री जी को अथवा गृह मंत्रालय को दिल्ली की कुछ संस्थाओं की ओर से इस प्रकार के ज्ञापन क्या प्राप्त हुये हैं कि दिल्ली में टैरिटोरियल काउंसिल बनाई जाये और उसमें जनता द्वारा चुने हुये प्रतिनिधि हों, यदि हां, तो उस संबंध में क्या कोई निर्णय ले लिया गया है और अगर नहीं लिया गया है तो क्या स्थिति है ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : मुझे ऐसा तो कोई खास पत्र नहीं मिला है जिसमें यही कहा गया हो कि टैरिटोरियल काउंसिल बनाई जाये और उनका चुनाव हो । हां इस तरह के कुछ पत्र मिले हैं कि दिल्ली के संबंध में कुछ न कुछ होना चाहिये और अपना शासन चलाने के लिये दिल्ली के रहने वालों को अधिकार मिलने चाहियें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अभी समाचारपत्रों में कुछ इस प्रकार के समाचार प्रकाशित हुये थे कि दिल्ली की बिजली और पानी की व्यवस्था को भारत सरकार कारपोरेशन से वापिस अपने हाथों में लेना चाहती है मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रकार के समाचारों में कहां तक सत्यांश है ?

अध्यक्ष महोदय : यह बात बिल्कुल दूसरी है ....

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : इसी से यह संबंधित है....

अध्यक्ष महोदय : आप दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटिव सैट-अप के बारे में पूछ रहे थे और कह रहे थे कि यहां कोई डमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंज हों और उनमें चुने हुये लोग हों। अब आपने एक दो महकमों की बात करनी शुरु कर दी है। यह कैसे इसमें आ सकता है ?

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : मैं दूसरा प्रश्न पूछ लेता हूं।

दिल्ली की प्रशासन व्यवस्था के संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक गृह मंत्रालय ले सकेगा ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : समय तो बिलकुल ठीक नहीं बता सकता हूं। मगर हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी कुछ निश्चय करें। हमारा प्रयास यह होगा कि एक महीने के अन्दर कुछ अस्थायी रुप से हम अपने फैसले पर पहुंचे।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : दिल्ली जैसे केन्द्रीय क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकार जनता के प्रतिनिधियों को सौंपे जायें, इस काम में कौन सी बाधा आती है, इसमें क्या अड़चन पैदा हो रही है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री: माननीय सदस्य यहां मौजद है, एक अड़चन यह भी है, और भी विषय हैं जिन पर अच्छी तरह से विचार कर के हम निर्णय कर सकते हैं क्योंकि दिल्ली का जो प्रशासन होगा वह एक तरह से अपने ढंग का अकेला हो तो कैसा हो ताकि दूसरी जगहों पर उसका असर न पड़े, इन तमाम बातों को ध्यान में रखना पड़ता है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** वह प्रशासन व्यवस्था संबंधी कमियां कौन कौन सी हैं जिन्हें सरकार ने इन दो अथवा तीन वर्षों में स्वयं ही अनुभव किया है और उन प्रशासन संबंधी कमियों को दूर करने के लिये कौन कौन से आजमायशी प्रस्ताव पहले ही बना लिये गये हैं ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** यह एक बहुत व्यापक प्रश्न है और मेरा विचार है कि मैं इस समय उसका उत्तर नहीं दे सकता। कदाचित माननीय सदस्य आय-व्ययक पर चर्चा के समय इस प्रश्न को उठाने पर तुले हुय हैं और संभवतया तब मैं उन्हें उत्तर दे सकूंगा।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** उन्होंने कुछ कमियां अनुभव तो की होंगी ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह बात बिलकुल ठीक है। मैं प्रश्न पर आपत्ति नहीं करता, यह बिलकुल संगत है। परन्तु उत्तर इतना लम्बा होगा कि प्रश्नकाल में ही उसे पूरा पूरा देना कदाचित संभव नहीं होगा। गत दो अथवा तीन वर्षों में उन्होंने प्रशासन व्यवस्था संबंधी किन किन कमियों का अनुभव किया है और उन कमियों को दूर करने के लिंय उनका क्या करने का विचार है—यह कदाचित एक अत्यन्त व्यापक प्रश्न है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** केवल यही कारण है जिससे कि वे नई प्रशासन व्यवस्था बनाना चाह रहे हैं। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। मैं केवल उन बड़ी बड़ी कमियों को जानना चाहता हूं जो अनुभव की गई हैं। विशेषरुप से समन्वय के संबंध में। उन्होंने कुछ आजमायशी प्रस्ताव भी अवश्य बनाये होंगे। कम से कम व इन बातों को मोट तौर पर तो बता ही दें।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** मैं यह और बता दूं कि माननीय सदस्य कुछ गलती पर हैं यदि वे ऐसा सोचते हैं कि हम दिल्ली के लिये एक नई प्रशासन व्यवस्था इसलिये बनाना चाहते हैं क्योंकि हमने यह देखा है कि इस समय उनको प्रशासन में कुछ कठिनाइयों का अनुभव हो रहा है। इसके अन्य भी बहुत से कारण हैं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** मैं इस बात की सराहना करता हूं कि लोगों में अपने प्रतिनिधित्व के लिये प्रबल भावनायें हैं परन्तु यह एक दूसरी बात है। मैं इसे इस समय नहीं उठा रहा हूं क्योंकि मैं अपने प्रश्न को केवल प्रशासन संबंधी कमियों तक ही सीमित रखना चाहता हूं।

†**श्री हेम बरुआ :** श्रीमन्, एक औचित्य के प्रश्न पर। एक पूरक प्रश्न के उत्तर में माननीय गृह-कार्य मंत्री ने कहा था कि संसद के होने के कारण कठिनाइयां उत्पन्न हो रही है। क्या संसद एक बाधा है और क्या वह संसद के लिये इस प्रकार की बात कह सकते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** मेरा विचार है कि इस बात के कहने का यह अभिप्राय नहीं था, यद्यपि मुझे उस बात का अर्थ नहीं निकालना चाहिये। वह यह कहना चाहते थे कि पहिले ही से संसद में दिल्ली का प्रतिनिधित्व है। मैं उस बात को इस प्रकार समझता हूं।

†**श्री हेम बरुआ :** उन्होंने संसद द्वारा उत्पन्न की गई कठिनाइयों का उल्लेख किया था।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह एक उचित उत्तर नहीं था ; संसद एक अड़चन नहीं है परन्तु यह तो एक सहायक है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** उठे—

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं यह अनुभव करता हूं कि प्रश्न काल में उत्तर दिये जाने के लिये यह एक बहुत व्यापक प्रश्न है। श्री महेश्वर नायक।

†**श्री महेश्वर नायक :** सरकार ने संघ राज्य क्षेत्र सरकार विधेयक बनाते समय दिल्ली को इसमें सम्मिलित करना क्यों नहीं उपयुक्त समझा ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह तो इस मामले पर तर्क करने की बात है।

†**श्री डी० चं० शर्मा :** प्रशासन व्यवस्था बनाने के प्रयोजनों के लिये क्या दिल्ली और नई दिल्ली को मिलाकर एक ही यूनिट होगा अथवा दिल्ली, नई दिल्ली से पृथक रहेगी ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** प्रस्ताव बनाते समय इस बात पर भी विचार किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी आवश्यकतायें

†*५०२. **श्री जं० ब० सिं० बिष्ट** : क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वित्त मंत्रालय ने राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं को ५० प्रतिशत से भी अधिक कम कर देने का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कमी कितनी होगी और निगम द्वारा हाथ में ली जाने वाली परियोजना पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

†**खान और इंधन मन्त्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). जी, नहीं। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं को कम कर देने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है।

†**श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :** क्या निगम का कुछ नई परियोजनायें चलाने का विचार है, और यदि हां, तो किन किन राज्यों में ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** किसी भी नई योजना पर विचार नहीं किया जा रहा है। जो कुछ भी योजनायें तृतीय पंचवर्षीय योजना में रखी गई हैं वही चलाई जायेंगी और हम यह देखने का प्रयत्न कर रहे हैं कि वे ोजनायें योजना काल में ही क्रियान्वित कर ी जाती हैं।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की खानों के मुहानों पर छः लाख टन से अधिक कोयला इकट्ठा हो गया है ? इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या उत्पादन की गति को कम करने के लिये कोई योजना है, जैसा कि कुछ समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ था ?

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न तो विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में है।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** यह उत्पादन स्तर से सम्बन्धित हो सकता है।

†**अध्यक्ष महोदय :** कैसे ? यह मेरी समझ में नहीं आता।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** खानों के मुहानों पर इकट्ठे हुए कोयले को वे नहीं उठा सकते।

†**अध्यक्ष महोदय :** इसीलिये उन्हें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता हो सकती है ?

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** यह मैं नहीं जानता। मैं तो एक प्रश्न पूछ रहा हूं।

†**अध्यक्ष महोदय :** श्रीमती शारदा मुकर्जी।

†**श्रीमती शारदा मुकर्जी :** क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की कोक का आघात बढ़ाने की कोई योजना है क्योंकि ठीक प्रकार का कोक उपलब्ध न होने के कारण इस्पात के उत्पादन पर प्रभाव पड़ रहा है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** जी, नहीं। मैं माननीय महिला सदस्य के इस मत को स्वीकार नहीं करता कि ठीक प्रकार का कोयला उपलब्ध न होने के कारण इस्पात के उत्पादन

---

†मूल अंग्रेज़ी में

पर प्रभाव पड़ा है। इस्पात तथा भारी उद्योग मंत्रालय का इस प्रश्न की जांच करने का एक प्रस्ताव है कि कुछ निश्चित प्रकार के स्पात के उत्पादन के लिये क्या अधिक अच्छी किस्म का कोक कम व्यय पर आयात किया जा सकता है अथवा नहीं, परन्तु हमें उनके ारा लिये जा रहे अथवा हमें भेजे गये किसी निर्णय का ज्ञान नहीं है।

प्राथमिक विद्यालयों के ांचे में परिवर्तन

†*५०३. { श्री यशपाल सिंह :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राथमिक विद्यालयों के ढांचे में परिवर्तन करके उन्हें बुनियादी ढंग का बनाने का कार्यक्रम सभी राज्यों में योजना के अनुसार पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत चलाये गये सभी नये प्राथमिक विद्यालय परम्परागत प्रणाली पर चलाये जा रहे हैं या बुनियादि ढंग से ; और

(घ) यदि वे परम्परागत प्रणाली पर चलाने जा रहे हैं तो उसके क्या कारण हैं ?

†शिक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती सौंदरम रामचन्द्रन्) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता हैं।

विवरण

(क) और (ख). यद्यपि इस कार्यक्रम की चालू वित्तीय वर्ष के अन्त से पूर्व ही समाप्त कर देने का प्रस्ताव था, परन्तु ऐसा ज्ञात होता है कि आर्थिक कठिनाइयों के कारण कदाचित यह समाप्त नहीं हो सकेगा।

(ग) और (घ). यह निश्चय करना तो राज्य सरकारों का काम है क्या नये खोले जाने वाले प्राथमिक विद्यालय बुनियादी आधार पर होंगे अथवा परम्परागत प्रणाली पर। यह निर्णय प्रशिक्षित शिक्षकों, विद्यालय सम्बन्धी सामान तथा धन की उपलब्धि पर निर्भर करेगा। नये खोले जाने वाले कुछ प्राथमिक विद्यालय बुनियादी ढंग के हैं और कुछ नहीं।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि बेसिक स्कूल देहात में कितने हैं और शहरों में कितने हैं ?

श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन : हमारे पास अलग अलग आंकड़े नहीं हैं।

श्री यशपाल सिंह : सरकार को इस में क्या दिक्कत है कि शहरो के अन्दर भी उसी तरह से बेसिक स्कूल कायम किये जायें जैसे कि गांधी जी ने कहा था ?

श्रीमती सौंदरम रामचन्द्रन : हमें शहरों में भी बेसिक स्कूल फैलाने हैं, उस के बारे में हम सोच रहे हैं। एक बोर्ड भी बना है, वह उस के लिये प्लैन देगा।

†श्री अ० ना० विद्यालंकार : एक प्राथमिक विद्यालय के ढांचे म परिवर्तन करने की औसत लागत कितनी थी और शिक्षा के आयं व्यय्कों में कितनी कमी हुई थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन** : एक सामान्य प्राथमिक विद्यालय को एक बुनियादी विद्यालय के रूप में बदलने की वास्तविक लागत निकाली जा रही है परन्तु यह निर्धारित कर दिया गया है कि दस्तकारी के सामान के लिये लगभग २५० रुपये प्रति शिक्षक के हिसाब से दिये जायें। दूसरी चीजों का हिसाब लगाया जा रहा है।

†**श्री रामसेवक यादव** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या शहरों में भी बेसिक एजुकेशन के स्कूल है, और यदि हैं तो क्या ये जान सकता हूं कि उन की संख्या देहातों के मुकाबले कम है या ज्यादा है? क्या स्थिति है?

श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन : शहरों में कम होंगे।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : वह वित्तीय कमी कितनी है जो कि इस कार्यक्रम के चालू वित्तीय वर्ष में क्रियान्वित न किये जाने के लिये उत्तरदायी है?

†**श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन** : यह अधिकतर बुनियादी-प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों को पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराने के विषय में है। सामान्य प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों का नवीकरण द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूर्ण हो जाना चाहिये था, परन्तु कुछ राज्यों ने अपने कार्यक्रम पूर्ण नहीं किये और इस कार्य को वे अब कर रहे हैं। पूर्ण वित्तीय उपलक्षणाओं का हिसाब अभी नहीं लगाया गया है। परन्तु बुनियादी शिक्षा को उन्नत करने के लिये राज्यवार आवंटन कर दिया गया है।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : कमी क्या है? मैंने आवंटन के विषय में नहीं पूछा था?

†**अध्यक्ष महोदय** : उसका अभी हिसाब नहीं लगाया गया है।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : विवरण में यह कहा गया है कि आवंटन का हिसाब अभी नहीं लगाया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह वित्तीय कमी के विषय में जानना चाहते हैं।

†**श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन** : इस प्रकार की कोई वित्तीय कमी नहीं है। आवंटन का हिसाब लगा लिया गया है और उन्होंने समस्त धन व्यय कर दिया है। परन्तु वित्त पर्याप्त नहीं है।

श्री बैरवा कोटा : क्या मैं जान सकता हूं कि आधुनिक विद्यालयों में बुनियादी कार्यक्रम के अन्दर क्या क्या सिखलाने का प्रबन्ध किया गया है?

†**श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन** : यह एक विद्यालय है। वहां वह सभी विषय पढ़ाये जायेंगे जो कि सामान्य विद्यालयों में पढ़ाये जाते हैं परन्तु उसमें दस्तकारी पर अधिक जोर दिया जायेगा।

श्री बैरवा कोटा : क्या क्या सिखलाने का प्रबन्ध किया जा रहा है?

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल बहुत दफे आ चुका है।

श्री कछवाय : मैं, जानना चाहता हूं कि शिक्षा के प्रोग्राम में सरकार का कितना रुपया खर्च होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

3211 (Ai) LS—2.

†**श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन :** किसी भी अच्छे विद्यालय के लिये, चाहे वह बुनियादी प्रतिरूप का विद्यालय हो अथवा प्राथमिक विद्यालय हो, अधिक धन की आवश्यकता होती है ?

अध्यक्ष महोदय : कुल कितना खर्च होगा क्या इस का जवाब आ सकता है ?

†**श्रीमती सौन्दरम् रामचन्द्रन :** हमारे पास वह आंकड़े नहीं है।

श्री रामेश्वरानन्द : अध्यक्ष महोदय, उपमंत्री महोदय को तो बड़ी अच्छी हिन्दी आती है उस लिये जिन को अंग्रेजी नहीं आती उन को क्यों कष्ट दिया जा रहा है ?

†**श्री श० शा० गोरे :** बुनियादी शिक्षा और गैर-बुनियादि शिक्षा देने के लिये प्रति विद्यार्थी पर कितना व्यय होगा ?

†**श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन :** यह जानकारी उपलब्ध नहीं है।

†**श्री प्र० ना० विद्यालंकार :** यह बताया गया है कि बुनियादी-प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक उपलब्ध नहीं हैं। क्या सरकार को यह विश्वास है कि सब बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक केवल बुनियादी विद्यालयों में ही लगे हुए हैं और कोई भी बुनियादी-प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक किसी परम्परागत प्रणाली पर चलने वाले विद्यालय में नौकरी नहीं कर रहे हैं ?

†**श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन :** कुछ पूर्ण विकसित बुनियादी शिक्षा प्रशिक्षण विद्यालय हैं। परन्तु जैसा कि बुनियादी शिक्षा मूल्यांकन समिति ने संकेत किया था, बुनियादि अध्यापकों को गैर-बुनियादि विद्यालयों में भी रखना अधिक अच्छा होगा, क्योंकि ढांचे में परिवर्तन करने के इस कार्यक्रम में बुनियादी शिक्षा के प्रतिरूप को गैर-बुनियादि शिक्षा वाले क्षेत्र में भी चलाना अच्छा रहेगा। इसलिये, बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों को केवल बुनियादी विद्याशयों में ही रखने का प्रश्न ही नहीं उठता। यही कारण है कि गैर-बुनियादी अध्यापकों का भी बनियादी प्रतिरूप में नवीकरण करने के लिये एक अलग कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है।

पन्ना की हीरे की खानें

†*५०४. { **श्री विद्या चरण शुक्ल :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री डी० चं० शर्मा :
श्री ब्रजराज सिंह :

क्या **खान और इंधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पन्ना हीरा खान परियोजना में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या यह प्रगति निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही हो रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में.

†खान और ईंधन मन्त्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड दिसम्बर, १९५९ से पन्ना वाले क्षेत्र म खोज करता रहा है। दो खानें स्थापित करने का विचार है—एक रामखेरिया में और दूसरी मझगांव में। ऐसे दूसरे निक्षेपों को ढूंढ़ निकालने की दृष्टि से जिनसे आर्थिक लाभ पर खनिज निकाले जा सकें और आगे खोज बीन का कार्य प्रगति कर रहा है।

२. रामखेरिया खान के सम्बन्ध में, मध्य प्रदेश सरकार से ४५४,३२ हेक्टेयर क्षेत्र को खान खोदने के लिये पट्टे पर ले लिया गया है जब कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को खोज करने का जो लाइसेंस मिला हुआ है उसके साथ साथ ही मझगांव खानों के सम्बन्ध में २१०७.६ हैक्टेयर क्षेत्र को खान खोदने के लिये पट्टे पर लेने के हेतु राज्य सरकार को एक प्रार्थना-पत्र दे दिया गया है।

३. रामखेरिया तथा मझगांव की दो खानों के सम्बन्ध में परियोजना प्रतिवेदनों का सरकार ने (क्रमशः नवम्बर, १९६१ तथा अप्रैल, १९६२ में) अनुमोदन कर दिया था और उन खानों का अनुमोनिन पूंजी परिव्यय क्रमशः ४६ लाख तथा ९० लाख रुपये दिखाया गया था।

४. रामखेरिया खान के लिये मिट्टी हटाने वाला उपकरण खान स्थल पर पहुंच गया है और अधिक भार आदि के हटाने के काम में लाया जा रहा है। रामखेरिया तथा मझगांव खानों के लिये खान खोदने, हौलेज तथा ट्रीटमेंट प्लान्ट्स के लिये अन्य आवश्यक उपकरणों के सम्बन्ध में प्राप्त निवियाओं की जांच की जा रही है। इससे अतिरिक्त मझगांव क्षेत्र में अधिक निश्चित रूप से यह मालूम करने के लिये कि उस क्षेत्र में कितना हीरा मिल सकता है और गढ़े खोद कर अतिरक्त नमूने लिये जा रहे हैं।

५. परियोजना के मुख्यालय, पटना में अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिये आवासिक भवनों के निर्माण का कार्य प्रगति कर रहा है। गैर-आवासिक भवनों, आंतरिक तथा बाहरी सेवाओं के लिये जो निविदाये प्राप्त हुई हैं उनकी जांच की जा रही है। खानों पर आवासिक स्थानों का निर्माण करने के लिये योजनायें तैयार कर ली गई हैं।

६. मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड रामखेरिया तथा मझगांव को विद्युत का संभरण करने के लिये ट्रान्समिशन लाइन डाल रहा है।

७. मझगांव में जल संभरण के लिये खान के निकट एक नाले के पार बांध बनाया जा रहा है। बांध के चिनाई वाले भाग की नींव के लिये और मिट्टी वाले भाग के लिये काटने वाली खाइयों के सम्बन्ध में खुदाई का कार्य पूरा हो गया है; पतली भराई का काम प्रगति कर रहा है। बांध के चिनाई वाले भाग तथा मिट्टी वाले काम के लिये जो भाव आदि प्राप्त हुए हैं उनकी जांच की जा रही है।

८. दिसम्बर, १९६२ तक खोज के कार्य के दौरान १०७३.४७ कैरट भार वाले २०८१ हीरे मिले थे। उनको पन्ना के खजाने में जमा कर दिया गया है और राज्य सरकार द्वारा उनकी नीलामी किये जाने की प्रतीभार की जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उन दो खानों में से जिनका कि विकास किया जा रहा है, रामखेरिया खान में अप्रैल १९६३ में उत्पादन आरम्भ होने की आशा थी, परन्तु ट्रीटमेंट प्लान्ट तथा अन्य उपकरणों के प्राप्त होने तथा उनके लगाये जाने में विलम्ब होने के कारण अब उत्पादन के केवल १९६४ के मध्य तक ही आरम्भ होने की आशा है। दूसरी खान में जोकि मझगांव में है उत्पादन १९६३ के अन्त तक आरम्भ होने की आशा थी परन्तु अब इसमें भारी विलम्ब होने की सम्भावना है क्योंकि परियोजना के परामर्शदाताओं की सिफारिश पर इस क्षेत्र में हीरे मिलने की सम्भावना को अधिक निश्चित रूप से जानने के लिये और गढ़े खोद खोद कर अतिरिक्त नमूने लिये जा रहे हैं और उसके पश्चात् पुनरीक्षित प्राक्कलन तथा समय-सूची तैयार किये जायेंगे। और भी, ट्रीटमेंट प्लान्ट के लिये प्राप्त हुए भाव आदि के अनुसार, इस प्लान्ट का सम्भरण करने तथा उसे लगाने के लिये दो वर्ष के समय की आवश्यकता है।

†श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या इन खानों से स्वामित्व के सम्बन्ध में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का मध्य प्रदेश सरकार के साथ कोई झगड़ा है और यदि हां, तो क्या यह झगड़ा तय हो गया है ?

श्री के० दे० मालवीय : कोई झगड़ा नहीं था। कुछ सुझाव थे जो कि मेरे पास अभी नहीं हैं परन्तु जहां तक मुझे याद है मेरे विचार में कोई झगड़ा नहीं था।

श्री विद्याचरण शुक्ल : हमारे देश में प्रतिवर्ष कितनी मात्रा हीरे आयात किये गये हैं और हमने हीरों की अपनी आवश्यकताओं में कब तक आत्मनिर्भर होने की योजना बनाई है।

†श्री के० दे० मालवीय : आयात किये जाने वाले व्यापारिक हीरों की मात्रा के सम्बन्ध में प्रश्न का उत्तर देना मेरे लिये कठिन है। वास्तव में हम यह कह सकते हैं कि जड़ाऊ हीरे के आयात को बन्द किया जा सकता है क्योंकि हमें उनकी अधिक आवश्यकता नहीं होती। परन्तु यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि हम पन्ना तथा अन्य क्षेत्रों में कितनी शीघ्र व्यापारिक हीरों का उत्पादन कर सकते हैं। कठिनाई तो यह है कि हमारे लिये यह एक बिल्कुल नया कार्य है और अनुमानतः हमारे विशेषज्ञ कठिनाइयों को पहले नहीं आंक सके थे। मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने कि यह प्रश्न पूछा है क्योंकि इससे मुझे सारे ही प्रश्न का एक नये ही ढंग से मूल्यांकन करने पर अवसर प्राप्त हुआ। अब हम फिर एक बैठक करेंगे और यह देखेंगे कि यहां पर प्रश्न के उत्तर में बताये गये समस्त विलम्ब को किस प्रकार कम किया जा सकता है। मुझे आशा है कि कुछ समय पश्चात् मैं एक अन्य विवरण सभा-पटल पर रखूंगा और यह देखूंगा कि स्थिति में क्या सुधार किये जा सकते हैं।

†श्री दी० चं० शर्मा : इन खानों से जो हीरा निकाला जा रहा है उसके विक्रय पर स्वर्ण नियंत्रण आदेश का क्या प्रभाव पड़ेगा ?

†श्री के० दे० मालवीय : मैंने इस बात का अध्ययन नहीं किया है।

†श्रीमती सावित्री निगम : क्या माननीय मंत्री को यह ज्ञात है कि रामखेरिया तथा मझगांव में पीने के पानी को प्राप्त करने में भारी कठिनाई होती है और जो श्रमिक इन खानों में कार्य करते हैं उन्हें निरन्तर अपना कार्य करते रहने में बहुत कठिनाई का अनुभव होता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री के० दे० मालवीय** : जी हां, वहां की पानी की कठिनाइयों का हमें ज्ञान है । यही कारण है कि व्यापारिक तथा पीने के उपयोगों के लिये पर्याप्त मात्रा में पानी का संभरण करने के हेतु एक बांध बनाया जा रहा है ।

†**श्री रा० स० तिवारी** : श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि पहले जो हीरों की खुदाई होती उससे अब जो सरकारी ढंग से खुदाई होने लगी है उसमें कोई अधिक लाभ हुआ है या हानि ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : बात यह है कि पहले जो खुदाई होती थी, उसमें बहुत आदमी मिल कर हाथ से या दूसरे छोटे छोटे औजारों से खोदते थे, और कभी हीरा मिल जाता था । अब तो एक बहुत बड़े पैमाने पर मिकेनाइज्ड ढंग से प्रयत्न किया जा रहा है, जिसमें रुपया काफी लगेगा, पर बहुत ज्यादा हीरे निकलेंगे । इसमें कुछ समय तो जरूर लगेगा, लेकिन दोनों प्रकार के उत्पादनों का कोई मुकाबला नहीं है । मिकेनाइज्ड ढंग से जो उत्पादन होगा वह बहुत ज्यादा होगा ।

श्री रा० स० तिवारी : मेरा निवेदन है कि . . . .

अध्यक्ष महोदय : अभी निकले ही नहीं हैं तो मुकाबला कैसे करेंगे ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या और भी उपकरणों का आयात किया जाना आवश्यक है, यदि हां तो इसमें कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होगी ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : विदेशी मुद्रा की कुल आवश्यकता इस प्रकार आंकी गई थी । कुल योजना ९० हजार करेट प्रतिवर्ष का उत्पादन करने के लिये १ करोड़ ५० लाख रुपया व्यय करने की थी, और रामखेरिया तथा मझगांव की दो योजनाओं के लिए क्रमश: २७ लाख तथा १९ लाख रुपयों के मूल्य की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता समझी गई थी ।

श्री शिवनारायण : मैं जानना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने जो हीरे की मिकेनाइज्ड खुदाई की योजना बनायी है, उस पर अब तक कितना रुपया खर्च हो चुका है ?

श्री के० दे० मालवीय : इसके बारे में ३१ जनवरी सन् १९६३ तक ६५ लाख २९ हजार रुपया खर्च किया जा चुका है, और इसके लिए सन् १९६३–६४ का बजट १४४ लाख का है ।

†**श्री दाजी** : क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश का खनिज निगम इस उपक्रम में भागीदार होना चाहता था ; और यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार तथा मध्य प्रदेश सरकार के बीच स्वीकृत स्वामित्व आदि के सम्बन्ध में अन्तिम व्यवस्था क्या की गई है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : भागिला था प्रश्न उठा का और कुछ पत्र-व्यवहार भी हुआ था ।

†**श्री दाजी** : अन्तिम निर्णय क्या हुआ ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : इस प्रश्न पर कोई अन्तिम निर्णय नहीं हुआ था और जहां तक मुझे याद पड़ता है मध्य प्रदेश सरकार भागीदार होने के लिये अधिक उत्सुक नहीं है । परन्तु यह प्रश्न यदि और आगे बढ़ाया जाता है तो हम इसकी जांच करने के लिये बिल्कुल तैयार हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : क्या इस खान का उत्पाद 'विजय' नामक हीरा, जो कि बिक्री के लिये इस देश से बाहर भेजा जाना था, बेच दिया गया है, और यदि हां उसका कितना मूल्य मिला है ?

†श्री के० दे० मालवीय : जहां तक मुझे जानकारी है यह अभी तक नहीं बेचा गया है। हमने और हीरों का उत्पादन किया है। शायद २ हजार से अधिक हीरे बेचे जाने के लिये पड़े हैं। जब उचित समय आयेगा तब वह सभी बेच दिये जायंगे।

†श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : वह सबसे बड़ी हीरा है।

†अध्यक्ष महोदय : वह अभी नहीं बेचा गया है। माननीय मंत्री ने बस यही कहा था।

†श्री कछवाय : मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोहेनूर हीरे के मुकाबले का कोई हीरा अब तक आपके द्वारा निकाला गया है क्या ?

अध्यक्ष महोदय : अभी इनके द्वारा तो नहीं निकाला गया, अब निकाला जाएगा।

श्री कछवाय : इनकी योजना के द्वारा।

अध्यक्ष महोदय : अभी योजना की तजवीज हो रही है, फिर निकालेंगे।

सागर जिले में प्राप्त ऐतिहासिक वस्तुएं

†५०५. श्री विश्वनाथ राय : क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सागर जिले (मध्य प्रदेश) में की गई खुदाई के परिणामस्वरूप हाल ही में ऐतिहासिक महत्व की कोई वस्तु मिली है ?

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (डा० म० मो० दास) : जी हां। खुदाई में जो वस्तुएं मिली हैं उनमें लघुपाषाण काले तथा लाल मोटे भूरे, काले पर लाल तथा पतले भूरे बर्तन, पेंट किए हुए शेड, टेराकोटा फिगरिन, सिक्के आदि शामिल है। तेज धार वाली कुल्हाड़ी भी मिली है। खुदाई हो रही है तथा परिणामों पर बाद में अध्ययन किया जायेगा।

†श्री विश्वनाथ राय : क्या इस का पता लगाया गया है कि यह किस काल की वस्तुएं हैं ; यदि हां, तो वह कितने वर्ष पुराने हैं ?

†डा० म० मो० दास : ये वस्तुएं लगभग ४,००० वर्ष पुरानी—२००० बी० सी० से १८०० सी० डी०—हैं।

†श्री विश्वनाथ राय : क्या खदाई कार्य पूरा करने के लिए उचित वित्तीय व्यवस्था की गई है और यदि हां, तो काम के पूरा हो जाने की कब तक आशा है ?

†डा० म० मो० दास : सागर विश्वविद्यालय खुदाई कार्य कर रहा है। केन्द्रीय सरकार ने उनको अब तक १६००० रुपये दिए हैं।

†डा० मा० श्री अणे : खुदाई की चीजें किस संग्रहालय में रखी जायेंगी ?

†डा० म० मो० दास : क्योंकि खुदाई कार्य हो रहा है इसलिए इस की जानकारी नहीं है। मैं समझता हूं कि वह सागर विश्वविद्यालय के पास है।

---

†मूल अंग्रेजी में

चीनी नजरबन्दों की पत्नियां

†*५०९. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कालिम्पोंग में चीनी नजरबन्दों की पत्नियों ने अपने पतियों के साथ चीन जाने से इन्कार कर दिया है ; और

(ख) उन्होंने क्या कारण बताए हैं ?

†गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री हजरनवीस) : (क) जी हां ।

(ख) उन्होंने कोई कारण नहीं बताया है ।

†डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या चीनी नाजरबन्दों की सभी भारतीय पत्नियों ने ऐसा किया ? यदि नहीं, तो उन की राष्ट्रीयतावार क्या संख्या है ?

†श्री हजरनवीस : उन में से अधिकांशतः भारतीय हैं । ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने अपने पतियों के साथ जाने के बजाय अपनी जन्म भूमि में रहना पसंद किया ।

†डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या सरकार उन के चीन भेजने के लिए बाध्य करेगी अथवा उनको भारत में ही रहने देने की अनुमति दे देगी ?

†श्री हजरनवीस : हम किसी को बाध्य करना नहीं चाहते हैं । यदि वह जन्मभूमि छोड़ने को तैयार न हों तो उन को यहां रहने की अनुमति दे दी जायेगी ।

†डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : मैं यह उन चीनी नजरबन्दों की पत्नियों के बारे में पूछ रहा हूं जो भारतीय नहीं हैं ।

†श्री हजरनवीस : भारत से जाने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जायेगा ।

†श्री हेम बरुआ : क्योंकि पेकिंग ने हमारे यहां नजरबन्द चीनियों को कष्ट में चीनी राष्ट्रजन कहा है तो क्या इस देश में चीनी राष्ट्रजनों की भारतीय पत्नियों से जानकारी हासिल की गई है कि क्या वह कष्ट में हैं ?

†श्री हजरनवीस : मैं प्रश्न नहीं समझा ।

†अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि क्या चीनी राष्ट्रजनों की भारतीय पत्नियों से मंत्री ने यह जानने का प्रयत्न किया है कि क्या वह कष्ट में हैं ?

†श्री हेम बरुआ : मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह कष्ट में हैं ?

†श्री हजरनवीस : यदि किसी ने कष्ट के बारे में कोई सुझाव दिया है तो इस में कोई सत्यता नहीं है ।

†अध्यक्ष महोदय : मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य यह जानने के लिये वहां की यात्रा करेंगे ।

†श्री प्र० चं० बरुआ : क्या उन चीनी नजरबन्दों के मामले में जो अपनी भारतीय पत्नियों से अत्यधिक प्रेम करते हैं तथा चीन नहीं जाना चाहते हैं—छूट देने का विचार किया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : पतिव्रता होने की बात माननीय सदस्य अपने तक सीमित रखते तो अच्छा होता । अगला प्रश्न ।

दिल्ली का इंजीनियरिंग कालेज

\+
†*५०७. { श्री यशपाल सिंह :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार दिल्ली के इंजीनियरिंग कालेज को नया पद देने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ;

(ग) इस नये निर्णय से कालेज को कहां तक सहायता मिलेगी ; और

(घ) इस प्रकार की कितनी संस्थायें भारत में चल रही हैं ?

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मन्त्री (श्री हुमायून् कबीर) : (क) जी हां । सरकार का विचार कालिज को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने के लिए क्या दूसरा स्तर प्रौद्योगिकीय संस्था का बनाने के लिए संसद् में एक विधान पुरस्थापित करने का है ।

(ख) और (ग). इस से संस्था स्वयं अपनी अध्ययन संबंधी नीतियां बनायेगी तथा डिग्री देगी ।

(ग) देश में ऐसी चार संस्थायें काम कर रही हैं ।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि इस स्कूल का ताल्लुक दिल्ली युनिवरसिटी से रहेगा या सैप्रेट इंस्टीच्यूट आफ़ इंडियन टैक्नोलोजी क़ायम होगा ?

श्री हुमायून् कबीर : इस का जवाब मैं दे चुका हूं । अगर पार्लियामेंट बिल पास करेगी तो वह नेशनल इम्पोर्टेंस का इंस्टीच्यूट होगा । इंडियन इंस्टीच्यूट आफ टैक्नोलोजी की तरह से होगा और उस हालत में उस का दिल्ली युनिवरसिटी से ताल्लुक़ नहीं रहेगा ।

श्री यशपाल सिंह : क्या यह डिजायरेबुल नहीं होगा जबकि यह ऐडमिटेड फैक्ट है कि रुड़की की इंजीनियरिंग युनिवरसिटी एशिया भर में बैस्ट मानी जाती है, उस की डिस्प्लिन और उस की एजूकेशन दुनिया भर में फर्स्ट मानी जाती है तो क्या यह ऐडवाइज़ेबुल नहीं होगा कि रुड़की के साथ उस का ताल्लुक किया जाय ।

†अध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव है ।

†श्री हुमायून् कबीर : रुड़की एक अच्छी युनिवरसिटी है लेकिन हिन्दुस्तान में और भी बहुत सी . . . .

†अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । यह एक सुझाव है । श्री रंगा ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री रंगा । क्या सरकार उन नियमों को सभा पटल पर रखेगी जो उन्होंने अखिल भारतीय आधार पर विद्यार्थियों के चुनाव के लिए बनाये हैं तथा क्या गत अवसर पर प्रवश के समय कोर्ट का हवाला दिया गया था तथा सीटों के वितरण के संबंध में शिकायतें हुई थीं ?

†श्री हुमायून् कबीर : इस कालिज में चार अन्य संस्थायें शामिल हो गई हैं तथा सभी प्रवेश परीक्षाओं के द्वारा होगा ।

†श्री रंगा : आधार चाहे जो हो परन्तु उन्हों ने नियम बनाये होंगे । क्या यह नियम सभा पटल पर रखे जायेंगे ?

†श्री हुमायून् कबीर : समाचारपत्रों में विज्ञान दिए गए थे । परन्तु यदि आप कहें तो मैं उन को सभा पटल पर रख दूंगा ।

†श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : यह जो नया इंस्टीच्यूट बनाया जा रहा है उस की कैपेसिटी क्या होगी ?

†श्री हुमायून् कबीर : क्षमता प्रतिवर्ष २५० विद्यार्थियों के प्रवेश की है । १,२५० अवर स्नातक तथा ३०० स्नातकोत्तर विद्यार्थी होंगे ।

†अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

†श्री रंगा : यह समस्त भारत के कालिज का प्रश्न है इसलिये मैं ने प्रश्न पूछा है ।

†अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है । अगला प्रश्न ।

दिल्ली में जमीन की बिक्री

†*५०८. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में बड़े पैमाने पर मकान के लिए जमीन की बिक्री अनधिकृत रूप से हो रही है ; और

(ख) यदि हां, धा.इस धांधली को दूर करने के लिये तथा बेईमान कोलोनाइज़रों की धोखेबाजी से भोले भाले व्यक्तियों को बचाने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री हजरनवीस):(क) और (ख). भूमि अर्जित अधिनियम, १८९४ की धारा ४ के अधीन ५४,८०८ एकड़ भूमि को अधिसूचित कर दिया है जिस का दिल्ली की वृहद् योजना के अधीन विकास करने का विचार है । इस में से ८,५०० एकड़ भूमि का अर्जन कर लिया गया है । भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ की धारा ४ के अधीन जारी अधिसूचना ऐसी भूमि के मालिकों के भूमि को बेचने से रोकती है ।

परन्तु दिल्ली नगर निगम अधिनियम, १९५७ की धारा ३१२ और ३१३ के अनुसार नगर निगम की सफाई समिति क्षेत्र के नकशे की स्वीकृति लेने के लिए भूमि बेचना अपराध है । दिल्ली नगर निगम अधिनियम के इन उपबन्धों को भंग करने के विरुद्ध दिल्ली नगर निगम कार्यवाही करेगा तथा यह पता लगता है कि वे कार्यवाही कर रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या यह सच है कि कुछ समय पहले दिल्ली नगर निगम में कई सदस्यों द्वारा एक संकल्प प्रस्तुत किया गया था कि निगम ३१ दिसम्बर १९६२ तक अनधिकृत रूप से निर्मित भवनों का विनियमन करे तथा इस प्रकार अनधिकृत रूप से निर्मित भवनों की अवैध बिक्री को प्रोत्साहित किया ।

†श्री हजरनवीस : मुझे ऐसे किसी संकल्प का पता नहीं है परन्तु यह मामला नगर निगम के क्षेत्राधिकार में है यदि निगम कोई संकल्प करता है तो वह सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं रह जाती है ।

†श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या निगम ने अनधिकृत कालोनाइजरों के खिलाफ कोई कार्यवाही की है तथा यदि हां, तो कितनों के खिलाफ तथा किस रूप में ।

†श्री हजरनवीस : यद्यपि यह प्रश्न इस से संबंधित नहीं है परन्तु मैं समझता हूं कि उन्होंने हाल में ही कुछ व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की है ।

†श्रीमती सावित्री निगम : क्या माननीय मंत्री जानते हैं कि इस अवैध बिक्री को प्रोत्साहित किया गया है क्योंकि सरकार मकान बनाने वालों को भूमि का वितरण करने में धीमी गति से चली है ।

†कुछ माननीय सदस्य : बड़ा अच्छा प्रश्न है ।

†गृह-कार्य मन्त्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य कभी कभी मेरे उत्तर की इस प्रकार प्रशंसा करें । यह सच है कि भूमि के वितरण में कुछ विलम्ब हुआ है । परन्तु यदि माननीय सदस्य देखें कि क्या किया गया है तो मैं आशा करता हूं कि उन्हें संतोषजनक प्रगति मिलेगी । एक बार अवश्यक गति आने पर वह शीघ्रता से क्रियान्वित हो जायेगी । यह भी सच है कि कुछ व्यक्ति दुरुपयोग करने का प्रयत्न कर रहे हैं तथा दिल्ली नगर निगम कार्यवाही करने को उत्सुक है । जैसा कि मेरे साथी ने बताया कि कार्यवाही निगम करेगा । मैं ने हाल में ही दिल्ली के मुख्य आयुक्त से बातचीत की थी । निगम उनकी सहायता चाहता है । जितना मैं जानता हूं कि मुख्य आयुक्त यह विचार कर रहा है कि इस संबंध में क्या कार्यवाही की जानी चाहिये ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : गैर-कानूनी ढंग से जिन जमीनों की बिक्री हो चुकी थी, उन पर कुछ गरीब आदमियों ने अपने मकान बना लिए थे । माननीय मंत्री जी की जानकारी में यह समाचार आया होगा कि पीछे नीमड़ी गांव में लगभग आठ लाख रुपये की कीमत के मकान कारपोरेशन ने गिरा दिये । मैं यह जानना चाहता हुं कि क्या सरकार इस बारे में कोई निर्णय ले रही है कि भविष्य में उन गरीबों को इस प्रकार की हानि न उठानी पड़े ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : इसी लिये हम चाहते हैं कि कुछ इस तरह की कार्यवाही की जाये । मेरा ख्याल है कि सदन शायद इस बात को मंजूर करेगा कि अगर हमारे पास कोई दूसरा रास्ता न हो, तो हम डिफेंस आफ इंडिया रूल्ज़ के मातहत इस को रोकें और खास तौर से इस वजह से, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, बहुत से भाई, जो कि गरीब होते हैं, गलती में मकान वगैरह बना लेते और उन को तकलीफ उठानी पड़ती है । उस को रोकने के लिये अगर जरूरत होगी, तो हम समझते हैं कि शायद हम डिफेंस आफ इंडिया रूल्ज़ का भी इस्तेमाल करें ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : उनके मकान न गिराये जायें, इस के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

श्री लाल बहादुर शास्त्री : उनको तो गिराना पड़ेगा। उसका चारा क्या है ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : इस जमीन को कब 'फ्रीज़' किया गया था, इसमें से कितने का अर्जन कर लिया गया तथा कितनी का उपयोग कर लिया गया ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मेरे मित्र उत्तर दे चुके हैं कि भूमि अर्जन अधिनियम के अधीन सरकार ने ५४,८०८ एकड़ भूमि ले ली है। इसमें से ८,५०० एकड़ का अर्जन किया गया था। ५४,८०८ एकड़ भूमि को अधिसूचित किया गया ।

†**श्री अ० प्र० जैन** : इस जमीन को कितने वर्ष पूर्व 'फ्रीज' किया गया था ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : कुछ समय पहले इसका अर्जन किया गया था। मैं तारीख तो बता नहीं सकता। कुछ वर्ष पहले इसको फ्रीज़ कर दिया गया था। अब भूमि के वितरण के लिये कार्य-वाही की जा रही है।

श्री शिव नारायण : क्या सरकार को पता है कि दिल्ली कारपोरेशन के कुछ मेम्बरों ने लोगों को उत्साहित कर के, उन को एनकरेज कर के, इस प्रकार मकान वगैरह बनवाने में सहायता की है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : कारपोरेशन के सदस्य काफी जिम्मेदार व्यक्ति हैं। इस लिये कारपो-रेशन के कोई सदस्य ऐसा काम नहीं कर सकते ।

श्री कछवाय : मैं यह जानना चाहता हूं कि अवैध ढंग से जो जमीन बेची गई है, उस के बारे में दिल्ली के दो वर्तमान पर्लियामेंट के मेम्बरों के खिलाफ कोई कड़ी कार्यवाही करने के सम्बन्ध में सरकार ने कोई विचार किया है ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मुझे तो इस की जानकारी नहीं है। अगर माननीय सदस्य को पता हो, तो वह लिखें ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

प्रतिकारात्मक भत्ते का बन्द किया जाना

*५०९. **श्री भक्त दर्शन** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश प्रशासन के लगभग पांच हजार कर्मचारियों को शिमला प्रतिकारात्मक भत्ता देना बन्द कर दिया गया है, जो उन्हें काफी समय से दिया जा रहा था ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री हजरनवीस) : (क) शिमला प्रतिकारात्मक भत्ते का कुछ भाग १–१–१९६३ से तथा १–४–१९६३ से वह पूर्णतः बन्द कर दिया गया है ।

(ख) सचिवालय-भिन्न कार्मचारियों के हिमाचल प्रदेश वेतन दर तथा भत्ते पड़ौस के पंजाब राज्य में समान कार्यभार और उत्तरदायित्व के पदों के वेतन दरों के अनुसार होते हैं। क्योंकि पंजाब सरकार ने अपने कार्मचारियों को मिलने वाले प्रतिकारात्मक भत्ते के सम्बन्ध में कुछ निर्णय किये अतः वह निर्णय, प्रशासन के सचिवालय-भिन्न कर्मचारियों पर भी लागू किये गये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्कूल एटलस

†*५१०. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय सही स्कूल एटलसों की अत्यधिक कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी हां। सही स्कूल एटलसों की कमी की बहुत कुछ शिकायतें मिली हैं।

(ख) भारत सरकार ने एक प्रमाणीकृत स्कूल एटलस निकाली है तथा सर्वे ग्राफ इंडिया एटलसों में सीमाओं की जांच करने के लिये प्रकारणों की सहायता करता है।

शिक्षा पद्धति में परिवर्तन

†*५११. { श्री प्र० चं० बरुग्रा :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री विश्राम प्रसाद :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यावसायिक शिक्षा समेत शिक्षा पद्धति को सभी स्तरों में परिवर्तन करने की कोई विस्तृत योजना है ;

(ख) यदि हां, तो योजना के अधीन क्या बड़े परिवर्तन करने का विचार है ; और

(ग) योजना की क्रियान्विति के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

आरंभिक तथा बुनियादी शिक्षा

देश में आरंभिक शिक्षा में रूप भेद करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। बुनियादी शिक्षा के स्कूलों में रचनात्मक, उत्पादकता तथा समाजिक लाभदायक कार्य लड़के तथा लड़कियों को सिखाये जाते हैं क्या इन कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यह ज्ञान दस्तशिल्प, प्राकृतिक वातावरण तथा सामाजिक वातावरण से संबंधित होती हैं। इस काम को पूरा करने के लिये निम्न कार्य किये गये हैं :—

(१) वर्तमान स्कूलों को बुनियादी शिक्षा स्कूलों में बदल कर तथा अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं को बुनियादी ढांचे में बदल कर तथा नयी संस्था चालू करके इसके विस्तार के लिये पहले दो योजनाओं में केन्द्र द्वारा चलाई गई तथा केन्द्रीय योजनाओं को लागू किया गया है।

(२) दूसरी योजना में सभी प्रारम्भिक स्कूलों को बुनियादी ढांचे के स्कूल बनाने की योजना लागू की गई थी जो तीसरी योजना में भी जारी है।

(३) समय समय पर प्रगति का निर्धारण करने के लिए तथा अग्रेतर विकास की सिफारिश के लिए सलाहकार संस्थायें संचालित की गई हैं ; और

(४) आवश्यक साहित्य निकाला गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

माध्यमिक शिक्षा

योजना हाई स्कूलों को हायर सेकेंडरी ढांचे में परिवर्तन, स्कूल के पाठ्यक्रम का पुनर्गठन, हायर सैकेन्डरी में परिवर्तित पाठ्यक्रमों का लागू करना, अध्यापन के तरीकों तथा परीक्षा टैक्नीक में सुधार तथा विद्यार्थियों को शिक्षा तथा व्यावसायिक पथप्रदर्शन का उपबन्ध करती है।

उपरोक्त कार्यों की योजनाओं को बनाया जा चुका है तथा लागू की जा रही हैं।

मिट्टी के तेल के मूल्यों में वृद्धि

*५१२. { श्री राम सेवक यादव :
श्री बागड़ी :
श्री बैरवा, कोटा :
श्री महेश्वर नायक :

क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिट्टी के तेल के दाम बढ़ने के कारण बहुत से स्थानों पर मिट्टी का तेल आम जनता को मिलना ही बन्द हो गया है ; और

(ख) सरकार ने कौन से ऐसे कदम उठाये हैं जिनसे सर्वसाधारण के उपयोग को चीज मिट्टी का तेल उनको उचित दामों पर मिल सके ?

खान और ईंधन मन्त्री (श्री के० बे० मालवीय) : (क) जी नहीं। ऐसी कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश बिहार-सीमा विवाद

*५१३. { श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री कोया :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश-बिहार सीमा विवाद को सुलझाने में और क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इस पर कब तक अन्तिम निर्णय किये जाने की संभावना है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) और (ख). प्रधान मंत्री ने श्री सी० एम० त्रिवेदी से अनुरोध किया है कि वे इस मामले की जांच करें। श्री त्रिवेदी इस विषय पर उत्तर प्रदेश और बिहार शासनों से पत्र-व्यवहार कर रहे हैं। अंतिम निर्णय के लिये कोई तिथि निर्धारित नहीं की जा सकती।

कोयला तैयार करना तथा कोयला कार्बनीकरण

†*५१४. { श्री भागवत झा आजाद :
श्री भक्त दर्शन :

क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला तैयार करना तथा कोयला कार्बनीकरण की नवीनतम तथा आधुनिक

---

†मूल अंग्रेजी में

तरोकों को प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था के लिये एक योजना बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) क्या केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्था, धनबाद, इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही कर रहा है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मन्त्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) और (ख). जी हां ।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जांच समिति का प्रतिवेदन

५१५. { **श्री प्रकाश वीर शास्त्री :**
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जांच समिति के निश्चयों को कहां तक कार्यान्वित कर दिया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ दोषी व्यक्तियों को पहले से भी अधिक अच्छे पदों पर नियुक्त कर दिया गया है ; और

(ग) जिन अनियमितताओं का जांच समिति में संकेत है, उन्हें रोकने के लिय क्या विश्वविद्यालय ने नीति सम्बन्धी कुछ विशेष निर्णय किये है ?

शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ग). विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—१००६/६३]

(ख) जी नहीं ।

दिल्ली में जहर देने के मामले

†९६९. **श्री मरंडी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ नवम्बर १९६२ से २० फरवरी १९६३ तक दिल्ली म जहर देने के कितने मामले हुए ;

(ख) उसके क्या कारण हैं ;

(ग) इस अपराध में कितने व्यक्तियों पर अभियोग लगाये गये ; और

(घ) कितने मामले अभी लम्बित हैं ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री हजरनवीस) :** (क) पांच ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) से (घ). सभी पांचों मामलों की जांच हो रही है तथा किसी पर भी अभी अभियोग, नहीं लगाया गया है। इन मामलों के ये कारण है :

१.	चोरी	२ मामले
२.	व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता	१ मामला
३.	वित्तीय कठिनाई	१ मामला
४.	आत्महत्या	१ मामला

ग्राम उच्च शिक्षा, संस्था श्रीनिकेतन के विद्यार्थियों की हड़ताल

९७०. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
डा० सारादीश राय :
श्री अ० व० राघवन :
श्री दिनेन भट्टाचार्य :
डा० रानेन सेन :
श्री ह० प० चटर्जी :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीनिकेतन (विश्वभारती) की ग्राम उच्च शिक्षा संस्था के छात्रों ने हड़ताल कर दी है ; और

(ख) हड़ताल का कारण क्या था और उसे दूर करने के लिए क्या क़दम उठाये गये है ?

शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी हां।

(ख) हड़ताल का मुख्य कारण यह था कि चार छात्र अपनी लगातार अनुशासनहीनता के फलस्वरूप संस्था से निकाल दिये गये थे। अधिकारियों को विवश होकर १८ फरवरी, १९६३ से अनिश्चित काल के लिए संस्था को बन्द कर देना पड़ा।

अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण

†९७१. **श्री रामचन्द्र मलिक :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) देश में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए कितनी रक़म का उपबन्ध किया गया ;

(ख) अब तक इस में से कितना धन व्यय किया गया ; और

(ग) उड़ीसा राज्य के लिए अब तक इसमें से कितनी रक़म व्यय की गई ?

†मूल अंग्रेजी में

[†गृह-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती चन्द्र शेखर) : (क) १०१·८८ करोड़ रुपये

(ख) २९·७६ करोड़ रुपये।

(ग) उड़ीसा के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में ८·३२ करोड़ रुपया दिया गया था जिसमें से २·१२ करोड़ रुपया अब तक व्यय किया गया।

[चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद १९६२–६३ के संबंध में व्यय के आंकड़े बाद में मिलेंगे इसलिये (ख) और (ग) में दिखाई गई राशि अस्थाई।]

स्वयंसेवी शिक्षा संगठनों को सहायता

९७२. श्री विश्वेश्वर प्रसाद : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्राथमिक, माध्यमिक और बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में स्वेच्छा से काम करने वाले संगठनों को केन्द्रीय सरकार अनुदान देती है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे संगठनों का चुनाव किस आधार पर किया जाता है ;

(ग) वर्ष १९६२–६३ में किन संगठनों को कितना अनुदान मिला ; और

(घ) जिन संगठनों को अनुदान दिया जाता है, उनकी प्रगति की जांच का क्या तरीका है ?

शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकारें सामान्यतया प्राथमिकता के आधार पर आवेदन पत्रों की सिफारिश करती है। परन्तु वित्तीय सहायता पाने के लिये निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाली अखिल भारतीय स्तर की संस्थाओं और संगठनों के आवेदन पत्रों पर केन्द्रीय सरकार सीधे भी विचार करती है। समस्त आवेदन-पत्रों की भली भांति जांच करने के बाद ही योग्यता के आधार पर पात्र संस्थाओं को अनुदान दिए जाते है।

(ग) विवरण संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० १००७/६३]

(घ) संस्थाओं और संगठनों को प्रायोजनाओं के संबंध में त्रैमासिक रिपोर्ट भेजनी होती है। भारत सरकार की दृष्टि से जब तक प्रायोजना संतोषजनक रूप से पूरी नहीं हो जाती, तब तक ऐसी रिपोर्टें बराबर देनी पड़ती है। वित्त वर्ष समाप्त हो जाने के बाद संस्था को, जांचे हुए लेखे और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट तथा इस आशय का एक प्रमाण-पत्र, कि राशि जिस प्रयोजन के लिये स्वीकृत की गई थी उसी प्रयोजन के लिये खर्च की गई है, भेजना पड़ता है।

भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत नजरबन्द किये गये विदेशी

†९७३. श्री प्र० चं० देव भंज : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत विरोधी कार्यों के लिये भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत कोई विदेशी व्यक्ति नजरबन्द बनाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार कुल कितने व्यक्ति नजरबन्द बनाये गये हैं ; और

(ग) वे किस किस देश के वासी हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) से (ग). हां । ३ चीनी और एक ब्रिटिश राष्ट्रजन नजरबन्द किये गये हैं । इनमें से, तीन चीनी राष्ट्रजन छोड़ दिये गये हैं और विदेशी (नजरबन्द) आदेश, १९६२ के अन्तर्गत पुनः बन्दी बना लिये गये हैं।

हिन्द महासागर अभियान

†९७४. { **श्री इ० मधुसूदन राव :**
श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : }

क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्द महासागर अनुसंधान के संबंध में भारत, अमरीका, ब्रिटेन और रूस का संयुक्त कार्यक्रम आरम्भ हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) अब तक भारत सरकार ने कितना धन व्यय किया है ?

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :(क) जी हां ।

(ख) अनुसंधान कार्यक्रम १९६२–६६ की अवधि के लिये है । अब तक, ३ अमरीकी जहाजों, २ ब्रिटिश जहाजों, १ रूसी जहाज १, आस्ट्रेलियाई जहाज और ३ भारतीय जहाजों ने हिन्द सागर तथा अरब सागर के अनेक चक्कर लगाये हैं । बम्बई स्थित अन्तर्राष्ट्रीय ऋतु विज्ञान केन्द्र और एरणाकुलम में हिन्द सागर शरीरविज्ञान केन्द्र भी खुल गये हैं । वैज्ञानिकों ने जानकारी एकत्रित की है परन्तु उनका विश्लेषण हो कर निष्कर्ष निकालने में कुछ समय लगेगा।

(ग) व्यय को अनेक संगठन अपने सामान्य बजट के अंग के रूप में उठाते हैं। उनमें से अधिकतर इस अभियान के लिये पृथक खाते नहीं रखते ।

सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए टैक्निकल संस्थायें तथा इंजीनियरी कालेज

†९७५. श्री इ० मधुसूदन राव : क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तथा काश्मीर, उत्तर प्रदेश और आसाम के उत्तरी सीमा क्षेत्रों में संकट का ध्यान रखकर कुछ टेक्निकल संस्थायें या इंजीनियरी कालेज खोलने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या ब्योरा है ?

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर): (क) और (ख). सीमावर्ती क्षेत्रों में कोई टेक्निकल संस्था खोलने का प्रस्ताव नहीं है, विशेषकर वर्तमान संकट के कारण, परन्तु राज्य योजनाओं में किये गये उपबन्धों के अनुसार गोंडा, बस्ती और लखीमपुर में तीन पालीटेक्निक संस्थायें खोली जायेंगी जोकि उत्तरप्रदेश और आसाम के सीमांत जिले हैं। आशा है कि ये तीन संस्थायें योजना काल के अन्त तक चालू हो जायेंगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में नौकरी करने वाले विदेशी

९७६. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में कुछ विदेशी नौकरी कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है ;

(ग) क्या उन्हें कोई अतिरिक्त सुविधायें भी दी गई हैं और वे किस प्रकार की हैं ; और

(घ) कितने विदेशी ऐसे हैं जिन्होंने भारत की नागरिकता स्वीकार करने के लिये आवेदन दिये हैं और उनके आवेदन-पत्रों पर क्या निर्णय किया गया ?

शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

उत्तर प्रदेश के कालेजों को अनुदान

†९७७. श्री कृष्ण देव त्रिपाठी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उत्तर प्रदेश के संबंध कालेजों को (कालेजवार) किस योजना के लिये कितना अनावर्तक अनुदान दिया है ; और

(ख) राष्ट्रीय संकट को ध्यान में रखकर तीसरी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिये जाने वाले अनावर्तक अनुदानों में यदि कोई परिवर्तन किया गया है तो क्या परिवर्तन किया गया है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० १००८/६३]

यवतमाल में पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को मैट्रिक के आगे अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां

†९७८. श्री दे० शि० पाटिल : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने मैट्रिक के आगे अध्ययन के लिये १ जुलाई, १९६२ के बाद महाराष्ट्र राज्य के जिला यवतमाल के निर्धन तथा अनुसूचित आदिम जातियों के पिछड़े हुए वर्गों के विद्यार्थियों को कितनी छात्रवृत्तियां दी हैं ; और

(ख) कितने धन की छात्रवृत्तियां दी गई हैं ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). जानकारी राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही पटल पर रख दी जायेगी ।

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना

†९७९. श्री उलाका : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत १९६१–६२ और १९६२–६३ में अब तक

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा सरकार को इस कार्य के लिये कितना धन दिया गया है कि वह निर्धन विद्यार्थियों को अपनी विश्वविद्यालय शिक्षा जारी रखने के लिये योग्यता छात्रवृत्तियां दे सके ; और

(ख) राज्य सरकार ने इस राशि में से कितनी राशि व्यय की है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :(क)

		रुपये
	१९६१–६२	२०,१००
	१९६२–६३	४२,५६८
(ख)	१९६१–६२	१७,१०५

१९६२–६३—आशा है कि कार्य (१९६३) के अन्त तक ४१,५४० रु० व्यय होंगे।

उड़ीसा के स्कूलों तथा कालेजों में आडिटोरियम

†९८०. श्री उलाका : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१–६२ और १९६२–६३ में अब तक उड़ीसा में अनेक स्कूलों तथा कालेजों में आडिटोरियम के निर्माण के लिये कितना धन दिया गया है ; और

(ख) उसका ब्यौरा क्या है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम संख्या	संस्था का नाम	परियोजना के लिये स्वीकृत कुल अनुदान	१९६१–६२ में दिया गया धन	१९६२-६३ में दिया गया धन
		रुपये	रुपये	
१	गोपबन्धु हाई स्कूल, बेगुनिया	२४,९०६	६,००० (पहली किस्त)	शून्य
२	यूनिवर्सिटी कालेज आफ इंजीनियरिंग, बुरला .	२५,०००	६,००० (पहली किस्त)	शून्य

नोट:—१९६१–६२ में दिये गये अनुदानों को ये संस्थायें अभी तक प्रयोग नहीं कर सकी हैं और इसलिये १९६२–६३ में उन्हें और कोई अनुदान नहीं दिया जा सका।

†मूल अंग्रेजी में

मैट्रिक के आगे अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां

†९८१. श्री इलाका : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२–६३ में पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को मैट्रिक के आगे अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां देने के लिये उड़ीसा को कुल कितना धन दिया गया है ; और

(ख) उसी अवधि में अब तक कुल धन व्यय हुआ ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) ६,७०,२०० रु० ।

(ख) आशा है कि सारा धन प्रयोग हो जायेगा परन्तु ठीक स्थिति का ज्ञान वित्त वर्ष समाप्त होने पर होगा ।

आपात काल में पुरातत्वीय परियोजनायें

†९८३. { श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :

क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आपात की स्थिति के कारण बहुत सी पुरातत्वीय परियोजनाओं का कार्य बिल्कुल बन्द हो गया है ; और

(ख) ऐसी कितनी परियोजनायें निलम्बित कर दी गई हैं और कितने समय के लिये निलम्बित की गई हैं ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (डा० म० मो० दास) : (क) जी हां ।

(ख) १७ परियोजनायें, जिनमें से अधिकतर इमारतों संबंधी हैं, निलम्बित कर दी गई हैं और जब तक कि उनकी पूर्ति के लिये धन व्यवस्था न हो सके, तब तक निलम्बित रहेंगी ।

बुनियादी शिक्षा

९८४. { श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन प्रदेशों में बुनियादी शिक्षा के लिये केन्द्रीय सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाती है, उनमें बुनियादी शिक्षा के विस्तार और प्रचलन की दिशा में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) जहां जहां बुनियादी शिक्षा की पाठशालायें खुली हैं वहां क्या केन्द्रीय सरकार की ओर से यह पता लगाने का यत्न किया जाता है कि वहां बुनियादी शिक्षा वास्तविक रूप में प्रचलित हो रही है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो राज्यों में खोले गये विभिन्न बेसिक स्कूलों की क्या स्थिति है और उन पर पिछले पांच वर्षों में आवर्तक तथा अनावर्तक कुल कितना धन व्यय किया गया और वित्तीय वर्ष १९६३–६४ के लिये बुनियादी शिक्षा का क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) से (ग). विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १००९/६३]

आदिम जातियों के बच्चों की शिक्षा

†९८५. { श्री यशपाल सिंह :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :

क्या शिक्षा मंत्री २३ जनवरी १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०११ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिम जातियों के बच्चों की समस्या का वैज्ञानिक अध्ययन करने की योजना बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो यह कब लागू होगी ; और

(ग) योजना का क्या ब्यौरा है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी हां ।

(ख) १९६३–६४ से ।

(ग) योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद् में आदि जातियों के बच्चों की शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए एक विशेष यूनिट बनाना है । यह यूनिट स्वयं ही समस्या सबंधी अनुसन्धान तथा प्रयोग करेगा और कुछ अनुसन्धान या प्रयोग करने वाली अन्य एजेंसियों को सहायता देगा । यह इस क्षेत्र में उन अन्य एजेंसियों के कार्य को सूत्रबद्ध करेगा जो इस क्षेत्र में पहिले से ही कार्य कर रही हैं, जैसे विश्वविद्यालय या नरतत्वीय संस्थायें । यह पाठ्यक्रम अध्यापन के ढंग और उपयुक्त पाठ्यपुस्तकें बनाने संबंधी अनुसन्धान कार्य पर जोर देगी ।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति

९८६. { श्री भक्त दर्शन :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :

क्या गृह-कार्य मंत्री १३ अगस्त, १९६२ के अतारांकित प्रश्न सख्या ६०५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलाहाबाद हाई कोर्ट के बकाया मामलों को निबटाने के लिये हाल में और कितने अतिरिक्त जज नियुक्त किये गये हैं ; और

(ख) अन्य कितने मामले निबटाये जाने के लिये बाकी हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री हजरनवीस) : (क) इलाहाबाद उच्च न्यायालय में बक़ाया मामलों को निपटाने के लिये एक अतिरिक्त जज और नियुक्त किया गया है, तथा अतिरिक्त जजों के छः और पदों की स्वीकृति दी गई है ।

(ख) ३१-१२-१९६२ को दो वर्ष से अधिक पुराने २४,२०७ मामले शेष थे ।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड

†९८७. श्री यशपाल सिंह : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६२–६३ में अब तक केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने अपने सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम पर कितना धन व्यय किया ;

(ख) कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने स्वयंसेवी सगठनों को सहायता दी गई ; और

(ग) उपरोक्त काल में संगठन ने कितने प्रशिक्षण व उत्पादन केन्द्र खोले हैं ?

†शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) फरवरी, १९६३ के अन्त तक बोर्ड ने ८·७१ लाख रु० स्वीकृत हुए ।

(ख) १७ स्वयंसेवी संगठन ।

(ग) १८ उत्पादन व प्रशिक्षण केन्द्र ।

टैक्निकल शिक्षा की बरबादी

†९८८. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती: क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेक्निकल शिक्षा में "भयानक' बरबादी रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि बढ़ती मांग से पता लगता है कि तीसरी योजना काल की आवश्यकतायें १ लाख डिप्लोमाधारियों और अर्ध-उपाधि वालों की होंगी ;

(ग) क्या कुछ चुनी हुई पालिटेक्निक संस्थाओं में दो वर्षीय डिप्लोमा-पाठ्यक्रम लागू करने की विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें सरकार ने स्वीकार कर ली हैं ; और

(घ) टेक्निकल जन-शक्ति समिति द्वारा किये कार्य-विश्लेषण से कहां तक अनेक स्तरों पर कम समय में पूरे होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों का पता लगा है ?

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबीर) : (क) विश्वविद्यालय तथा अन्य प्राधिकारियों से प्रार्थना की गई है कि वे अन्तिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए अनुपूरक परीक्षाय करें । अध्यापकों के वेतन-क्रम सुधारने के अतिरिक्त, राज्य सरकारों से प्रार्थना की गई है कि वे अपनी संस्थाओं में विद्यार्थियों के बड़ी संख्या में परीक्षा में असफल रहने के कारणों की जांच करें ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां ।

(घ) शीघ्र पूरा होने वाले प्रशिक्षण की आवश्यकता आगामी दो वर्षों में प्रतिरक्षा तथा अन्य कार्यों के लिए इंजीनियरों तथा टेक्निसियनों की अधिक मांग होने से उत्पन्न हुई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

Wastage in technical education.

दिल्ली में कारों की चोरी

†९८९. श्रीमती सावित्री निगम : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले छः मास में दिल्ली में कितनी कारें चोरी गईं और इनके संबंध में कितने व्यक्ति पकड़े गये ?

†गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस): १ सितम्बर, १९६२ से २८ फरवरी, १९६३ तक ४६ कारें चुराई गईं जिनमें से ४१ कारें पुलिस ने प्राप्त कर ली हैं । इस संबंध में ३१ व्यक्ति पकड़े गये हैं ।

दरीबा (राजस्थान) में तांबा निक्षेप

†९९०. श्री कर्णी सिहजी : क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण तथा भारतीय खान विभाग ने दरीबा (राजस्थान) में तांबा निक्षपों के बारे में जो जांच पड़ताल की थी उसके अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ।

†खान और ईंधन मन्त्री (श्री के० दे० मालवीय): उस क्षेत्र में भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण द्वारा और बाद में भारतीय खान विभाग द्वारा जो जांच पड़ताल की गई थी उसके परिणाम-स्वरूप लगभग ५००,००० मीट्रिक टन निक्षेप का, जिनमें औसत श्रेणी का २.५ प्रतिशत तांबा है, अस्थायी रूप में अनुमान लगाया गया है ।

बिहार में तेल की खोज

९९१. श्री विभूति मिश्र : क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में चम्पारन, रक्सौल और पूर्णिया जिले में तेल के कुएं पाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकारी जांच से क्या पता चला है ;

(ग) किस मात्रा में तेल मिलने का अन्दाजा है ; और

(घ) सरकार इन कुओं से कब तक तेल निकालने लगेगी ?

खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय): (ख) जी नहीं । स्तर सूचना को प्राप्त करने के लिए उत्तर-बिहार के रक्सौल और पूर्णिया जिले में एक एक गहरे कुएं के व्यधन के लिए आगामी ग्रीष्म काल में व्यधन-कार्य के शुरू होने की आशा है ।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

संघ राज्य क्षेत्रों में भर्ती नियम

†९९२. श्री रिशांग किशिंग : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संघ राज्य-क्षेत्रों में श्रेणी १ और २ के पदों (जिनमें मुख्य सचिव का पद भी शामिल है) के लिए भर्ती के कोई नियम बनाये हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और ये पद कैसे भरे जाते हैं ?

†गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री हजरनवीस) : (क) गृह-कार्य मंत्रालय में प्रशासी नियन्त्रण में संघ राज्य-क्षेत्रों में श्रेणी १ और २ के पदों (जिनमें जहां कहीं हो वहां मुख्य

---

†मूल अंग्रेजी में

सचिव का पद भी शामिल है) के लिए भर्ती के नियम अधिकतर पदों के लिए बना दिये गये हैं। शेष पदों के बारे में भर्ती के नियम तैयार हो रहे हैं।

(ख) जिन पदों के बारे में नियम हैं, उनके बारे में प्रश्न ही नहीं उठता। बाकी पदों के लिए भर्ती अधिकतर प्रारूप नियमों के अनुसार होती है।

निवेली में उर्वरक कारखाना

†९९३. **श्री धर्मलिंगम** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य में निवेली में उर्वरक कारखाना के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या निर्माण में कुछ विलम्ब हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

†**खान और ईंधन मन्त्री (श्री के० दे० मालवीय)** : एक उर्वरक संयंत्र में निर्माण के १५ बड़े कार्य हैं जो संयंत्र तथा मशीन लगाने से पहिले पूरा होना है। समूचे रूप में, इसका ७५ प्रतिशत कार्य हो गया है। कुछ कार्य मार्च, १९६३ के अन्त तक १०० प्रतिशत पूरे हो जायेंगे। इन मामलों में निर्माण कार्य मार्च/अप्रैल में आरम्भ होगा।

(ख) और (ग). अटल परिस्थितियों के कारण संयंत्र की स्थापना में देर हुई है। ये बातें विशषकर संयंत्र की कुछ चीजें बनाने के लिए अपेक्षित किस्म की इस्पात की प्राप्ति में कठिनाइयों तथा निर्माण सामग्री के अभाव से संबंधित हैं। इनका संबंध अन्तिम डिजाइन तथा ड्राईंग की प्राप्ति में भी देर होने से है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के आदर्शों के प्रचार के लिए स्कूल

†९९४. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में संयुक्त राष्ट्र संघ के आदर्शों के प्रचार के लिए स्कूल खोले जायेंगे ;

(ख) यदि हां, तो इन स्कूल के लिए वित्त व्यवस्था कैसे होगी और उन का प्रबन्ध कैसे होगा ; और

(ग) स्कूलों की स्थापना के लिए किन स्थानों को चुना गया है?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी नहीं। फिर भी राज्य सरकारों को परामर्श से प्रत्येक राज्य में लगभग तीस विद्यमान माध्यमिक स्कूलों तथा अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं को इसलिए चुनने की योजना है कि वे अन्तर्राष्ट्रीय विचारों के लिए शिक्षा में प्रयोगात्मक कार्यवाही के प्रोग्राम में भाग ले सकें। इस कार्यवाही में संयुक्त राष्ट्र के बारे में शिक्षा देना भी शामिल है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

भारत में अफ्रीकी विविश्वविद्यालय के लोगों के लिये अधिछात्रवृत्ति

†९९५. **श्री बी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में अफरीकी विश्वविद्यालय के शिक्षग के लिये अधिछात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां तो कितनी बढ़ाई जायेंगी तथा कितना व्यय किया जायेगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) भारत में अफरीकी विश्वविद्यालय के लोगों के प्रशिक्षण के लिये युनेस्को को दी गई अधिछात्रवृत्तियों की संख्या को बढ़ाने का निर्णय किया गया है ।

(ख) ४,२०,००० रुपये की लागत से अट्ठाईस ।

अखिल भारतीय खेल कांग्रेस

†९९६. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय खेल कांग्रेस में दिये गये सभी प्रस्ताव कार्यान्वित किए जा चुके हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार उन की एक प्रति सभा पटल पर रखेगी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) और (ख). अखिल भारतीय खेल कांग्रेस में दिये गये प्रस्तावों को दर्शाने वाला तथा उन पर की गई कार्रवाई दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० १०१०/६३]**

मनीपुर में स्कूल

†९९७. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय मनीपुर में लोअर प्राइमरी और अपर प्राइमरी और मिडल अंग्रेज़ी स्कूलों की संख्या क्या है जो गैर सरकारी हैं परन्तु सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त हैं ;

(ख) क्या इन स्कूलों में शिक्षा निश्शुल्क है ;

(ग) यदि उपरोक्त 'ख' का उत्तर न है तो क्या घाटी में आठववीं श्रेणी तक तथा आदिम जाति क्षेत्रों में विश्व विद्यालय के स्तर तक निश्शुल्क शिक्षा योजना मान्यता प्राप्त स्कूलों में लागू नहीं की गई है ; और

(घ) इन स्कूलों में शिक्षा को निश्शुल्क बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : : (क) :

(१) लोअर प्राइमरी . . .	१४४
(२) अपर प्राइमरी . .	१९
(३) मिडल अंग्रेज़ी . .	५७

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

निकोबार के नारियल और पान की बिक्री

†९९८. **श्री अ० सिं० सहगल** : क्या गृह-कार्य मंत्री १८ मई १९६२ के अतारांकित प्रश्न

---

†मूल अंग्रेजी में

संख्या १५७९ और २८ मई १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २०७७ के उत्तरों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निकोबार द्वीपों में व्यापार का विनियमन करने के लिये मुख्य आयुक्त में निहित शक्तियों के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों को टेंडर मंगवा कर या खुली नीलामी के द्वारा कलकत्ता में निकोबारी नारियल और पान बेचने की जरूरत नहीं ; और

(ख) नारियल और पान के निम्नतम क्रय दामों को, कार निकोबार व्यापार समवाय तथा/अथवा नानकोरी व्यापारी समवाय द्वारा दिखाये गये लाभ पर आधारित करने के बजाय कलकत्ता बाजार भावों के आधार पर क्यों निर्धारित नहीं किया जाता ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री हजरनवीस)** : (क) मुख्य आयुक्त को लाइसेंस प्राप्त समवायों को आरक्षित क्षेत्रों के बाहर टेंडर मंगवा कर या खुली नीलामी द्वारा माल बेचने को बाध्य करने की शक्तियां नहीं हैं ।

(ख) अन्दमान प्रशासन कलकत्ता बाजार में प्रचलित औसत दामों और लाइसेंस प्राप्त समवायों के पिछले कार्यकारी परिणाम को ध्यान में रखते हुए इन वस्तुओं के दाम निश्चित करता है ।

मध्य प्रदेश में सिंगरौली कोयला खानें

†९९९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश में सिद्धी जिला में व्यापक सिंगरौली कोयला क्षेत्रों से कोयला निकालने के लिये क्या कार्रवाई की गई है या करने का विचार किया गया है ; और

(ख) उस का ब्योरा क्या है ?

†**खान और ईंधन मन्त्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने तीसरी योजना अवधि की समाप्ति तक २५·४ लाख टन तथा चौथी योजना में ३०·५ लाख टन तक के अनुमानित वार्षिक उत्पादन के लिये सिंगरौली में कोयला खनन परियोजना आरम्भ कर दी है । परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है और मंजूर हो चुकी है । १९६३–६४ में छोटे पैमाने पर उत्पादन आरम्भ होने की अपेक्षा है । राष्ट्रीय कोयला विकास निगम भी इस कोयला खान को जब तक रेलवे लाइन १९६५ में पूरी नहीं हो जाती तब तक उत्पादित कोयले को ढोने के लिये राबर्ट्स गंज–गढ़वा रोड लाइन तक लगभग ३० मील दूर पिपरी रेलवे स्टेशन के साथ मिलाने के लिये एक सड़क बनाने का काम कर रही है ।

नई दिल्ली में कनाट प्लेस में कारों का खड़ा किया जाना

†१०००. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले चार वर्षों से कनाट प्लेस में कारों के खड़े करने की व्यवस्था को सुधारने का काम लम्बित पड़ा है ;

(ख) यदि हां तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्रवाई किये जाने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस)**: (क) जी नहीं। तथापि निर्माण आवास, तथा पुनर्वास मंत्रालय की भूमि उपयोग समिति ने बहुत से सुझावों पर विचार किया है और उन की सिफारिशों पर अब सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

भ्रष्टाचार के मामले

†**१००१. श्री दलजीत सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२ में निगरानी विभाग ने दिल्ली में गृह कार्य मंत्रालय तथा इस के अधीनस्थ कार्यालयों में काम करने वाले लोगों द्वारा भ्रष्टाचार किये जाने के कितने मामले पकड़े हैं ; और

(ख) कितने मामले निपटाये गये हैं ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस)**: (क) और (ख). दो मामलों में यात्रा भत्ता के गलत दावे किये गये थे। सम्बद्ध लोगों को लिखित चेतावनी दी गई तथा उसकी प्रतियां उन के चरित्र वृत्तों में लगा दी गईं।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जातियों के कृषक

†**१००२. श्री दलजीत सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२-६३ में पंजाब राज्य में अनुसूचित जातियों एवं आदिम जातियों के कृषकों पर कितनी राशि व्यय की गई है ; और

(ख) उस से कितने कृषकों को लाभ हुआ है ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती चन्द्र शेखर)**: (क) और (ख). अपेक्षित सूचना राज्य सरकार से मांगी गई है। प्राप्त होने पर विवरण सभा पटल पर रख दिया जायगा।

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली

†१०३. { **श्री राजा राम** :
श्री सेंझियान :
श्री रामचन्द्रन : }

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली के निर्माण के लिये कितनी लागत का माल विदेश से मंगवाया गया ;

(ख) निर्माण में कितना और कितनी लागत का आयातित माल प्रयोग में लाया गया ; और

(ग) सरकार बकाया माल का प्रयोग कैसे करना चाहती है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). इंडिया इंटरनेशनल सेंटर से प्राप्त सूचना के अनुसार निर्माण के लिये ४,५३,४४१ रुपये १३ नये पैसे की लागत का माल विदेश से मंगवाया गया था। कुल कितना तथा कितनी लागत का आयातित माल निर्माण कार्य में

---

†मूल अंग्रेज़ी में

लगाया गया है इस का अभी हिसाब लगाना शेष है। तथापि लगभग १,५०,००० रुपये की लागत का अप्रयुक्त माल पड़ा है।

(ग) मामले पर विचार हो रहा है।

गुलबर्ग में आण्विक खनिज

†१००४. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आण्विक शक्ति पैदा करने में प्रयोग में आने वाली बढ़िया किस्म की 'फुलरस अर्थ' आंध्र प्रदेश के गुलबर्ग जिले में पाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो वहां के निवेशों की अनुमानित मात्रा कितनी है तथा सरकार वहां खनन कार्य कब आरम्भ करने का विचार करती है ?

†खान और ईंधन मन्त्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने मैसूर राज्य के गुलबर्ग जिले में १९५५ में 'फुलरस अर्थ' के निक्षेपों की पड़ताल की थी। यह मालूम नहीं हुआ कि उन्होंने जिस किस्म की फुलरस अर्थ मालूम की थी, वह आण्विक शक्ति पैदा करने के लिये उपयुक्त है।

(ग) गुलबर्ग जिले में 'फुलरस अर्थ' के सब निक्षेपों के रक्षित भण्डारों का अनुमान भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा १६६७०० टन लगाया गया है। उक्त क्षेत्र में खनन कार्य आरम्भ करने की सरकार की कोई योजना नहीं है।

निवेली तापीय बिजली घर

†१००५. **श्री बसुमतारी :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री बेरवा कोटा :
श्री रा० शि० पाण्डेय :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में भारत और रूस के बीच, मद्रास राज्य में निवेली नामक स्थान में तापीय बिजली घर के विस्तार के लिये एक करार हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) और (ख). निवेली लिगनाइट निगम ने १६ फरवरी, १९६३ को, लगभग ७.१० लाख रुपये की लागत से थर्मल विस्तार योजना के छठे ५० मैगावाट यूनिट के लिये इस्पात और इस्पात के ढांचों का संभरण करने

†मूल अंग्रेजी में

के लिये मैसर्स टैक्नो प्रोमैम्सपोर्ट, मास्को के साथ दो ठेके किये हैं, और २७ फरवरी, १९६३ को उस योजना के लिये (५० मैगावाट का एक तथा १०० मैगावाट का एक यूनिट समेत) २९ लाख रुपये की लागत से, परियोजना प्रतिवेदन और कार्यकारी नक्शे आदि तैयार करने का संविदा किया है।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास

†१००६. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने 'दक्षिण-पूर्व एशिया की सभ्यता' नामक पुस्तक प्रकाशित की है ;

(ख) क्या इस पुस्तक में नीफा क्षेत्र का मानचित्र है ;

(ग) क्या नीफा क्षेत्र का पूरा भाग या टुकड़ा इस मानचित्र में चीन का अंग दिखाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ). मानचित्र में नेफा क्षेत्र इस रूप में नहीं दिखाया गया। वास्तव में इसमें भारत तथा भारत चीन द्वीप कल्प के बीच के संबंधों और समुद्र मार्ग ही दिखाने का उद्देश्य है। फिर भी प्रकाशन प्रभाग ने जिस के द्वारा पुस्तक प्रकाशित की गई है इस पुस्तक की प्रतियां वापिस ले कर इस मानचित्र को हटाने का फैसला किया है।

गुजरात में फ्लोराइट और लिग्नाइट के निक्षेप

†१००७. **श्री दे० जी० नायक** : क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गुजरात राज्य के बड़ौदा और बड़ौच जिलों में फ्लोराइट तथा लिगनाइट के निक्षेपों की मात्रा का पता लगाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने बड़ौदा जिले में १·२० वर्ग किलो मीटर क्षेत्र में फैले फ्लोराइट निक्षेपों का विस्तृत बड़े पमाने का मानचित्र किया है त ा फ्लोरस्पाक चट्टान के भी २६ स्थानों पर रेखाएं लगाई हैं। इन भागों में कितनी गहराई तक ये निक्षेप हैं, इस को निर्धारित करने के लिये १ अप्रैल, १९६२ को खुदाई आरम्भ की गई थी और प्रगति पर है।

बड़ौच जिले में लिगनाइट की ८ मीटर मोटी तह, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा खोदे गये कुछ सुराखों में पाई गई थी। इस बात के संकेत मिले हैं कि अधिक गहराई पर और तहें हैं। इस क्षेत्र की संभाव्यताओं की जांच करने के लिये अग्रेतर कार्रवाई अतिरिक्त ड्रिल मशीनों की उपलब्धि पर निर्भर होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री लंका को तेल का दिया जाना

१००८. { श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री राम शेखर प्रसाद सिंह :

क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन आयल कम्पनी ने श्रीलंका सरकार को तेल देने का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में श्रीलंका सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खान और ईंधन मन्त्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) तथा (ख). अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। लेकिन १९६१ के अन्त में इण्डियन आयल कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक द्वारा लंका पट्रोलियम निगम (सोलोन पेट्रोलियम कारपोरेशन) के प्रधान मैनेजर को एक अनौपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और उस समय लंका पेट्रोलियम निगम ने उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था।

निवेली लिग्नाइट योजना को उर्वरक कारखाने की इमारत

†१००९. **श्री नम्बियार :** क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी १९६३ के प्रारम्भ में, समेकित निवेली लिगनाइट योजना की उर्वरक कारखाने की इमारत में एक दुर्घटना हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो कैसी दुर्घटना हुई थी तथा कितनी हानि हुई थी ; और

(ग) क्या किसी व्यक्ति की मृत्यु उस में हुई ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) और (ख). जी, हां। २७ जनवरी, १९६३ की सायंकाल को उर्वरक कारखाने की 'यूरिया सुखाने तथा ठंडा रखने की इमारत' की सीमेंट कंक्रीट की छत गिर गई। कुल इमारत की अनुमानित लागत १·९५ लाख रुपये है।

(ग) किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है और न ही किसी काम करने वाले को चोट आई है।

राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पूना

†१०१०. **श्री न० रं० नास्कर :** क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका के कृषि विकास में बिनौले के तेल के नवीन उपयोग मालूम करने के लिये अनुसन्धान आरम्भ करने के लिये पूना की राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला को ठेके दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी राशि मंजूर की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) और (ख). जी हां। फी साल ४८० निधियों में से ४,४१,८०० रुपये।

इंजीनियरी कालेज, दिल्ली

†१०११. { **श्री रा० शि० पाण्डेय :**
श्री न० रं० नास्कर :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : }

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि कि :

(क) क्या इंगलैंड की सरकार ने दिल्ली में इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी कालेज के लिये अधिक सहायता देने की पेश कश की है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ; और

(ग) यह सहायता कब दी जायेगी ? .

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मन्त्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) और (ख). जी हां, पांच अधिक और प्रोफ़ेसरों की सेवा और उपकरण के लिए ४००,००० अतिरिक्त पौंड।

(ग) १९६३–६७ वर्षों में समुचित विधान के द्वारा कालेज के प्रौद्योगिकीय संस्था के रूप में उन्नत हो जाने के पश्चात, जो इसे अपनी शिक्षा नीतियों को बनाने तथा उपाधियां देने की शक्ति देगी।

भारत में सुरभित द्रव्यों का उत्पादन

†१०१२. { **श्री बसुमतारी :**
श्रीमती रेणुका बरकटकी : }

क्या **खान और ईंधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में सुरभित द्रव्य बनाने के बारे में रुमानियां का प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन है

(ख) यदि हां, तो इस का ब्योरा क्या है ; और

(ग) उस पर क्या फैसला किया गया है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

केन्द्रीय सरकार के कार्यालय का समय

†**१०१३. श्री बैरवा कोटा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने यातायात की समस्या को हल करने के लिये दिल्ली

†मूल अंग्रेज़ी में

और नई दिल्ली के केन्द्रीय सरकार के कुछ कार्यालयों के समय में परिवर्तन कर दिया है और

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) तथा (ख). जी हां। इस सम्बन्ध में जारी किये गये आदेशों की एक प्रतिलिपि संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० —१०११/६३**] ।

मद्रास राज्य के चिंगलपट जिला में कोयले के निक्षेप

†१०१४. **श्री मुथिया** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य के चिंगलपेट जिला में वालाजाबाद में कोयले के बड़े निक्षेप मालूम हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका व्योरा क्या है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). जी नहीं। कोयला होने की संभावना, मद्रास के चिंगलपेट जिला के वालाजाबाद क्षेत्र में कट्टावक्कम तथा विलागाम में जल के लिये खुदाई करते समय, खोदे गये सुराख की मिट्टी के अध्ययन से पैदा हुई। अभी यह नहीं कहा जा सकता कि आया उस क्षेत्र में वाणिज्यिक रूप में निकाले जा सकने योग्य कोयला निक्षेप विद्यमान हैं।

रानीगंज कोयला क्षेत्र

†१०१५. **श्री इन्द्रजीत सिंह** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या ५ अक्तूबर १९६२ से रानीगंज कोयला क्षेत्रों में दक्षिणकेंडा कोयला खान बेकार पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो इतनी लम्बी अवधि से इसके बन्द होने के क्या कारण हैं ;

(ग) उत्पादन आरम्भ करने के कारण कितना कोयला नष्ट हुआ है ; और

(घ) खान को पुनः चलाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) और (ख). जी हां। यह कोयला खान ५ अक्तूबर १९६२ से बन्द पड़ी है। इसके बन्द होने का कारण मालिक की वित्तीय कठिनाई बताया जाता है।

(ग) यह छोटी कोयला खान है जो प्रतिमास लगभग १५०० टन पैदा करती है और खान बन्द होने से इतने उत्पादन की हानि हुई है।

(घ) खान मालिक को खान को पुनः चलाने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं, यदि वह अपनी वित्तीय कठिनाई को दूर कर सकता हो, अथवा उसे किसी दूसरे व्यक्ति को जो उसको चला सके, बेचने के लिये कहा जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोयले की औद्योगिक मांग

†१०१६. { **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्रीमती विमला देवी :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में कोयले की औद्योगिक मांग में बहुत गिरावट आ गई है ;

(ख) यदि हां, तो खपत में कितनी कमी हुई है तथा इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा इस विषय में क्या उपाय किये गये गये हैं ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) से (ग). कोयला का भेजा जाना, जो उपभोक्ता की मांग पर निर्भर करता है, जनवरी १९६३ में जनवरी १९६२ के लगभग ३१·५ लाख टन की तुलना में, बढ़ कर लगभग ५० लाख टन प्रति मास हो गया है। अतः यह सच नहीं है कि कोयले की कुल औद्योगिक मांग में बड़ी गिरावट हुई है। हुआ यह होगा कि उत्पादन में वृद्धि तथा रेल परिवहन में उन्नति होने के कारण, सभी महत्वपूर्ण औद्योगिक उपभोक्ताओं के पास कोयले का काफी स्टाक है और लगभग ६ महीने पहले कमी की जो शिकायत थीं वे प्रायः समाप्त हो गई है। तो भी, उपभोक्ता मांग की प्रवत्ति का अनुमान लगाया जा रहा है।

पैट्रोल प्रौद्योगिकी में डिग्री

†१०१७. { **श्री बड़े :**
श्री कछवाय :
श्री ?रवा कोटा :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की कितनी संस्थाओं में पेट्रोल प्रौद्योगिकी का डिग्री कोर्स है ;

(ख) पिछले पांच वर्षों में अब तक कितने विद्यार्थियों ने यह विषय लिया है ;

(ग) उनमें से कितने लोग सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की सेवा में लिये गये हैं ; और

(घ) अभी जो बेकार हैं उनको नौकरी में लेने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मन्त्री (श्री हुमायून् कबीर)**: (क) भारतीय खान स्कूल, धनबाद में ही पेट्रोल प्रौद्योगिकी का उपाधि डिग्री कोर्स है।

(ख) चतुवर्षीय पाठ्यक्रम १९५७ में आरम्भ किया गया था। अभी तक केवल दो "बैच" अर्थात् कुल ४५ विद्यार्थी, १९६१ और १९६२ में वहां से निकले हैं।

(ग) ३७ ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि शेष ८ व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये विदेश चले गये हैं तथा २ अन्यथा काम पर लगे हुए हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

बम्बई में अनुसन्धान केन्द्र

१०१८. श्री बेरवा कोटा : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई में जीव विज्ञान और अणु जीव विज्ञान का एक अनुसंधान केन्द्र खोला जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो यह कितनी लागत का होगा और कब तक पूरा हो जायेगा ;

(ग) क्या इसमें विदेशी मुद्रा लगाई जायेगी, और यदि हां, तो कितनी ; और

(घ) क्या यह किसी विदेशी सहायता से बनाया जा रहा है, और यदि हां. तो किस देश की सहायता से ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). सवाल पैदा नहीं होता ।

राइफलों की कमी

†**१०१९. श्री अ० ना० विद्यालंकार :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बहुत सी ऐसी शिकायतें आई हैं कि होम गार्ड और अन्य असैनिक प्रतिरक्षा इकाइयों में राइफल प्रशिक्षण में बड़ी रुकावट पड़ रही है क्योंकि प्रशिक्षण के लिये पर्याप्त संख्या में राइफलें उपलब्ध नहीं हैं ; और

(ख) सरकार इन असैनिक प्रतिरक्षा इकाइयों के लिये पर्याप्त संख्या में राइफलों की व्यवस्था करने के लिये क्या कार्रवाई कर रही है ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस) :** (क) और (ख). राज्यों ने राइफलों की कमी की सूचना दी है और यथा शीघ्र इसको दूर करने के लिये कार्रवाई की जा रही है ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

कोयला बोर्ड के लेखे के १९६०–६१ के भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन

†**खान तथा ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** मैं कोयला खान (संरक्षण और सुरक्षा) अधिनियम, १९५२ की धारा १२ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत, वर्ष १९६०–६१ के लिये कोयला बोर्ड के लेखे के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० १०००/६३]**

---

†मूल अंग्रेज़ी में

अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम १९५१ के अन्तर्गत अधिसूचनायें

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस)**: मैं अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम १९५१ की धारा ३ की उपधारा (२) के अन्तर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :–

दिनांक २ फरवरी, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १९४ में प्रकाशित भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) संशोधन नियम, १९६३।

दिनांक २ फरवरी, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १९५ में प्रकाशित भारतीय प्रशासन सेवा (परिवीक्षा) संशोधन नियम, १९६३।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० ९७६/६३]

राज्य सभा से संदेश

†**सचिव** : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्न सन्देश की सूचना देनी है :—

"लोक सभा द्वारा १३ मार्च १९६३ को पारित किये गये विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक १९६३ के बारे में राज्य सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

सोलहवां प्रतिवेदन

†**श्री कृष्णमूर्ति राव** (शिमोगा) : मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का सोलहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

लोक लेखा समिति

नवां प्रतिवेदन

†**श्री त्यागी** (देहरादून): मैं भारत सरकार के वित्त लेखे—लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (असैनिक) १९६२ के अध्याय १—के बारे में लोक लेखा समिति का नौवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

किरीबुरू परियोजना के स्थान पर भीड़ द्वारा किये गयेगये हिंसात्मक कार्यों के बारे में वक्तव्य

†**खान तथा ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : ११ मार्च १९६३ की प्रातः काल को किरीबुरू परियोजना में काम करने के लिये निर्माण ठेकेदारों द्वारा नियुक्त किये गये एक खलासी ने लदान संग्रह-स्थल के पास एक आदिवासी महिला से छेड़छाड़ की। इस घटना से कुछ आदिवासी क्रुद्ध हो गये और उन्होंने संग्रह-स्थल के समीप झोंपड़ियों में गैर आदि-वासी श्रमकों पर आक्रमण कर दिया। इस झगड़े के फलस्वरूप चार और गैर आदिवासी और एक आदिवासी श्रमिक घायल हुए।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री के० दे० मालवीय]

अगले दिन, अर्थात १२ मार्च, १९६३ को कुछ आदिवासी श्रमिकों और समीपवर्ती क्षेत्र के स्थानीय व्यक्तियों ने, जो तीर और कमान तथा अन्य घातक हथियारों से लैस थे, लदान संग्रह-स्थल पर शिविर में रहने वाले और ठेकेदार की कर्मशालाओं के समीप काम कर रहे अथवा रहने वाले गैर आदिवासी श्रमिकों पर बिना भेदभाव के आक्रमण कर दिया।

निगम के जनरल कार्यालय को भी क्षति पहुंचाने का असफल प्रयास किया गया। कुछ समय के बाद भीड़ ने किरीबुरू नगर की ओर जाना आरम्भ किया ताकि वहां पर भी हिंसक कार्यवाही की जाय। उनको एक विद्युत ठेकेदार द्वारा जो "हो" भाषा जानता था, शांत कर दिया गया। बारबील (उड़ीसा) की सशस्त्र पुलिस घटनास्थल पर लगभग १–३० बजे सायंकाल पहुंची। उसके बाद भीड़ शांति पूर्वक तितर बितर हो गयी।

भीड़ की इस कार्यवाही के फलस्वरूप ठेकेदार के २१ गैर आदिवासी श्रमिक और एक आदिवासी श्रमिक घायल हुए। ठेकेदार के तीन गैर आदिवासी श्रमिक मारे गये। ठेकेदार के गैर आदिवासी श्रमिक, काफी संख्या में, अभी भी लापता हैं। अब उड़ीसा और बिहार राज्यों के सशस्त्र पुलिस मैन परियोजना-क्षेत्र की गश्त लगा रहे हैं। स्थिति तेजी से सामान्य होती जा रही है। परियोजना पर कार्य १६ मार्च से अंशतः शुरू हो गया था। और १८ मार्च, १९६३ से काम पूर्ण रूप से हो रहा है।

उड़ीसा राज्य की पुलिस की सहयता से बिहार राज्य की पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसके साथ ही स्थापनाओं और परियोजना की सम्पत्ति की रक्षा के लिये सुरक्षा व्यवस्था दृढ़ की गयी है।

श्री ह० व० सौय (सिंहभूम) : अध्यक्ष महोदय, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस रिपोर्ट के बारे में माननीय मंत्री के पास कोई फर्दर इन्फारमेशन है या नहीं कि आदिवासी लोगों ने यह जो हमला किया, वह एक आर्गनाइज्ड ढंग से किया गया और इस को दूसरे लोगों ने, नान-आदिवासीज़ ने कराया ? क्या सरकार को यह सूचना भी मिली है या नहीं कि इससे पहले मालेस्टेशन की घटनाओं के बारे में वहां के जेनरल मैनेजर को कम्पलेटंस की गयी थीं, लेकिन उन कम्पलेटंस की सुनवाई नहीं हुई?

श्री के० दे० मालवीय : मैंने कलकत्ता में जनरल मैनेजर को बुला कर इस विषय पर बात की और जो कुछ मालूम हुआ, वह मैंने इस बयान में हाउस के सामने रख दिया है। इस बारे में तहकीकात भी की जा रही है और मैं समझता हूं कि काफी पूरे तौर से तहकीकात की जायेगी। अगर कोई नई बात या नये वाकयात मालूम होंगे, तो मैं उन को सदन के सामने रख दूंगा।

श्री त्यागी : जब किसी की लड़की को छेड़ा जायगा, तो ऐसे ही वाकयात होंगे।

श्री ह० च० सौय : माननीय मंत्री ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि वहां पर टेलीफोन कम्यूनिकेशन को काट दिया था। क्या इस पर भी वह विश्वास करते हैं कि यह काम आदिवासी लेबरर्ज ने किया है ?

अध्यक्ष महोदय : मेम्बर साहब जानते हैं कि जब तहकीकात हो रही है, तो इस बात की भी जांच की जायगी। अगर आज मिनिस्टर साहब कह देंगे कि उन्होंने किया है, या नहीं किया है, तो इस से तहकीकात में फर्क पड़ेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री ह० च० सौय : अध्यक्ष महोदय, हम इस लिये पर्टर्ब्ड हैं कि इस रिपोर्ट से ऐसा जाहिर होता है कि इट इज ओनली आदिवासीज हू हैव डन इट । इट इज ओनली ए वन-साइडिड व्यू ।

श्री त्यागी : जिस बदमाश ने लड़की को छेड़ा था, उस का भी कुछ पता चला है या नहीं, क्योंकि यह सब किस्सा उस की वजह से ही शुरू हुआ । जब इस किस्म के वाकयात होंगे, तो उन का नतीजा वायलेंस ही होगा ।

श्री के० दे० मालवीय : जो बात थी, वह मैंने कह दी है । जब उस की तहकीकात हो रही है, तो यह कहना कि किस ने मालेस्ट किया है, बहुत मुश्किल है । सम्भव है जिसने मालेस्ट किया हो वह मारा गया हो, उस में ।

श्री त्यागी : यह तीसरा मौका है ।

†**श्री के० दे० मालवीय** : जो कुछ मुझे इस बारे में पता है, मैंने बता दिया है । मामले की जांच हो रही है और जब भी मुझे समुचित जानकारी उपलब्ध होगी मैं उसे सदन के समक्ष प्रस्तुत करूंगा ।

अनुदानों की मागें

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा जारी रखेगी । श्री यशपाल सिंह अपना भाषण जारी रखें ।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : अध्यक्ष महोदय, मैं कल यह कह रहा था कि गंगा के पानी का हम ने फायदा नहीं उठाया । अगर हम ने वहां बांध बना कर बिजली पैदा की होती और किसान की जरूरत जो पानी की है, उसको पूरा किया होता तो आज यह संकट हमारे सामने पैदा न हुआ होता । खेती के लिये सब से ज्यादा जरूरत जिस चीज़ की होती है वह पानी होता है और पानी का इंतजाम हम नहीं कर सके हैं । श्री जय प्रकाश नारायण ने कहा है कि अगर रुके हुए पानी से भी इंतज़ाम हो जाये, जो पानी हमारे तालाबों में और झीलों में रुका हुआ है, उसके लिये लिफ्ट इरिगेशन का हम इंतजाम कर दें तो खेती की पैदावार को हम बढ़ा सकते हैं । १९६० और १९६१ में हम ने ८१ मिलियन टन गल्ला पैदा किया था । १९६१ और १९६२ में हम ने ७९.८ मिलियन टन यानी ७ करोड़ ९८ लाख टन पैदा किया । जो प्राइस थी वह हमारे घरों में कम रहीं, किसान के घर में कम रही, जब तक उसके पास अनाज रहा, उसकी प्राइस कम रही और जैसे ही अनाज हमारे घरों से निकल कर बाजार में चला गया, गेहूं की कीमतें बढ़ गई । यह देश मतवातर बाहर से मंगाता रहा है । १९६० में हमने ५१ लाख ३७ हजार टन इम्पोर्ट किया । १९६१ में ३४ लाख ९५ हजार टन मंगाया गया । इसके लिये हमने १३० करोड़ रुपया दिया । १९६२ में ३६ लाख ४० हजार टन यानी १४१ करोड़ रुपये का मंगाया गया । यह कहा जाता है कि पैदावार तो बढ़ रही है लेकिन जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है, उसकी वजह से गल्ला हमें बाहर से मंगाना पड़ता है । अध्यक्ष महोदय, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वे तीन सालों तक सिवाय दूध पीने के गल्ला नहीं खाते हैं । तो फिर गल्ले की कमी क्यों वाका होती है, इस पर भी रोशनी डाली जानी चाहिये । मैं समझता हूं कि पैदावार करने वाली मशीनरी फेल हो गयी है और हमारी पैदावार आगे बढ़ नहीं सकी है । १९६०-६१ में जो हमारी पैदावार थी,

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री यशपाल सिंह]

उसके जो आदादोशुमार थे, उससे आगे हमारी पैदावार नहीं गई है। ऐसी हालत में क्या मैं आपकी आज्ञा से यह कह सकता हूं कि माननीय बाबू अजित प्रसाद जैन ने सन् १९५९ में जब इस्तीफा दिया था उसके बाद से १९६० और १९६१ में जो पैदावार हुई वह टाप पैदावार थी, उस से ज्यादा पैदावार उसके बाद एक मन को भी नहीं हुई, उससे हम कभी भी आगे नहीं बढ़े, बल्कि पीछे हटते चले गए हैं। जो देश २६ अरब रुपये का गल्ला विलायत से ले कर खा चुका है, विदेशों से लेकर खा चुका है, वह देश कब तक जिन्दा रहेगा कब तक वह देश अपनी पोलिटिकल एग्जिस्टेंस को कायम रख सकेगा, इसको आप जान सकते हैं। गांधी जी कहा करते थे कि विलायती कपड़ा मत पहनों, विदेशी कपड़ा मत पहनों विदेशी चीज मत लो। उन्हीं गांधी जी के उत्तराधिकारी विदेशी गल्ला भी हमें नहीं खिला रहे हैं, विदेशी आटा खिला रहे हैं। और कई मामलों में हम को विदेशों पर निर्भर आज भी रखे हुये हैं। जो गांधी जी कहा करते थे, उसका ठीक उल्टा आप कर रहे हैं।

सब से बड़ी दिक्कत जो हुई वह यह हुई कि कोओपरेटिव का नारा लगा कर किसानों के सेल्फ कान्फिडेंस को मार दिया गया, उसने सेल्फकान्फिडेंस को उन से छीन लिया गया। अगर यह नारा न लगाया जाता तो किसान पैदावार को बढ़ाता। मेरे ही जिले में मुजफ्फरनगर में एक बघेर गांव है। वहां पर आपके सेक्रेटरी गए थे, आपके डाइरेक्टर गये थे। उस गांव के अन्दर चार लाख रुपया कोआपरेटिव बेसिस पर खर्च किया गया। यह चार लाख रुपया मिट्टी में मिल गया। उसमें से दस हजार भी वापिस नहीं आया। कोआपोरेटिव फार्मिंग फेल हो गया। आज जो हालत है, उसको देखते हुए क्या आप यह ख्याल कर सकते हैं कि कोओप्रेटिव चलेगा, अनपढ़ किसान कोओप्रेटिव चला सकेगा? जब से यह कोओप्रेटिव का नारा लगाया गया है और जब से बाबू अजित प्रसाद जैन ने इस्तीफा दिया है, एक मन भी हम अधिक नहीं पैदा कर सके हैं, किसानों में कान्फिडेंस ही नहीं रहा, उन में उत्साह ही नहीं रहा और यही कारण है कि वे अधिक पैदावार नहीं कर सके हैं। किसान को इस बात का भरोसा ही नहीं रहा कि जिस जमीन में वह खेती करता है, उसके ऊपर उसका हक रहेगा।

यहां पर पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, सभी एजुकेटेड हैं, सभी वैल-ट्रेंड हैं, अच्छे से अच्छे दिमागों वाल बैठे हुए हैं। स्वतन्त्र पार्टी के लोग गैर सही। हम को छोड़ कर बाकी ज्यादा तर पार्टियों के लोग समाजवाद का नारा लगाते हैं। सोशलिस्ट पार्टी के लोग समाजवाद में विश्वास करते हैं, पी० एस० पी० के लोग समाजवाद में विश्वास करते हैं और कम्युनिस्ट भी समाजवाद के नाम पर मरे जा रहे हैं और कांग्रेसी खुद समाजवादी हैं। जब ये चारों पार्टियां मिल कर हुकूमत नहीं चला सकती हैं, मिल करके कैबिनेट नहीं बना सकती हैं, तो अनपढ़ किसान किस तरह से मिल कर के कोओप्रेपुव चला सकता है। यह ना मुमकिन है। ये सोसायटीज़ चल नहीं सकती हैं। यह चीज़ हो नहीं सकती है। आबको चाहिये था कि आप समाजवादियों को बुलाते और यहां पर इस संकट की घड़ी में कैबिनेट उनकी बनाते और काम को चला कर दिखाते। लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। समाजवादी भी मिल कर काम नहीं कर सकते हैं। जब वे काम नहीं कर सकते हैं तो ये अनपढ़ लोग मिल कर काम कैसे कर सकेंगे, यह आप सोचें। यह नामुम्किन है। मैं चाहता हूं कि किसानों की भलाई के लिये कोई ठोस कदम उठाये जायें।

आज भी हम पर टैक्स लाद दिये गये हैं। एक एक पैसा हम से टैक्सों का वसूल किया जाता है। हमें छोड़ा नहीं जाता है। जब ऐसी बात है तो कोई न कोई ऐसी योजना आपको अवश्य बनानी चाहिये जिससे किसान लोग इन टैक्सों के नीचे न दब जाये। मैं आपका हितैषी हूं। मुख़ालिफ लफ्ज़, विरोधी लफ्ज़, अपोज़ीशन लफ्ज़, इंगलैंड का दिया हुआ है, पश्चिम का दिया हुआ है। हम लोग मुखालिफत को नहीं मानते हैं। हम लोग मानते हैं प्रेम

को, हित को । हम आपके सच्चे हितैषी हैं । मैं अपने कृषि मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि धर्म शास्त्र में, नीति शास्त्र में कहा गया है :--

"स किं सखा साधु न शास्ति योधिपम्
हितान्न यः संश्रिगुते स किं प्रभुः"

जो प्रेम की बात कहता है, उसकी बात को मान लेना चाहिये । हां ऐसा ज़रूर होता है ।

हितं मनोहारि च दुर्लभंवतः

सच्ची बात, प्रेम की बात कड़वी लगती है । लेकिन प्रेम की बात मान ली जाए तो उससे फायदा होता है । मैं आपका हितैषी हूं, मैं आपका खैरख्वाह हूं, मुझे आप से प्रेम है । मैं जो कुछ कह रहा हूं उससे आपको फायदा होगा । शहर में रहने वालों को और साथ ही साथ गांव में रहने वालों को भी इससे फायदा होगा । चार लाख सालाना घाटा दे कर हम शहर के रहने वालों को दिल्ली मिल्क स्कीम का दूध पिलाते हैं । लेकिन देहात के लिये हम क्या करते हैं । इसको भी आप देखें । साढ़े सात करोड़ रुपया हम को फर्टिलाइज़र से बचा है हमने खाद तैयार किया है, उससे साढ़े सात करोड़ हमें बचा है । लेकिन इसमें से हम को चार करोड़ रुपया भी सबसिडी के तौर पर नहीं दिया गया है । किसान यहां का बहुत मेहनती है । अगर उसको इंसेंटिव दिया गया होता, अगर उसका उत्साहवर्द्धन किया गया होता तो वह आपके सामने हिमालय पहाड़ की तरह गेहूं के ढेर लगा सकता था । लेकिन किसान की हालत नहीं सुधारी गई है । अमरीका के सामने हाथ पसारा गया है, दूसरे देशों से गेहूं का आयात किया गया है, मगर किसान की मदद नहीं की गई है । आपका खैरख्वाह होने के नाते मैं आज फिर आपसे कहता हूं कि यह शुगर का जो मामला है इसको आप देखें । इसके मामले में किसान को आप सिर्फ एक रुपया सात आने, एक रुपया छः आने या एक रुपया पांच आने और हद से हद एक रुपया दस आने दे करके छोड़ देते हैं ; वह बाकी दिनों में बेकार पड़ा रहता है, लेकिन उसी गन्ने से इन पिछले तीन महीनों में मिल मालिकों ने जो नफा कमाया है, एक करोड़ रुपया जो नफा कमाया है, उस में से एक पैसा भी किसान के पास नहीं गया है । किसान को इस में से हिस्सा दिलाया जाना चाहिये था । उसको इसका हिस्सा नहीं मिला है । वही शुगर डायरेक्टोरेट जिसने पहले धांधली मचाई थी और आप से पहिले मंत्री उसमें फंस गए थे आज फिर चाहता है कि हमारे माननीय कृषि मंत्री जी को उसी हालत में छोड़े और उसी स्टेज पर लाकर छोड़े जिस स्टेज के ऊपर पहले मिनिस्टर साहब को छोड़ा गया था । लेकिन यहां हम बैठे हुए हैं । हम उनके खैरख्वाह हैं । हम ऐसी हालत पैदा नहीं होने देंगे । अगर मैं उस वक्त यहां होता, पिछले पांच सालों में यहां रहा होता तो आज से पहले जो एग्रिकल्चर मिनिस्टर थे, उनको भी यहां से न जाने देता, उनको भी सही रास्ता दिखाता उनको भी सही मार्ग दिखाता और उनकी भी खैरख्वाही करता । चूंकि मेरा काम है नेक रास्ता दिखलाना, मेरा काम यह है कि जो आप के येसमेन आप को गुमराह करते हैं उनसे भी आप को बचाऊं ।

अध्यक्ष महोदय : यह आप को इलैक्शन लड़ने के बाद इल्म हुआ है ।

श्री यशपाल सिंह : वह तो एक अलग बात थी । यह तो बहुत अच्छी बात हुई कि हम दोनों ही आ गए । वह वहां से आ गए और मैं यहां से आ गया । यह दानों के हित में रहा, यह काई खराब बात नहीं है । वह मैसूर से आ गये और मैं उत्तर प्रदेश से आ गया ।

[श्री यशपाल सिंह]

सन् १९५१–५२ में हम ने १० लाख टन चीनी बनाई और सन् १९५३-५४ में हमें इम्पोर्ट करनी पड़ी ५८ लाख टन चीनी । उसके बाद चीनी पर कंट्रोल करना पड़ा । आज यह हालत है हमारी पैदावार की कि सन् १९६०–६१ में हम ने २९¾ लाख टन चीनी का उत्पादन किया । सन् १९६१–६२ में पार्लियामेंट में कानून बनाया गया कि इससे ज्यादा पैदावार न की जाय और १० फीसदी उस में कमी की जाए । १० फीसदी का मतलब यह हुआ कि हमें विलायत के आगे चीनी के लिये हाथ पसारना पड़ा । चार सालों में २० लाख टन से २६ लाख टन चीनी का हमको कंजम्पशन करना पड़ा और उस कंजम्पशन का मतलब यह हुआ कि हमारी जरूरियात बढ़ी और चीनी की डिमान्ड बढ़ी । लेकिन सप्लाई उतनी नहीं हो सकी । हम उसी स्टेज पर हैं । मैं आज फिर कहता हूं कि मैं आप का खैरख्वाह हूं । जो शुगर डाइरेक्टोरेट है, जो ब्यूरोक्रेसी है उस के हाथ में हम अपनी ऐग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को नहीं खेलने देंगे और उनको नेक रास्ता बतलायेंगे । हम कहेंगे कि शुगर के अन्दर जो धांधलेबाजी हो रही है उस धांधलेबाजी को दूर किया जाय । मैं आप से पूछना चाहता हूं कि जो चीनी की दिक्कत है आज, वह किस लिए है । वह इस लिये है कि किसान को कांफिडेंस नहीं था । पहिले टाइम से दो महीने पहले चीनी की मिलें बन्द हो गयीं । अगर दो महीने पहले चीनी की मिलें बन्द न होतीं तो आज शुगर की दिक्कत हमारे सामने न होती । किसान को कम से कम २ रुपये मन गन्ने का भाव दिया जाय, किसान खुद गन्ने की पैदावार बढ़ायेगा । चूंकि किसान को गन्ने की पैदावार की पूरी कीमत नहीं दी जाती इस लिए हमारे सामने दिक्कत होती है और चीनी का मसला ज्यों का त्यों खड़ा रहता है ।

इस के साथ ही साथ हमने जो चावल में लूज़ किया है वह भी आपके सामने है, लेकिन इस वक्त जो हालत है उसमें सब से ज्यादा ज़रूरी यह चीज़ है कि शुगर डाइरेक्टोरेट को सम्भाला जाय । १ करोड़ रुपया जो मिल मालिकों ने कमाया है उस का हिस्सा किसान को दिया जाय । किसान की मिनिमम प्राइस कायम की जाय । अगर मिनिमम प्राइस कायम नहीं की गई तो किसान आगे नहीं बढ़ सकेगा और देश की पैदावार भी आगे नहीं बढ़ सकेगी । आप के जो पेकेज प्रोग्राम और एक्स्टेंशन प्रोग्राम चल रहे हैं उन दानों के एकीकरण की ज़रूरत है । किसान को जो दस महकमों को जाना पड़ता है, जैसा मैं ने शुरू में अर्ज़ किया था, उसको दस महकमों में नहीं जाना पड़ना चाहिये । बैल लेने के लिये वह ऐनिमल हस्बैन्डरी में जाता है, कर्ज़ लेने के लिये किसान कोआपरेटिव सासायटी में जाता है, तकावी लेने के लिये किसान तहसीलदार के दफ्तर में जाता है । यू० पी० के एक माननीय मिनिस्टर साहब हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वहां की प्रोसीडिंगस को निकाल कर आप देख लें, उन्होंने खुद यू०पी० में माना है सब के सामने, कि एक किसान के लिये ५०० रुपये तकावी मंजूर हुआ । आठ महीने बाद जब उस को रकम मिली तो कुल ५० रुपये मिला । बीच में लोगों ने रख लिया, रिश्वत में रख लिया । जब उस के पास ५० रुपये पहुंचा तो वह उन रुपयों को लेकर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के इजलास में गया और क्लेक्टर साहब से कहा कि हुज़ूर तहसीलदार, स्याहनवीस, पटवारी, लेखापाल सब ने अपनी अपनी फीस ले ली है, यह ५० रुपये हुज़ूर की फीस हाती है यह आप ले लें, मैं तकावी से बाज़ आया । मैं कहना चाहता हूं कि किसान को रुपया न दिया जाय, किसान के लिये कुंआ बनाया जाय, खेत के ऊपर किसान के लिये कुआं बनाया जाय, और कुआं बनाकर उसको इस लायक़ किया जाय कि किसान उससे अपनी पैदावार कर सके । जब तक किसान को यह अनुभव नहीं होगा

कि वह ख़ुद अपनी ज़मीन का मालिक है, वह कोआपरेटिव के चंगुल से छूट गया है, तब तक वह आगे नहीं बढ़ सकेगा ।

इस के बाद मैं यह कहना चाहता हूं कि जो हमारी खेती की एजूकेशन या ट्रेनिंग है उस में खेती करने वाले लोग नहीं हैं । वहां पर ज्यादातर ऐसे आई० सी० एस० हैं जिन को सिर्फ़ **डोन्ट्स** पढ़ाये गये हैं । उनको पढ़ाया गया है कि काले आदमियों से नहीं मिलना चाहिये, हिन्दुस्तानी आदमी से मिलना बड़ी भारी हिमाक़त होती है । मैं कहना चाहता हूं कि यह काम किसान के बेटे को सौंपा जाय । जितने ऐग्रिकल्चर के कालेज और स्कूल हैं उनमें किसान के बेटे हों जो कि ट्रेनिंग दें । अगर वे ही प्रिंसिपल और प्रोफ़ैसर हों तो वे किसानों की दिक्कतों को कुछ समझ सकेंगे । जो गैर आदमी हैं वे किसान की दिक्कत को नहीं समझ सकते हैं । आज हमारे सामने जो मसला है वह यह है कि खेती का काम सिखाने की ज़िम्मेदारी उन को सौंपी जाती है जिनके घर का काम खेती नहीं है, जो विलायत में पढ़े हैं और वहां से ऊंची ऊंची डिगरियां लाये हैं । जिन का खेती से कोई ताल्लुक़ नहीं है वे इस चीज़ को नहीं कर सकते । किसान के बेटे को यह काम सौंपा जाय ।

आज सब से ज्यादा जरूरत इस बात की है कि यहां पर एक टार्गेट कायम किया जाय कि इस साल इतने लाख टन कम गल्ला हम को बाहर से मंगवाना है, इस साल उस से भी इतने लाख टन कम गल्ला बाहर से मंगाना है । जब तक यह टार्गेट कायम नहीं होगा तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकेंगे । किसान के जो अपने मसले हैं उन के ऊपर हम लोग गौर करें । किसान को जो दस जगह जाना पड़ता है वह न हो, ऐग्रिकल्चर और इर्रिगेशन का काम एक मंत्रालय के नीचे आना चाहिये ।

आज किसान कुछ और ही सोचता है । जब चकबन्दी हुई तो चकबन्दी वालों को यह पता नहीं था कि इर्रिगेशन में कितनी दिक्कतें होंगी । पहले तो इर्रिगेशन की दिक्कतों को समझा नहीं अब किसानों में सिर फुटौवल होती है । मेरी कांस्टिटुएन्सी यहां से ५० मील दूर है । कैराना में चकबन्दी हुई । चकबन्दी करने वालों को पता नहीं था कि किसान के सामने इर्रिगेशन की कितनी दिक्कतें आयेंगी । नतीजा यह हुआ कि किसान को उस इर्रिगेशन के लिये सिर फुटौवल करनी पड़ी और मुकद्दमों में लाखों रुपया खर्च हुआ । इस लिये जरूरी है कि किसान की दिक्कत को समझा जाय और इर्रिगेशन और एग्रिकल्चर मंत्रालयों को एक ही मंत्रालय के मातहत रक्खा जाय । जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक यह दिक्कत हल नहीं होगी ।

आज किसान की सब से बड़ी दिक्कत यह है कि एक एकड़ में अगर वह गन्ना बोता है तो ६० रु० जुताई पर खर्च होता है, ६० रु० बीज पर खर्च होता है और ५० रु० बैठ जाता है खुदाई और इर्रिगेशन का । अगर ५० रु० उस को और खर्च करना हो तो वह जा कर मिल मालिक के दरवाजे पर उस गन्ने को ले जा सकता है । इस तरह एक एकड़ पर कुल खर्च करने के बाद उसे मुश्किल से १२५ रु० बचते हैं । उसी पर उस का दारोमदार है । मैं कहना चाहूंगा कि उस को गन्ने की कीमत पूरी २ रु० मन दी जाय । किदवई साहब ने हमारे सामने एक फार्मूला रक्खा था कि अगर चीनी की कीमत ३२ रु० मन हो तो १ आना फी रुपया के हिसाब से उस के गन्ने की कीमत २ रु० होनी चाहिये । अगर चीनी बिकती है ४८ रु० मन में तो गन्ने की कीमत ३ रु० फीमन होनी चाहिये, लेकिन चीनी ५० रु० मन तक बिकी फिर भी हम को १ रु० ४ आ०, १ रु० ६ आ० या १ रु० ७ आ० तक दिया गया । आज जरूरत है कि गन्ने की कीमत बढ़ाई जाय अगर आप रिक्वरी के साथ गन्ने

[श्री यशपाल सिंह]

की कीमत को जोड़ते हैं तो उस से किसान को बड़ा नुक्सान होता है। आज किसान करोड़ों रुपयों का नुक्सान उठा कर खड़े होने लायक नहीं रह गया है। चूंकि मिलों की मशीनें खराब थीं और उन से पूरी रिकवरी नहीं हो सकती थी, उस की रिकवरी का घाटा किसानों से लिया गया। मेरी आप से दर्ख्वास्त है कि जल्दी से जल्दी यह इन्तजाम किया जाय कि ऐग्रिकल्चर और इरिगेशन दोनों ही एक मंत्रालय के अधीन हों, किसान को रुपया देते वक्त, जो कर्ज दिया जाता है, उस को देते वक्त उस की जरूरत को देख कर दिया जाय न कि जायदाद को देख कर। उसे बीसों महकमों में न जाना पड़े। यह सब महकमे एक जगह हों। उस के फर्टिलाइजर का इन्तजाम हो, उस के लिये पानी का इन्तजाम हो और उस के लिये सब से बड़ी जरूरत यह है कि वह स्वेच्छा से चकबन्दी करवा सके, उस के ऊपर कम्पलसरी कंसोलिडेशन न लादा जाय।

इन शब्दों के साथ मैं अपने मिनिस्टर साहब को इस बात के लिये मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने कड़े वक्त में इस देश के लिये काफी गल्ला दूसरे देशों से मंगा कर यहां पर उस की कमी नहीं होने दी। लेकिन सच्चा काम उस दिन पूरा होगा जिस दिन हमारे खेत हमारे लिये पूरी तरह पैदा करने लगेंगे और हम सेल्फ सफिशिएंट हो जायेंगे।

श्री ज० ब० सिंह (घोसी) : अध्यक्ष महोदय, आज हमारे सामने जो विषय है वह बहुत गम्भीर है। मैं इसको इसलिये गम्भीर कहता हूं कि हिन्दुस्तान का सब से बड़ा उद्योग खेती का उद्योग है और इस सम्बन्ध में हिन्दुस्तान के अन्दर ही नहीं बल्कि बाहर से भी हमारे काफी रिश्ते हैं, और खास तौर से हिन्दुस्तान की जनता की जिन्दगी उस पर मुन्हसर है क्योंकि अभी हमारे देश में और उद्योग धन्धे इतने विकसित नहीं हुए हैं जिस से लोग अपना जीवन निर्वाह कर सकें। इस लिये हिन्दुस्तान की जनता की अक्सरियत इसी खेती बाड़ी से अपना जीवन निर्वाह करती है।

मेरा यह कहना नहीं है कि सरकार ने खेती बाड़ी पर रुपया खर्च नहीं किया। पहली पंचवर्षीय योजना में सरकार ने इस पर करीब करीब ८०० करोड़ रुपया खर्च किया। दूसरी पंच वर्षीय योजना में करीब १२०० करोड़ रुपया खर्च किया और अब तीसरी पंच वर्षीय योजना में करीब २ हजार करोड़ रुपया खर्च करने जा रहे हैं। तो हमने रुपया तो खर्च किया लेकिन इसका निर्धारित लक्ष्य से क्या सम्बन्ध है? क्या जो लक्ष्य हमने निर्धारित किए थे उनको पहली पंच वर्षीय योजना के जरिए, या दूसरी पंच वर्षीय योजना के जरिए पूरा कर सके और क्या उन लक्ष्यों को हम तीसरी पंच वर्षीय योजना के जरिए पूरा कर सकेंगे। मेरा यह कहना है कि आप ने पहली पंचवर्षीय योजना के बाद ही कहा था कि हम देश को इतना विकसित कर लेंगे कि हमें बाहर से गल्ला मंगाने की जरूरत न रहेगी। यह लक्ष्य आपने पहली पंच वर्षीय योजना में दुहराया, दूसरी पंचवर्षीय योजना में दुहराया और तीसरी पंचवर्षीय योजना में भी शायद यही आपका लक्ष्य है कि कम से कम हम अपने देश को ऐसा बना लें कि हमें बाहर से, चाहे वह २५ अरब का हो या ३० अरब का हो, गल्ला न मंगाना पड़े। यह आपका लक्ष्य रहा और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपने बहुत से कदम उठाए। आपने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जमीन के बारे में सुधार किया, जमींदारी खत्म की, बहुत से कानून बनाए और आपने किसानों को जमीन का मालिक बनाने की कोशिश की और इसके आगे भी आप बहुत से रिफार्म वगैरह करते चले जा रहे हैं।

एक बात मैं आपके जरिए मिनिस्टर महोदय से कहूंगा कि आखिर इस पर आप क्यों नहीं सोचते हैं कि १५ वर्ष के बाद—अब तीसरी पंच वर्षीय योजना चल रही है और उसकी गम्भीरता को आप महसूस करते हैं और हम भी महसूस करते हैं—आप अपना वह लक्ष्य क्यों नहीं पूरा कर सके कि हम देश के अन्दर इतना गल्ला पैदा करें कि हमें बाहर से गल्ला न मंगाना पड़े। इस लक्ष्य को आप अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं।

श्री विभूति मिश्र (मोतिहारी) : हमारा लक्ष्य १०० मिलियन टन का है।

श्री ज० ब० सिंह : वह तो है लेकिन आप उसे पूरा तो नहीं कर पाए। आप इसको गम्भीरता से क्यों नहीं सोचते। मैं यह नहीं कहता कि आपने यह नहीं किया और वह नहीं किया, यहां करप्शन है और वहां करप्शन है। मैं आपके जरिए मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा कि वह अपनी नीतियों पर सोचें कि उन नीतियों में तो कोई गड़बड़ी नहीं है जिसकी वजह से आप तमाम कोशिशें करते हैं, तमाम आंकड़े आप देते हैं और वह लक्ष्य पूरे नहीं हो पाते हैं।

मैं एक नीति के बारे में कहूंगा। आपने ऐलान किया कि हम किसानों को जमीन देंगे, आपने कहा कि जिनके पास अधिक जमीन है उन से लेकर हम गरीबों को बाटेंगे। दो पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त हो चुकी हैं और तीसरी चल रही है। मैं तो कहूंगा कि आप इस बात की जांच कीजिय कि इस जमीन को बांटने के लक्ष्य को आप पूरा कर पाए या नहीं। हमारा तो अनुभव है कि जो भी जमीन सूबे के अन्दर या जिलों के अन्दर पंचायत के जरिए या किसी और तरीके से, जो भी ऊसर बंजर या दूसरी जमीन निकली थोड़ी बहुत, वह उन के हाथों में नहीं गयी जिनके लिए आप ऐलान करते थे, यानी छोटे किसानों के पास या भूमिहीनों के पास। वह आप नहीं कर पाए। नतीजा यह हुआ कि ज्यादा से ज्यादा जमीन अब भी कुछ फीसदी लोगों के हाथ में है। आपकी पालिसी का नतीजा यह हुआ कि लैंड का कांसेंट्रेशन नहीं टूटा। इन योजना के काल में आपने सोचा था कि बड़े बड़े फार्म बनेंगे और मुल्क की पैदावार बढ़ जाएगी और इस तरह हमारी खाद्य समस्या हल हो जाएगी। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह नीति आपकी फेल हुई। आप तो कहेंगे कि हम ने जमीन भी बांट दी और कांसालीडेशन भी कर दिया और सब कुछ कर दिया और इसलिए पैदावार बढ़ी है और बढ़ती चली जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : अब हमें तकरीबन एक साल हो गया नई पार्लियामेंट को आए हुए। अब मैं मैम्बरों से खास तौर पर विनय करूंगा कि वह जब अपनी टकरीर करें तो वह चेयर को मुखातिब हो कर करें और गवर्नमेंट को जो कहना हो तीसरे परसन में कहे।

श्री ज० ब० सिंह : तो मैं कह रहा था कि जो सरकार की नीति थी वह यह थी कि बड़े फार्मों द्वारा पैदावार बढ़ायी जाए जिससे बाहर से गल्ला न मंगाना पड़े। मैं आपके जरिए सरकार से कहना चाहता हूं कि वह इस नीति के बारे में सोचें कि यह नीति सही निकली या नहीं। तो पहली बात मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि आपकी जो बिग पीजेंट फार्मिंग की नीति थी जिस के जरिए से आप गल्ला बढ़ाना चाहते थे वह नाकामयाब हुई और अब आप इस तरफ सोचें कि जमीन का बटवारा हो। आप कहेंगे कि जमीन का बटवारा तो हो गया। मैं सरकार से कहूंगा कि वह आंकड़े इकट्ठा करे कि किन किन लोगों के हाथ में कितनी जमीन है। अगर आप ऐसा करेंगे तो पता चलेगा कि एक माइनारिटी के हाथ में ज्यादातर जमीन है। जो बड़े जमींदार थे उनके पास खुदकाश्त बड़ी बड़ी मौजूद

[श्री ज० ब० सिंह]

है और उनके बड़े बड़े फार्म हैं । उनके पास जमीनें मौजूद हैं । और जिन लोगों के पास जमीनें नहीं थीं उनके पास अभी भी नहीं है । मैं अपने यहां का हाल जानता हूं । नैनीताल में बड़े बड़े लोगों के पास सौ सौ, दो दो सौ, चार चार सौ, और हजार हजार और दो दो हजार एकड़ जमीन है, इस तरह से आप पैदावार बढ़ाने की कोशिश करते हैं । तो मेरा कहना है कि आप इस नीति पर सोचिए, यह नीति नाकामयाब रही है । आपको इस नीति पर गम्भीरतापूर्वक सोच कर आगे कदम उठाना चाहिए ।

एक बात और आपके जरिए कहना चाहता हूं । आपने खुद अपने दस्तावेज में अपना क्रिटिसिज्म किया है । यह खुशी की बात है । सरकार जब स्वयं अपनी आलोचना करती है तो मैं यह सोचता हूं कि सरकार अपनी नीति में कुछ सुधार करेगी । आपने अपने देस्तावेज में खुद लिखा है :........

अध्यक्ष महोदय : मैंने कुछ नहीं लिखा ।

श्री ज० ब० सिंह : मैं आपके जरिए मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं चाहता हूं कि मेम्बर साहिबान इस तरफ ज्यादा तवज्जह दें ।

श्री ज० ब० सिंह : मैं कोशिश कर रहा हूं, पर आदत पड़ने में थोड़ा समय लगेगा । तो उस दस्तावेज में सरकार ने लिखा है :

> "कि प्रथम और द्वितीय योजना के अन्तर्गत कृषि उत्पादन ३.८४ प्रतिवर्ष के हिसाब से बढ़ा ।"

आप जो कहते हैं कि पहली योजना के अन्दर और दूसरी योजना के अन्दर.....

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय तो कुछ नहीं कहते ।

श्री ज० ब० सिंह : मैं उनके जरिए निवेदन कर रहा हूं, आप तो अध्यक्ष नहीं हैं ।

अध्यक्ष महोदय : वह आपको याद करवाते हैं कि आप इस तरफ चल रहे हैं ।

श्री ज० ब० सिंह : वह खुद भी ऐसा करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं अब से कोशिश करूंगा कि सब लोग इस पर चलें ।

श्री ज० ब० सिंह : मैं इस की कोशिश कर रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस दस्तावेज़ में सरकार ने यह खुद माना है कि पैदावार बढ़ी है और मैं भी इसको मानता हूं कि पैदावार बढ़ी है । मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि यह कहूं कि पदावार बढ़ी ही नहीं है । पैदावार बढ़ी अवश्य है लेकिन वह कैसे बढ़ी है ? इसके लिए सरकार ने खुद बताया है कि जितनी नई ज़मीन उसने तोड़ी हैं, उतनी पैदावार वह नहीं बढ़ा सकी है । ऐसा नहीं है कि यह पैदावार कोई कोआपरेटिव के जरिए, इंटेंसिव खेती के जरिए या खेतों को टैक्निकली इम्प्रूव करने के कारण बढ़ी हो । जो सरकार ने नई जमीनें लीं और उनकी जोता है, उससे पैदावार में तरक्की हुई है । सरकारी आंकड़ों से यह चीज़ स्पष्ट हो जाती है और खुद अहमदाबाद में जो इस बारे में बहस मुबाहिसा हुआ था, उसकी रिपोर्ट और जो सरकार की दूसरी रिपोर्टस हैं वे सब यही जाहिर

करती हैं कि मेनली पहली पंचवर्षीय योजना के अन्दर और दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर जो नई जमीनें सरकार ने तोड़ीं और जोतीं उनसे पैदावार बढ़ी है।

इस तृतीय पंचवर्षीय योजना में क्या हो रहा है ? सरकार ८० मिलियन पर रुकी हुई है और यह मैं नहीं बल्कि खुद सरकार इसे ऐडमिट करती है कि वह इस पर रुकी हुई है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार ने लक्ष्य क्या रक्खा था और उसको देखते हुए पैदावार में कितना इज़ाफा हो पाया है ? सरकार ने कृषि उत्पादन का जो लक्ष्य निर्धारित किया था वह लक्ष्य न तो इस तीसरी पंचवर्षीय योजना के पहले साल में पूरा हुआ और न ही उसके दूसरे साल में पूरा होने वाला है। खेती की पैदावार में १.६ परसेंट का इजाफ़ा किया है जबकि सरकार का लक्ष्य था कि वह इन दो सालों में कम से कम ६ परसेंट बढ़ा देगी लेकिन उतना सरकार नहीं बढ़ा पाई है। सरकार को इस पर गम्भीरतापूर्वक सोचना चाहिए। इससे साफ़ ज़ाहिर होता है, कि पैदावार, मेनली नई ज़मीनें जो कि सरकार ने तुड़वायीं और जुतवायीं, उनके कारण उसमें इज़ाफ़ा हुआ है न कि किसी और कारण से। सरकार की कोआपरेटिव्स या इम्प्रूव्ड मैथड्स आफ़ फार्मिंग की वजह से पैदावार में इजाफ़ा नहीं हुआ है। सरकार भी इस बात का दावा नहीं करती है और न ही ऐसा हम लोग मानते हैं। ऐसी हालत में सरकार को देखना चाहिए कि वह किन चीज़ों में फेल हो रही है।

अभी अहमदाबाद में सभी एक से एक विद्वान् लोग जुटे हुए थे और उन्होंने कहा था :—

"उत्पादन के विविध अंगों में शनैः शनैः सुधार होना चाहिए ताकि उत्पादन व्यय कम हो।"

एक बात यह सरकार और यह पूरा डिपार्टमेंट मानता है कि हमको चारों तरफ पैदावार को बढ़ाना चाहिए। सरकार की पैदावार करने की जो टैक्नीक है उसको इम्प्रूव करना चाहिए और मौडर्न लाइन्स पर उसको डेवलप करना चाहिए ताकि बैटर रिज़ल्ट निकल सके। पैदावार करने में पर एकड़ जो खर्चा पड़ता है वह खर्चा कम पड़े। किसी देश के अन्दर जितना ही कम खर्चा पड़ता है पर एकड़ या पर दो एकड़ पैदावार करने में जितनी कम लागत आती है, उतना ही वह देश उन्नतिशील कहा जाता है। किसी देश के विकसित होने की यही कसौटी आजकल मानी जाती है। उसके लिए कहा जायगा कि अमुक देश ज्यादा से ज्यादा कृषि उत्पादन के मामले में टैकनिकली इम्प्रूव्ड है। अपने देश में एक एकड़ भूमि पर पैदावार उगाने में जितना खर्चा पड़ता है उसका अगर मूल्यांकन किया जाय तो वह और देशों से ज्यादा पड़ता है। इस चीज़ को अहमदाबाद में खुद सरकार ने स्वीकार किया है। इस देश का खर्चा और देशों से ज्यादा इसलिए पड़ता है क्योंकि इस देश में उतने इम्प्रूव्ड मैथड्स आफ़ फार्मिंग नहीं हैं जितने कि अन्य देशों में होते हैं। यहां लेबर का काफ़ी खर्चा जुड़ता है जबकि वह नहीं जोड़ेंगे। अब इन सारी चीज़ों को न तो किसान ही देखते हैं और न सरकार ही उसके लिए कुछ करती है। वैसे सरकार और किसान दोनों इस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि खेती की टैकनीक में इम्प्रवमेंट होना चाहिए ताकि पैदावार भी बढ़े और खर्चा भी कम आये। सारे मुल्क के अन्दर इस तरह की स्कीमें बनाई जायें, इस तरह के प्रोग्राम्स बनाये जायं ताकि हर जगह पैदावार बराबर मात्रा में बढ़े। खेद का विषय है कि इन दोनों बातों में सरकार नाकामयाब रही है। लेकिन मैं खाली यही कह कर सन्तुष्ट नहीं हो जाता कि सरकार बड़ी नाकामयाब रही है, मैं चाहूंगा कि सरकार अपनी स्कीमों के बारे में पुनर्विचार करे और उनमें आवश्यक सुधार करे।

सरकार को जो खेती के उत्पादन में वृद्धि करने की स्कीमें हैं जैसे कि कोआपरेटिव फार्मिंग की, या इम्प्रव्ड मथड्स आफ फार्मिंग की, मैं मानता हूं कि वे ज़रूरी और सही स्कीमें हैं। इतने छोटे छोटे लैंड्स को कोआपरेटिव फार्मिंग के ज़रिए जब तक कंसौलिडेट नहीं किया जायगा, ज़ाहिर है कि पैदावार को नहीं बढ़ाया जा सकता है। कोआपरेटिव फार्मिंग को मैं सही चीज़ मानता हूं।

[श्री ज० ब० सिंह]

बड़े फार्मर्स तो हमेशा यही चाहते हैं। लेकिन उस कोआपरेटिव की स्कीम को अगर देखा जाय तो मालूम होगा कि उसमें कितनी गड़बड़ चलती है। मैं अभी आ रहा था तो मेरे पास देवरिया से एक लैटर आया वह डेहरी का नमूना मैं पेश करता हूं। डेहरी में एक कोआपरेटिव सोसाइटी है। मैं खुद वहां देख आया हूँ। वह लोग पिछले ६ महीने या साल भर से यह चाह रहे हैं कि लैंड को कंसौलिडेट कर दिया जाय तभी कोआपरेटिव फार्मिंग का कुछ मतलब होता है नहीं तो एक जमीन यहां और एक जमीन वहां, कैसे वह पैदावार की रक्षा और अन्य सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन आज तक उसको नहीं किया गया है। रेवेन्यु डिपार्टमेंट ६ महीने से उन्हें दौड़ा रहा है। अभी तक कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने मुझे लिखा है।

मैं कहता हूं कि कोआपरेटिव फार्मिंग करके ही पैदावार को बढ़ाया जा सकता है और खर्चा भी कम किया जा सकता है। दूसरा कोई तरीका नहीं है। लेकिन जिस तरीक़े से कोआपरेटिव की सरकार की स्कीमें चल रही हैं उस तरीक़े से देश में खेती का विकास नहीं हो पायेगा। लेकिन जैसा कि अभी एक भाई ने कोट करके बतलाया कि कोआपरेटिव्स में करप्शन चलता है और इस तरह सरकार खुद उनको मौक़ा देती है कि वह इस बिना पर कोआपरेटिव फार्मिंग की मुखालफ़त करें और यह कहें कि कोआपरेटिव्स के ज़रिए देश का कृषि उत्पादन के क्षेत्र में विकास नहीं होगा। लेकिन मैं यह स्पष्ट कर दूं कि मैं उन माननीय सदस्य से इसमें सहमत नहीं हो सकता और मैं समझता हूं कि कोआपरेटिव फार्मिंग के जरिए ही इस देश में खेती का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि सरकार की कोआपरेटिव्स कैसे चलती हैं, उनमें हम जाते हैं और एलेक्शन्स में उनके हिस्सा भी लेते हैं........

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : चीन में कम्यूंस में क्या हुआ ?

श्री ज० ब० सिंह : अब वह फेल हो रहे हैं तो क्या आप अपनी कोआपरेटिव्स को भी फैल करेंगे? मैं तो यह चाहता हूं कि सरकार की कोआपरेटिव्स फले फूले और देश का कृषि उत्पादन दिनों दिन बढ़े। लेकिन मैं यह ज़रूर चाहूंगा कि कोआपरेटिव्स के मामले में सरकार गौर से देखे और उनकी वर्किंग में आवश्यक सुधार करे। मैं इस अवसर पर डिटेल्स में नहीं जाता कि कैसे सरकार के काम हो रहे हैं और कैसे उसके फेलयर्स हो रहे हैं। सरकार ने विलेज लेवल वर्कर्ज की एक फ़ौज सी बना रखी है, जो कि हिन्दुस्तान में ४०, ४५ हजार या लाख हैं। मेरी शिकायत यह नहीं है कि इतने वर्कर्ज़ नहीं होने चाहिएं। मेरी शिकायत यह है कि ये विलेज लेवल वर्कर्ज़ कुछ नहीं करते हैं। बल्कि वे देहातों में घूम कर पालिटिक्स, राजनीति, करते हैं। मन्त्री महोदय जाकर पर्सनली देखें। वह तो बिहार के रहने वाले हैं। वह तो जानते हैं। वह खेतिहर भी हैं। पटेल साहब तो खेती के बारे में नहीं जानते, लेकिन वह तो जानते हैं। वह इस बात को देखें कि चालीस हजार या चालीस लाख की यह फ़ौज क्यों बेकार रखी हुई है।

सरकार का प्लानिंग का जो तरीका है, वह इतना गड़बड़ है कि वह पैदावार को बढ़ने नहीं देता है। देहातों में हम लोगों का अनुभव है—और यह बात सारे हिन्दुस्तान पर लागू होती है—कि सड़क बनाने वाले सड़क बना देते हैं। सड़क कहां बनेगी, इससे कोई मतलब नहीं है। कुएं खोदने वाले कुएं खोद देंगे। वह कहां खोदा जायेगा, इस से उनको कोई मतलब नहीं है। इसी तरह बांध बांधने वाले बांध बना देते हैं, लेकिन उसकी उपयोगिता आदि के बारे में वे कोई ध्यान नहीं देते। अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, लेकिन उनमें कोई कोआर्डिनेशन नहीं है। जब ये सब काम कर देंगे, तो उस के बाद यह

होगा कि बरसात के वक्त बांध टूट जायेंगे और पहले जितना भी पानी गांवों से बाहर निकल जाता था, वह अब गांवों में ही जमा हो जाता है।

आज तरह तरह के विभाग बना दिए गए हैं। कम्युनिटी डेवेपलमेंट डिपार्टमेंट, को-आपरेशन, मत्स्य विभाग—मछली विभाग, सिंघाड़ा विभाग आदि। उन सब विभागों की अलग अलग कार्यवाही होती है। सरकार का कोई को-आर्डिनेटेड ऐक्शन नहीं है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह को-आर्डिनेशन करे। उस के बगैर वह काम को नहीं चला सकती और उसकी सारी स्कीमें रखी रह जायेंगी। इस प्रकार स्वतन्त्र पार्टी को उस की निन्दा करने और को-आपरेटिव मूवमेंट को फ़ेल करने का बराबर मौका मिलेगा।

प्राइसिज़ का मसला बड़ा टेढ़ा है। अभी अभी बंगाल के बारे में मैं ने अख़बार में पढ़ा है कि वहां पर चावल २२ रुपए मन था और वहां के चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि २५, २६, ३० रुपए मन हो गया है। आज गल्ले की प्राइसिज़ में इतना फ्लक्टुएशन हो रहा है कि जब किसान का गल्ला कटता है, तो वह सारे का सारा ८, १०, १२ रुपए मन के हिसाब से बिक जाता है और जब किसान ख़रीदने जायगा, तो वही गल्ला उसको १५, १६, २४ रुपए मन ख़रीदना पड़ेगा। वह स्कीम सही है कि सरकार साल भर पहले मूल्यांकन करे और जब किसान बोने जाता है, उस वक्त वह रेट फिक्स करे। तब तो किसान को इन्सेन्टिव होगा और उसको अधिक उत्पादन करने की प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार को मिल-मालिकों को ज्यादा इन्सेन्टिव देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जैसा कि हमारे दोस्त ने शूगरकेन के बारे में कहा। सरकार मिल मालिकों को ज्यादा इन्सेन्टिव और ज्यादा रुपया देने की कोशिश करती है और इस प्रकार गल्ले और दूसरी चीज़ों की पैदावार बढ़ाना चाहती है। इस तरह का इन्सेन्टिव देने की कोशिश सरकार को नहीं करनी चाहिए।

मैं निवेदन करूंगा कि मुख्य रूप से उन चीजों को इन्सेन्टिव क्यों नहीं दिया जाता है, जिनसे सरकार को फारेन एक्सचेंज मिलता है। आन्ध्र में तम्बाकू के लिए अभी टैक्स बढ़ाया गया, हालांकि तम्बाकू से सरकार को फारेन एक्सचेंज मिलता है इससे वहां क्राइसिस पैदा हो गया। यू० पी० में भी क्राइसिस पैदा हो गया। जिन चीजों के जरिये से इस देश को फारेन एक्सचेंज मिलता है, उनको सरकार इन्सेन्टिव क्यों नहीं देती है? उनकी मज़बूती से मदद करनी चाहिए।

पतलून पहन कर किसानों को आर्गनाइज़ करने का जो ब्यूरोक्रेटिक तरीका है, उसको बन्द किया जाये। पतलून पहनने वाले देहात के नहीं होंगे। जो लोग वास्तव में किसान हैं, जो सही मानों में किसानों के बारे में जानते हैं, उनको गांवों में भेजा जाए। तब जाकर यह काम होगा। पतलून वाले यह काम नहीं कर पायेंगे।

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१	२	३	४	५
१	१	श्री हु० च० सौय .	बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आदि, के औद्योगिक प्रदेशों में वनीकरण तथा कृषि संबंधी आवश्यकताओं में उचित संतुलन करने में असफलता।	१०० रुपये

१	२	३	४	५
२	२	श्री राम सेवक यादव	मंत्रालय में फिजूलखर्ची रोकने में असफलता ।	१०० रुपये
३	३	श्री राम सेवक यादव	निम्नलिखित में असफलता :— (१) खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता (२) खाद्य सेना बनाना (३) सिंचाई संबंधी सुविधायें उपलब्ध करना (४) किसानों को उपज का उचित मूल्य देना (५) हरिजनों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के पुनर्वास के लिये भूमि उपलब्ध करना ।	राशि घटा कर १ रुपया करदी जाय ।
४	४	श्री बेरवा कोटा	उन्नत बीज फार्मों संबंधी योजना का असन्तोषजनक कार्य ।	१०० रुपये
५	५	श्री बेरवा कोटा .	जंगली क्षेत्र में रहने वाले भूमिहीन आदिवासियों की समस्या और उन के द्वारा जंगली भूमि पर अनधिकृत खेती ।	१०० रुपये
६	६	श्री सेझियान .	धान के मूल्यों संबंधी नीति ।	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय ।
७	७	श्री दीनेन भट्टाचार्य	खाद्यान्न के मूल्यों संबंधी नीति ।	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय ।
८	८	श्री कोया	निम्न बातों की आवश्यकता : — (१) मंजेरी में एक कृषि कालेज स्थापित करना और निलाम्बूर में वन विद्या कालेज और केरल राज्य में एक अन्य पशु-चिकित्सा कालेज स्थापित करना ;	१०० रुपये

१	२	३	४	५
			(२) केरल राज्य क तनूर क्षेत्र में एक मीनक्षेत्र योजना आरम्भ करना ;	
			(३) केरल में पोनानी और तनूर में एक मत्स्य पत्तन आरम्भ करना ;	
			(४) केरल राज्य के मालाबार क्षेत्र में मीनक्षेत्र विकास संबंधी पग उठाना ।	
९	९	श्री दीनेन भट्टाचार्य	निम्नलिखित में असफलता :— (१) खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में फ़िजूल खर्ची को रोकना ; (२) केरल के कृषिक संबंध अधिनियम का पुनर्मान्यीकरण ; (३) पश्चिम बंगाल में चावल के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि को रोकना ।	१०० रुपये
१०	१०	श्री सेझियान	कृषि वस्तुओं के उचित मूल्य निर्धारण में असफलता और निम्नलिखित बातों की आवश्यकता :— (१) कृषि वस्तुओं के मूल्य निर्धारण के लिये एक मूल्य समिति नियुक्त करना ; (२) दक्षिण में एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करना ; (३) प्रत्येक जिले में कृषि स्कूल स्थापित करना ; (४) दूध सम्भरण में वृद्धि और प्रति व्यक्ति उपभोक्ता क्षमता में वृद्धि करना ।	१०० रुपये
११	११	श्री योगेन्द्र झा	निम्नलिखित बातों में असफलता :— (१) खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता ; (२) कृषि उपज के लिए उचित मूल्य निर्धारित करना ;	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

१	२	३	४	५
			(३) स्थल सेना में वृद्धि करना ; (४) सिंचाई सुविधाओं का उचित उपबन्ध ; (५) सहकारी खेती में किसानों को रुचि उत्पन्न करना ।	
१३	१३	श्री कोया	निम्न बातों की आवश्यकता :— (१) पान के पत्ते की खेती के विकास संबंधी योजनायें उपलब्ध करना ; (२) वियनाद, केरल, में संगतरा बागीचों को नष्ट कर रहे कीटाणुओं पर नियंत्रण ।	१०० रुपये
१४	१४	श्री दीनेन भट्टाचार्य	निम्न बातों में असफलता :— (१) देश में खाद्य अपमिश्रण को रोकना ; (२) देश में अधिक खेती सूचना कार्यालय खोलना ; (३) खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना ; (४) सिंचाई सुविधायें उपलब्ध करना ; (५) किसान को उपज का उचित मूल्य दिलवाना ; (६) हरिजनों के पुनर्वास के लिए भूमि उपलब्ध करना ; (७) पश्चिम बंगाल में आलू उत्पादकों को सहायता प्रदान करना ; (८) नारियल जटा उत्पादकों को उचित मूल्य दिलवाने की गारंटी ; (९) पश्चिमी बंगाल के कृषकों को अधिक ऋण देने की व्यवस्था ।	१०० रुपये

१	२	३	४	५
१५	१५	श्री सेझियान .	भूमिहीन किसानों को भूमि दिलाने में असफलता, और निम्न बातों की आवश्यकता :— (१) खेती करने वालों को समय पर ऋण सुविधायें देना ; (२) किसानों को खाद आदि का सम्भरण ; (३) खेती के वैज्ञानिक ढंगों को लोक प्रिय बनाना।	१०० रुपये
१६	१६	श्री ज० ब० सिंह .	देश में मीन क्षेत्रों में सुधार करने और अधिक कृषि विश्वविद्यालयों को स्थापित करने में असफलता ; और उन्नत बीज फार्मों संबंधी योजना का असन्तोषजनक कार्य।	१०० रुपये
१७	१७	श्री ज० ब० सिंह .	देश में गायों की नस्ल में सुधार करने में असफलता।	१०० रुपये
१८	१८	श्री सेझियान .	पशुधन के गुण में सुधार करने में असफलता ; और ग्रामीण क्षेत्रों में पोल्ट्री फार्मिंग को प्रोत्साहन देने, और दक्षिण में आधुनिक मत्स्य पत्तनों के विकास की आवश्यकता।	१०० रुपये
१९	१९	श्री ज० ब० सिंह .	वन क्षेत्रों को बनाये रखने और बढ़ाने में असफलता।	१०० रुपये

†**अध्यक्ष महोदय** : ये सभी कटौती प्रस्ताव सभा के सामने प्रस्तुत हैं।

श्री विभूति मिश्र : अध्यक्ष महोदय मैं बरसों से इस समस्या का अध्ययन करता आ रहा हूं कि खेती की पैदावार कैसे बढ़ाई जाये। उस के लिये खाद, बीज और पानी तो जरूरी चीजें हैं लेकिन सब से जरूरी यह है कि एक प्राइस सपोर्ट पालिसी अपनाई जाये जिसको थर्ड फाइव-यीअर प्लान में सरकार ने मान लिया है। लेकिन सरकार जिस तरह से उसको काम में ला रही है उससे मुझे सन्तोष नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस बात का ख्याल रखें कि डिमांड्ज़ में टाइम लिमिट पन्द्रह मिनट हुआ करती है।

श्री विभूति मिश्र : मैं आपके सामने एक उदाहरण रखना चाहता हूं। सरकार ने गेहूं का दाम १३ रुपये मन निश्चित किया है लेकिन मैं देखता हूं कि यहां पर दिल्ली के बाजार में पंजाब की

†मूल अंग्रेजी में

[श्री विभूति मिश्र]

गेहूं बीस बाइस रुपये मन बिक रही है और इस तरह किसान को ९ रुपये का घाटा होता है। सरकार सब चीजों का दाम तो निश्चित नहीं कर सकती लेकिन किसान के द्वारा पैदा की हुई जो जरूरी चीजें हैं जैसे गेहूं, चावल, जवार, बाजरा आदि सरकार उनकी कास्ट आफ प्राडक्शन निकाल कर उनके दाम निश्चित करे।

मैं चाहता हूं कि सरकार इसके लिये एक बोर्ड बनाये जिसमें किसानों और कन्ज्यूमर्ज के रिप्रेजेंटेटिव्ज रहें। सरकार इस बारे में फैसला चाहे अपने हाथ में रखे लेकिन वह उन लोगों की बात सुने कि उनका खर्च क्या होता है। जब तक सरकार ऐसा नहीं करती है तब तक कुछ नहीं होने वाला है। मैंने देखा है कि प्लानिंग कमीशन भी राजी है और हमारे कृषि मंत्री भी इसके लिये परेशान हैं। जब सब इस राय के हैं तो हमारी समझ में नहीं आता कि इसके लिये कोई बोर्ड क्यों नहीं बनाया जाता। जब तक यह बोर्ड नहीं बनाया जायेगा तब तक खेती की पैदावार में वृद्धि होना मुश्किल है।

इसके साथ साथ जब सरकार कीमतें निश्चित करे तो वह यह भी देखे कि किसान को वह कीमत मिलती है या नहीं। काटन की कीमत निश्चित की गई। काटन की पैदावार ज्यादा हो गई। काटन एरिया के भाई जानते हैं कि किसानों को किस तरह से तक्लीफ हुई।

श्री देवराव शि० पाटिल (यवतमाल) : वह कीमत किसानों को नहीं व्यापारियोंको मिल रही है।

श्री विभूति मिश्र : यही तो हम चाहते हैं कि किसानों को मिले।

जूट का दाम ३० रुपये मन निश्चित किया गया, लेकिन बिहार, आसाम, बंगाल और उड़ीसा में इन चार जूट-ग्रोइंग सूबों में जूट १२, १५, १६ रुपये मन बेचना पड़ा। कभी बता दिया जाता है कि रेल-ट्रांसपोर्ट की सहूलियत नहीं है और कभी कुछ और बता दिया जाता है। हमारे कृषि मंत्री बहुत जबर्दस्त आदमी हैं। मैं उनको कांग्रेस में भी देखता हूं और बाहर भी देखता हूं। मैं चाहता हूं कि वह जो कीमत निश्चित करें उसे किसानों को दिलायें। जब उन्होंने कीमतें निश्चित कर दीं और फिर भी वे किसानों को न मिलें इससे बढ़ कर दुख की कोई बात नहीं है। खेतीं की पैदावार बढ़ाने के संबंध में जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सैट अप है वह सैट अप उतना कारगर साबित नहीं हो सका है जितना उसको होना चाहिये था। हर एक जिले में डिस्ट्रिक्ट एग्रिकलचरल आफिसर है, हर एक ब्लाक में एक्सटेंशन सुपरवाइजर होता है, । मगर यह जो अरेंजमेंट है यह कारगर साबित नहीं हुआ है और अगर कारगर साबित हुआ होता तो खेती की पैदावार बढ़ सकती थी। सरकार ने पहले ग्रो मोर फूड डिपार्टमेंट खोला। उसके बाद अब ब्लाक डिपार्टमेंट खोला और पैकेज प्रोग्राम को शुरू किया। अब इंटेंसिव प्रोग्राम चलाया जा रहा है। साढ़े तीन सौ मिलियन एकड़ हिन्दुस्तान में जमीन है और पांच पांच या चार चार डिस्ट्रिक्टों में आप पैकेज प्रोग्राम अगर शुरू करते हैं, तो उससे क्या हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि खेती की पैदावार बढ़े तो आपको चाहिये कि जो आपका आदमी है, उसको आप जो कृषि करता है जो खेती करता है, उसके साथ लगा दें और वह उनको बताये कि क्या करना चाहिये, उसको प्रापर गाइडेंस दे, राय दे और चलाये जायें। किसान खुद पैदा करेगा। हमारे डा० राम सुभग सिंह जी के जिले में पैकेज प्रोग्राम हो रहा है। वहां पर जिस तरह से फौज में काम होता है, उस तरह से काम हो रहा है। उसका आप खर्च तो जोड़ें कि कितना पड़ता है। मैं मानता हूं कि लैबोरेटरी से आप काम लें, उसका एक महकमा खोलें और किसानी के बारे में अनुसंधान करें और उस अनुसंधान का लाभ किसान को पहुंचायें और किसान उस को अपने

काम में लाये । यह ठीक है और ऐसा होना भी चाहिये । हमारे डा० राम सुभग सिंह जी ने कहा था कि डिस्ट्रिक्ट एग्रिकलचर आफिसर की जो पोस्ट है, यह सैंट्रल गवर्नमेंट के तहत होनी चाहिये, जिस तरह से डी० एस० एम० की पोस्ट होती है उस तरह से होनी चाहिये । यह ठीक है ।

अब आप देखें कि शहरों की कितनी आबादी है और देहातों की कितनी है, शहरों से नैशनल इनकम में आपको क्या मिलता है और देहातों से क्या मिलता है और शहरों पर आप कितना खर्च करते हैं और देहातों पर कितना करते हैं । ८२ परसेंट लोग गांवों में रहते हैं और नैशनल इनकम का ४५ फीसदी आपको खेती से मिलता है और ५५ फीसदी दूसरी चीजों से मिलता है । ४५ परसेंट नैशनल इनकम में ८२ फीसदी आदमी देते हैं और ५५ फीसदी जो १८ फीसदी शहरों में रहते हैं, वे देते हैं । यह कहा जा सकता है कि शहरों और गांवों का झगड़ा क्यों खड़ा किया जा रहा है । यह कोई झगड़ा नहीं है जो मैं खड़ा कर रहा हूं । प्यारेलाल जी ने जो गांधी जी के विचार थे अपनी पुस्तक में लिखे हैं उनको अगर पढ़ा जाये तो आपको पता चलेगा कि गांधी जी कहते थे कि शहर वाले चाहते हैं कि गांव वालों को लूट लें और गांव वाले लूटे जाते हैं । हम में से बहुत से माननीय सदस्य, अधिकतर माननीय सदस्य इन ८२ फीसदी लोगों के वोटों से ही चुन कर यहां आये हैं । लेकिन यहां आने के बाद हम में से बहुत से लोग खेतिहर को भूल जाते हैं, किसान को भूल जाते हैं, देहात में रहने वालों को भूल जाते हैं । जो कुछ किसान पैदा करता है, उसकी कीमत उसको कम मिलती है और जो कुछ शहर वाला तैयार करता है, उसकी कीमत गांव वाले को अधिक देनी पड़ती है । हम शहर वालों को खिलाने वाले हैं । हमारी चीज के दाम तो हमको कम मिलते हैं और हमारी चीज से ही जो वस्तु बनाई जाती है, उसी के दाम हमको बहुत ज्यादा देने पड़ते हैं । आप रुई को ले लें । उससे कपड़ा बनता है । कपड़े के दाम तो अधिक होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन रुई के दाम किसान को कम मिलते हैं । मैं चाहता हूं कि खेती से पैदा की हुई चीज के दाम और उसके द्वारा फैक्टरी से तैयार किये हुये सामान की जो कीमत है, इन दोनों कीमतों में आप लिंक लगायें । अगर लिंक नहीं लगता है तो किसान को बहुत घाटा रहेगा । मैं चाहता हूं कि इस ओर आप का ध्यान जाये ।

किसान को आप भूल नहीं सकते हैं । मार्क्स ने कहा है कि लेबर चाहे तो क्रांति कर सकती है । मार्क्स के बाद गांधी जी ने लिखा है कि किसान चाहे तो क्रांति पैदा कर सकता है । हमारे जिले में गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापिस आने के बाद आये । चम्पारन में वह आये । उन्होंने देखा कि चम्पारन के किसान किस तरह से क्रांति करने के लिये तैयार हो गये । चीन आज हमारा दुश्मन है । हमारा उसके साथ झगड़ा है । चीन में जो शहर का रहने वाला आदमी है वह माऊ त्से तुंग की क्रांति के बाद खुद कहता है कि मैं किसान हूं, पैजेंट हूं । उसने साबित किया है कि किसान क्रांति कर सकता है । हमारे पाटिल साहिब बड़ी जबर्दस्त किसान की वकालत करते हैं । मैं उनसे कहना चाहताहूं कि वह जितनी वकालत करते हैं किसान की, उतना ही वह क्रांति करने के लि भी तैयार हों ताकि किसान का जो उचित हक है, वह उसको मिले ।

अब जो टैक्स आपने लगाये हैं, उनको भी आप देखें । इन टैक्सों से किसान पर जो बोझा है, वह बढ़ा है । किसान का जो सामान है, उसको लाने और ले जाने पर जो खर्चा पड़ता है, ट्रांसपोर्ट पर जो खर्चा पड़ता है, उस में अब वृद्धि हो जायेगी । लोहे पर जो टैक्स लगा है, उसकी वजह से किसान जो खेती के औजार खरीदता है, उसके दाम उसे अधिक देने पड़ेंगे । सिमेंट पर टैक्स बढ़ा है, इसकी वजह से माइनर इरिगेशन चाहे कुएं का हो या कोई इस तरह का दूसरा काम हो, उसका खर्चा भी बढ़ जायेगा । प्रदेश सरकारों ने सेल्ज टैक्स भी लगा दिये हैं । इसका असर भी हम किसानों पर पड़ेगा । सब मिला कर मेरा अपना अन्दाजा है कि किसान की चीज के दाम एक दो रुपया मन बढ़ने चाहियें क्योंकि इन टैक्सों का असर किसान पर पड़ेगा । जब किसान द्वारा उत्पादित माल के दाम बढ़ेंगे तो हमारे जो अखबार वाले हैं, जो खबरें देने वाले हैं, शोर करेंगे कि दाम बढ़ गये हैं ।

[श्री विभूति मिश्र]

तब ये इस बात का ख्याल नहीं करेंगे कि किसान पर इन टैक्सों का क्या असर पड़ा है। इन बातों का भी मैं चाहता हूं कि वे ख्याल कर लें। गरीब किसान का भी अब ख्याल रखो और उन की चीज के दाम भी उन को अधिक दो। फर्टिलाइजर के दाम बार बार बढ़ते गए हैं। करोसीन आयल जो किसान इस्तेमाल करता है, उस के दाम भी किसान को सात नए पैसे या दस नए पैसे एक बोतल के पीछे अधिक देने पड़ेंगे। इन सब का किसान के जीवन पर असर पड़ेगा। एजुकेशन सैस उन पर लग रहा है। हमारे यहां कार्ट टैक्स भी है। बैलगाड़ी पर छः रुपये और टायर गाड़ी पर बारह रुपया हम को देना पड़ा है। ये सब चीजें हैं, जिन का ख्याल माननीय मंत्री जी को करना चाहिये।

अब गन्ने की बात में आप से कहना चाहता हूं। हमारे जिले में नौ शूगर फैक्ट्रीज हैं। पार साल पांच करोड़ मन गन्ना हुआ था। इस साल पौने दो करोड़ मन गन्ना हमारा जिले में हुआ है। इन फैक्ट्रीज के खुलने से पहले आप दस मील में घूम आते आप को एक भी सफेद मकान नहीं मिल सकता था। आज इस गन्ने की वजह से हमारे जिले में पांच दस सफेद मकान आप को देखने को मिल जायेंगे। लास्ट यीअर गन्ने की फसल पर हमारे मंत्री जी ने मिल वालों से पूछा, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से पूछा। दोनों से तो उन्हों ने पूछ लिया। लेकिन जिन्हों ने इन्हें इस देश का मंत्री बनाया, उन से इन्होंने नहीं पूछा। पालियमैंट के मैम्बर सैंट्रल गवर्नमैंट को बनाने वाले हैं, सैंट्रल मिनिस्टरज को बनाने वाले हैं। हम से कुछ भी नहीं पूछा गया। आप पूछते हैं चीफ मिनिस्टर से, आप पूछते हैं, मिल मालिकों से, हम से आप नहीं पूछते हैं। हम जो किसानों के वोटों से यहां चुन कर आए हैं, उन से क्यों नहीं पूछा जाता है, यह मेरी समझ में नहीं आता। आप को हम से भी पूछना चाहिये था कि गन्ने के बारे में, चीनी के बारे में क्या इंतजाम किया जाए। आगे कोई बात हो तो हम से भी आप पूछ लिया करें, यह मेरा आप से निवेदन है।

१९६०-६१ में जो चीनी की पैदावार हुई वह २९ लाख टन थी। १९६१-६२ में वह घट गई और २७.१४ लाख टन के करीब थी। १९६२-६३ में मेरा अन्दाजा है कि २०-२१ लाख टन से अधिक नहीं होगी। दस लाख टन हमारे पास पहले का बचा हुआ है। इस तरह से कुल चीनी हमारे पास ३१ लाख टन होगी। २६ लाख टन पिछले साल हम खा गए थे। इस साल हम और भी अधिक खायेंगे, एक तो आबादी के बढ़ जाने की वजह से और दूसरे चीनी कुछ अधिक खाने की हम में प्रवृत्ति भी पैदा हो गई है। मेरा अन्दाजा है कि हम २७ लाख टन खायेंगे। चार लाख टन से कुछ ज्यादा हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं। इस तरह से पिछले साल की बची हुई चीनी और इस साल की पैदावार सब बराबर हो जायेगी और हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। अगले साल गन्ने की फसल अच्छी नहीं होने वाली है। माननीय मंत्री जी कहते हैं कि ३२ लाख टन चीनी पैदा होगी। मैं कहना चाहता हूं कि ३२ लाख टन चीनी पैदा हो जायेगी तो मैं सत्य नारायण जी की कथा कराऊंगा। ३२ लाख टन चीनी पैदा नहीं होने वाली है। जहां तक शूगर पालिसी का सम्बन्ध है, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह हमारे जिले में जायें और शूगर केन पालिसी के बारे में कोई निश्चित नीति अपनायें। पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार; विशेषतः चीनी का जो रोजगार है, वह खतरे में है। जिस समय हमारे जिले में शूगर फैक्टरी लगी थी तो वहां साढ़े दस परसेंट रिकवरी होती थी। आज रिकवरी वहां पौने दस परसेंट और साढ़े नौ परसेंट ही रह गई है। इस का क्या कारण है? इस का एक कारण यह भी है कि हमारे यहां कोई अच्छी सीड फार्म नहीं है। सैंट्रल गवर्नमैंट की हालत को देखें कि एक सीड फार्म उस ने कोइम्बेटूर में खोल रखा है। मुझे कोई एतराज नहीं है कि वहां क्यों खोल रखा है। लेकिन नार्दर्न इंडिया में भी आप का कोई सैंट्रल सीड फार्म होना चाहिये। इधर एक भी नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का है। लेकिन उस के पास इतना पैसा नहीं होता है। हमारे यहां एक पूसा फार्म था जिस को हटा कर आप दिल्ली ले आए। अगर दूसरे सूबे में वह होता तो हम देखते कि किस तरह से उस को

आप हटाते। कलकत्ता की लाइब्रेरी आप दिल्ली नहीं ला सकते हैं। बिहार गरीब सूबा है। वहां से उस को हटा कर आप ने दिल्ली में ला कर रखा दिया है।

उत्तर प्रदेश, बिहार में जो शूगर इंडस्ट्रीज पर खतरा है, शूगर इंडस्ट्रीज, ग्रोअर्ज, सरकार और स्टेट गवर्नमेंट को बैठ कर के इस को जांच पड़ताल करनी चाहिये और कोई निश्चित कदम उठाना चाहिये ताकि गन्ने को पैदावार बढ़े और शूगर की जो रिक्वरी है. वह अधिक हो।

मैं एक आध मिनट में यह कहना चाहता हूं कि जो किसान है उस के लैंड रिफार्म की बात चल रही है। हमारे बिहार में सरकार ने जमींदारी को हटा दिया. उसने लैंड की सीलिंग लगाई, लेकिन आज तक उस के सम्बन्ध में कोई निश्चित फैसला नहीं हो सका। नतीजा यह हुआ है कि बहुत सी जमीनें झगड़े में पड़ी हुई हैं। न किसान उन के पास जाता है और न जो पहले जमींदार था वही जाता है। फल यह हो रहा है कि आप की पैदावार काफी कम हो रही है। इसलिये मैं चाहता हूं कि लैंड रिफार्म के सम्बन्ध में आप कोई उचित कदम उठायें। ताकि वह जल्दी से जल्दी हो जाय। अगर आप लैंड रिफार्म को जल्दी से नहीं करेंगे तो किसानों का बहुत घाटा होगा और आप की पैदावार घटती जायेगी।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मध्य प्रदेश में एक अन्न होता है जिस को खेसारी कहते हैं। उसे गरीब लोग खाते हैं और मवेशियों को खिलाने के काम में भी वह आता है। सुनते हैं कि वह मध्य प्रदेश से केरल को जाता है। पता नहीं उस के बारे में लोगों ने क्या क्या बतला दिया है। जिस तरह से कभी कहा जाता है कि तम्बाकू खाने से टी० बी० हो जाता है कभी कहा जाता है कि नहीं होता है, उसी तरह से खेसारी के सम्बन्ध में केरल में कहा जाता है कि उस के खाने से गठिया हो जायेगा जिस को अंग्रेजी में गाउट या रयूमैटिज्म कहते हैं। मैं चाहता हूं कि जो पैदावार हमारे किसान लोग करते हैं उस को पूरी तौर से ध्यान रक्खा जाय, खास तौर से मध्य प्रदेश के किसानों की पैदावार का। सब जगह के किसान मेरे लिये एक जैसे हैं। मद्रास में तंजोर का चावल अच्छा समझा जाता है। लेकिन तंजोर का चावल बम्बई, मद्रास, कलकत्ता से सेठ साहूकार खाते हैं। उस के खाने के लिये उन को ज्यादा पैसा देना चाहिये। इसलिये उस चावल का कुछ ज्यादा पैसा निश्चित किया जाय ताकि वे जो पैसा दें वह किसानों के काम आ सके। अगर उस की कम कीमत लगाई जाती है तो किसान मारा जाता है। यह चीज ठीक नहीं है क्योंकि इस से एक कंट्रेडिक्शन पैदा हो जायेगा और कंट्रेडिक्शन का नतीजा यह होगा कि देश को उस की जिम्मेदारी उठानी पड़ जायेगी।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि आज देश में जलावन का बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया है। चूंकि जंगल कटते चले जाते हैं इसलिये गांवों में जलावन का कोई जरिया नहीं है। नतीजा यह होता है कि जो लोग मवेशी पालते हैं वे केवल जलावन के लिये उनको पालते हैं। मवेशियों के गोबर को खेती के काम में लाने के बजाय लोग उस को जलावन के काम में लाते हैं। इस की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिये। और सरकार हर एक गांव में दो से ले कर पांच तक जिम्मेदार अधिकारी रक्खे जिस में कि जलावन के पैदा करने का इन्तजाम हो सके। जो बड़े बड़े धनी लोग हैं जिन के पास ज्यादा जमीन हैं वे तो अपना इंतजाम कर लेते हैं, लेकिन एक एकड़, दो एकड़ जमीन वाले जो खेतिहर मजदूर हैं उन को जलावन नहीं मिलता है। वे एक वक्त खाना बनाते हैं और दो या तीन वक्त उसी को खाते हैं। मैं आप को सही बतलाता हूं। हमारे यहां यह होता है कि किसान सत्तू नामक पदार्थ को खाता है। वे एक वक्त उस को बना लेते हैं और दो या तीन वक्त खाते हैं जलावन की कमी की वजह से। मैं चाहता हूं कि सरकार कोई ऐसा इन्तजाम करे कि गांवों के जलावन का जो प्रश्न है वह हल हो मैं अपील करूंगा कि इस प्रश्न को सरकार जल्दी से जल्दी अपने हाथ में लें।

†**श्री शं० शा० मोरे** (पूना) : मैं चीनी उद्योग के कुछ अंगों पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। मेरा निवेदन है कि चीनी उद्योग तेजी से संकट की ओर जा रहा है। उत्पादन कम हो रहा है। हमारे सामने इस बारे में जो उत्पादन लक्ष्य है, उस के अनुसार २३ लाख टन का लक्ष्य है। परन्तु हमारे उपभोग तथा निर्यात के लिये जो मात्रा निर्धारित है वह ३२ लाख टन है। इस से बढ़ती हुई मांग का सामना करना संभव नहीं। देश में भी चीनी की मांग कम हो रही है। अतः हमें इस अल्प उत्पादन समस्या का मुकाबला करना ही है। परन्तु इस का यह प्रभाव तो होगा ही कि कीमत बढ़ जायगी। इस बारे में कठिनाई यह है कि चीनी उत्पादन के सम्बन्ध में ठीक ढंग से योजना का निर्माण नहीं हो पा रहा है। गन्ना उत्पादकों को यह यकीन दिला दिया जाना चाहिए कि उन्हें समुचित कीमतें मिलती रहेंगी। ताकि उत्पादन में उन का उत्साह बना रहे। इस से लोगों को गन्ने प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

एक यह भी तथ्य की बात है कि गन्ने से सब से अधिक चीनी महाराष्ट्र में निकाली जाती है। यह भी है कि महाराष्ट्र में चीनी उद्योग की स्थिति भी बहुत सन्तोषजनक है। सरकार महाराष्ट्र और दक्षिण में अन्य स्थानों के गन्ना उत्पादकों को उत्तर के गन्ना उत्पादकों और चीनी उद्योग के साथ लाने का प्रयत्न कर रही है। इस का परिणाम यह होगा कि कुशलतापूर्वक काम करने वाले एकक कुशल एककों के साथ खिंचते रहेंगे। अगर इस खींचातानी में दोनों को ही हानि होगी।

चीनी के निर्यात का जहां तक सम्बन्ध है, मेरा निवेदन है कि चीनी निर्यात व्यापार का उत्तरदायित्व भारतीय चीनी मिल एसोसियेशन पर ही नहीं छोड़ दिया जाना चाहिए। यदि सम्भव हो तो यह काम राज्य व्यापार निगम को सौंपा जा सकता है। मेरे विचार में सहकारी एककों का "ऐसोसियेशन" बनाना सरकार के हित की ही बात होगी। जैसे यह काम वह कुशलतापूर्वक कर रहा है। चीनी के निर्यात का कार्य इस के सुपुर्द कर देना चाहिये। निर्यात व्यवसाय का भी सिद्धान्त यही है कि अकुशल तथा कुशल उत्पादन एककों को एक साथ नहीं मिलाना चाहिये। बन्दरगाहों के निकट स्थित फैक्टरियों से अपना उत्पादन निर्यात करने के लिए कहा जाय। मैं यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि इस मामले में कृषि विभाग के प्रशासन का काम काफी असन्तोषजनक रहा है।

महाराष्ट्र में चीनी उत्पादन की लागत कम है। मेरा कहना है कि इस बात पर भी विचार करना चाहिए। गन्ना उत्पादकों तथा चीनी उत्पादकों को भी सन्तोषजनक कीमतें उपलब्ध होनी चाहियें। वहां चीनी उद्योग बहुत ही नाजुक दौर में है। बड़ी सावधानी से उसकी देखभाल की जानी चाहिये। यह बात केवल महाराष्ट्र में ही नहीं, सारे दक्षिण क्षेत्र की है। महाराष्ट्र, मैसूर, आंध्र प्रदेश और मद्रास सभी जगह अच्छे चीनी उत्पादक है।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** (जम्मू तथा काश्मीर) : मैं मंत्रालय को उस के इस आपातकालीन कार्यों के लिए मुबारकबाद देता हूं। कोई सन्देह नहीं कि नकद फसलों की सिंचाई का कार्य आरम्भ कर दिया गया है। यह सन्तोष का विषय है कि नेफा और लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों में बनस्पति की व्यापक और गहन खेती आरम्भ कर दी जाय। इस कार्यक्रम को विस्तृत किया जाय तथा अन्य क्षेत्रों में भी इसे बढ़ाया जाय।

बहुत समय से यह प्रश्न पूछा जाता रहा है कि क्या भारत कभी कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भर हो सकता है। वर्तमान स्थितियों को देखते हुए मुझे इस की कोई आशा नहीं दिखाई देती। इसलिए मैं माननीय मंत्री से अपील करूंगा कि वे कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली सही स्थिति बतायें। मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि यदि कृषि का उत्तरदायित्व राज्यों पर ही रहना है, तो केन्द्र में इस के लिये इतनी व्यवस्था रखने की क्या आवश्यकता है। वर्तमान परिस्थितियों में मेरा सुझाव यह है कि केन्द्र का खाद्य और कृषि मंत्रालय मुख्यतः अनुसंधान कार्यक्रमों

†मूल अंग्रेजी में

के समन्वय की ओर ध्यान दे और राज्य सरकारों को अधिक स्वतन्त्र बनाया जाये ताकि यदि वे कार्यक्रमों को क्रियान्वित न कर सकें, तो उन से पूछ ताछ की जाये ।

एक और काम जो केन्द्रीय मंत्रालय कर सकता है वह है कि संसाधनों, वैज्ञानिक ज्ञान किसानों को देने में समन्वय स्थापित किया जाये । मेरा यह अनुभव है कि कृषि क्षेत्र में काम करने वाले अभिकरणों में बिल्कुल समन्वय नहीं है । किसान को खाद, बीजों आदि के लिये एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को भागना पड़ता है ।

भारत कृषक समाज ने दिल्ली में विश्व कृषि मेला आयोजित किया था । इस संगठन ने इस मेले के आयोजन में बहुत सी वित्तीय अनियमितताएं की थीं । मैं किसानों के नाम से यह अपील करूंगा कि जब ऐसे संगठन सरकारी पैसा खर्च करें तो यह देखना सरकार का कर्त्तव्य है कि यह संगठन उचित रूप से काम करें और किसानों के मन में इन के लिये विश्वास पैदा हो । यह देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि इस संगठन के कार्य में कुछ त्रुटि है, तो इस को ठीक किया जाये ।

मेरा निवेदन है कि कृषि सम्बन्धी साहित्य हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं में होना चाहिये, ताकि किसान यह आसानी से समझ सकें कि वे उत्पादन कैसे बढ़ायें ।

पिछले १५ वर्षों से यह मांग की जाती रही है कि इस बात के कारण जानने के लिए कि पिछले १५ वर्षों में हमने लक्ष्यों को क्यों प्राप्त नहीं किया । एक कृषि आयोग नियुक्त किया जाये । अच्छी सिफारिशें तभी की जा सकती हैं यदि कृषि के सब पहलुओं की पूरी जांच की जाये ।

एक बात जो बिल्कुल स्पष्ट है, यह है कि जिला, राज्य और केन्द्र के स्तरों पर कृषि प्रशासन का पुनर्गठन करने की आवश्यकता है । जब तक ऐसा न किया गया, किसान धन, सामान या वैज्ञानिक ज्ञान से जो उन्हें दिया जायेगा लाभ नहीं उठा सकेंगे । जम्मू और काश्मीर में पिछले वर्ष ८ करोड़ रुपये का फल निर्यात किया गया था और विदेशी मुद्रा की भी बहुत आय हुई थी । इस काम को बढ़ाने के लिये केन्द्रीय मंत्रालय को और अनुसंधान योजनायें शुरू करनी चाहियें ।

श्री यू० सिं० चौधरी (महेन्द्रगढ़) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, इस डीबेट के बारे में सब से खुशी की बात यह है कि इस मिनिस्ट्री की डिमांड्ज़ पर सवेरे से जितने भी माननीय सदस्य बोले हैं, चाहे वे इस तरफ के हों और चाहे उस तरफ के, उन सब के विचार प्रायः बहुत सारी बातों के बारे में एक हैं ।

एक माननीय सदस्य : सिवाये को-आपरेटिव फ़ार्मिन्ग के ।

श्री यू० सिं० चौधरी : चाहे कम्यूनिस्ट पार्टी के सदस्य हों और चाहे स्वतन्त्र पार्टी और कांग्रेस पार्टी के, उन सब ने जो बातें कहीं हैं, उन में कोई लम्बा-चौड़ा मतभेद नहीं दिखाई देता है ।

इस में कोई शक नहीं है कि हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था कृषि पर निर्भर करती है । कम से कम ऐसे देश में, जहां की अस्सी प्रतिशत जनता खेती के द्वारा अपना जीवन-निर्वाह करती हो, कृषि का उत्पादन बढ़ाना, उस देश की सारी की सारी अर्थ-व्यवस्था का एक उत्तम आधार है । पिछले पंद्रह सोलह सालों से खेती के उत्पादन को बढ़ाने के लिये हम ने एक नहीं, अनेक नीतियों का प्रयोग किया है । वे नीतियां हर साल, या एक दो साल के बाद, अनेक रूपों में बदलीं, लेकिन इन सारी बातों के बावजूद आज भी प्रत्येक मेम्बर इस बात को कह रहा है कि फूड प्राडक्शन

[श्री यू० सिं० चौधरी]

के बारे में हमारा जो निश्चित टारगेट था, जो निश्चित सीमा थी, वहां तक हम नहीं पहुंच सके हैं, खेती के उत्पादन के बारे में हमारी जितनी आवश्यकता थी, उन को हम पूरा नहीं कर सके हैं, विदेशों से जितना अनाज पहले मंगाया जाता है, अब भी उतना ही अनाज आ रहा है और इस प्रकार पंद्रह सोलह सालों के बाद भी यह समस्या वैसी की वैसी है। जब कि और क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ा है और स्थिति पहले से अधिक उत्तम है, लेकिन खेती और अन्नोत्पादन के मामले में, जिस पर कि इस देश की अर्थ-व्यवस्था निर्भर है, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। देश की अर्थ-व्यवस्था में इस के क्या घातक और भयावह परिणाम हो रहे हैं, जब हम इस की कल्पना करते हैं, तो सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती है।

इस के कई कारण हैं। अलग अलग माननीय सदस्यों ने अलग अलग कारण बताए हैं। मेरी समझ में इस का सब से बड़ा कारण यह है कि इस सम्बन्ध में सरकार ने जो भी नीतियां निर्धारित कीं, वे व्यावहारिक होने की अपेक्षा अधिक थ्योरेटिकल और अव्यावहारिक हैं। उदाहरण के तौर पर हमारे सामने यह प्रश्न पैदा होता है कि पुराने ढंग की खेती को हटाने और उसके स्थान पर नये ढंग की खेती करने के लिये मशीनी इन्ट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, किसानों को अच्छे बीज देने पड़ेंगे, ताकि किसान हजारों सालों से अपनाए गए तरीकों को बदल कर नये तरीकों को अपनायें और नये तरीकों के प्रति उन में उत्साह हो। इस स्कीम के अलग अलग पहलू और विभाग हमारे सामने हैं। एग्रीकल्चरल कालेज, वेटिरिनरी कालेज, ब्लाक डेवेलपमेंट का महकमा और इरिगेशन का महकमा, इन सब विभागों ने इस सम्बन्ध में काम करना है। नहरों का पानी खेतों में जाए। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का आफिसर नये तरीके बताए। ब्लाक डेवेलपमेंट के महकमे से ग्राम सेवक किसानों को खाद दें, ताकि नये तरीके काम में लाने से किसान के खेत की पैदावार पहले से कहीं अधिक हो सके।

इस बारे में अगर मैं यह कहूं कि हमें सरकार की नीयत पर शक है, तो शायद यह अच्छा न लगे। हम देखते हैं कि इस सम्बन्ध में बहुत से आफ़िसर्ज़ और आदमी नियुक्त किए गए हैं, लेकिन पंद्रह सोलह साल पहले जो स्थिति थी, वह और भी ख़राब हो गई है और हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इसका कारण यह है कि जिन आफिसर्ज़ वगैरह को हम ने रखा है, उन की एजूकेशन, उन की शिक्षा, थ्योरेटिकल और किताबी ढंग की है और वह पुस्तकों पर आधारित है। इस लिये वे लोग गावों की प्रैक्टिकल, व्यावहारिक, बातों को, जिन का सीधा सम्बन्ध खेत और मिट्टी से है, नहीं समझ पाते हैं। एक आदमी एग्रिकल्चर में बी० एस० सी० करना चाहता है या बी० वी० सी० करना चाहता है तो उसको पांच छः साल लगाने पड़ते हैं, उसके बाद जा कर उसको डिग्री मिलती है। जब वह डिग्री ले कर आता है, गांव में पहुंचता है उस वक्त जो कालेज का वातावरण होता है, जो लैबोरेटरी का वातावरण होता है, जो पुस्तकीय ज्ञान होता है, वही उसके विभाग के सामने रहता है, इन के अलावा जो प्रेक्टीकल बातें हैं, उनका उसको ज्ञान नहीं होता है। मैं मानता हूं कि पुस्तकों का ज्ञान भी आवश्यक है। लेकिन प्रेक्टिकल ज्ञान उससे भी ज्यादा आवश्यक होता है। जब वह गांव में आता है तो वहां की जो हालत होती है, वहां का जो वातावरण होता है, उसको देख कर वह घबरा उठता है। मैं आपके सामने एक उदाहरण रखना चाहता हूं। हमारे यहां एक हिसार जिला है। वहां पर बहुत अच्छी नस्ल की गायें होती हैं। वहां पर पंजाब का वैटरनिरी कालेज है। काफ़ी प्रसिद्ध वह कालेज है। सैंट्रल गवर्नमेंट ने उस के लिये पचास साठ लाख रुपये की सहायता भी प्रदान की है। कुछ दिन पहले शिकायत आई थी कि पास के गांव में जो राजस्थान में है, ऊंटों के अन्दर

कोई बीमारी फैल गई है। वहां पर उस कालेज में एक्सपर्ट प्रोफेसर हैं। उन लोगों ने एक टीम वहां उस गांव में भेजी जो जा कर ऊंटों की उस बीमारी को दूर कर सके। उस टीम ने वहां जा कर जिन जिन ऊंटों को इंजेक्शन दिए वे सारे के सारे मर गए। इस सब का कारण क्या है? इसका कारण यह है कि उनको थ्योरेटीकल नालेज तो होता है लेकिन प्रेक्टीकल नालेज नहीं होता है। जिन वातावरण में वे कालेजों में रह रहेहोते हैं, वह वातावरण गांवों की जो पुरनी बातें होती हैं, उससे इतना परे होता है कि वे इन पुरानी बातों को समझ ही नहीं सकते हैं। अमरीका में भी जो एक हूवर कमिशन बना था, उस ने आज से तीस चालीस साल पहले एक रिपोर्ट दी है और उस में उसने कहा था कि जो आदमी एग्रिकलचर कालेज के अन्दर एडमिशन लेने के लिये आते हैं या वैटरनिरी कालेज में एडमिशन लेने आते हैं या ऐसे कालेजों में लेने के लिये आते हैं जिनका सीधा सम्बन्ध खेतीबाड़ी के साथ हो, उनको कम से कम पच्चीस परसेंट हिस्सा सारी की सारी ट्रेनिंग का, प्रेक्टिकल ट्रेनिंग में गुज़ारना चाहिये। उनको यह हिस्सा देहातों के अन्दर बिताना चाहिये ताकि उनको देहातों की सभी बातें का ज्ञान हो सके, सही हालात की जानकारी वे अच्छी तरह से प्राप्त कर सकें। इस तरह की ट्रेनिंग थ्योरेटीकल ट्रेनिंग के साथ जब मिल जाएगी तो कितने अच्छे युवक कालेजों में से निकल सकते हैं, इसका अनुमान आप भी आसानी से लगा सकते हैं।

जब इस तरह की बात होती हैं तो इनके घातक परिणाम निकलते हैं। कितने ही महकमे आपने खोल रखे हैं। ब्लाक डिवेलेपमेंट का एक महकमा है, एग्रिकल्चर इन्सपैक्टर भी आपने रख दिया है, जब खाद की उनको जरूरत होती है तो उनको किसी दूसरे ही डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ता है और ये सारे जो झंझट हैं, इनके प्रति उनके दिलों में एक नफरत सी पैदा हो गई है। हमारे कम्युनिस्ट भाई ने खेती में जो कठिनाइयां होती हैं, जो समस्यायें उत्पन्न होती हैं, उनका जिक्र किया है। जहां तक पंजाब का संबंध है हमारे यहां मध्यम वर्गीय किसान हैं, खेती की हालत शेष भारत में अच्छी है, नहरें हैं, जमीन अच्छी है और लोग कुछ अधिक ही पैदा करते हैं, बाकी देश के मुकाबले में। वहां आप किसी गांव में जायें, किसी भी गांव वाले से पूछें कि यह जो डिवेलेपमेंट का महकमा है या बहुतसी बातें जो नई चली हैं, इनके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, तो प्रत्येक देहाती बड़े जोरदार शब्दों में कहेगा कि ये जितने महकमे हैं, ये सब के सब प्रपंच हैं, कोई काम करने के लिये तैयार नहीं है, खाद लेते हैं तो वह इतनी बुरी होती है कि कोई लाभ ही नहीं होता है, खाद इस्तेमाल करने का तरीका हमें मालूम नहीं है। जो लोग गांवों में आते हैं वे काम में इंटिरेस्ट नहीं लेते हैं और न ही गांव में टिकते हैं। पतलून पहन कर वह आते हैं और शाम को पांच बजे की बस से तहसील या डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर में चले जाते हैं, या ब्लाक हैड क्वार्टर में चले जाते हैं। वहीं से सारी की सारी इंस्ट्रक्शन्स ग्राम सेवक को दे दी जाती हैं। कागजों का पुलंदा बना करके जो चीज हैं, वे जिले के डिवेलेपमेंट आफिसर के पास पहुंच जाती हैं और कागजी कार्यवाही के सिवा और कोई काम नहीं होता है। कागजी कार्यवाही का पुलन्दा तो बहुत ऊंचा हो जाता है और घूम फिर कर राजधानी में पहुंच जाता है, लेकिन असल में कुछ भी काम नहीं होता है और जो समस्या है वह ज्यों की त्यों बनी रहती है। अनाज का उत्पादन नहीं बढ़ता है। पन्द्रह-बीस साल पहले जहां हम थे, वहीं आज भी विद्यमान हैं। मैं चाहता हूं कि इस समस्या पर आप गहराई से विचार करें।

जितने भी माननीय सदस्यों के इस मिनिस्ट्री की डिमान्ड्स पर भाषण हुए हैं उन सभी ने सामान्य रूप से एक बात कही है। उन्होंने कोआर्डिनेशन का जिक्र किया है। यहां पर दो तीन मिनिस्ट्रीज हैं। एक तो एग्रिकल्चर मिनिस्ट्री है, दूसरी डिवेलेमेंट एण्ड पंचायत राज

[श्री यू० सिं० चौधरी]

मिनिस्ट्री है और तीसरी इरिगेशन मिनिस्ट्री है। यह मंत्रालयों का जो जाल है, मंत्रियों का जो जाल है, इसने इतना कन्फ्यूशन पैदा कर दिया है कि जिस का कोई ठिकाना ही नहीं। किसान के सामने तो इन सब को एक ही रूप में उपस्थित होना चाहिये। लेकिन ऐसा नहीं होता है। खाद के लिये उसको एक के पास जाना पड़ता है, बीज के लिये दूसरे के पास जाना पड़ता है, नहर का पानी चाहिये तो उसके लिये उसको तीसरे आदमी के पास जाना पड़ता है और अगर किसी और चीज की उसको आवश्यकता हो तो उसको चौथे आदमी के पास जाना पड़ता है। यह जो अपने आदमियों को खपाने की प्रवृत्ति है, दो तीन मंत्रालय हैं, तीन चार मंत्री बना दिए हैं, उससे किसानों का कोई हित तो हो नहीं रहा है, उलटे नुक्सान जरूर हो रहा है। कोई बात अच्छी होने के बावजूद भी किसान के लिये लाभप्रद सिद्ध नहीं हो रही है। इसका कारण यह है कि अलग अलग मिनिस्ट्रियों का चक्कर है। किसान चाहता है कि वह इस मुसीबत से परे रहे, इस बला से परे रहे और वह किसी के पास न जा कर अपने पुराने तरीके पर ही, अपने पुराने ढर्रे पर ही अमल करता है। हर एक बात में आप उसी को आधार मान कर चलते हैं लेकिन उसका भला नहीं होता है। यह उसके बस की बात नहीं है कि तीन चार रुपया खर्च करके वह एग्रिकल्चरल आफिसर के पास जाये। एक आदमी अगर डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर में है तो दूसरा तहसील हैडक्वार्टर में है। अब वह चक्कर लगाता नहीं फिर सकता है। इसका नतीजा यह होता है कि वह समझने लग जाता है कि जिस हालत में वह है उसी हालत में अच्छा है और उसको किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहिये। क्या सरकार कोई ऐसा हल नहीं निकाल सकती है कि ये जो इतने मंत्रालय हैं इन में कम से कम कोआर्डिनेशन तो हो, तालमेल तो हो और किसान को अगर किसी चीज की जरूरत हो तो उसकी पूर्ती के लिये उसे एक ही आदनी के पास जाना पड़े। जब उसको पानी की जरूरत होती है तो उसको एक आदमी दिखाई पड़ता है और जब बीज की जरूरत होती है तो दूसरा दिखाई पड़ता है और तीसरी चीज की जरूरत होती है तो तीसरा ही दिखाई पड़ता है और इसका कोई अन्त ही नहीं है। अगर उसको शिकायत होती है तो अलग-अलग शिकायतों के लिये उसको अलग अलग मिनिस्ट्रियों को लिखना पड़ता है। जब कि किसान के सामने एक आदमी इन सब चीजों की पूर्ति के लिये नहीं होता है और जब तक यह सारा भ्रम, यह सारा जाल यह सारा कनफ्यूशन जारी रहता है तब तक चाहे जितनी स्कीमें आप बना लें, दिल्ली में बैठ कर कुछ भी सोच लें, कितनी ही बातें कर लें, कोई लाभ नहीं होने वाला है। जब तक जो अफसर हैं, जो मशीनरी है, जो एजेंसियां हैं, उनका ठीक रूप में प्रयोग नहीं करता है, तब तक कुछ नहीं हो सकता है।

ग्राम सेवकों के बारे में अनेक बातें कही गई हैं। जहां तक ग्राम सेवक रखने का उद्देश्य है वह प्रशंसनीय है। उनके द्वारा बहुत अच्छा काम भी हो सकता है और अच्छी बातें हुई भी हैं, भलाई के काम हुए भी हैं। जहां जहां अच्छे अच्छे ग्राम सेवक गए वहां वहां अच्छी चीजें दरअसल में हुई हैं। लेकिन उनकी तादाद एक दो प्रतिशत से अधिक नहीं है। ये कई प्रकार के चक्करों में रहते हैं, कभी बी० डी० ओ० इन से एक्सप्लेनेशन मांग लेता है कि कितना उन्होंने ब्लाक के खेतों में काम किया, मीटिंग में कहता है, कितना सीड तक्सीम किया है, कितने इंजैक्शन जानवरों के लगाये हैं, कितनी गलियां साफ करवाई हैं। इसका नतीजा यह होता है कि वे झूठा सच्चा चिट्ठा तैयार कर देते हैं और उसको उठा कर पंचायत समिति में सुना देते हैं। इस तरह से आप देखें तो गांव में कुछ काम नहीं हो रहा है। वही कच्चा चिटठा राजधानी में पहुंच जाता है और पुस्तक की शक्ल में छप कर हमारे सामने आ जाता

है । दरअसल में कुछ नहीं हो रहा होता है । इन सब कामों को प्रैक्टिकल शेप देने के लिये यह जरूरी है कि हम व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनायें और गम्भीरतापूर्वक सोचें कि ऐसे व्यक्तियों को लगाने की अपेक्षा जो केवल किताबी नालेज के आधार पर सारी की सारी समस्या को सुलझाना चाहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को रखें जिन को प्रैक्टिकल नालेज भी हो किताबी ज्ञान जरूरी है इसको मैं मानता हूं। लेकिन उसी के आधार पर जो समस्यायें हैं, वे सुलझ नहीं सकती हैं ।

आप देखें कि अभी पिछले दिनों पंजाब में बड़े भारी फ्लड आये थे। उनका क्या कारण है? उन से सड़कें टूट गईं, नहरें टूट गईं और मजेदार बात यह है कि पंजाब में इस बार अकाल की स्थिति है, बरसात नहीं हुई है, सर्दियों में भी बारिश नहीं हुई है। फिर भी वहां फ्लड आ गए। कहां से यह पानी आ गया पी० डब्ल्यू० डी० के महकमे ने सड़कें बना दीं, नहर वालों ने नहरें खोद दीं, दूसरे महकमे वालों ने दूसरे काम कर दिये, कंसालिडेशन लालों ने कंसालिडेशन कर दिया। सब ने अलग अलग ढंग से बिना किसी कोआर्डिनेशन के काम कर दिया। जब पानी शिवालक की पहाड़ियों से चलने लगा तो सब से पहले वह आकर किसी सड़क से टकराया और सड़क को उसने तोड़ा। पी० डब्ल्यू० डी० को पता नहीं था कि पानी भी ऊपर से आ सकता है। अब पानी का काम इरिगेशन डिपार्टमेंट के जिम्मे है। सड़कें टूटने के बाद पानी फिर बढ़ा आगे और भाखड़ा की कोई नहर उसको मिल गई, उसने उसके भी तटों को तोड़ दिया और अब वह दुगुना हो गया। वह पानी आगे चला और इस प्रकार उसने रोहतक, सोनीपत इत्यादि में बाढ़ की स्थिति ला खड़ी कर दी और बगैर वारिश के बाढ़ आ गई। किसी आदमी ने यह सोचा ही नहीं कि नीचे कोई नालियां बनाई जायं, कोई चैनल्ज बनाई जाएं जिससे पानी आगे निकल सके और यह समस्या न उठ सके । इस वास्ते मैं कहना चाहता हूं कि कोआर्डिनेशन बहुत आवश्यक है। इस तरफ आपका सब से पहले ध्यान जाना चाहिये।

अब मैं टैक्सिस के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । इस बार बहुत ज्यादा टैक्स लगाये गये हैं। इसका मैं ने जिक्र उस वक्त भी किया था जिस वक्त बजट पर बहस चल रही थी मैं देहातों में गया हूं और तीन चार दिन वहां रह कर आया हूं। वहां के हालात को मैं ने देखा है। मैं अपनी पहली बात को ही दौहराना चाहता हूं। इतने अधिक टैक्स लगाने का जो आपने एक्पेरीमेंट किया है मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि अगर अगली बार, अगले अप्रैल में भी इतने ही टैक्स और लगा दिये जायें तो आपके सैक्रेटेरिएट के जो सैक्रेटरीज़ हैं, वे तो जमीन जोत सकते हैं, लेकिन जो किसान हैं, जो जमींदार हैं, वह खेती नहीं कर सकेगा। वे बहुत बोझे के नीचे दब गये हैं। आपका इतना बड़ा सैक्रेटेरिएट है, उन लोगों को आप बेशक वहां भेज दें वे बैशक खेती पर लग जाय, किसान और जमींदार नहीं करेगा। वे ही वहां जा कर पैदावार करके अन्न की समस्या हल कर सकते हैं, किसान नहीं कर सकेगा । उन के जो हजारों खर्चे हैं उन को आपने दिमाग में न रख कर केवल अपनी कल्पना के द्वारा जिस चंगुल के अन्दर उन को कसा है वह उन के बस की बात नहीं है कि वह उस अनाज की मांग की पूर्ति कर सकें।

श्रीमती लक्ष्मी बाई (विकाराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मंत्री को उन के बहादुरी के काम के वास्ते बहुत बधाई देती हूं। परसों वे हमें पूसा इन्स्टिट्यूट में ले गये थे और वहां हमें बतलाया गया कि वहां कितनी अच्छी फसल हो गई । मैं उस को देख कर बहुत खुश हुई। मैं ने मिनिस्टर महोदय को बतलाया कि उन्होंने हमारी धरती को शस्यश्यामला बना दिया। मगर मैं यह सोचती हूं कि अन्धा आखिर क्या चाहता है? दो आंखें। हम सारे देश

[श्रीमती लक्ष्मी बाई]

को ऐसा ही बनाना चाहते हैं । मैं ने वहां पर पूछा कि इस उपज को करने के लिये एक एकड़ पर खर्च कितना आया। लेकिन कोई अफसर उसको बतलाने के लिये तैयार नहीं था। मतलब यह है कि कोई भी सच नहीं बोलना चाहता। यह तो बतलाया कि एक एकड़ में जितनी उपज होती है उससे पांचगुनी उपज हो गई, लेकिन उस पर खर्च कितना आया यह नहीं बतलाया ।

अभी हमारे माननीय सदस्य श्री युद्धवीर सिंह चौधरी बोल रहे थे । उन्होंने जो कुछ कहा वह बिल्कुल सही था उन्होंने कोई एग्जेरेशन नहीं किया। सबके दिल में वही बात है। मैं मंत्रियों को नहीं जो कि यहां पर बैठे हैं और जिनकी संख्या तीन है बल्कि अफसरों को जिनकी संख्या अधिक है बतलाना चाहती हूं कि हमारे दिल में क्या दर्द है। वे लोग समझदार हैं तजुर्बेकार हैं वेल एजुकेटेड हैं । उनको बाहर देशों का भी तजुर्बा है और वे लोग जल्दी मान लेंगे क्योंकि हमारी तकदीर को बदलने का काम उनके हाथ में है, ऐसा मैं महसूस करती हूं । मैं भी एक किसान हूं । मैं चाहती हूं कि जो कुछ मैं कहती हूं उसको हमारे मिनिस्टर साहब सुन लें। मैं अपने तजुर्बे से कहती हूं और उसमें किसी को शक नहीं होना चाहिये। मेरे अन्दर कोई शक नहीं है कि मेरी बातों के ऊपर यहां पर शक किया जायेगा ।

मैं इस विभाग को बधाई देना चाहती हूं कि उनको इस साल ८१ करोड़ से ज्यादा के फंड मिल गये हैं। यह अफसोस की बात है कि पिछले साल से इस साल हमें ज्यादा अनाज मंगाना पड़ रहा है। जितना ही यहां का बजट बढ़ रहा है उस हिसाब से आपको ५१ करोड़ रु० का अनाज बाहर से मंगाना पड़ेगा। इससे ज्यादा अफसोस की बात और क्या हो सकती है। सोलह साल गुजर गये लेकिन यहां पर मिल्क पाउडर भी बाहर से आता है, नमक भी बाहर से आता है। क्या हमको सोचना नहीं चाहिये कि यह कब तक चलेगा। हमारे अफसरों को यहां पर बैठ कर इस प्रकार से आपस में सोचना चाहिये कि हम यहां कितनी उपज कर रहे हैं ऐग्रिकल्चर से। जहां तक हाथ से काम करने की बात है, उनको हाथ से ज्यादा काम नहीं करना होता है। लेकिन अगर इस संकट के समय पर भी हम आगे नहीं आयेंगे तो हम चाइना का मुकाबला कैसे करेंगे? चाइना का मुकाबला भी कर सकेंगे या नहीं, यह भी दूसरी बात है, पहले हमारे यहां जो गरीबी है, जो करप्शन है, जो त्राहि त्राहि मची हुई है, उसको खत्म करने के लिये आपको आगे आना चाहिये। हमारे इस विभाग में दो सेक्रेटरी हैं, एक स्पेशल सेक्रेटरी है, वह बहुत अच्छे लोग हैं, मैं उनके काम को भी जानती हूं, फिर हमारे इस विभाग में छः ज्वायेंट सेक्रेटरी हैं, बारह डिप्टी सेक्रेटरीज हैं, तेंतीस अन्डर सेक्रेटरी हैं और ७५ सेक्शन आफिसर्स हैं। कुल मिला कर १२९ आदमी होते हैं। इतनी बड़ी फौज हमारे पास है तब मैं यह महसूस करती हूं कि उनको काफी लिखना पढ़ना होता है, बोलना होता है, यह सब ठीक है। उन लोगों की तनख्वाह भी तीन हजार से ४ हजार रु० महीना तक है। यह इस तरह के आदमी हैं जिनको क्रीम कहा जा सकता है जिसको मलाई कहते हैं। इतनी बड़ी इनकी सेना है फिर उनके साथ भी बहुत से लोग काम करते हैं सेक्रेटरी के सेक्रेटरी फिर उनके सेक्रेटरी, इस तरह के कई लोग होते हैं। लेकिन परसों मैं सेक्रेटेरियट से गुजर रही थी तो वहां पर चपरासी ताश खेल रहे थे। उसे देख कर मेरे दिल में दर्द हुआ। बहुत से लोगों को सोने का टाइम नहीं मिलता, खाने का टाइम नहीं मिलता और इतने लोग इस संकट के समय में इस गरीब मुल्क में काम

नहीं करते हैं। जब इस तरह लोग यहां पर ताश खेलेंगे तो फिर काम कैसे होगा? मैं यह बातें ऐसे ही नहीं कह रही हूं। मैं घर घर गांव गांव गई हूं और दान में जमीन लाकर मैंने उसकी बिक्री की है। मैं खुद एक अफसर मेनटेन कर सकती हूं। मैं अपनी जमीन से इतना उगाती हूं कि १०० गरीब लोगों को खिला सकती हूं। मैं अपने तजुर्बे से बोल रही हूं। टाइम आया था जब कि हिन्दुस्तान में इंडिपेन्डेन्स के लिए स्ट्रगल हुई। उस समय गांधी जी बड़े बन गये। किसी समय में रामचन्द्र भी बड़े बन गये थे। उस समय रामचन्द्र ने बड़ा काम किया। उनके साथ हनुमान भी बड़े बने। आज जब हमारे देश पर संकट है तो एक एक सेक्रेटरी को मार्शल बन कर चलना चाहिये। पन्द्रह स्टेट्स हैं यहां पर। उनमें सेक्रेटरीज को अपनी फौज लेकर चलना चाहिये ताकि इस काम के लिये तजुर्बेकार लोग मिल सकें। जो बच्चे मैट्रिकुलेशन कर के एक या दो साल की ट्रेनिंग लेकर आएंगे वे हमको क्या बतलायेंगे कि आपके डिपार्टमेंट के अन्दर कितने करोड़ रुपये खर्च होते हैं। यह आपको मालूम है। हम लोग तो जल्दी में बोल जाते हैं। कितने करोड़ रुपये खर्च करते हैं आप लोगों को यह मालूम है। मेरा तजुर्बा यह है कि मेरे पास आते हुए लोग डरते हैं। ग्रामसेवकायें डरती हैं। अगर उनसे कहा जाय काम करने के लिये तो वे कहती हैं कि यह मेरा काम नहीं है। मैं उनकी वेलविशर हूं। मैं आप सबकी वेलविशर हूं। मैं किसी को निकालने की बात यहां पर नहीं कहती हूं। मैं नहीं कहती कि आप सारी गल्ती करते हैं। आपके पास मौका नहीं था काम का और आप आराम से बैठे थे इसलिये सारी बातें आपके दिमाग में नहीं आती थीं। मैं एक हफ्ते से तीन साल की रिपोर्टों को पढ़ने की कोशिश कर रही हूं। मैं दस दिन से रात दिन कोशिश कर रही हूं कि कई सालों की रिपोर्ट की कम्पैरिटिव स्टेडी करूं। लेकिन मेरा दिमाग खाली हो जाता है। मैं नहीं कहती हूं कि आप इस तरह की बातों से डरिये। आपके मिनिस्टर बहुत होशियार हैं आपको बड़े ऐक्टिव मिनिस्टर मिल गए हैं। उनका मश्वरा आपको मिलना चाहिये लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि एक एक सेक्रेटरी को मार्शल बन कर जनरल बन कर एक स्टेट में जाना चाहिये। यहां पर पन्द्रह स्टेट्स हैं। सिर्फ पन्द्रह आफिसर्स यहां रह कर काम करें बाकी बाहर जाकर स्टेट्स में काम कर सकते हैं। हमा यहां भी ऐसे आफिसर्स हैं जो कि दफ्तर में बैठ कर काम नहीं करना चाहते हैं। यहां बैठने से उनको तकलीफ होती है। मेरे पास एक अफसर आया जो कि हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश) से आया है। उसने कहा कि मेरे पास प्रैक्टिकल काम नहीं है। टेबल वर्क मुझे पसन्द नहीं है। मैं तो हमेशा बाहर काम करने वाल था। मैं कुर्सी पर बैठना नहीं चाहता डेकोरेशन की तरह से। अगर मुझे तीन चार हजार रुपये दे कर भी कुर्सी पर बिठलाना कोई चाहे तो मैं उसे ठुकरा दूंगा क्योंकि वह मेरी जान खा जायेगा। मैं गांव में जाकर काम करूंगा। आपमें भी यही स्फूर्ति होनी चाहिये। लेकिन आपको काम करने का मौका नहीं मिलता। आप स्टेट्स में जायें, मैं आपको तिलक लगाऊंगी, मंगल तिलक, कि सब लोग आप जायें। आप सेना बना कर मार्च कर दें यहां से तो सब लोग आपके पास आ जायेंगे।

हम लोग यहां पर एग्रिकल्चर महकमे को बढ़ाना चाहते हैं। ऐग्रिकल्चर का महकमा खेती के काम को देखता है प्लैनिंग का महकमा प्लैन बनाने का काम करता है इरिगेशन का महकमा इरिगेशन का काम करता है। लेकिन यह इरिगेशन का महकमा रात में पानी देना चाहता है किसान रात में पानी देना कहां बर्दाश्त करेगा? वह अपने खेत में पानी देगा या सोने जायेगा। मैं भी इरिगेशन के लिये पानी लेती हूं। मेरा नौकर सिंचाई के लिये

[श्रीमती लक्ष्मी बाई]

पानी लेने बैठता है। मेरे पास १६० ० का बिल ग्राया। ग्रगर मैं नौकर से कुछ कहूं तो वह बोलेगा कि मैं कहां देखता हूं। इस वास्ते सब बातें ग्रापके सामने रहनी चाहियें। ग्रापका तरीका ठीक होना चाहिये। प्लैनिंग वाले प्लैन बनायें, इरिगेशन वाले इरिगेशन ठीक से करें, डेवेलपमेंट वाले डेवेलपमेंट करे ग्रौर कोग्रापरेशन वाले कोग्रापरेशन करें इस तरह से ग्रलग-ग्रलग महकमों का काम होना चाहिये। जब तक ग्राप एक्टिव नहीं होंगे तब तक तरक्की नहीं हो सकती।

ग्रब मैं ग्रापको प्राइसेज के बारे में बताऊं। जो खाने वाले हैं वे कहते हैं कि हम को किसान लूट कर खाये जा रहा है। लेकिन होता यह है कि बीच वाले लूट कर खाते हैं, किसान को तो ग्रपनी फसल का पूरा दाम तक नहीं मिलता। मैं ग्रापको ग्रपना ग्रनुभव बताती हूं। पिछले ८ मार्च को मैं ने ग्रपने खेत से ४० किलोग्राम बगन दो ग्रौरतों को दस-दस ग्राने देकर तुड़वाये ग्रौर दस ग्राने पसे रिक्शे के देकर एक मजदूर के हाथों उनको मंडी में बिकने के लिए भेजा, ग्रौर उस मजदूर को एक रुपया दिया। मेरा बैंगन १२ किलो एक रुपये में बिका ग्रौर कुल तीन रुपये ग्रौर साढ़े ६ ग्राने मिले। उस में से दो ग्राना रुपया तोलने वाले ने कमीशन ले लिया। तो इस प्रकार मुझे कुछ नहीं बचा। ग्रौर मेरी सुपरवीजन की मेहनत व्यर्थ गई। ग्राप नहीं जानते बैंगन के लिए तीन महीने तक परवीजन करना होता है ग्रौर खाद ग्रौर पानी तमाम लगाना होता है। लेकिन जब उसको बाजार में बेचा गया तो कोई ग्रामदनी नहीं मिली। जो कुछ लाभ होता है बीच वाले को होता है। मेरा तो बैंगन १२ किलो एक रुपया का बिका मगर खाने वाले को रुपए का चार किलो मिलता है। पर इसको कौन सोचता है। ग्राप लोग यहां बैठे हैं, इधर से उधर पत्र भेजते हैं। रिपोर्टें बनाते हैं, टाइप करवाते हैं, एक्सप्लनेशन मांगते हैं, यह काम करते हैं। मैं तो कहती हूं कि इस संकट के समय में ग्रान्दोलन होनी चाहिये कि सब मुहकमों को मिला कर एक साथ काम करें।

हमारी चावल की फसल होती है, उसको मुसलसिल पानी मिलना चाहिए, लेकिन पानी नहीं मिलता ग्रौर फसल जल जाती है। मेरे प्रदेश में इर्रीगेशन की कमी है। जब फसल के लिए पानी चाहिए उस समय नहीं मिलता जिस से फसल नष्ट हो जाती है ग्रौर किसानों को नुकसान होता है।

ग्राप मिलें बनाते हैं, उनको सबसिडी देते हैं, उन को करोड़ों रुपए दे कर चलाने की कोशिश करते हैं सबसिडी की दरें लगा कर। यह सबसिडी ग्रापको गांवों में किसानों को देनी चाहिए। ग्रापको गांवों की दशा सुधारनी चाहिए। गांवो का दूध शहरों में चला ग्राता है, गांवों के बच्चों को दूध नहीं मिल पाता क्योंकि ग्राप सबसिडी दे कर उसको शहर वालों के लिए मंगा लेते हैं। शहर वालों को सारी सुविधाएं हैं, सड़क हैं, डाकखाने हैं, टेलीफोन हैं, लेकिन गांवों में क्या है। गांव वालों के मुंह नहीं है, वे ग्रपनी बात नहीं कह सकते इसलिए उनके लिए कुछ नहीं किया जाता।

उपाध्यक्ष महोदय : ग्रब ग्राप को ग्रपना भाषण समाप्त करना चाहिए।

श्रीमती लक्ष्मी बाई : ग्राप के पास बड़े बड़े डिपार्टमेंट हैं। इन डिपार्टमेंट के लोगों को सब को बाहर चलना चाहिए। मेरा यह सुझाव है।

मैं हैदराबाद सिटी में रहती हूं। वहां पर प्राइसेज़ दिल्ली से कम नहीं हैं, ज्यादा हैं। वहां बहुत महंगाई है। उस तरफ ग्रापको ध्यान देना चाहिए। गांवों में लेबर नहीं मिलती। वे लोग शहरों

को चले जाते हैं क्योंकि शहरों में सबसिडी मिलती है, घर मिलता है, पानी मिलता है, और उनको भीख मांगने का भी मौका होता है । अगर शहरों में कोई स्ट्राइक होता है तो वह अखबारों में निकल जाता है और उसका फैसला हो जाता है। इसलिए लेबर शहरों को चली जाती है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त करें ।

श्रीमती लक्ष्मी बाई : मैं बहुत कम बोलती हूं । मुझे बजट पर बोलने का समय नहीं मिला। मैं दो मिनट और बोलना चाहती हूं । मेरे दो सुझाव हैं। आपको पता नहीं कि गांवों में क्या हालत है । मेरा सुझाव है कि आपको सारे मुहकमों को एक साथ मिलाकर गांवों का काम करना चाहिए और यह देखना चाहिये कि गांव वालों को इर्रीगेशन मुहकमे से कितनी प्रतिशत बिजली मिलती है, और दूसरे विभागों से क्या प्रतिशत मिलता है । गांवों में हाउसिंग की भी समस्या है । आप ने शहरों की हाउसिंग समस्या को सुलझाने के लिए १०० करोड़ रुपया खर्च किया है लेकिन गांवों को क्या देते हैं ? मैं कहती हूं कि हर मुहकमे से ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज में लाभ किसानों को मिलना चाहिए और आप को दिलाने की कोशिश करनी चाहिये ।

†**श्री लीलाधर कटकी** (नवगांव) : मैं खाद्य और कृषि मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं । किन्तु हमें देखना चाहिये कि इस समय कृषि की क्या स्थिति है । यह संदिग्ध है कि तीसरी योजना में खाद्य उत्पादन के लक्ष्यों की पूर्ति हो जायेगी । गतवर्ष अर्थात् १९६१-६२ में खाद्यान्न के कुल उत्पादन में १४ लाख टन की कमी हुई है । यह बहुत गम्भीर बात है जिस पर सदन और मंत्रालय को ध्यान देना चाहिये ।

ऐसे गांव बहुत कम हैं जहां ग्राम उत्पादन योजनायें बनाई गई हैं। हमें इस ओर भी ध्यान देना चाहिये कि ग्राम पंचायत और सेवा सहकारी समितियों में मिलजुल कर योजनायें तैयार की जायें । सरकार को इस बारे में उनका मार्गदर्शन करना चाहिये ।

महत्वपूर्ण फसलों के बारे में आगामी तीन वर्षों के लिए सरकार को न्यूनतम कीमतें निर्धारित कर देनी चाहियें । उन्हें इस बात का भी प्रयत्न करना चाहिये कि किसानों को यह कीमतें मिल सकें। कीमतें निर्धारित करते समय किसान और अन्ततः उत्पादन लागत पर कर के भार पर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिये। कई बार कीमतों की घोषणा करने में विलम्ब किया जाता है। इस बारे में मेरा सुझाव यह है कि कीमतों की घोषणा दो या तीन वर्षों के लिए की जाये । मैं नहीं जानता कि अगले तीन वर्षों के लिए मुख्य फसलों के लिए न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने में क्या कठिनाई है ।

असम में कृषि के विकास के लिए कदम उठाए जाने चाहियें । उस राज्य की सब से बड़ी कठिनाई परिवहन का गतिरोध है। जैसा कि सदन को ज्ञात है वह खंड युद्ध के खंड से आता है । इसलिए इस खंड को यथासंभव आत्मनिर्भर बनाना आवश्यक है । मुझे आश्चर्य है कि कृषि के विकास के लिए जो पग संभव हैं, वे क्यों नहीं उठाये जाते। यह भी आवश्यक है कि आसाम राज्य की कृषि को बाढ़ और सूखाआदि से बचाया भी जाये । इस संबंध में मेरा सुझाव है कि बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई को इकट्ठा लिया जाये और इन को मंत्रालय के अधीन लाया जाये। वहां कोई बड़ी सिंचाई परियोजना नहीं है। सरकार को यह प्रबन्ध करना चाहिये कि आसाम में किसानों को सर्दी और बसन्त के महीनों में फसल उगाने के लिए सुविधाएं प्रदान की जायें।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री लीलाधर कटकी]

पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए कुछ कदम उठाऐ गये हैं किन्तु वे पर्याप्त नहीं हैं।

यदि राज्य में झीलों का सुधार किया जाये, तो मछली की पैदावार बढ़ाई जा सकती है।

फलों के संरक्षण की ओर भी सरकार को अधिक ध्यान देना चाहिये और इस काम के लिये और कारखाने खोले जायें। सब्जियों के संरक्षण की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये।

श्री योगेन्द्र झा (मधुबनी) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के खाद्य तथा तथा कृषि मंत्री अमरीकी अन्न के आयात के आधार पर अपनी पीठ अपने हाथ से अपनी पसन्द से जी भर कर थपथपा लें, किन्तु यह एक कटु सत्य है, वर्तमान वास्तविकता है, कि आज भी भारत भूखा है। हज़ारों लाखों नहीं, करोड़ों भारतीय आज भी, स्वतंत्रता-प्राप्ति के पंद्रह वर्ष बाद, दो पंच-वर्षीय योजनाओं के पश्चात्, तृतीय पंच-वर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों की समाप्ति के बाद भी, भूखे हैं। सुरक्षा, नियोजित एवं उत्तरोत्तर विकास की दृष्टि से यह गंभीर स्थिति अत्यन्त ख़तरनाक है, भीषण संभावनाओं से पूर्ण है। चीनी आक्रमण के संदर्भ में यह स्थिति सचमुच भयावह है, अशुभ परिणामों की ओर स्पष्ट संकेत है। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि चीनी आक्रमण का लक्ष्य सिर्फ़ सैनिक नहीं। चीनी शासकों की दृष्टि भारतीय समाज-व्यवस्था के पूर्ण परिवर्तन पर है। लाल भारत उसका निशाना है। आज सैनिक तैयारी पर उचित ही पूरा ज़ोर है। परन्तु खाद्य मोर्चा अगर कमज़ोर रहा, तो पूर्ण सैनिक शक्ति के रहते हुए भी साम्यवाद के मुकाबले में प्रजातंत्र की पराजय होगी। इसका कारण यह है कि साम्यवाद में रोटी का आकर्षण है। राष्ट्रपिता के शब्दों में ग़रीबों के लिए रोटी ही भगवान है। परन्तु दुख तथा दुर्भाग्य की बात है कि भूख की इस विकट समस्या को हम चीनी आक्रमण से कम भयानक और विनाशकारी क्यों समझते हैं।

अभी कुछ दिन पहले योजना आयोग किस निष्कर्ष पर पहुंचा ? वर्तमान प्रगति की गति से बीसवीं शताब्दी के अन्त तक यानी ३८ साल बाद भी भारत की जनसंख्या का एक-तिहाई भाग भरपेट भोजन पाने से वंचित रहेगा। अभी तो दो-तिहाई भाग, यानी २९, ३० करोड़ नर-नारी भरपेट भोजन पाने से वंचित हैं। क्या यह स्थिति संतोष करने योग्य है, पीठ थपथपाने लायक है ?

कहा जाता है कि पाटिल साहब साम्यवादी-विरोधी हैं। किन्तु क्या यह शर्मनाक तथा दर्दनाक स्थिति साम्यवाद को खुला आमंत्रण नहीं है ? राष्ट्र के अन्दर अशान्ति और बगावत की पृष्ठभूमि नहीं है ? इस के उत्तर की आवश्यकता मुझे नहीं है, इस पर शीघ्रता से गंभीरतापूर्वक विचार किये जाने की जरूरत है।

यह कहते हुए वास्तव में बहुत दुख होता है कि उत्पादन-वृद्धि की सारी चेष्टा पूर्णतया असफल सिद्ध है। सरकार को अपनी असफलता स्पष्ट शब्शदों में निसंकोचपूर्वक स्वीकार करनी चाहिऐ। १९६२–६३ की आर्थिक समीक्षा के "कृषि-उत्पादन" शीर्षक के अन्तर्गत कहा गया है कि "पहली दो पंच-वर्षीय योजनाओं के दस वर्षों में कृषि-उत्पादन में ३.५ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तीसरी योजना के पहले वर्ष में कृषि-उत्पादन उतना ही अधिक रहा, जितना कि पहले वर्ष में था। १९६१–६२ में अन्न का उत्पादन ७८३ लाख टन हुआ, जब कि १९६०–६१ में वह ७९७ लाख टन था।" क्या इस से बहुत ही कम शब्दों में यह स्वीकार नहीं किया जा सकता था कि १९६१–६२ में १९६०–६१ की तुलना में कृषि-उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई ? हां, अन्न का उत्पादन ११ लाख टन कम हो गया। अच्छी फसल को सरकारी प्रयास का फल

तथा बुरी फसल को प्रकृति के प्रकोप का कुफल कहने की इस बुरी परम्परा का कब अन्त होगा ? शायद १९५२ के आम चुनाव को दृष्टि में रख कर प्रधान मंत्री ने घोषणा की थी कि १९५१ से अन्न का आयात बन्द कर दिया जाएगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह दिन कभी आने वाला भी है।

फोर्ड संस्थान के एक विशेषज्ञ दल के अनुसार भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन जुटाने के लिए तृतीय योजना तक ११० मिलियन टन अन्न का उत्पादन चाहिए। हमारा लक्ष्य १०० मिलियन टन का है। ८ प्रतिशत की गति से कृषि-उत्पादन बढ़ा कर ही हम अपनी जरूरत की पूर्ति कर सकते हैं, अन्न की समस्या का समाधान कर सकते हैं, देश को अन्न के मामले में आत्म-निर्भर बना सकते हैं। किन्तु सरकारी दावे के अनुसार भी ३.५ प्रतिशत की गति से दस वर्षों तक उत्पादन बढ़ कर अब गति अवरुद्ध हो गई है, बन्द हो गई है। पिछले दस वर्षों में अधिक खेत जोत में लाने की वजह से २.०८ प्रतिशत तथा प्रति एकड़ १.४५ प्रतिशत की दर से वार्षिक उत्पादन-वृधि हुई है। उत्पादन-वृधि के लिए हमारा अधिक प्रयास प्रति एकड़ उपज में वृधि की दिशा में होंना चाहिए। इसका कारण यह है कि नई जमीन जोत में लाने का क्षेत्र अति सीमित है। अपने देश में प्रति एकड़ दो-तीन गुना अधिक उपज में वृद्धि सम्भव है। पिछले दस वर्षों में हुई वृद्धि का सरकारी दावा नितान्त नगण्य तथा घोर निराशाजनक है। मैं तो ऐसा मानता हुं कि प्रति एकड़ उपज वृद्धि का सरकारी दावा सर्वथा मिथ्या है। कुछ विशेषज्ञों का समर्थन भी इस के पक्ष में है।

योजना के प्रारम्भ-काल में इकट्ठे किये गए आंकड़ों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय-नमूना सर्वेक्षण के प्रथम दौर का एक मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार है : "सरकारी आंकड़ों का लगभग २० और २५ प्रतिशत के बीच में निम्नांकन किया गया है"। इस तरह आंकड़ों के आधार को ही चुनौती दी गई है। सरकारी आंकड़ों की सत्यता के विरुद्ध अगर इस आरोप को सत्य माना जाये—न मानने का कोई कारण नहीं—तो उत्पादन-वृद्धि के सारे सरकारी दावे सरकारी फाइल के नीचे दब जाते हैं। प्रधान मंत्री की घोषणा तो इतिहास का एक अच्छा मजाक हो गई। इस का कारण यह है कि १९५० में जहां २१२५ हजार लांग टन खाद्यान्न का आयात हुआ, वहां १९६० में ५०५६ हजार लांग टन अर्थात लगभग ढाई गुना अधिक। अधिक मात्रा में भोजन मिलने का प्रश्न भी बड़ा असन्तोषजनक है। १९५४ में १३.४ औंस प्रति-व्यक्ति प्रतिदिन खाद्यान्न उपलब्ध था, किन्तु १९५८ में यह घट कर १२.१ औंस हो गया, जब कि १९५४ के मुकाबले में १९५८ में लगभग चार गुना अधिक अन्न का आयात हुआ। यह शोक और शर्म की बात है।

उचित कीमत का प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। सूदखोर महाजन, मुनाफाखोर व्यापारी तथा मिल-मालिकों की लूट के छुटकारा दिला कर किसानों को अधिक उत्पादन के लिए अच्छी प्रेरणा दी जा सकती है। इस तरफ सरकार की प्रवृत्ति आश्चर्यजनक ढंग से द्विविधापूर्ण रही है। किसान-विरोधी पूंजी-परस्त नीति होने के कारण किसानों की लूट होती रही है। पाटिल साहब की प्रतिक्रियावादी मूल्य-नीति के कारण सम्पूर्ण भारत के गन्ना-उत्पादक तबाह हैं। चीनी उद्योगों संकट में है। **नैशनल हैरल्ड**, जो कि कांग्रेस-समर्थक पत्र है, के अनुसार सिर्फ उत्तर प्रदेश में इस वर्ष किसानों को पिछले वर्ष की तुलना में एक करोड़ रुपया गंवाना पड़ा है, जब कि उत्तर प्रदेश के चीनी कारखानेदार १५ करोड़ रुपए का अतिरिक्त मुनाफा चीनी की कीमत बढ़ा कर लूट रहे हैं। अभी बिहार विधान सभा में एक मंत्री ने कहा है कि केन्द्रीय सरकार की गलत नीति के कारण और गन्ने की कीमतें वक्त पर न मिलने के कारण बिहार में पिछले साल दस करोड़ मन की तुलना में इस वर्ष पांच करोड़ मन गन्ने का उत्पादन हुआ है, अर्थात् उपज आधी घट गई है।

[श्री योगेन्द्र झा]

जूट उत्पादकों की लूट निर्दयतापूर्वक हो रही है। जब कभी जूट की कीमत का सवाल उठाइये, तो वह कहा जाता है कि आसाम बाटम की कीमत तीस रूपए मन कलकत्ता के लिए तय कर दी गई है। माननीय मंत्री जी से मैं ने एक पत्र लिख कर पूछा कि बिहार राज्य के अधिकतर स्थानों में १८, १९ रुपये प्रति मन की दर से जूट खरीदा जा रहा है, क्या यह उचित कीमत है। जवाबी पत्र में इस प्रश्न का उत्तर नहीं था। मैं ने यह भी कहा कि बफर स्टाक एजेन्सी की खरीद में बड़ा भ्रष्टाचार है। पच्चीस रुपए में खरीदते हैं, तो तीस रुपए की खरीद दिखाते हैं। इस का कोई जवाब नहीं दिया गया। फिर मैं ने यह सुझाव दिया था कि जो भी उचित कीमत तय हो, वह उत्पादकों को मिले, इसलिये सरकार जूट की खरीद में हिस्सा ले। इस सुझाव को पाटिल साहब ने बड़ा खतरनाक बताया। समाजवादी मंत्रीमंडल के एक मंत्री से ऐसे उत्तर की आशा नहीं थी। किन्तु सभी जानते हैं—कांग्रेसजन तथा स्वयं पाटिल साहब भी—कि वह किस तरह के समाजवादी हैं। अब सुना है कि कई राज्यों को लाखों रूपये पटसन खरीदने के लिए अथवा उस के भाव को उचित स्तर से नीचे नहीं गिरने देने के उद्देश्य से दिए गए हैं। लेकिन उत्पादकों के घर में अब पटसन नहीं है। इसलिए सरकार की इस सहायता का लाभ व्यापारी वर्ग को ही मिलेगा। अभी कुछ दिन पहले कपास-उत्पादकों की समस्या देश के सामने आई। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह अपनी मूल्य-नीति के द्वारा किसानों का शोषण बन्द करे। सरकार की द्विविधापूर्ण नीति का विश्लेषण प्रो० डी० आर० गाडगिल ने इन शब्दों में किया है :

> "मूल्यों को स्थिर तभी किया जा सकता है, जब सरकार कृषि-जन्य वस्तुओं का व्यापार अपने हाथ में ले, या सरकारी समितियों को दे, परन्तु इस से ग्राम्य और नगरीय अर्थव्यवस्था हिल जाने का खतरा है क्योंकि साहूकार एंव व्यापारी का उन पर बड़ा कब्जा है"।

क्या इस रहस्यमय काल्पनिक समाजवादी सरकार के अन्दर इतनी हिम्मत है कि पूंजीवाद के गढ़ को एक धक्का दे सके ?

> "सरकारी क्षेत्र में हाल की सरकारी नीति से इस सिद्धांत की पुष्टि होती है"

उद्धरण लम्बा हो जाने के बावजूद भी मैं एक वाक्य और उद्धत करना चाहता हूं :

> "सरकारी अभिकरणों के समन्वय, सरलीकरण या विकेन्द्रीकरण को उच्च सरकारी क्षेत्रों का समर्थन प्राप्त नहीं होता"

जूट की कीमत के प्रसंग में बातचीत करते समय एक भूतपूर्ण उपमंत्री ने भी यह कहा था कि उच्चतम पदों पर आसीन सरकारी अधिकारी जूट उद्योगपतियों के पक्ष की वकालत करते हैं। इस तरह मुनाफा अंध पूंजीपति, सत्ता-अन्ध शासक दल तथा अधिकार अंध अधिकारी वर्ग के संयुक्त अंधाधुंध शोषण का शिकार कृषक बना है।

आधे दिल से प्रारम्भ किए गए लंगड़े तथा अर्थहीन भूमि सुधार उत्पादन वृद्धि के मार्ग में बाधक हैं। साहसपूर्वक, पूरे दिल और पूरी ताकत के साथ भूमि सम्बन्धों में क्रान्तिकारी परिवर्तन करना है। उचित कीमत तथा क्रान्तिकारी भूमि सुधार कृषकों को उत्पादन वृद्धि के लिए प्रेरणा देने के साथ ही सामाजिक न्याय की दृष्टि से अनिवार्य है। उत्पादन वृद्धि के लिए फिर भी ये ही कदम काफी नहीं है। सिंचाई, खाद, पूंजी, उन्नत बीच तथा उन्नत औजार का उचित परिमाण में उचित समय पर प्रबन्ध करना है। आश्चर्य की बात है कि

४० लाख एकड़ जमीन को सींचने लायक पानी बेकार जा रहा है। कहा जाता है कि नहरें तो सरकार ने बना दीं, अब फील्ड चैनल्स किसान बनाएं। आज जब खाद्यान्न की इतनी अधिक आवश्यकता है, जरूरत इस बात की है कि युद्ध स्तर पर शीघ्र सारे फील्ड चैनल तैयार किए जाएं। परवन की दर कम करके सिंचाई की तरफ किसानों को आकर्षित किया जाए। अगर सम्भव हो तो नई नहरों से दो तीन साल तक पानी मुफ्त देकर सिंचाई क्षेत्र को व्यापक बनाया जाए जिससे तत्काल उत्पादन बढ़ेगा। लघु सिंचाई के लिए कोई प्रभावशाली कदम उठाया जाए। अब तक का अनुभव कम से कम बिहार राज्य का बड़ा दुःखदायी रहा है।

रासायनिक खाद का प्रचार बढ़ा है किन्तु घरेलू खाद का व्यवहार घटा है। कम्पोस्ट के गढ़े बढ़े हैं किन्तु कम्पोस्ट नहीं। गोबर जलाने के विरुद्ध एक मनोवैज्ञानिक तथा व्यावहारिक आन्दोलन चलाया जाए। इसके लिए यह आवश्यक है शीघ्र लकड़ी देने वाले वृक्षों का प्रचार हो। वन महोत्सव को उत्सव की परम्परा से निकाल कर वास्तविक बनाया जाए।

कृषि उत्पादन की वृद्धि के मार्ग में भारतीय कृषकों की जगत प्रसिद्ध दरिद्रता भी बड़ी बाधा है। देहात में रहने वाले परिवारों में २३-९० प्रतिशत परिवार भूमिहीन हैं, २५ प्रतिशत परिवारों के पास एक एकड़ से कम जमीन है। सिर्फ एक परिवार हैं जिनके पास ५० एकड़ से अधिक जमीन है।

निःसन्देह सहयोगी खेती हमारी कई समस्याओं का समाधान कर सकती है। दूसरा कोई विकल्प नहीं है। सहयोग के आधार पर ही छोटे किसानों की ऋण समस्या सुलझ सकती है और उन्नत बीज, औजार, खाद तथा लघु तथा मध्यम सिंचाई की व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन सरकार इन समस्याओं का समाधान केवल घोषणाओं के आधार पर कर लेना चाहती है। मेरा सुझाव है कि उद्‌भाटनम्, भाषणम्, भोजनम् से काम चलने वाला नहीं है। इससे समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं है।

द्वितीय विश्व युद्ध के समय कई पश्चिमी राष्ट्रों ने अपनी खाद्य समस्या का तुरंत समाधान भूमि सेना संगठित करके किया था। अपने यहां भी इसकी आवश्यकता है। बंजर भूमि तोड़ने, तालाब खोदने, पैन नहर बनाने तथा कई अन्य कामों के लिये एक बड़ी भूमि सेना संगठित की जाय।

किसानों को अधिक पूंजी लगाकार खेती करने को प्रोत्साहित करने के लिये फसल बीमा की अनिवार्य योजना चालू की जाये।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि सायणाचार्य के अनुसार बुबुक्षमानः रुद्र रूपेण अवलिष्ठते। भूखे मनुष्य रुद्र के अवतार हैं। अगर असंख्य भूखे प्राणियों ने रुद्र के समान प्रलय नृत्य किया तो सर्वनाश निश्चित है। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि कृषि उत्पादन की वृद्धि तथा कृषकों के साथ सामाजिक न्याय किया जाए तथा उचित भूमि सुधार करने का ठोस फैसला किया जाए।

†श्री ब० कु० दास (कन्टै): यदि पिछले तीन वर्षों के आंकड़े को देखा जाये तो मालूम होगा कि हम गतिबद्धता की स्थिति में पहुंच चुके हैं। बल्कि कुल उत्पादन में कुछ कमी हुई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ब० कु दास]

हम १५० करोड़ रुपये का खाद्यान्न आयात करते रहे हैं, और यह स्थिति बहुत खतरनाक है। हम ने आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिये जो भी पग उठाये हैं, उन से अपेक्षित सफलता नहीं मिली। यह सन्देहयुक्त है कि क्या गहन खेती जिस के लिये पैकेज कार्यक्रम जिस पर अधिक व्यय होता है, शीघ्र ही सभी जिलों में आरम्भ किया जा सकता है।

गहन खेती को खण्ड विकास कार्यक्रमों के द्वारा पूरा किया जा रहा है किन्तु अड़चन यह है कि प्रत्येक किसान का उचित ख्याल नहीं रखा गया। वह हमारी योजनाओं से लाभ नहीं उठा सका है। खंण्डों के पदाधिकारी स्वयं जा जा कर किसानों की सहायता नहीं करते।

कई विकास खण्डों में किसानों को अच्छे बीज, उर्वरक और औजार नहीं दिये जाते।

हमें कम्पोस्ट और हरी खाद की ओर ध्यान देना चाहिये।

देश भर में मिट्टी की जांच के केवल २४ केन्द्र हैं। यदि हम बिना मिट्टी की जांच किये ही उर्वरकों का उपयोग उस सीमा तक करते जायें जिसकी जापानी कृषि पद्धति में आवश्यकता है तो, बिना गोबर, इत्यादि की खाद के अभाव में परिणाम उलटा ही होगा। इसलिये हमें गांवों में गोबर आदि की खाद के विषय में अधिक ध्यान देना है।

हम पशुओं की भी परवाह नहीं करते। हमारी कृषि का पशुओं की संख्या से निकट संबंध है। कृषक के पास न अच्छे बैल हैं न दूध और खाद के लिये अच्छी गाय भैंस। यदि हम कृषकों को उनकी आवश्यकता के सारी चीजें उपलब्ध करादें तो परिणाम अधिक अच्छे होंगे।

हम ने कृषि आदि के कार्य के लिये प्रशिक्षण देने की कुछ व्यवस्था की है किन्तु यह पर्याप्त नहीं है। उच्च कृषि शिक्षा के लिये भी समुचित प्रबन्ध नहीं हैं। पश्चिमी बंगाल में ग्रेजुएट कक्षाओं के लिये केवल एक ही कृषि विद्यालय है। दूसरा एक और विद्यालय था जिसे बन्द कर दिया गया है।

मछली उद्योग के बारे में भी हम अधिक ध्यान नहीं दे रहे। यह विषय हाल ही में खाद्य विभाग को सौंप दिया गया है। देश में लाखों तालाब आदि हैं किन्तु मछली उद्योग की स्थिति बहुत नाजुक है। माननीय मंत्री इस ओर ध्यान दें।

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, बजट के सन्दर्भ में अभी पत्रों में निकला था कि गृह मंत्रालय अपने सचिवालय में करीब ४ करोड़ रुपये की बचत कर रहा है। उन में यह कहा गया था कि दो डिपुटी सेक्रटरी, चार अण्डर सैक्रेटरी और कितने ही एसिस्टेंट उस मंत्रालय से ट्रांस्फर कर के और मंत्रालयों में भेजे जा रहे हैं। जहा तक इस मंत्रालय का संबंध है, सेक्रेटेरियेट के खर्च में १९६२-६३ की अपेक्षा १९६३-६४ में कमी के बजाय बढ़ोत्तरी हो रही है। पहले ज्वायंट सैक्रेटरी पांच रहे, लेकिन अब वे छः किये जा रहे हैं। डिपुटी सैक्रेटरी नौ रहे, किन्तु अब बारह किये जा रहे हैं, अंडर सैक्रेटरी ३१ रहे, लेकिन अब ३३ किये जा रहे हैं। सैक्शन आफिसर्ज ७१ रहे, लेकिन अब ७५ किये जा रहे हैं। इस को इन्क्रीज इन प्रोडक्शन कहा जा रहा है। ठीक है, आदमियों की वृद्धि हुई है, अन्न की वृद्धि तो नहीं हुई है। इस प्रकार इस मंत्रालय के सचिवालय पर लगभग बीस लाख रुपये का खर्च बढ़ गया है, जब कि इंगलैंड में इस मंत्रालय पर जो खर्च होता है, वह १९६१-६२ के मुकाबले में, ६,६८ हजार रुपये बढ़ा है। मंत्री महोदय से मेरा

अनुरोध है कि वह कृषि विभाग के मंत्री हैं। वह देश के इस आपत्ति-काल में अपना आदर्श पेश करें और, जहां तक हो सके, अपने आफिसर-वर्ग की संख्या को न बढ़ायें। इस प्रकार जो रुपया, बचे, वह कृषि की तरफ ले जायें, ताकि उस से देश की तरक्की हो और अन्न की पैदावार अधिक हो।

अब मैं आप का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि इस मंत्रालय की रिपोर्ट से मालूम हुआ कि इस बरस भी हम लोग २,५७,३१,३६,००० रुपये का अन्न बाहर से मंगायेंगे। इस मंत्रालय की मांग ३,६६,३०,००,००० रुपये की है, जिस में से २,५७,३१,३६,००० रुपये की भारी रकम केवल अमरीका आदि देशों से अन्न लाने के लिये रखी गई है। इस के साथ ही लगभग ५२ करोड़ रुपये की मांग फर्टलाइजर के लिये है। जहां तक फर्टलाइजर का संबंध है, उस के आंकड़ों से मालूम होता है कि देश की जरूरत ३४ लाख टन की है, जब कि हमारे देश में कुल ८.३४ लाख टन पैदा होता है और ९.५४ लाख टन बाहर से मंगाया जाता है। इस तरह १७.८८ लाख टन पूरा किया जाता है। चूंकि हमारे देश की आवश्यकता ३३.४२ लाख टन की है, इस लिये अभी १६ लाख टन फर्टलाइजर की कमी है। इस संबंध में मेरा नम्र सुझाव यह है—और यह मेहता कमेटी रिपोर्ट का भी सुझाव है—कि बाहर से अन्न मंगाने के बजाय अच्छा होता कि हम फर्टलाइजर मंगाते और काश्तकारों को देते। जब हम लगभग २,५७,३१,३६,००० रुपये बाहर से अन्न मंगाने पर खर्च करते हैं, तो क्या यह उचित नहीं होगा कि काश्तकारों को अधिक खाद मुहैया करने के लिये हम ५२ करोड़ की बजाय ५७ करोड़ रुपये खाद मंगाने पर खर्च करें और फिर देखें कि यह रकम खर्च करने के बाद इस देश में कितना ज्यादा अन्न पैदा किया गया और बाहर से आने वाले अन्न में कितनी कमी हुई। मेहता कमेटी रिपोर्ट के जिस सुझाव का मैं ने अभी जिक्र किया है, अभी उस पर अमल नहीं हुआ है। उस सुझाव के आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि सरकार के अपने कहने के मुताबिक १६ लाख टन फर्टलाइजर की कमी है। सरकार ५२ करोड़ रुपये खर्च कर के लगभग ९ लाख टन फर्टलाइजर बाहर से मंगा रही है। इसलिये अगर ५७ करोड़ रुपये इस के लिये खर्च किये जायें तो लगभग १० लाख टन फर्टलाइजर आ सकता है। उस फर्टलाइजर को काश्तकारों में वितरण किया जाये और फिर देखा जाए कि पैदावार कितनी बढ़ी है।

श्री क० ना० तिवारी (बगहा) : अगर खाद डालने की कैपेसिटी हो और पानी का इन्तजाम हो, तभी यह खाद काम करेगी।

श्री सिंहासन सिंह : उस की चिन्ता माननीय सदस्य न करें। पानी का इन्तजाम काश्तकार कर लेता है। हम तो यह देखते हैं कि पानी के लिये जो रुपया दिया जाता है, वह व्यय नहीं होता है। ये सब आवश्यक काम तो किये नहीं जाते हैं, केवल बाहर से अन्न मंगा कर देश को जिलाते रहना कोई अक्लमन्दी की बात नहीं है। हम अपने देश में वह अन्न पैदा कर सकते हैं।

हमारे यहां दो क्षेत्र हैं, शहरी और काश्तकार। काश्तकारों को हम खाद देते हैं, जिस के लिये एक योजना बनाई गई है। उस योजना के अन्तर्गत बाहर से जो खाद मंगाया जाता है, उस को अपने यहां के खाद से मिला कर कीमत में समन्वय किया जाता है। इस प्रकार काश्तकारों को खाद बेच कर साढ़े सात करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया जाता है। लेकिन इस के मुकाबले में शहर में दूध बेच कर सरकार घाटा सहती है। हमारी सरकार पांच लाख रुपये का घाटा सह कर शहर में, दिल्ली में छोटे और बड़े आदमियों को दूध पिलाती है, जब कि वह देहात में काश्तकारों को खाद बेच कर साढ़े सात करोड़ रुपये का मुनाफा कमाती है। हम भी वह दूध

[श्री सिंहासन सिंह]

पीते हैं, लेकिन प्रश्न तो यह है कि सरकार जनता के पैसे से शहर के लोगों को सस्ता दूध दही मुहैया करती है, लेकिन जहां उत्पादन किया जाता है, जहां अन्न पैदा होता है, वहां कुछ नहीं दिया जाता है। यह समन्वय ठीक नहीं है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि खाद बेच कर साढ़े सात करोड़ रुपये का जो मुनाफ़ा सरकार काश्तकारों से कमाती है, उस को वह न ले और खाद को सस्ता कर दे, ताकि अधिक अन्न पैदा हो। आज बहुत से काश्तकार महंगाई के कारण खाद नहीं इस्तेमाल करते हैं और सल्फेट आफ़ एमोनिया नहीं ले पाते हैं, क्योंकि सरकार उन के साथ व्यवसाय करती है। अगर सरकार इस मुनाफ़े को कम करे और बाहर से ज्यादा खाद मंगा कर काश्तकारों को दे, तो इस से बहुत लाभ होगा और काश्तकारों में बहुत उत्साह पैदा होगा।

जब से पाटिल साहब आए हैं, उन्होंने कई बार कहा है कि हमने गल्ले की कीमत निर्धारित करनी है और निर्धारित होना चाहिए, ताकि काश्तकार अपनी फ़सल का समन्वय कर सके, यह निश्चय कर सके कि वह कितना ऊख बोए, कितना गेहूं और कितना धान बोए। किसी समय ऊख की कीमत है, यह समझ कर वह ऊख बोता है। पार साल सरकार के एक एक्ट के मुताबिक काश्तकारों ने गन्ना नहीं बोया। लेकिन आज धान की कीमत नहीं है। माननीय मंत्री ने इसी सदन में यह एनाउन्समेंट की थी कि जब धान की कीमत दस रुपये से कम होगी, तो हम उस को खरीदेंगे। गोरखपुर और बस्ती जिले में ७ रुपये से भी कम कीमत हुई, लेकिन फिर भी सरकार ने नहीं खरीदा। आज करीब आठ और नौ रुपये का भाव है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार कितना धान खरीद रही है। बहुत से लोगों के घरों में धान पड़ा हुआ है और सस्ते के मारे वे बेच नहीं पा रहे हैं। अमरीका से अन्न मंगाने पर आप जो रुपया खर्च करते हैं, वह रुपया आप हमें दें, हमारा जो उत्पादित माल है, उसको ठीक भावों पर खरीदें, तब आप देखें कि किस तरह से उत्पादन में वृद्धि होती है। आपकी स्कीम है कि अगर भाव नीचे जाते हैं, तो गवर्नमेंट उसको खरीद ले। पता नहीं स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं खरीदती है। आप वहां की स्टेट असेम्बली की प्रोसीडिंग्ज़ मंगा कर देखलें, आपको पता चलेगा कि सात रुपये धान का भाव है और खरीद नहीं की जा रही है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा गल्ला अधिक से अधिक दाम दे कर खरीदें तो उत्पादन कैसे बढ़ता है, यह आपको पता चल जाएगा। मूल्य निर्धारण की बात भी है। कमेटियां बनाने की अगर बात है, तो वे तो बनती ही रहती हैं और कभी निर्णय नहीं हो पाता है। अब कब कमेटी बनेगी और कब निर्णय होगा।

आपने कहा है कि गेहूं हम तेरह रुपये मन के हिसाब से खरीदेंगे और इससे भाव नीचे नहीं जाने दिये जायेंगे। बड़ी मेहरबानी आपने की जो यह आश्वासन दे दिया। इसकी कैबिनेट में भी मंजूरी दी। हम काश्तकारों को तो आप बारह और ग्यारह रुपये देते हैं, लेकिन अमरीका से जो आप मंगाते हैं, वह बीस रुपये के हिसाब से मंगाते हैं, बीस रुपये के हिसाब से इम्पोर्ट करते हैं। हमें आप सोलह भी देने के लिये तैयार नहीं हैं। सोलह रुपये कोई ज्यादा नहीं हैं। आप हिसाब लगा कर देख सकते हैं। आपने राजस्थान में तीस हज़ार एकड़ का फार्म बनाया हुआ है, वहां पर जो आपका खर्चा पड़ता है, उसको आप देख लें और उसी के हिसाब से हमें भी दाम दे दें। उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या कास्ट पैदा करने की पड़ती है।

पार साल एक विधेयक आया था शूगर के लिये कि दस परसेंट शूगर की खेती की खरीदने की जिम्मेदारी सरकार लेती है, दस परसेंट चीनी पैदा की जाए, इसकी जिम्मेदारी भी आपने ली। अन्त तक मिलें चलीं। मगर काश्तकार की खातिर जो जिम्मेदारी सरकार ने ली थी,

उसको उसने निभाया नहीं। इसका नतीजा यह हुआ कि काश्तकार में बदअमनी फैली। सरकार ने कहना शुरू कर दिया गुड़ पेरो, गुड़ पेरो, गुड़ बनाओ, गुड़ बनाओ और गुड़ पर कुछ देने की बात भी होने लगी। इससे और भी झंझट खड़ा हुआ। दस परसेंट आपने कह दिया और २५ परसेंट काश्तकार ने कम किया। आप में उत्साह नहीं रहा, भगवान का उत्साह भी कम हुआ और पैदावार भी २५ परसेंट कम हुई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बड़े बड़े काश्तकार गोरखपुर में जो इस ईख पर मुनहसर रहते थे, आज घबराये हुये हैं आज बड़े-बड़े खेतों में २०० और १५० मन से अधिक फसल नहीं हुई है। हमारे पास के एक काश्तकार ने हमें बताया कि तीन बीघा उसने बीज के लिये फसल को खड़ा रखा है और बाकी चार बीघे में कुल चार डनलप गाड़ी ही ईख हुई है। एक तरफ आपने मारा और दूसरी तरफ उसको भगवान ने मारा। आज उसकी दुर्गति हो रही है। मैं चाहता हूं कि आप दूरदर्शिता की नीति बनायें। कभी आपने कहना शुरू किया कि चीनी कम पैदा करो और कभी कहना शुरू कर देते हैं कि चीनी अधिक पैदा करो। किसी सिस्टमेटिक पालिसी पर तो आप चलें।

आपने चीनी के भाव रिकवरी पर मुनहसर कर दिए हैं। आप के पास इसके आंकड़े होंगे मेरे पास नहीं हैं। उनको आप देख सकते हैं। आप उन से जान सकते हैं कि कितना काश्तकार की जेब में पैसा इसके फलस्वरूप गया है और कितना मिल मालिक की जेब में गया है। मिल मालिक को अगर इससे फायदा हुआ तो यह उसकी अनअर्न्ड इनकम है, इसको प्राफिट नहीं कहा जा सकता है। वह हमारा पैसा है। एक रुपया दस आने काश्तकार को देने की बात थी। उतना पैसा उनको अगर नहीं मिला है और इसके दो या तीन पैसे कम मिले हैं तो यह मिल वालों का मुनाफा है जो कि अनअर्न्ड है, बिना मेहनत के है। अगर काश्तकार को एक दो पैसे अधिक मिले हैं तो उसने उस पैसे को वार फण्ड में दे दिया है। वहां पर सोसाइटीज ने यह पास किया था कि एक रुपया दस आने से अधिक मिलें तो उसको वार फंड में दे दिया जाए। उन्होंने तो वह सारा पैसा वार फंड में दे दिया है, एक पसा भी अपने पास नहीं रखा है, लेकिन मिल मालिकों की यह जो अनअर्न्ड इनकम है, इसका कितना हिस्सा उन्होंने वार फंड में दिया है, इसको भी आप देख लें। उन्होंने नहीं दिया है। इस लड़ाई के ज़माने में वे इस तरह से अनअर्न्ड इनकम करें और इसको फंड में न दें या यह हमें न दें यह कहां तक मुनासिब है? मैं चाहता हूं कि आप इस को रिकवरी पर मुनहसर न करें, बल्कि भाव मुकर्रर कर दें। बिहार और उत्तर प्रदेश सरकार, दोनों ने आप से बार बार अनुरोध किया है कि आपने जो भाव भी तय करना है, एक रुपया दस आना या बारह आना, उसको तय कर दें। रिकवरी पर करने से मामला गड़बड़ा जाता है। पार साल भी कहा गया था कि एक रुपया दस आना देंगे। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हमारे गोरखपुर में जो मिलें हैं, वे काफी अच्छी हालत में हैं, और वे चलने वाली हैं।

रिकवरी के बारे में आप ने पैकेज स्कीम बनाई है। पता नहीं आप किन एरियाज में इन स्कीम्ज को चलाते हैं? क्या जहां ज्यादा से ज्यादा मिले हैं, उनमें चलाते हैं या दूसरों में चलाते हैं? अरली केन और पिछले केन का भी ज़िक्र आता है। अरली केन के बारे में भी कोई खास पालिसी नहीं है। कुछ दिन पहले मिल वाले अरली केन के बारे में कहते थे कि दो आने या एक आना अधिक देंगे। वह भी अब बन्द हो गया है। मिल वाले अब नहीं देते हैं। कोई भी प्रोत्साहन किसी किस्म का नहीं मिलता है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप खत्म करें।

श्री सिंहासन सिंह : जब आप कह रहे हैं, तो मैं खत्म किए देता हूं।

श्री काशी राम गुप्त (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे कृषि मंत्री जी किसान वर्ग से आते हैं और हमारे राज्य-मंत्री महोदय किसानों के डाक्टर हैं। हम आशा करते थे कि ये दोनों महानुभाव मिल करके इस अन्न की समस्या को, इस खेती की समस्या को बहुत तेज़ी से सुल्झा देंगे। किन्तु पता नहीं गाड़ी क्यों धीरे चल रही है। पता नहीं क्यों समस्या ज्योंकी त्यों बनी हुई है। रोग का निदान ही नहीं हो पाता है। पता नहीं उपचार के रास्ते में कौन सी रुकावटें आ रही हैं। यह भी कहा गया है कि रोग बढ़ता जा रहा है। लेकिन मैं कहना चाहताहूं कि जो इलाज करने वाले हैं उनकी तादाद भी तो बढ़ी है। उनकी कार्यकुशलता की परीक्षा होने जा रही है।

इस मंत्रालय में १०९ करोड़ रुपये के लगभग रुपया विभिन्न विभागों पर खर्च होता है। २७ करोड़ के लगभग रुपया सहायता के रूप में प्रदेश सरकारों को मिलता है और २५७ करोड़ रुपया अन्न भंडार कायम करने के लिये अन्न इकट्ठा करने के लिये इस वर्ष के लिए रखा गया है। इन अन्न भंडारों की समस्या कब समाप्त होगी, अमरीका से गेहूं का आयात कब बन्द होगा, कुछ पता नहीं। यह बहुत ही चिन्ता का विषय बना हुआ है। हमारे कृषि मंत्री जी कहते हैं कि अन्न भंडारों की योजना इसलिये चलाई जा रही है ताकि अन्न को सुरक्षित रखा जा सके और दाम अधिक न बढ़ें। किन्तु जो आंकड़े हैं, गतवर्ष की जो पैदावार है, उसमें उससे पिछले वर्ष की अपेक्षा पैदावार कम हुई है। आप कह सकते हैं कि बहुत से कारण इसके हो सकते हैं। मानसून फेल हो गया और बाढ़ें आ गईं, किन्तु यह तो खेती के मामले में होता ही रहता है। क्या योजना के अन्तर्गत इन बातों का समावेश नहीं होता है। यदि होता है, तो यह दलील देने से कोई लाभ नहीं हो सकता है।

जो हमारी स्कीम होती है, उस में कितना ही घोटाला होता है। इसी रिपोर्ट में, १९६२–६३ की रिपोर्ट में पृष्ठ १८ पर लिखा है कि ६६०० टन अनाज डैमेज हो गया और १२,३०० टन सब-स्टैंडर्ड था। अब सब-स्टैंडर्ड का क्या अर्थ है यह मैं समझ नहीं पाया हूं। इसको बाज़ार में बेचा गया, ऐसा कहा गया है। लेकिन यह नहीं बताया गया है कि इससे कितनी हानि हुई है, इसको क्यों बेचना पड़ा है और अगर यह खाने के लायक नहीं था, तो जिन्होंने इसको खरीदा है, उन्होंने इसका क्या किया है। यदि यह खाने के लायक था तो फिर नुक्सान उठाने का प्रश्न क्यों पैदा हुआ। मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह की सारी जानकारी इस रिपोर्ट्से मिल जानी चाहिये थी। लेकिन ऐसा नहीं हो सका है। इस तरह की अधूरी रिपोर्ट देने से कोई लाभ नहीं होता है। वस्तु स्थिति का ज्ञान प्राप्त करने के लिये यह ज़रूरी है कि पूरी डिटेल्ज़ दी जाएं।

कृ फार्म भी बनाये गए हैं। सूरतगढ़ फार्म इसी तरह का एक फार्म है। करोड़ों रुपया उस पर लगा है। उसका अभिप्राय यह है कि लोगों को बीज दिया जाए और जो फालतू अनाज हो, उसको बेचा जाए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन फार्मस से साधारण किसानों को क्या लाभ होने वाले हैं। इस पर रोशनी डाली जानी चाहिये। अभी तक किसान इनके बारे में कुछ भी नहीं समझ पाये है। अगर उस को वहां का बीज हमेशा के लिए लेन का आदी बनाना है, तो मैं समझता हूं कि उसका कोइ उपयोग नहीं होगा। प्रायः देखा जाता है कि जो बीज उसको मिलता है, वह समय पर नहीं मिलता है। राज्य के अन्दर ही बीज होते हुए भी अगर उसको समय पर न मिले तो उसका क्या लाभ हो सकता है। राजस्थान में फार्म होते हुये राजस्थान के लोगों को समय पर बीज न मिले तो फिर बीज देते का क्या लाभ है। ग्रामों में बीज भंडार बनाने की बात है। किन्तु उसमें सफलता न के बराबर ही मिली है।

यहां पर बहुत चर्चा हो रही है दिल्ली की दुग्ध योजना की। २०८ लाख रुपया इस योजना में अभी तक लगाया जा चुका है और प्रति वर्ष इसमें ५ लाख रु० का घाटा होता है। इतनी बड़ी योजना बनी, उसमें घाटा भी रहा, फिर भी वह पूरा दूध नहीं दे सकी। इस वर्ष यह लिखा गया है कि ४५०० मन दूध मिल सकेगा। लेकिन जो इसमें ७००० टन के आंकड़े के बारे में लिखा है कि उसको प्राप्त करना है, वह अभी बहुत दूर है, और १२००० मन वाली बात तो स्वप्न जैसी ही है। फिर भी देखने में आता है कि यह दूध पूरा नहीं बिकता। जो भी बिकने से रह जाता है उसी से यह घी बनता है जो कि लोगों को और इस सदन के सदस्यों को मिलता है। यदि अभी यह दूध पूरा नहीं बिकता तो इसमें ७००० मन करने की जो योजना है उसका क्या असर होगा। वह आखिर पूरा क्यों नहीं बिकता ? क्या कारण है उसके न बिकने का जब कि गांव से ज्यादा से ज्यादा सप्लाई आ गई है ? यह एक ऐसी बात है जो कि रोजमर्रा के जीवन में आ गई है। इस दुग्ध योजना में क्या क्या कमियां हैं, किस प्रकार से लोग क्यू में खड़े हो कर परेशान होते हैं और जो दूध देने के जिम्मेदार होते हैं वह किस प्रकार समय से नहीं आते हैं, यह सब तो लम्बी चौड़ी चर्चा हो जाती है। हमारे साथी तो कहते हैं कि शहर वालों के लिए दूध का प्रबन्ध करने के लिये यह सब हो रहा है। लेकिन मैं यह नहीं मानता क्योंकि वह दूध तो गांवों से ही आता है। मगर गांव वाले जो हैं उनको उसका पैसा कैसे मिलता है, इसको देखने का प्रश्न है। अभी तक कहा जाता था कि दिल्ली के नजदीक के क्षेत्रों से यहां दूध लायेंगे, किन्तु पिछली बार जब इस सदन में प्रश्न आया तो बतलाया गया कि बीकानेर के इलाके से भी दूध आने लगा है। इतनी दूर से दूध क्यों आने लगा इसके लिये कहा गया कि चूंकि वहां सस्ता मिलता है। यदि इस प्रकार से व्यापारिक विभाग के आधार पर दूध लिया जाता है तो उस दूध का पैसा तो कम से कम किसान को पूरा मिलना चाहिये जिससे कि वह इस दूध को देकर अपनी आमदनी बढ़ा सके। मैं समझता हूं कि इस वक्त जो दूध लिया जा रहा है वह इस दृष्टि से लिया जा रहा है कि यहां पर जो लोग दूध सप्लाई करते हैं उससे यह कुछ सस्ता हो जाय और गांव वालों को उसका उचित पैसा मिले या नहीं, उनके दूध का, यह आधार इस योजना का नहीं है। इसलिये इस योजना का आधार भी बदलना चाहिये।

इसके अतिरिक्त देश में जो बड़ी बड़ी सिंचाई योजनायें हैं उनमें भी यह प्रश्न हो रहा है कि उनका जो पानी है वह फालतू पड़ा हुआ है और उसका उपयोग नहीं हो रहा है। यह दशा चल रही है। किन्तु जो छोटी सिंचाई योजनायें हैं, खास तौर से उन क्षेत्रों के लिये निवेदन करना चाहता हूं जहां के लिये कहा जाता है कि कुओं या ट्यूब वेल की आवश्यकता है, जो छोटे बांध हैं उन क्षेत्रों की योजनायें जो हैं उनका कोई आधार ऐसा बना हुआ नहीं है जिससे सब को सुविधा मिल सके। अभी अभी बहुत से सज्जन कह रहे थे कि सिंचाई विभाग अलग है और कृषि विभाग अलग है। आश्चर्य यह है कि कुएं तो इस मंत्रालय के अधीन हैं और बांध दूसरे मंत्रालय के अधीन हैं। मैं निवेदन करूं कि मैंने एक ऐसा गांव देखा जहां पहले से कुएं बने हुए थे। उस मंत्रालय से रुपया ले लिया गया और एक छोटा सा बांध उस गांव में बांध दिया। उस बांध के अन्तर्गत गांव के ही जो कुएं थे वह भी आ गये और सिंचाई के साधन के रूप में समाप्त हो कर रह गये। उसके बाद कुएं के विभाग वालों को कुएं के लिये रुपये मिले तो उन्होंने ले लिये और गांव के दूसरे हिस्से में कुएं बनाने शुरू कर दिये। एक तरफ इस तरह से रुपया बरबाद कर दिया गया और दूसरी तरफ पहले वाले कुओं को बरबाद कर दिया गया और दूसरे कुएं बनाने की बात कही गई। यह कौन सा योजना का तरीका है ? मैं कहूंगा कि योजना में जिन बातों का सम्बन्ध होता है यदि उन सबका समावेश नहीं किया जाता है तो उस से बहुत बरबादी होती है।

मैं एक गांव में गया। वहां कुएं बने हुए हैं। पांच कुएं तो बिलकुल खाली पड़े हुए हैं, उन पर काम नहीं हो रहा है। जानकारी की तो मालूम हुआ कि उनके जो मालिक हैं वह एक एक आदमी

[श्री काशीराम गुप्त]

हैं। उनसे सिंचाई नहीं कर सकते क्योंकि बिजली नहीं है उनके पास। उनको डर हो गया कि जो हमारे नये कुंएं बने हैं उनमें अगर किसी को साथी बना लिया तो जमीन जाने का खतरा है। उनकी किसी कदर स्थिति ऐसी बन गई है। यद्यपि कोई विशेष डर की बात उसमें नहीं थी, लेकिन उनका डर नहीं निकलता है। नतीजा यह हुआ कि वहां पर बारानी अर्थात् बिना सिंचाई की फसल हुई। मैंने हिसाब लगाया कि यदि बाकी पांच कुओं से भी पूरी खेती होती तो हमें एक हजार मन ज्यादा अनाज मिलता। जब एक गांव की स्थिति यह हो जाती है तो हमारी योजना की कैसी स्थिति है ?

इसके बाद आप किसानों को रुपया देने का ढंग देखिये। किसान रुपया लेता है, उस को पूरी तरह से ऋण के रूप में दिया जाता है और उसे वापस लिया जाता है, चाहे कितना ही उसका घाटा हो जाय। बहुत से गांव ऐसे होते हैं जहां का पानी ऐसा निकलता है जो खेती के लायक नहीं होता। बहुत से ऐसे कुएं होते हैं जिनका पानी ऐसा होता है जिनसे सिंचाई नहीं हो सकती। यदि यह स्थिति हो तो किसान को कुछ राहत मिलनी चाहिये। गांवों के बारे में आधार दूसरा होना चाहिये। जो सिंचाई योजनायें हैं उनके दो भाग होने चाहियें। जो नहर योजनायें है वह अलग होनी चाहियें और जो ट्यूबवेल अथवा कुओं की योजनायें हैं वह अलग होनी चाहियें और इसके आधार पर ग्राम योजना होनी चाहिये। खास तौर से देखना चाहिये कि विशेष क्षेत्र में जो क्राप पेटर्न है वह किस तरह का है। जहां सरसों पैदा होती है वहां यह हालत हो गई कि लोग गांवों में कुओं पर सरसों की खेती करने लगे क्योंकि वह सस्ती पड़ती है। यदि आपको पैदावार तेजी से बढ़ानी है और थोड़े खेत में बढ़ानी है साथ ही उसके जल्दी नतीजे निकालने हैं तो कुओं का गांवों को आपको बढ़ावा देना होगा और साथ ही साथ उन क्षेत्रों में बिजली भी लानी होगी। जब तक बिजली उन क्षेत्रों में नहीं जायेगी तब तक उनकी पैदावार नहीं बढ़ सकती है। आज स्थिति यह है कि मेरे जिले के बराबर में जहां बिजली पहुंच गई है वहां नतीजा यह हुआ है कि उस इलाके के लोग जहां बिजली नहीं पहुंची है कुओं को छोड़ चुके हैं क्योंकि वह उनके लिये बहुत सस्ता नहीं पड़ता।

आज बिजली दूसरे विभाग के हाथ में है और इर्रिगेशन दूसरे विभाग के हाथ में है। कुएं आपके हाथ में हैं या कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स के हाथ में हैं। मैं निवेदन करता हूं कि जनसंख्या का जो प्रश्न है और यह बहुत टेढ़ा प्रश्न है और इसका सम्बन्ध है हमारे उत्पादन की योजनाओं से मगर आज यह विषय हैल्थ मिनिस्टर के हाथ में है। मैं नहीं समझ पाता कि यह क्यों है। वैसे तो विभिन्न मंत्रालयों में कोई भेदभाव ज्यादा नहीं है, मगर चाहिये यह कि यह मंत्रालय इस बात को देखे कि यहां पर जनसंख्या की कितनी बढ़ोतरी हो रही है और उसके हिसाब से पैदावार उस क्षेत्र में हो रही है या नहीं। जब तक जिले को इकाई नहीं बनाया जायेगा, तब तक हर जिले के आधार पर योजना नहीं बनेगी और यह योजना ग्रामीण आधार पर नहीं चलेगी, जब तक यह नहीं देखा जायेगा कि कहां कितनी बिजली पहुंचनी है, कहां पर कुएं बनने हैं, तब तक यह कार्य सफल नहीं हो सकेगा और हम दिन प्रति दिन समस्याओं को उलझाते चले जायेंगे।

एक बात मैं और निवेदन करूंगा डिमाक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में सरकार कहती है कि हम विकास करने के लिये यह पंचायती राज लाये हैं। परन्तु अनुभव यह कहता है कि यह पंचायती राज विकास कार्य के लिये नहीं लाया गया है बल्कि विकास के कार्य को रोकने के लिये लाया गया है। जितने चुनाव होते हैं वे राजनीतिक दलों के आधार पर होने शुरू हो गये हैं। विकास के कार्यों में कहीं राजनीति आती नहीं है, वहां पर कुओं की बात होगी, बीज की बात होगी, पानी की बात होगी या फसल की बात होगी। उसमें न कांग्रेस की बात होगी न स्वतन्त्र

पार्टी की, न कम्यूनिस्ट पार्टी की और न जनसंघ की । किन्तु हालत ऐसी हो रही है कि जहां कहीं चुनाव आयेंगे, सब लोग वहां देखेंगे कि राजनीति आ जायेगी । अभी गुजरात में चुनाव हो रहे हैं और यहां पर गुजरात के सदस्य कह रहे हैं कि हमें समय नहीं है क्योंकि हमारे यहां चुनाव हो रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : हम यहां बैठे हैं ।

श्री काशी राम गुप्त : वहां आपके दूसरे रिप्रेजेन्टेटिव चले जायेंगे । आपने वहां पर अपने रिप्रेजेन्टेटिव बना रक्खे हैं, मुझे मालूम है । इसी लिये आप यहां पर बेफिक्री से बैठे हैं । यदि यह स्थिति रही तो हमारे सारे विकास के कार्य रुक जायेंगे, उत्पादन घट जायेगा क्योंकि जो लोग चुनाव में आते हैं उनका सुबह से शाम तक यह सोचने का काम होता है कि वे कैसे बने रहें और दूसरों का काम होता है कि वे यह सोचें कि वे उनको कैसे हटा दें । इस घुड़दौड़ में वे लगे रहते हैं । यह बहुत ही खतरनाक चीज है । इसे आज हमारे राजनीतिक दल के सदस्य महसूस नहीं करते हैं कि यह कितना दुःखदायी कार्य है । वे इसके राजनैतिक रूप को जितनी जल्दी समाप्त कर देंगे उतना ही अच्छा होगा । एक साहब कहते हैं कि यह चुनाव प्रथा के अन्दर कैसे सम्भव है । बहुत आसानी से सम्भव है । इस सदन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चाहे किसी भी पार्टी के हों वे चुनाव के बाद किसी पार्टी के नहीं रहते तब प्रधान, उप प्रधान और दूसरे जो जिला प्रमुख हैं उन्हें पार्टी से सम्बन्धित न होने की घोषणा करने में क्या मुश्किल बात है ? किन्तु मेरा तजुर्बा यह है कि यह सब जो कुछ है वह पावर पालिटिक्स के कारण है, अपने लिये शक्ति को बढ़ाना है, इसलिये सारी खराबी हो रही है।

यहां सहकारी खेती के बारे में भी कहा गया । इस सहकारी खेती से सिद्धान्ततः मुझे कोई विरोध नहीं, किन्तु जब इसको अमल में देखा तो मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी । कुछ महीने पहले हमारी एक टीम मैसूर राज्य में गई थी । वहां जाकर हमने जो कुछ देखा उससे मुझे बड़ी निराशा हुई । हमारे सहकार-मंत्री कहते हैं कि बहुत जगहों पर इसकी बड़ी तरक्की हो रही है । मैंने उनसे निवेदन किया कि हमें वह जगह दिखलाई होती जहां पर तरक्की हो रही है। हमें ऐसी जगह क्यों नहीं भेज दिया जहां कोई तरक्की नहीं हो रही थी । तो मेरा निवेदन है कि सहकारी विभाग अलग सहकारी खेती की बात करता है, कृषि विभाग अलग उसकी बात करता है पर दोनों में सामंजस्य नहीं है । इसमें क्या कठिनाइयां हैं जब तक उनको मिल कर नहीं देखा जायेगा तब तक सहकारी खेती कभी सफल नहीं हो सकती । आज जो हो रहा है उसका तो न होना ही अच्छा है । इससे तो किसान के दिमाग पर बुरा असर पड़ता है, वह सोचता है कि किस जाल में उसको फंसाया जा रहा है । वास्तविकता उसके सामने नहीं आती । इसलिए मेरा निवेदन है कि सहकारी खेती के प्रश्न में बड़ी गहराई में जाना चाहिए । कुछ चुनी हुई जगहों पर इसका प्रयोग करना चाहिये और इसमें जो समस्यायें आती हैं उनका निराकरण करके उसका तजर्बा करना चाहिये । इस प्रकार से काम नहीं चल सकता कि आपने कह दिया कि इतना रुपया हम दे रहे हैं, एक सोसाइटी बना लो । सोसाइटी फर्जी बन जाती है और लोग अपने कुटुम्ब वालों के नाम उसमें लिखा देते हैं और इस प्रकार रुपया ले लेते हैं पर काम कुछ नहीं होता । इसी कारण देश में इसका विरोध होता है । अगर यही नीति चली तो सहकारी खेती निकम्मी साबित होने वाली है ।

अन्त में मैं यह निवेदन करूं कि यह जो रिसर्च आदि के लिए अफसरों की फौज है इसका किसान से कोई सम्बन्ध नहीं है । किसान का सम्बन्ध प्रदेश सरकार से है और प्रदेश सरकार के काम की जवाबदारी आप नहीं लेते । प्रदेश सरकार अगर किसानों को खाद देती है तो उसमें राजनीति चलाती है, वे देखते हैं कि यह आदमी हमारी पार्टी का नहीं है इसको खाद नहीं देंगे या और चीजें नहीं देंगे । वहां गुटबन्दी चलती है । अगर आप इस चीज पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो तरक्की नहीं हो

[श्री काशीराम गुप्त]

सकती । अब कहा जाता है कि एक टीम यहां से जायेगी और देखेगी कि उत्पादन क्यों नहीं बढ़ रहा है । प्लांनिग कंसलटेटिव कमेटी में यह प्रश्न आया और उस पर गहराई से विचार किया गया कि किस प्रकार उत्पादन बढ़े । यह तो स्पष्ट है कि हमारा अन्न का उत्पादन नहीं बढ़ रहा है और उसमें हम असफल हैं । इसमें कैसे जल्दी सफलता मिले यह प्रश्न विचाराधीन है । इसलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न पर पूर्णतया विचार करके तेजी से ऐसे कदम उठाने चाहिएं ताकि हमको इसमें सफलता मिले ।

अन्त में मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया ।

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस)** : उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरा सौभाग्य था कि मैंने गत ३ वर्षों में सभा को अच्छी खाद्य स्थिति के विशय में सूचित करने के लिये इस मंत्रालय सम्बन्धी वाद-विवाद में भाग लिया ।

मैं अपने माननीय मित्र श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा के प्रति आभार प्रदर्शित करता हूं कि खाद्य की अच्छी स्थिति के विषय में उन्होंने खाद्य मंत्रालय की सराहना की । हमने आपदा का समय गुजार दिया है, किन्तु जहां तक देश की खाद्य स्थिति का सम्बन्ध है, गत तीन अथवा चार वर्षों में हमारे सम्मुख अधिक कठिनाई के अवसर नहीं आये । १९५९-६० में मैंने वाद-विवाद का उत्तर देते हुए कहा था कि अब खाद्य स्थिति अच्छी है । गत वर्ष मैंने कहा था कि खाद्य मंत्रालय जनता में खाद्य के सम्बन्ध में विश्वास की भावना उत्पन्न करने में सफल हुआ है । तीसरे वर्ष भी मैंने यह कहा था कि मंत्रालय उस विश्वास को कायम रखने में सफल हुआ है ।

जहां तक खाद्य स्थिति का सम्बन्ध है, जैसा कि सभा को विदित है, आपात काल, जिसकी उद्घोषणा २६ अक्तूबर, १९६२ को चीनी आक्रमण के कारण की गई थी, एक कठिनतम परीक्षा का अवसर था, और हम इस काल में खाद्य के संभरण की समुचित व्यवस्था कर सके हैं और खाद्यान्नों के मूल्यों को भी, अपेक्षाकृत स्थिर रख सके हैं । यह दोनों बातें सामान्य समय में भी, विशेषत: हमारे नियोजित विकास के संदर्भ में, अत्यन्त महत्वपूर्ण है । आपात काल को देखते हुए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है जैसा कि प्रत्येक व्यक्ति को विदित है प्रतिरक्षा के बाद खाद्य का ही महत्व सबसे अधिक है । में नहीं चाहता कि इसका सारा श्रेय खाद्य मंत्रालय को ही मिले । किन्तु यह यदि ऐसा दावा करे तो यह न्यायसंगत ही होगा । जब कभी ऐसा आपात काल आता है, युद्ध होता है, तब खाद्यान्नों के मूल्य बढ़ते लग जाते हैं । जब युद्ध हो रहे थे, इस देश में नहीं अपितु अन्यत्र, जब कोरिया में युद्ध हो रहा था, तब भी हमारे देश में खाद्यान्नों के मूल्य बढ़ गये थे । हमें व्यापारिक संस्थाओं और जनता की सराहना करनी चाहिए कि उन्होंने इस आपात काल के प्रति इतनी उत्साहजनक प्रतिक्रिया दिखाई । साथ ही सट्टे की प्रवृत्तियों में भी महत्वपूर्ण वृद्धि वृद्धि हुई और मूल्यों पर दबाव में भी, परिणामस्वरूप, कमी हुई है ।

खाद्य और कृषि विभागों के विभिन्न कार्यों के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस वर्ष हमने यह प्रयास किया है कि हमारे प्रशासकीय प्रतिवेदनों में अधिकतम जानकारी दी जा सके । मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य प्रतिवेदन में दी हुई विभिन्न कार्यवाहियों की जानकारी से अधिकतर सन्तुष्ट ही होंगे । वास्तव में मूल्यों की स्थिरता का मुख्य कारण आन्तरिक उत्पादन की मात्रा ही है । कई सदस्यों ने हमारे आयात के प्रश्न का उल्लेख किया । मुझे बहुत आश्चर्य

---

†मूल अंग्रेजी में

हुआ जब श्री ब० कु० दास ने जो पश्चिमी बंगाल से आये हैं, यह कहा कि इतनी मात्रा में आयात एकदम अवांछनीय है। मैं आश्चर्य करता हूं कि यदि हम इतना आयात नहीं करते और ११,००० उचित मूल्यों की दुकानों के जरिये पश्चिमी बंगाल की आवश्यकता के अनुसार गेहूं और चावल का इतना उदार वितरण नहीं करते तो पश्चिमी बंगाल की क्या स्थिति होती। खाद्य उत्पादन का पुनरीक्षित लक्ष्य, जिस पर मेरे माननीय सहयोगी अधिक विस्तार से भाषण देंगे, ७·९७ करोड़, लगभग ८ करोड़ टन का उत्पादन करने से, १९६०–६१ में प्राप्त किया जा चुका है। यह गत वर्ष के उत्पादन से ५० लाख टन अधिक है। मैंने इस बात का उल्लेख इसलिये किया है कि कई सदस्यों ने यह कहा है कि हमारे कृषि उत्पादन में गत वर्षों में कुछ भी वृद्धि नहीं हुई है। वास्तव में १९६१–६२ में यह प्रगति चालू नहीं रखी जा सकी। फिर भी, प्राकृतिक प्रकोपों के उपरान्त भी, हमने लगभग उतना ही उत्पादन कर लिया जितना १९६०–६१ में। १९६२–६३ के लिये अन्तिम प्राक्कलन उपलब्ध नहीं हैं। प्राथमिक प्राक्कलनों के आधार पर इस वर्ष मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल में चावल का उत्पादन गत वर्ष से कम हुआ है। अन्य खरीफ की फसलों का उत्पादन भी अच्छा है। रबी की फसल भी अनुकूल परिस्थिति ों में बोई गई है और फसल अच्छी होने की संभावना है।

माननीय सदस्यों को प्रतिवेदन में दिये गये आंकड़ों से पता चला होगा कि हम गेहूं के उत्पादन में भी अच्छी प्रगति कर रहे हैं। दक्षिण के राज्यों में चावल की फसल अच्छी हुई है। १९६२–६३ में प्राकृतिक प्रकोपों के उपरान्त भी कुल मिलाकर स्थिति वही है। प्राथमिक प्राक्कलनों के अनुसार, संभवतः मोटे अनाज अर्थात् चावल की अतिरिक्त खरीफ के अनाजों के अच्छे उत्पादन के कारण हम गत दो वर्षों के उत्पादन-स्तर को कायम रख सके हैं। खाद्यान्नों के विषय में कुल कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में हमारी स्थिति संभवतः अधिक अच्छी होगी। किन्तु अभी १९६२–६३ के उत्पादन की मात्रा के सम्बन्ध में कोई निश्चित आंकड़े नहीं बतलाये जा सकते, क्योंकि अभी अन्तिम प्राक्कलन किये जाने हैं।

गेहूं के मूल्य के गिर जाने के विषय में कुछ माननीय सदस्यों ने शिकायतें की हैं। यह सच है कि देश में नवम्बर, १९६२ के बाद से गेहूं के मूल्य में काफी कमी हुई है। नवम्बर, १९६२ से जनवरी, १९६३ के बीच में गेहूं के थोक मूल्य का देशनांक गत वर्ष के स्तर से काफी नीचे गिर गया है। फरव ी, १९६२ में देशनांक ८९ था जब कि गत वर्ष इसी काल में यह १०० था। यह महत्वपूर्ण है कि फसल के मौसम के बाद भी गेहूं के मूल्यों में कमी हो रही है और यह सम्भवतः गेहूं के अच्छे उत्पादन की प्रत्याशा में है। किन्तु आज के समाचार-पत्र में मैंने यह पढ़ा है कि गेहूं के मूल्यों में कुछ स्थिरता आ रही है। यदि ऐसा है तो यह अच्छा है।

जहां तक मूल्य की स्थिति का प्रश्न है मूल्य, मुख्यतः पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, बिहार, आसाम, आदि पूर्वी राज्यों में १९६२ में १९६१ से ऊंचे थे। किन्तु दूसरे राज्य जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में मूल्य गत वर्ष के स्तर पर ही अथवा उनसे नीचे थे। राज्यों के इस दूसरे समूह में और दक्षिण के अन्य राज्यों में चावल की अच्छो स्थिति का कारण यह है कि १९६१–६२ में १९६०–६१ से अधिक उत्पादन हुआ है और साथ ही मंडियों में अधिक चावल आया है। १९६२ में चावल के मूल्यों का अखिल भ रतीय देशनांक १९६१ से कुछ ऊंचा रहा। १९६२ के उसी काल के देशनांक १०२ की तुलना में फरवरी १९६३ में चावल का देशनांक १०८ रहा।

इस वृद्धि का कारण मुख्यतः, विशेषकर उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल में, मूल्य वृद्धि था और हम यह अनुभव करते हैं कि जहां तक इन पूर्वीय राज्यों का सम्बन्ध है आगामी वर्ष में हमें संभवतः अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। जिससे कि हम उनकी समस्त उचित आवश्यकताओं

[श्री म० म० थामस]

की पूर्ति करने में समर्थ हो सकें। जहां तक दक्षिण का सम्बन्ध है, मूल्य न्यायसंगत स्तर पर है। वस्तुतः किसानों की शिकायत यह है कि मूल्यों का वर्तमान स्तर लाभदायक नहीं है। इसलिये क्योंकि शेष देश में मूल्य न्यायसंगत स्तर पर हैं, हम उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल और आसाम आदि पूर्वी राज्यों पर अधिक ध्यान केन्द्रित कर सकेंगे। इसलिये उन राज्यों से आने वाले माननीय सदस्यों को ऐसी कोई आशंका नहीं करनी चाहिये कि आगामी वर्ष में उन राज्यों में मूल्य स्तर में अनुचित रूप से गड़बड़ी होगी।

जहां तक खाद्यान्नों के उत्पादन का सम्बन्ध है हमें यह याद रखना चाहिये कि इस देश में मोटे अनाज की खपत अधिक है। उनकी मात्रा देश के खाद्यान्नों के उत्पादन की मात्रा का ३३ प्रतिशत है।

इसलिये यदि खाद्यान्नों की स्थिति सन्तोषप्रद है, यदि मोटा अनाज पर्याप्त रूप से उपलब्ध है, तो गेहूं और चावल के मूल्य पर अवश्य ही इसका प्रभाव होगा। उदाहरणार्थ, मैसूर राज्य में, यदि मोटे अनाज का उत्पादन पर्याप्त है, तो, यदि गेहूं और चावल के मूल्य किंचित बढ़ भी जायें तो भी, सामान्य लोगों पर कोई प्रभाव नहीं होगा। इसी प्रकार यदि मध्य भारत में ज्वार का उत्पादन पर्याप्त है तो सामान्य जन पूर्ण रूप से सन्तुष्ट होंगे। (अन्तर्बाधायें) मेरे माननीय मित्र को पता है कि ज्वार का उच्चारण किस प्रकार किया जाता है क्योंकि वह उस क्षेत्र से आये हैं जहां ज्वार खाई जाती है जब कि मैं उस क्षेत्र से आया हूं जहां चावल खाये जाते हैं।

यद्यपि ज्वार के उत्पादन में अभी कोई निश्चित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, तथापि यह आशा की जाती है कि इस वर्ष इसका उत्पादन ९० लाख टन होगा जब कि गत वर्ष यह ७७ लाख टन था। उत्पादन की इस वृद्धि के कारण हम ज्वार के मूल्य को उचित स्तर पर तो ला ही सके हैं साथ ही इसने अप्रत्यक्ष रूप से गेहूं के मूल्य पर भी उपयोगी प्रभाव डाला है जिससे इस गैर-मौसम में भी गेहूं के मूल्य गिर रहे हैं।

हमारी आयात की मात्रा की भी आलोचना की गई है। यदि हम इस बात की गणना करें कि प्रति व्यक्ति कितना-कितना अंश स्वदेशी उत्पादन का और आयात का प्राप्त होगा तो प्रतीत होगा कि १९६२ में स्वदेशी उत्पादन से १५ औंस और आयात से ०.८ औंस प्राप्त हुआ है। इसलिए जहां तक उपलब्धता का सम्बन्ध है आयात किया हुआ अनाज देश की कुल आवश्यकता का बहुत ही छोटा भाग है। फिर भी खाद्यान्यों की मंडी में स्थिरता बनाये रखने में इस का योग अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

[डा० सरोजिनी महिषी पीठासीन हुई।]

हमें यह भी याद रखना चाहिये कि यह आयात जुलाई, १९६० में मेरे वरिष्ठ सहयोगी द्वारा अमरीका के राष्ट्रपति से किये गये करार के अनुसार अमरीका से पी०एल० ४८० के अन्तर्गत, किये जाते हैं। उसके अनुसार हम १.६ करोड़ टन गेहूं और १० लाख टन चावल का आयात कर सकते हैं। यद्यपि यह करार जुलाई, १९६० में किया गया था तथापि हमने अभी तक कुल ६० लाख टन गेहूं का आयात किया है और ६ लाख टन चावल खरीदा है और अभी एक बड़ी मात्रा में और आयात करना है। इस करार का किया जाना और इस मात्रा का आयात केवल चालू उपभोग के लिये ही नहीं था। हमें जैसा कि आप जानते हैं, ५० लाख टन के आपात कालीन संग्रह के लक्ष्य को प्राप्त करना है। हम अभी इतना आपात कालीन संग्रह नहीं कर सके हैं किन्तु सभा ने, देश की विशालकायता और मानसून के अस्थिर स्वरूप को देखते हुये, सामान्य रूप से इसका समर्थन किया है। यह सुविख्यात

है कि भारत में कृषि में महत्वपूर्ण प्रगति करने के उपरांत भी, यह अब भी मानसून पर आधारित एक जुआं-सा-ही है। इसलिये सब आपदाओं के लिये व्यवस्था करने के उद्देश्य से हम इस कार का आयात कालीन संग्रह करना चाहते हैं।

जहां तक पी० एल० ४८० के अन्तर्गत किये जाने वाले आयात का प्रश्न है सभा को विदित है कि उस में विदेशी मुद्रा व्यय नहीं करनी होती। केवल इतना ही नहीं है, हमें अपनी विकास संबंधी योजनाओं के लिये करोड़ों रुपये मिलेंगे। हमें उस आयात का भाग देने के लिये जो अमरीका के अतिरिक्त किसी अन्य देश के जहाज में आयेगा, भाड़े का ५० प्रतिशत विदेशी मुद्रा के रूप में देना पड़ेगा।

यह करार करने के समय हमारे ऊपर वाणिज्य के रूप में ४ लाख टन गेहूं खरीदने का भी दायित्व था। किन्तु अब वह २ लाख टन का हो गया है। इस लिये हमें विदेशी मुद्रा, गेहूं की इस २ लाख मन की मात्रा का और बर्मा से १ $^1/_2$ लाख मन चावल अथवा संयुक्त अरब गणराज्य अथवा किसी अन्य राष्ट्र से जिससे हम आयात कर सकें इसको एक अल्प मात्रा का, आयात करने के लिये व्यय करना होगा। इसलिये आयात के लिये विदेशी मुद्रा किसी बड़ी मात्रा में व्यय नहीं करनी होगी। यह अनुभव किया गया है कि मूल्य स्तर को बनाये रखने में इस आयात का भी योग है और हमने संग्रह स्थान देश भर में बनाये हैं जिससे आपदा-ग्रस्त क्षेत्रों में जल्दी ही अन्न पहुंचाया जा सके।

अब मैं खाद्य के विषय में एक अन्य सुझाव अर्थात चीनी की स्थिति के सुझाव के विषय में जिस का उल्लेख बहुत से सदस्यों ने किया था आता हूं। घटना के बाद बुद्धिमान हो जाना अच्छा है। श्री मोरे ने अपने भाषण में केवल इसी विषय का उल्लेख किया और कहा कि हमें अल्प-उत्पादन का सामना करना होगा। माननीय सदस्य की समझ में यह एक वर्ष पहले नहीं आया जब माननीय सदस्यों ने अति-उत्पादन का सामना करने के विषय में चिन्ता व्यक्त की थी। हमें यह भी समझना है कि १० प्रतिशत कटौती क्यों की गयी थी। १९५८-५९ में हमारा चीनी का उत्पादन १९.५१ लाख टन का था। निर्यात के प्रश्न को छोड़ कर, जिस के विषय में हम उस समय विचार नहीं करते थे, केवल आन्तरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये ही उत्पादन में वृद्धि करनी थी और इस के लिये कुछ प्रोत्साहन दिये गये थे। उस समय मेरे वरिष्ठ सहयोगी ने इस बात का उल्लेख किया था कि विचार यह है कि रक्षित संग्रह के रूप में, आन्तरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये कम से कम २.५ लाख टन होने चाहिये। उस समय इन प्रोत्साहनों का सभा ने जोरदार स्वागत किया था क्योंकि उस समय चीनी की कमी थी। आगामी वर्ष उत्पादन बढ़कर २४.८२ लाख टन हो गया। लगभग ५ लाख टन अधिक हो गया। उससे अगले वर्ष में यह बढ़ कर ३०.२९ लाख हो गई और १९६१-६२ में चीनी के अधिक उत्पादन के विषय में हमें अवश्य ही कुछ करना था।

१२ लाख टन के संग्रह और १९६१-६२ में ३० लाख टन के उत्पादन करने के बाद हमारे अतिरिक्त उत्पादन का अनुमान २३ लाख टन लगाया गया। उस वर्ष के उपयोग का अनुमान लगाने के बाद यह विश्वास किया गया कि उस वर्ष के अन्त में १६ लाख टन का माल अगले वर्ष के लिये रखा जा सकेगा। वित्त के विषय में ३० करोड़ रुपये की कमी थी, जिससे कि मन्त्रालय को अपने प्रभाव द्वारा स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से यह प्रार्थना करनी पड़ी कि वह चीनी उद्योग का अधिक से अधिक ऋण दे। यह चीनी उद्योग के संरक्षण के लिये नहीं था जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने अर्थ लगाया। किन्तु आवश्यक वित्त और चीनी को बेचे बिना गन्ना-उत्पादकों को कैसे भुगतान किया जा सकता था एक गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गयी और जुलाई १९६१ में गन्ने की कीमतों का बकाया १० करोड़ तक पहुंच गया। संग्रह-सुविधायें भी अपर्याप्त रहीं। ऐसी आशंका हो गयी थी कि लगभग ४ या ५ लाख का माल खराब हो जायेगा। जिससे काफी हानि होगी। इस लिये यदि उत्पादन पर नियंत्रण

[श्री अ० म० थामस]

नहीं कर दिया जाता उस समय निर्यात की इतनी संभावना नहीं थी और देश में गन्ने का मूल्य बहुत कम था तो फिर गतिरोध उत्पन्न हो जाता। उस समय यह एक बहुत भारी, ५ करोड़ से भी अधिक, हानि उठा ने का प्रश्न था। जैसा कि मैं ने पहले कहा था घटना के पश्चात हमेशा बुद्धिमानी बरती जा सकती है। उस समय हम यह अनुमान लगा ही नहीं सके थे कि अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य इतनी तेजी से बढ जायेंगे। जैसा कि लंदन की मंडी से पता चलता है पिछले एक वर्ष में वह दुगुना हो गया है। जिस समय उत्पादन पर नियंत्रण किया गया था उस समय हम ऐसी परिस्थिति की आशा ही नहीं कर सके थे हमारा विचार यह था कि पिछले वर्ष ३० लाख टन के उत्पादन की तुलना में उसे नियंत्रित कर के २८.८७ लाख टन कर दिया जाये। कम उपज और दूसरी परिस्थितियों के कारण वास्तविक उत्पादन २७.१४ लाख टन का ही हुआ। किन्तु मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि यह १० प्रतिशत की कमी उत्पादन के कारण नहीं हुई थी क्योंकि प्रत्यक अवस्था में जब कि अतिरिक्त गन्ने का रस निकालने की आज्ञा मांगी गई थी यह तुरन्त दे दी गयी थी। जब यहां उस विधेयक पर चर्चा की गयी थी तब यह आश्वासन दिया गया था कि खेत में एक भी गन्ना बिना रस निकाले नहीं छोड़ा जायेगा और इस आश्वासन को पूरा किया गया था। मैं स्वीकार करता हूं कि इस नियंत्रण का अगले वर्ष कुछ प्रभाव हुआ होगा। किन्तु मैं कह सकता हूं कि इस वर्ष चीनी के उत्पादन में कमी का कारण केवल यही नहीं है। मैं नहीं जानता कि श्री मोरे द्वारा लगाया गया अनुमान किस प्रकार साधारण जनता को लाभ पहुंचायेगा। उत्पादन के आंकड़ों का निश्चित अनुमान लगाना अभी भी संभव नहीं है। मेरी जानकारी के अनुसार चीनी उद्योग ने स्वयं ने वर्ष में ५ बार अलग-अलग अनुमान लगाये हैं। अभी तक का उत्पादन १८ लाख टन से अधिक है। आधे कारखानों में अभी भी काम चल रहा है और अनुपूरक मौसम अभी आने वाला है। इस मौसम का उत्पादन अवश्य ही इन अत्यन्त निराशा वादी उद्योगों के अनुमान से अधिक हो गया। जैसा कि मैंने कहा है मैं उत्पादन के कोई निश्चित आंकड़े देने की स्थिति में नहीं हूं किन्तु साथ ही मैं कहूंगा कि हमें उद्योग द्वारा दिये गये उत्पादन के अनुमानों के आंकड़ों पर ही नहीं चलना। यह कुछ भी हो अगले वर्ष में ले जाये जाने वाले संग्रह और वर्ष के अनुमानित उत्पादन का ध्यान रखते हुये हम अवश्य ही अपनी आन्तरिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेंगे और जो निर्णय हमें करना है उसे कर सकेंगे।

श्री विभूति मिश्र ने मेरे वरीय साथी के आज सुबह अनौपचारिक परामर्श समिति में इस कथन पर संदेह प्रकट किया कि हम वर्ष १९६३-६४ में ३३ लाख टन उत्पादन कर सकेंगे। परन्तु उन्हें विदित होना चाहिए कि प्रथम वर्ष में २.५ लाख टन की बजाये हमारा उत्पादन ५ लाख टन अधिक रहा और इस से अगले वर्ष में हमारा उत्पादन ६ लाख टन और बढ गया। इसलिये श्री विभूति मिश्र को इस में सन्देह नहीं होना चाहिए। **(अन्तर्बाधायें)**

चीनी निर्यात के संबंध में श्री मोरे ने कहा कि इस की परिनिरीक्षित व्यवस्था नहीं थी। मैं समझता हूं कि उन्हें स्थिति समुचित का ज्ञान नहीं है। वास्तव में इसकी व्यवस्था परिनिरीक्षित है क्योंकि निर्यातों को प्रोत्साहन देने के लिये हमें करदाता का धन उपलब्ध करना पड़ता है। सरकार इस बात की तुष्टि कर लेती है कि मूल्य ठीक हैं और कोई अभिकरण निर्यातों का अनुचित लाभ नहीं उठाता है।

भारतीय चीनी मिल्स संस्था चीनी उद्योग का एक संघठन है। निर्यात इस संस्था के जरिये, १९५८ के चीनी (निर्यात संवर्द्धन) के अन्तर्गत किये जाते हैं। कारखानों को निर्मात कोटा के अनुपात से दिया जाता है। भारतीय चीनी मिल्स संस्थचीनी एकत्र कर के निर्मात करती है। देश के सभी चीनी मिलों को कीमतें निर्यात मूल्यों के साथ सरकार द्वारा दी जाने वाली अर्थ-सहायता

को मिला कर और उस में से निर्यात पर किये गये व्यय, जैसे रेलवे भाड़ा, पत्तन व्यय, लदान व्यय, आदि को निकाल कर दी जाती हैं।

इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि चीनी निर्यात का विस्तार गत वर्ष से आरम्भ हुआ है। निर्यात कार्य का अधिक से अधिक सम्बन्ध भारतीय राज्य व्यापार निगम से स्थापित किया जा रहा है। हमने वचन भी दिये हैं, निर्यात के बारे में दीर्घकालीन करार भी सम्पन्न किये हैं, और जो कीमतें हम प्राप्त करेंगे उनका लन्दन की निजी कीमत से मेल होगा। इसलिये न तो राज्य को घाटे की संभावना है और न ही जहां तक इस उद्योग का सम्बन्ध है अनुचित लाभ की गुंजाइश है।

१९६३-६४ वर्ष में उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने की मैं ने आशा प्रकट की। ऐसा कहते समय गन्ने के विकास संबंधी जिन योजनाओं को मंत्रालय का कार्यान्वित करने का विचार है वह भी मेरे ध्यान में थीं। तृतीय योजना में ५० लाख एकड़ से १००० लाख टन गन्ने के उत्पादन का लक्ष्य है। वर्ष १९६१-६२ में उत्पादन ९६० लाख टन था इस लिये उन लक्ष्यों की प्राप्ति के बारे में सन्देह नहीं होना चाहिये। प्रति एकड़ उत्पादन अधिक प्रकट करने के उद्देश्य से हम लक्ष्यों से भी आगे बढ जाना चाहते हैं। गन्ना विकास संबंधी योजनाओं को समूचे देश में लिया जाना है। कृषि उत्पादन विकास के बारे में हमारा ऐसा विचार है कि कुछ ऐसे क्षेत्रों को चुन लिया जाय जिन में विकास अधिक तेजी से होने की सम्भावना है। श्री मोरे और अन्य सदस्यों ने महाराष्ट्र का उदाहरण दिया। बेशक जहां तक फर्मों का सम्बन्ध है महाराष्ट्र ने उच्चतम विकास किया है और उस की तुलना संसार के उत्पादन की उच्चतम सीमाओं से की जा सकती है। हमारे संसद्-सचिव, श्री शिंदे, एक फार्म को चला रहे हैं जिस का प्रतिवेदन जब मैं वहां गया तो मुझे मिला था। इस प्रतिवेदन के अनुसार, १२ मास की खेती में, प्रति एकड़ ८० से ८५ टन गन्ने का उत्पादन हुआ। इस रेकार्ड के बारे में कोई भी खेती करने वाला अथवा कृषक गर्व महसूस कर सकता है। महाराष्ट्र में औसत ४० से ४५ टन की है जब कि समूचे देश की औसत केवल १६ टन की है।

महाराष्ट्र की परिस्थितियों की तुलना उत्तर प्रदेश की परिस्थितियों से नहीं की जा सकती। इसलिये, हम विकास सम्बन्धी उपाय कुछ क्षेत्रों में करना चाहते हैं, विशेषतया उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब जैसे राज्यों में, जो कि चीनी उद्योग पर बोझ मात्र हैं। परन्तु साथ ही साथ, हम उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि, अब भी समस्त उत्पादन का ५० से ५५ प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश राज्य में ही होता है। इसलिये, जहां तक चीनी उद्योग का सम्बन्ध है, यह राज्य एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और उत्पादन हमें आवश्यक रुप से बढ़ाना है; और इस सम्बन्ध में क्या-क्या पग उठाने का हमारा विकार है? यद्यपि यह वांछनीय है कि हम विकास सम्बन्धी उपाय सभी गन्ना क्षेत्रों में करें, परन्तु हम चाहते हैं कि उत्तर भारत में कुछ ऐसे क्षेत्रों को लिया जाय जहां गन्ने का उत्पादन बहुत कम होता है, और ऐसे क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाया जाय। एक प्रस्ताव उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब आदि राज्यों के कुछ इने-गिने जिलों में पैकेज कार्यक्रम के ढांचे पर एक समन्वित अग्रिम परियोजना आरम्भ करने का है, जिस द्वारा किसानों को बताया जायगा कि किस प्रकार गन्ने का प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। इन तीन राज्यों में ६ अग्रिम परियोजनायें आरम्भ करने का प्रस्ताव है। विभिन्न राज्यों में विद्यमान गन्ना की विकास योजनाओं, और इन तीन राज्यों में पैकेज कार्यक्रम के ढांचे पर प्रस्तावित अग्रिम परियोजनाओं के अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश में कारखाना क्षेत्रों के आसपास गहन खेती की एक अन्य योजना भी राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई है। इस योजना में प्रत्येक चीनी कारखाने के आस पास गन्ने के औसत ४,००० एकड़ के ब्लाक में गहन गन्ना विकास सम्बन्धी क्रियाओं को केन्द्रित करने का प्रस्ताव है। इस योजना पर लगभग १ करोड़ रुपया वार्षिक लागत आयेगी, जिसमें से ३३ १/३ प्रतिशत केन्द्र की ओर से

[श्री अ० म० थामस]

अर्थ-सहायता के रूप में दिये जायेंगे, और शेष व्यय का भार राज्य सरकार पर और हितग्राहियों पर बराबर-बराबर पड़ेगा ।

माननीय सभा इस पग की प्रशंसा करेगी । बिहार और पंजाब राज्यों से भी अनुरोध किया गया है कि वह उत्तर प्रदेश की योजना के ढांचे की योजनायें तैयार करें। उन्हें यह भी कहा गया है कि वह बीज रोपणियां कायम करें ताकि समुचित उन्नत बीजों का सम्भरण सुनिश्चित किया जा सके ।

हम स्थिति के प्रति पूर्णतया जागरूक हैं और गन्ने के उत्पादन को बढ़ाने और उस के परिणामस्वरूप चीनी के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये सभी आवश्यक पग उठा रहे हैं ।

कुछ माननीय सदस्यों ने चीनी की कीमतों के बारे में विचार व्यक्त किये हैं । हमें इस बात का ख्याल रखना है कि प्रशुल्क आयोग द्वारा दो अथवा तीन बार समस्त लागत व्यवस्था का अध्ययन किया गया है । गन्ने के लिये लागत का ७० प्रतिशत हमें कीमत के रूप में देना होगा । वर्तमान कीमतों को देखते समय आप को इन पहलुओं को समक्ष रखना ही पड़ेगा । वर्तमान कीमत-स्तर को इस तथ्य को भी समक्ष रख कर देखना है कि इस बार गन्ने का ऋतु-काल छोटा होगा और इस कारण उत्पादन-लागत अधिक होगी। इस बात को भी ध्यान में रखना है कि मजूरी बोर्ड के पंचाट के परिणामस्वरूप चीनी उद्योग को मजूरी बहुत ज्यादा देनी होगी और इस प्रकार उन पर अतिरिक्त बोझा पड़ेगा ।

चीनी की कीमतों के आंकड़ों से ज्ञात होगा है कि वर्तमान स्तर जो दिल्ली में है वह ४२.३४ रुपये प्रति मन है । जालंधर में यह ४२'०७ रुपये है । कानपुर में, जोकि अखिल भारतीय मार्केट है, यह ४१.२५ रुपये है । आपको यह बात ध्यान में रखनी होगी कि नियंत्रण-काल में उत्तर प्रदेश के लिये कारखाने में कीमत ३८.७५ रुपये निर्धारित की गई थी । यह आप इन वर्णित किये गये सभी बोझों को सामने रखें, और ऋतु-काल के छोटा होने के परिणामस्वरूप अतिरिक्त उत्पादन-लागत को भी सामने रखे तो हम यह नहीं कह सकते कि वर्तमान कीमत-स्तर अयुक्तियुक्त है और इतना ऊंचा है कि जिससे चिन्ता उत्पन्न हो ।

†श्री काशीराम गुप्त : फुटकर कीमतें क्या हैं ?

†श्री अ० म० थामस : दिल्ली में फुटकर कीमत १.१० रुपये है ।

†श्री काशी राम गुप्त : जी नहीं । यह १.४० रुपये अथवा १.५० रुपये है ।

†श्री अ० म० थामस : मेरे मित्र स्वयं इस बारे में निश्चित नहीं हैं । परन्तु मैं प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर कहता हूं कि प्रति सेर लागत १.१० रु० होगी और कुछ अन्य मार्केटों में, जैसे कानपुर, यह इससे भी कम होगी ।

हम भी महसूस करते हैं और कृषि मंत्रालय भी इस तथ्य के प्रति जागरूक है कि हमें अतिरिक्त कृषि उत्पादन की दशा में प्रयास करने चाहिएं । जहां तक विभिन्न योजनाओं का सम्बन्ध है इस उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए हमने अपने लक्ष्यों का पुनरीक्षण किया है और प्रत्येक मद के लिये अतिरिक्त लक्ष्य निर्धारित किये हैं । श्री यशपाल सिंह जी ने सिंचाई सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध करने के प्रश्न की ओर निर्देश किया । मैं समझता हूं कि जहां तक कृषि उत्पादन का सम्बन्ध है

---

†मूल अंग्रेजी में

लघु सिंचाई योजना का सर्वोत्तम महत्ता दी गई है । किसान भी इस ओर आकर्षित हुए हैं और देश के सभी भागों से लघु सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि करने की मांग की गई है । क्योंकि इन से अविलम्ब लाभ होता है । जहां तक उपलब्ध किये गये जल संसाधनों के प्रयोग में लाने का सम्बन्ध प्रश्न है इसमें ढील नहीं की गई और इसके विभिन्न लाभ हैं जैसे कम व्यय । इसलिये कृषि मंत्रालय द्वारा लघु सिंचाई को काफी महत्व दिया गया है और इसके लक्ष्य ५० प्रतिशत बढ़ा दिये गये हैं ।

कुछ राज्यों में कार्यान्विति सम्बन्धी कार्य सन्तोषजनक नहीं है परन्तु तथ्यों के आधार पर ऐसा मालूम पड़ता है कमोवेश इस बारे में भी स्थिति सन्तोषजनक रही है । जहां तक प्रथम और द्वितीय योजनाओं का सम्बन्ध है लघु सिंचाई के कार्यक्रम के फलस्वरूप २१० करोड़ की लागत से १८५ लाख एकड़ में सिंचाई जल विकास व्यवस्था, बांधों, आदि सम्बन्धी लाभ प्राप्त हुए हैं । तृतीय योजना के लक्ष्यों के अनुसार १२८ लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई की जानी है, जिसमें से ९५ लाख एकड़ कृषि मंत्रालय द्वारा तैयार की गई योजनाओं के अन्तर्गत और ३३ लाख एकड़ सामुदायिक विकास मंत्रालय की योजनाओं के अन्तर्गत होगी । लघु सिंचाई कार्यों में द्वितीय योजना काल में प्रयुक्त कुल व्यय लगभग १४० करोड़ रुपये था और तृतीय योजना में लक्ष्यों में ५० प्रतिशत वृद्धि से पूर्व, १७४.४६ करोड़ रुपये की राशि उपबन्धित थी ।

द्वितीय योजना के वर्षों में और तृतीय योजना के आरम्भ में लघु सिंचाई की गति बढ़ी है, जिसका परिणाम यह है कि समुचित संख्या में योजनायें बनी हैं । वर्ष १९५६-५७ में हमने लघु सिंचाई पर लगभग १४.६ करोड़ रुपये व्यय किये थे परन्तु १९६२-६३ वर्ष में हम ४० करोड़ रुपये व्यय करेंगे । इससे सिद्ध होता है कि किस हद तक गति लाई गई है । अतः मैं समझता हूं कि मंत्रालय के लिये यह गर्व का विषय है । इस प्रकार लक्ष्यों के निरीक्षण के पश्चात्, हम चालू वर्ष में लघु सिंचाई के कार्यों के लिये विभिन्न राज्यों को लगभग १० करोड़ रुपया अतिरिक्त मंजूर कर चुके हैं ।

†**श्री काशी राम गुप्त** : खराब और निम्न-स्तर के खाद्यान्नों से आपका क्या अभिप्राय है ?

†**श्री अ० म० थामस** : खराब खाद्यान्न वह है जो मानव उपभोग के काबिल नहीं रहता परन्तु जिसका प्रयोग जानवर और पक्षी ही कर सकते हैं । हम इसे उन व्यक्तियों के हवाले करते हैं जिन पर कि हम निर्भर कर सकते हैं और इसके ऊपर उचित निरीक्षण भी होता है । परन्तु कुछ खाद्यान्न ऐसा भी होता है जो मानव उपभोग के काबिल होता है परन्तु जो उचित गुणकारी नहीं रहता । इस खाद्यान्न को हम नीलाम कर देते हैं ।

†**श्री काशीराम गुप्त** : घाटा कितना होता है ?

†**श्री अ० म० थामस** : घाटा नगण्य के बराबर है ।

कुछ माननीय सदस्यों ने दिल्ली दुग्ध योजना की ओर निर्देश किया है अतः मैं इस बारे में कुछ शब्द कहूंगा । इस योजना में हम लगभग ४६०० मन दूध का वितरण कर रहे हैं । यह सच है कि लगभग ४ लाख रुपये का घाटा उठाना पड़ा । यद्यपि योजना आरम्भ करते समय यह विचार था कि इसमें न घाटा होगा और न ही लाभ फिर भी हम समझते हैं कि इस योजना द्वारा कुछ लाभ होगा । बड़े डेयरी फार्म, जैसा कि बम्बई में है, की तुलना में ४ लाख रुपये का घाटा विशेष नहीं है । तृतीय योजना के अन्त तक, यानी १९६५ में, हमारे विचारानुसार हम ७००० मन प्रति दिन दूध

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० म० थामस]

का वितरण कर सकेंगे। जब हम इस पूर्ण क्षमता तक पहुंच जायेंगे तो अवश्य ही इसे इस आधार पर चला सकेंगे कि न घाटा हो और न लाभ हो। माननीय मंत्री ने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया कि हम दूध ६२ नये पैसे पर बेच रहे हैं जो कीमत कि देश भर में निम्नतम है। इस दर पर हम इसलिये बेचते हैं कि शहरी आबादी को सुविधा हो। हमें मूल्य स्तर को स्थिर रखना है। हमें कम वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों की आवश्यकता को पूरा करना है। परन्तु यदि भविष्य में इस कीमत में वृद्धि करनी पड़े तो मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य उसका समर्थन करेंगे।

माननीय सदस्य ने बीकानेर से दूध प्राप्त करने का सुझाव दिया। डेयरी विकास सम्बन्धी कृषि मंत्रालय द्वारा अपनाई गई यह नीति सोच-विचार के पश्चात् अपनाई गई है कि इन डेयरियों का प्रयोग गहन पशु विकास योजनाओं का आधार मान कर किया जाय, जिन्हें दुग्ध शैड क्षेत्र कहा जाता है। जहां तक गाय के दूध के सम्भरण का प्रश्न है बीकानेर, क्षेत्र से यह अधिक मात्रा में यह उपलब्ध है। हमारे वहां जाने से पूर्व समस्त दूध का घी बनाया जाता था। अब उन्हें अच्छी कीमत मिल रही है। उनका उत्पादन बढ़ रहा है और उनकी आर्थिक अवस्था में सुधार हो रहा है। मैं नहीं समझता कि मेरे माननीय मित्र इस बारे में शिकायत क्यों करते हैं जब कि यह सच है कि उस क्षेत्र का विकास हो रहा है और यह विकास दिल्ली दुग्ध योजना के प्रयासों के फलस्वरुप हो रहा है।

जैसा कि मैं कह चुका हूं यह इस विभाग की नीति है कि अन्य डेयरी शैड क्षेत्रों में भी गहन पशु विकास योजनायें चालू की जाये और दुग्धशाला विस्तार योजनायें अपनाई जायें। ऐसा पशु खरीदने के लिये ऋण दे कर तथा ऐसे पग उठा कर जिनसे चारा आदि उपलब्ध किया जा सकता है। इस योजना के अनुसार कार्यक्रम के करने के लिये, केन्द्रीय संगठन स्थापित करके, हम देश को यह बताना चाहते हैं कि पशु विकास योजनायें किस प्रकार कार्यान्वित की जा सकती हैं। इसलिये माननीय सदस्य को इसका स्वागत करना चाहिए।

मैं ने अपनी इच्छा के विरुद्ध अधिक समय ले लिया है। इन शब्दों के साथ, मैं विभिन्न मांगों को सभा की स्वीकृति के लिये रखता हूं।

†**श्री काशी नाथ पांडे** (हाता): श्री मोरे ने कहा कि महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश और बिहार का बोझ उठा रहा है। इस कथन से प्रादेशिकता की भावना बढ़ जाने का भय है। इसके अतिरिक्त यह कथन तथ्यों पर आधारित नहीं है महाराष्ट्र में गन्ने की प्रति एकड़ उपज सर्वोच्च है परन्तु वहां की जनता को इससे कोई लाभ नहीं मिल रहा। अब तक महाराष्ट्र चीनी उत्पादन के मामले में स्वावलम्बी नहीं था। चीनी उत्तरी भारत से आती थी जो कि स्वभावतः उत्तरी भारत की तुलना में महंगी बिकती थी।

अब आप खाद्य मंत्रालय की मूल्य नीति को लीजिये। १९५६ में जब योजना को कार्यान्वित करने का विचार योजना आयोग के सामने था तो यह विचार किया गया था कि तृतीय योजना के अन्त तक प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय दुगुनी हो जायगी। ऐसा सोचते समय चीनी उत्पादन बढ़ने की ओर उसके फलस्वरूप श्रमिकों की आय बढ़ जाने के बारे में भी अवश्य सोचा होगा। परन्तु वर्ष १९५९–६० में उत्तर प्रदेश की मिलों द्वारा जहां १२६ लाख टन गन्ना पेरा गया, वहां १९६०-६१ में १४९ लाख टन और १९६१–६२ में केवल १२९ लाख टन ही पेरा गया। गत मौसम में केवल ९०.७४ लाख टन ही पेरा गया। इस तरह श्रमिकों की आय नहीं बढ़ सकती। इसका कारण यह था कि गन्ने के मूल्य निर्धारण करने की नीति ही त्रुटिपूर्ण थी।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

हमने ठीक ही कहा था कि गन्ने के मूल्य का सम्बन्ध चीनी की प्राप्ति से जोड़ना ठीक नहीं रहेगा। शामली चीनी कारखाना अभी तक चल रहा है क्योंकि इसने ४ आना प्रति मन मूल्य बढ़ा दिये हैं। अन्य बहुत से कारखाने बन्द हो चुके हैं। ६ मास तक चलने वाले कारखाने केवल ३ मास तक ही चल रहे हैं। बेकारी बढ़ गई है, और आय वास्तव में कम हो गई है। या तो योजना में कोई त्रुटि है अथवा इसकी कार्यान्विति में। वह समय आ रहा है जब कि हम केवल २१ से २२ लाख टन तक ही उत्पादन करेंगे।

इस वर्ष चीनी का उत्पादन २२ लाख टन होगा, इसलिये अगले वर्ष के लिये चीनी नहीं बच सकेगी। ४.३ लाख टन चीनी आप निर्यात करेंगे। हमारी आवश्यकता भी बढ़ रही है। हमारी आवश्यकता २६ लाख टन की होगी। यदि ३० लाख टन चीनी निकाल दें तो अगले वर्ष के लिये नहीं बचेगी। इस दशा में अगले वर्ष आप अपनी और निर्यात सम्बन्धी आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा करेंगे।

अब चीनी उत्पादन के लक्ष्य और गन्ने के मूल्य केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किये जाते हैं। राज्य सरकारें कह रही हैं कि जब तक हम गन्ने के मूल्य नहीं बढ़ायेंगे उत्पादन नहीं बढ़ सकता। परन्तु केन्द्रीय सरकार अपनी नीति पर अड़ी हुई है। गन्ने के मूल्य का सम्बन्ध इस की प्राप्ति के आधार पर निर्धारित करने से शायद आप समझते हैं कि कृषक अच्छा गन्ना उपजायेगा। परन्तु वास्तव में यह हो रहा है कि कृषकों को गत वर्ष की प्राप्ति के आधार पर ही मूल्य मिल रहे हैं। इससे किसी व्यक्ति विशेष को किसी तरह का प्रोत्साहन नहीं मिल पाता। अतः सरकार को मूल्य निर्धारित करने की नीति में रूपभेद लाने चाहियें।

आप गन्ने के अधिक उत्पादन पर बल दीजिये परन्तु जो गन्ना उपजाया उचित गया है उसका उचित मूल्य अवश्य दिया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि एक क्षेत्र में उपजाया गया गन्ना उसी क्षेत्र की मिल को प्राप्त हो। इसके लिये आपको कोई हल निकालना ही होगा। उसका एक हल यह है कि आप कृषक को उचित मूल्य दें। चूंकि जब तक आपको अच्छा गन्ना नहीं मिलेगा तब तक आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल सकते।

इस वर्ष गन्ने की बिजाई ठीक नहीं हुई क्योंकि किसान यह समझता है कि उसकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा। इसलिये मेरा सुझाव है कि गन्ने के विकास के लिये उचित मूल्य दिया जाना चाहिये।

मुझे शंका है कि अगले वर्ष मौसम और भी कम होगा जिसके फलस्वरूप सफेद चीनी कम मिलेगी और श्रमिक कम समय के लिये काम कर पायेंगे। गत वर्ष भी कारखाना वालों ने मंत्री से कहा था कि उन्हें गन्ने के अधिक मूल्य देने की आज्ञा दी जाय परन्तु मंत्री महोदय इसलिये नहीं माने कि इसके फलस्वरूप चीनी के मूल्य भी बढ़ेंगे। परन्तु चीनी का उत्पादन अधिक हो, श्रमिकों का रोजगार बना रहे और कारखाना वालों को कारखाने बन्द न करने पड़ें। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप गन्ने के मूल्य किसान को उचित दें। यदि अब आप इस ओर पग नहीं उठायेंगे तो मुझे विश्वास है कि कुछ समय बाद आप ऐसा करने पर बाध्य हो जायेंगे।

श्री ह० च० सोय (सिंहभूम) : अध्यक्ष महोदय, कृषि के सम्बन्ध में मैं एक खास पहलू की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि हमारे देश के उस इलाके में जहां बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बंगाल का हिस्सा पड़ता है उस में हमारे नये उद्योगों और नई खदानों के बढ़ जाने की वजह से जोकि पिछली दो पंचवर्षीय योजनाओं में बहुत बड़े पमाने पर स्थापित

[श्री ह० च० सोय]

हुए हैं और आगे भी होने वाले हैं, उस से कृषि योग्य जो जमीन है उस पर एक गहरा असर पड़ा है। हमारे कृषि मंत्री डा० राम सुभग सिंह जानते हैं कि उस इलाके में एक ओर तो अपनी योजना के मुताबिक जंगल के लिये अधिक से अधिक जमीन हम चाहते हैं जबकि वैसे ही अपनी प्राकृतिक अवस्था में जमीन खेती के लायक जो है वह एक चौथाई से भी कम है। फिर जैसा मैंने कहा नये उद्योगों के कारण, डी०वी०सी०, दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाही और हटिया के लिये काफी बड़े पमाने पर जमीन का अधिग्रहण हो रहा है और इन नये उद्योगों और खदानों की वजह से परिणाम यह हो रहा है कि खेती लायक जमीन कम होती जा रही है। वैसे खेती लायक जमीन पहले से भी कम है लेकिन इस वजह से वह और भी कम होती जा रही है।

नये खदानों और कारखानों के कारण वहां जनसंख्या बढ़ती जा रही है और उस का नतीजा यह हो रहा है कि उस इलाके में जहां खाद्य उत्पादन पहले से ही कम है, खाद्य स्थिति बहुत संगीन होती जा रही है। मेरा अपना खयाल ऐसा है कि कृषि विभाग को इस सम्बन्ध में प्लानिंग कामिशन से बातचीत करनी चाहिये और इस बारे में दुबारा विचार किया जाय ताकि यह जो एक इनबैलेंस तैयार हो गया है, कृषि योग्य जमीन जो कम होती जा रही है उसको कैसे पूरा किया जाय, उस पर कितनी दूर हम बढ़ें, इन सब बातों पर कृषि मंत्रालय और प्लानिंग कमिशन द्वारा दुबारा सोच विचार किया जाना चाहिये।

मेरा अपना ख्याल है कि और जैसा कि बिहार जैसी जगह पर हम लोगो ने हिसाब लगा कर देखा कि यह छोटे नागपुर के इलाके में पंचवर्षीय योजना के मताबिक सारे राज्य में बल्कि हमारे सारे देश में ३५ प्रतिशत जमीन पर हम जंगल लगाना चाहते हैं, मगर हम लोगों ने देखा कि उस इलाके में पहले से ही ५८ प्रतिशत से लेकर ६० प्रतिशत तक जंगल लगा हुआ है। लेकिन विपत्ति राज्य के दूसरे इलाके में जैसे कि नार्थ बिहार में जहां कि जलाने के लिए लकड़ी की जरूरत है और सारी चीजों की जरूरत है वहां एक प्रतिशत से भी कम जंगल है। इसलिये मेरा निवेदन है कि क्यों न सरकार इस चीज पर विचार करे कि यहां योजना के मुताबिक ३५ प्रतिशत से काफी ज्यादा इलाके में जंगल है, उस प्रतिशत को ठीक करने के लिए राज्य के दूसरे इलाके में जहां लकड़ी की बहुत जरूरत है वहां क्यों न उस प्रतिशत को पूरा किया जाय मैं सरकार से विनय करूंगा कि वे इस पर विचार करे।

दूसरी चीज जैसे कि मैं ने अभी कहा कि यह अधिकाधिक जंगल लगाने की योजना के कारण और नये उद्योगों और कारखानों के कारण खेती लायक जमीन जो कमहोती जा रही है और जिसका कि असर वहां के कृषि उत्पादन पर पड़ता है, उस पर भी हमें सोचना चाहिये कि कितनी कितनी दूर हम जंगल और कृषि के सम्बन्ध में जमीन को लगायेंगे।

मैं एक ही चीज और कह कर अपना भाषण समाप्त करूंगा। पिछले साल माननीय मंत्री डा० राम सुभग सिंह हमारे इलाके में गये थे। अभी मैं ने कृषि तथा खाद्य मंत्रालय की इस साल की रिपोर्ट में भी देखा कि इस चीज पर संतोष प्रकट किया गया है कि खाद्य उत्पादन संतोषप्रद है। हम लोग डा० राम सुभग सिंह से भी मिले थे। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे दो, तीन जिलों में मसलन् सिंहभूम के और रांची आदि में इस साल अनाज की फसल काफी मारी गई है। उन के आश्वासन के बावजूद अन्न का माकूल इंतजाम वहां के लोगों के लिये नहीं हो पाया है। इस सम्बन्ध में हम लोग जिले के अधिकारियों से मिले और अन्य सभी सम्बन्धित लोगों से भी मिले थे। लेकिन अभी भी वहां चावल, जोकि वहां के लोगों का मुख्य खाद्य है, अभी भी वहां पर २७–२८ रुपये मन बिक रहा है। हम ने मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त की थी कि वहां रिलीफ का काम किया जाय लेकिन इस तरह का रिलीफ का काम होने के बजाय सरकार इस

इमरजेंसी के नाम पर उलटे जो लगान और कर्जे आदि की वसूली है उसको वसूल करने में लगी हुई है। बेचारे जिनकी कि सारी फसल मारी गई हो वे यह कर्जे कहां से देंगे ? जब हम इसके लिये उन से मिलते हैं तो सरकारी अफसरान कहते हैं कि हम लोग तो यूं ही फारमली मांगने जाते हैं और जो उसको देना चाहते हैं वे देंगे। लेकिन मेरा निवेदन है कि जब सरकारी अफसर लगान और कर्जे आदि की वसूली के लिये रैय्यतों के पास जाते हैं तो वह बड़े अफसरान की हैसियत से जाते हैं और उन बेचारे काश्तकारों को मजबूरी हालत में अपने खेती, मवेशियों और अन्य चीजों को बेच कर वह कर्जा चुकाना पड़ता है। आज हालत यह बन रही है कि बजाय उन मुसीबतजदा लोगों को सरकार की ओर से रिलीफ दी जाती, इमरजैंसी के नाम पर उलटे उनसे लगान और कर्जे की वसूली हो रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आप के जरिये माननीय मंत्री से दरख्वास्त करूंगा कि हमारे सिहभूम और रांची आदि इलाकों में जहां कि काफी फसल मारी गई है, उनको रिलीफ देने का इंतजाम करें। इसके लिये हमने बिहार सरकार से भी दरख्वास्त की है कि यह इंतजाम नहीं हो रहा है। मैं चाहूंगा कि उनसे अपना हिसाब किताब करें और रिलीफ का इंतजाम करें ताकि वहां लोगों को अन्न मिले।

†**श्री मुत्तु गौंडोर** (तिरुपत्तूर) : माननीय मंत्री ने भविष्य के बारे में विशेषत: अनाज के सम्बन्ध में भव्य चित्र खींचा है किन्तु धान की उपज चिंताजनक है। १९६१ तक धान की उपज बढ़ती रही है किन्तु १९६२ में इस की उपज कम हो गयी है।

गत वर्ष तामिलनाड और आंध्र में धान की फसल बहुत अच्छी थी किन्तु फसल बहुत अच्छी होने पर भी मद्रास और आंध्र में उत्पादन कम हुआ है। इस का क्या कारण है। प्रतिवेदन से पता लगता है कि बिहार और पश्चिमी बंगाल में ८ लाख एकड़ भूमि में धान के स्थान पर पटसन की उपज की जाने लगी है। यही प्रवृत्ति मद्रास और आंध्र में है क्योंकि किसानों को धान की उपज में हानि होती है। विशेष रूप से तंजोर और त्रिचनापल्ली के डेल्टों में लोगों को इस से हानि हुई है।

कृषि श्रमिकों की मजदूरी उतरोत्तर बढ़ रही है क्योंकि वे खेतों को छोड़ कर मिलों में जा रहे हैं और निर्माण कार्य आदि के ठेकों में काम करना पसंद करते हैं। रियोत यह मजदूरी नहीं दे सकते। यदि सरकार धान के मूल्यों की उचित व्यवस्था नहीं करेगी तो धान की उपज कम हो जायेगी।

कम आय वाले लोग आज कल के बाजार भाव पर भी चावल नहीं खरीद सकते। अत: सरकार को वित्तीय सहायता से कम मूल्य पर धान की व्यवस्था करनी चाहिये। सरकार पहले ही ऐसी सहायता पर ४० करोड़ रुपया खर्च कर रही है किन्तु यह आवश्यक है।

जब तक प्रति एकड़ उपज नहीं बढ़ाई जायगी अनाज की उपज नहीं बढ़ सकती क्योंकि समस्त भूमि में उपज नहीं आरम्भ की जा सकती। कुछ भूमि सुरक्षित रखनी भी जरूरी है। आंध्र में हम पिछले दस साल से प्रति एकड़ ४,००० पाउंड धान पैदा कर रहे हैं जबकि हम जापानी या चीनी ढंगों को नहीं प्रत्युत्त करके अपने ही ढंगों को अपना रहे हैं। हमने इस वर्ष ३४१ लाख टन धान पैदा किया है और ३.८ लाख टन धान बर्मा से आयात किया गया है। क्या इस १ प्रतिशत कमी को उत्पादन बढ़ा कर दूर नहीं किया जा सकता जबकि १९६१ में उत्पादन में १० प्रतिशत वृद्धि की गई थी। किन्तु कृषक को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। हमारे प्रदेश में हमने कपास की फसल पैदा करने का निश्चय किया है क्योंकि धान के उत्पादन से हानि हो रही है।

जो पैसा हम अनाज के आयात पर खर्च करते हैं वह कृषकों को देना चाहिये जिस से वे मजदूरों को दे सकें और उत्पादन में वृद्धि हो। इससे प्रतिव्यक्ति आय भी बढ़ेगी। जहां तक उद्योग स्थापित

[श्री मुत्तु गौंडोर]

करने से तो कुछ एक उद्योगपतियों और ५, १० लाख श्रमिकों को ही आय बढ़ेगी जब कि देश की अधिक जन संख्या गांवों में रहती है ।

खाद के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि धान के लिये खली की खाद बहुत उपयुक्त रहती है किन्तु हम इस वर्ष ६.८ लाख टन खली का निर्यात कर रहे हैं जिससे १६ एकड़ धान की खेती की उपज हो सकती है । रासायनिक खाद को निरंतर २, ३ वर्ष तक प्रयोग करने से खेत खराब हो जाते हैं । और खली के निर्यात से उस का मूल्य बढ़ जाता है । किसान में सभी आवश्यक वस्तुओं के लिये अधिक मूल्य देने और चावल के लिये कम मूल्य पाने का सामर्थ्य नहीं ।

जिला आयुक्तों का दर्जा ऊंचा होना चाहिये और उन्हें कृषि का अनुभव होना चाहिये ।

राज्यों में कृषि का विभाग मुख्य मंत्री के पास होना चाहिये तभी कृषि को महत्व दिया जावे जगेगा और कृषि का विकास होगा ।

†**श्रीमती यशोदा रेड्डी** (करनूल) : मूल्यों की वृद्धि का विषय ऐसा है जिस से बहुत से लोग चिंतित हैं । किन्तु यह प्रसन्नता की बात है कि योजना आयोग ने भी इस पर ध्यान दिया है ।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि अब तक यह समझा जाता रहा है कि अनाज के मूल्यों को नियंत्रित कर देने मात्र से निर्वाह व्यय को नियंत्रित किया जा सकता है । किन्तु सच यह है कि आय बढ़ जाने के कारण लोगों की आवश्यकताओं में केवल ध्यान नहीं प्रत्युत्त दूध साबन तेल आदि वस्तुएं भी शामिल हो गई हैं । अतः हमें केवल अनाज के मूल्य नियंत्रि करने की बात ही नहीं सोचनी चाहिये अन्यथा लोगों के साथ अन्याय होगा ।

यह तर्क दिया जाता है कि उपभोक्ता वस्तुओं का विनियमन नहीं होना चाहिये किन्तु यह एक पक्षीय दृष्टिकोण है । हमारी सभी नीतियों का लक्ष्य कृषक नहीं होने चाहिये ।

श्री पाटिल ने एफ़० ए० ओ० तकनीकी समिति में जो यह कहा है कि मूल्य उत्पादक के अनुकूल नहीं बल्कि उपभोक्ता के अनुकूल बनाये जायेंगे, इस के लिये मैं उन्हें बधाई देती हूं ।

इस देश में समाजवादी व्यवस्था लाई जा रही है किन्तु किसान दरिद्र है क्योंकि उसे मांग और संभरण के सिद्धांत का लाभ नहीं उठाने दिया जाता । कारखाने के श्रमिकों की मजूरी कृषि श्रमिकों से तीन गुना अधिक हैं ।

किसानों को ऋण, सिंचाई, उर्वरक आदि की सुविधायें भली प्रकार वितरित करनी चाहियें । यदि किसान को तनिक लाभ न हो तो उसके लिये कोई प्रोत्साहन नहीं रहेगा । अनाज का नियंत्रत करने की बजाय किसानों को प्रोत्साहन देना चाहिये ।

एक सदस्य ने यह ीक कहा था कि सामुदायक विकास योजना और कृषि मंत्रालयों में कोई समन्वय नहीं है किन्तु योजना आयोग इन सब के ऊपर है । किन्तु योजना आयोग सभी विषयों का विशेषज्ञ नहीं है । उस सम्बन्ध में आशा जनक बात एक ही है कि वहां सभापति प्रधान मंत्री जिन से हम कुछ करने का अनुरोध कर सकते हैं । किन्तु वे अन्यथा व्यस्त हैं ।

हमने योजना आयोग से छोटे सिंचाई कामों के लिये अनुरोध किया तो उन्होंने कहा कि हमारा प्रदेश कृषि में प्रगतिशील राज्य है अतः इन कामों की आवश्यकता नहीं । क्या इसका यह

†मूल अंग्रेजी में ।

अभिप्राय है कि कृषि राज्यों का विकास नहीं होना चाहिये ? ऐसा लगता है कि योजना आयोग में अधिकारी अपनी सनक के अनुसार काम करते हैं ।

जब अनाज की कमी हो तो सहायक भोजन पदार्थों को प्रोत्साहन देना चाहिये सरकार बंबई, कोचीन और टूटीकोरन और विजग में मछली पकड़ने के प्रयोग कर रही है। मेरा अनुरोध है कि विजग में मछली निगनम स्थापित किया जाय ।

आंध्र प्रदेश नदियों का देश है जहां अच्छी मछली काफी मात्रा में बिक सकती है किन्तु मछुआहों के पास आवश्यक उपकरण नहीं हैं ।

इस व्यय की दृष्टि से विजग में विशेषताएं हैं। वह मछली पत्तन के रूप में विकसित किया जा रहा है। राज्य मछली पालन विभाग ने वहां २० टन धर्फ का कारखाना खोल दिया है। वहां हिन्दुस्तान शिपयार्ड और नौसैनिक जहाजों का कारखाना है। वहां कई विदेशी कम्पनियां मछली की कम्पनियां स्थापित कर रही हैं। अतः वहां मछली निगम स्थापित करने पर विचार करना चाहिये ।

दक्षिण में एक कृषि विश्वविद्यालय खोलना चाहिये ।

†**डा० राम सुभग सिंह:** इस वाद-विवाद के रुख को देख कर मुझे प्रसन्नता हुई है कि बहुत से सदस्यों ने कृषि उत्पादन के बारे में चिंता प्रकट की है। वे चाहते हैं कि कृषि उत्पादन बढ़ाया जाय। मैं आश्वासन देता हूं कि इस कार्य में कोई कसर नहीं उठा रखी जायगी। मेरे साथी श्री थामस ने बताया है कि गत वर्ष कृषि उत्पादन कम हो जाने के कुछ कारण थे किन्तु इस वर्ष उत्पादन बढ़ेगा। यह कमी भारत में ही नहीं बल्कि सारे दक्षिण पूर्वी एशियाई प्रदेशों में और प्रगतिशील देशों में भी हुई थी। उदाहरणत : अमरीका और जापान को अनाज उत्पादन के १९५०–५१ के आंकड़े क्रमशः १४०७ लाख टन, २३५ लाख और १५७ लाख टन थे। उनका १९५८–५९ में अधिकतम उत्पादन जो इस प्रकार था अर्थात् क्रमशः १८२६ लाख टन, २२६ लाख टन और १८८ लाख टन। गत तीन वर्षों में इन देशों में उत्पादन में कमी हुई है। अमरीका में १९५९–६० में १७८७ लाख टन अनाज का उत्पादन हुआ जो १९६०–६१ में १९१८ लाख टन हो गया और १९६१–६२ में १९८७ लाख टन रह गया। इसी प्रकार कनाडा में २५८ लाख टन का उत्पादन कम हो कर १६० लाख टन रह गया और जापान में २०० लाख टन से गिर कर १९६ लाख टन रह गया। यहां धान और मक्का के उत्पादन में जो कमी हुई वह नकद फसल की कृषि से पूरी हो गई थी। गत वर्ष पटसन का उत्पादन तीसरी योजना के लक्ष्य तक पहुंच गया था। इस वर्ष भी उत्पादन की शिकायत नहीं बल्कि मूल्य के बारे में शिकायत है। खाद्य और कृषि मंत्रालय ने किसानों को सभी सुविधायें देने का ध्यान रखा है किन्तु यदि अपातकाल के कारण सहायता नहीं पहुंचाई जा सकी तो सारा आरोप मंत्रालय के सिर नहीं मढ़ना चाहिये। हमने किसानों को सहायता देने में कोई कसर नहीं उठा रखी। कपास के सम्बन्ध में भी यही स्थिति है ।

खाद्य और कृषि मंत्री प्रजा समाजवा ी सदस्य की अपेक्षा अधिक प्रगतिशील हैं, जिन्होंने मंत्री के बारे में शिकायतें की हैं। यदि मंत्री महोदय ने सुचा रूप से काम न किया होता तो उन के निर्वाचन क्षेत्र में भुखमरी पैदा हो गई होती ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

हमारी नकद फसलों से काफी विदेशी मुद्रा का आयोग होता है। पटसन कपास और तम्बाकू तथा गत वर्ष से चीनी के निर्यात द्वारा और चाय को भी शामिल कर के ३६० करोड़ रुपये की विदेशी

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० राम सुभग सिंह]

मुद्रा मिलेगी। यह राशि हर वर्ष बढ़ रहीं है जिसका श्रेय कृषकों के श्रम को है।

यह कहना गलत है कि प्रति एकड़ उत्पादन कम हुआ है क्योंकि विधान का १९५८–५९ का प्रति एकड़ उत्पादन १२५२ पाउंड था जो १९६०–६१ में १३६४ पाउंड हो गया था। इस वर्ष के आंकड़े जून में उपलब्ध होंगे। गे ं का प्रति एकड़ उत्पादन भी ३२५६५ पाउंड से बढ़ कर ३६६५४ पाउंड हो गया है। कपास का उत्पादन भी ९३ पाउंड प्रति एकड़ से बढ़ कर ११२ पाउंड हो गया है। मैं निस्संदेह चाहता हूं कि यह और अधिक बढ़ना चाहिये किन्तु इस वृद्धि पर खेद नहीं होना चाहिये।

मुझे प्रसन्नता है कि कुछ सदस्यों ने मूल्यों की बात उठाई है। खाद्य और कृषि मंत्रालय निरंतर उपभोक्ता मूल्य और उत्पादक के मूल्य में संतुलन ैदा करने का प्रयत्न करता रहा है। इसी कारण खाद्य और कृषि मंत्री ने कहा था कि यदि गेहूं का मूल्य १३ रुपये प्रति मन से कम हो गया तो सरकार गेहूं खरीदेगी। यही स्थिति कपास और पटसन की है ज्योंही कपास का मूल्य कम होता दिखाई दिया सरकार कुछ लोगों के विरोध पर भी यह प्रयत्न किया कि उत्पादकों को पर्याप्त मूल्य मिले यद्यपि यह इस मंत्रालय का उत्तरदायित्व नहीं था। संभवतः उत्पादन के आंकड़े अन्य आवश्यक बातों जैसे सिंचाई, उर्वरक आदि के आधार पर निकाले गये हों। एक सदस्य ने कहा था कि मंत्रालय में अनुचित उपेक्षाभाव है और योजना आयोग को इस ओर ध्यान देना चाहिये। आपात काल में और उस से पूर्व भी हमने जो कुछ किया है अपने सुझाओं के आधार पर किया है और किसी से परामर्श नहीं लिया है। ये आंकड़े इस आधार पर निकाले गये होंगे कि सिंचाई को पूरी सुविधायें उपलब्ध हो जायेगी और सिंचाई, और विद्युत मंत्रालय इस बात के लिए प्रयत्नशील हैं कि सिंचाई की जो सुविधायें उपलब्ध हैं उनका अधिकाधिक उपभोग हो। इस समय ७१.१ प्रतिशत सुविधाओं को उपभोग में लाया जा रहा है। किन्तु अब भी ४० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की सुविधाओं का उपयोग नहीं किया जा रहा। इसी प्रकार उर्वरक भंडार की ओर निदेश किया गया है। मैं स्वीकार करता हूं कि १९५८ से काम हो रहा है १९६१-६२ में इस से ९.४७ करोड़ रुपये का लाभ हुआ था। किन्तु अब जो उपाय किये गये हैं उनके कारण यह काम इस वर्ष घट कर २.९० करोड़ रुपया रह गया है क्योंकि हमने उर्वरक का मूल्य घटा दिया है। अधिक काम इस कारण था कि विदेशों में ख ीद का मूल्य कम था और हमारा उत्पादन मूल्य वही था जो अब है। अब लाभ काफी कम हो गया है और हम किसानों के हित में इसमें उपयुक्त परिवर्तन करेंगे।

सभा को पता है कि योजना और सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार १९६५–६६ तक हमें १० लाख टन नाइट्रोजन उर्वरक का उत्पादन करना है। किन्तु मुझे लक्ष्य प्राप्ति में संदेह है क्योंकि जैसा मैंने एक प्रश्न के उत्तर में बताया था १९६५–६६ तक हमारी उत्पादन क्षमता ६५०,००० टन की होगी। अतः लक्ष्य में ३५०,००० टन की कमी रह जायगी। अतः उत्पादन पर विचार करते समय उर्वरक और सिंचाई के पहलुओं पर भी विचार करना चाहिये।

कृषि औजारों के सम्बन्ध में अनेक सदस्यों ने और विशेषतः महेंन्द्र गढ़ के सदस्य ने कहा था कि कठिनाई अनुभव हो रही है। किसानों की कठिनाई को दूर करने के लिये ही किसान द्वारा स्वयं कपास उत्पादन शुल्क जमा करने की शर्त हटा दी गयी। मुझे कुछ शिकायतें मिली हैं कि अब भी कुछ स्वार्थ किसानों से यह ैसा जमा करवाते हैं किन्य ५० हार्स पावर तक के ट्रैक्टरों के लिये किसी को पैसा जमा नहीं करना चाहिये।

†श्री सिंहासन सिंह : क्या ट्रैक्टरों का उपादन शुल्क किसानों को नहीं देना पड़ता ?

डा० राम सुभग सिंह : किसान उत्पादन शुल्क जमा किया करते थे और उन द्वारा प्रमाण-पत्र पेश करने पर वह उन्हें लौटा दिया जाता था। अब वे अपनी राज्य सरकार का कृषि निदेशक का प्रमाण पत्र पेश करेंगे कि उन्हें ट्रैक्टरों का कृषि के लिये प्रयोग करना है और कोई पैसा जमा नहीं करवाना पड़ेगा ।

हमारा कार्य-क्रम १९६३ में ९,००० और ट्रैक्टर उपलब्ध करवाने का है। वर्तमान योजना के अनुसार हम इस वर्ष ४२५० ट्रैक्टरों का उत्पादन करेंगे और शेष ट्रैक्टर रूस और अन्य देशों से आयात किये जायेंगे। मैं कारखाने दारों और ट्रैक्रों की कम्पनियों को मुख्य रूप से यह बता देना चाहता हूं कि उन्हें किसानों को सभी प्रकार के पुर्जे उपलब्ध कराने चाहिये और प्रमाणिक कृषि औजारों का संभरण करना चाहिये। इस प्रयोजन के लिये हमने १६ स्थानों पर अवेषणा प्रयोग और प्रशिक्षण केन्द्र खोल दिये हैं। यह काम आई० ए० आर० आई० और जोरदार कृषि के जिलों में भी किया जाता है। हम हर जिले में औजारों की कार्यशालायें खोल रहे हैं। आपात काल के कारण लोहे और इस्पात के अभाव के कारण कुछ कठिनाई हो सकती है। किन्य सदस्य भी यह ध्यान रखें कि कृषि प्रयोजनों के लिये निर्धारित लोहे का ब्योरा कृषकों में भली प्रकार वितरित हो ?

कई सदस्यों ने कृषकों को उपलब्ध ऋण का उल्लेख किया है। वह भी हमारा प्रत्यक्ष उत्तर-दायित्व नहीं है। किन्तु मुझे प्रसन्नता है कि गत वर्ष अल्पकाल के आधार पर सहकारी समितियों को २२४ करोड़ रुपये का ऋण दिया गया था। मैं वित्त मंत्री की उपस्थिति में इस बात पर बल देना चाहता हूं कि जीवन बीमा निगम देश में सब से अधिक ऋण देता है। पता नहीं कि वह कुछ ऋण कृषि के लिये भी दे सकता है या नहीं क्योंकि मेरे विचार में यदि कृषि के लिये और पैसा दिया जाये तो किसानों का बहुत हित हो सकता है।

मिट्टी की जांच की प्रयोगशालाओं के बारे में श्री बी० के० दास ने कहा कि वे केवल २४ हैं। हम अधिकाधिक प्रयोगशालाएं स्थापित करना चाहते हैं और जोरदार कृषि के सभी जिलों में प्रयोगशालाएं बनाई जांयगी। निस्सन्देह कृषि के क्षेत्र में पश्चिमी बंगाल बहुत पिछड़ा हुआ है। उन के निर्वाचन क्षेत्र मिदनापुर में एक कृषि कालेज है किन्तु उसे राज्य सरकार ने ले लिया है। माननीय सदस्य राज्य सरकार से अनुरोध करें कि वहां और कृषि कालेज खोले जांय। हम उस के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं देंगे।

श्रीमती यशोदा देवी ने कृषि विश्वविद्यालयों के बारे में कहा था। गत वर्ष ऐसे तीन विश्वविद्यालय स्थापित किये गये थे और अधिकाधिक संस्थाएं स्थापित की जा रही हैं। श्री यशपाल ने कहा था कि वहां किसानों के बच्चे होने चाहियें। हमारी भी आकांक्षा है कि कृषि का भाग्य सामान्य किसानों के हाथ में हो। हम यह भी प्रयत्न करेंगे कि कृषि विश्वविद्यालयों की शिक्षा सस्ती की जाय जिससे सामान्य लोग उसे प्राप्त कर सकें। निस्सन्देह हम इस के लिए छात्रवृत्तियां आदि देते हैं।

आन्ध्र प्रदेश के कृषि मंत्री आन्ध्र प्रदेश में विश्वविद्यालय के बारे विधेयक तैयार कर रहे हैं। चूंकि कृषि के सम्बन्ध में आन्ध्र प्रदेश बहुत जागरूक राज्य है, अतः वहां उचित समय पर कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने में अधिक कठिनाई नहीं होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में।

कुछ जिलों में सघन खेती का जो प्रोग्राम है उस के बारे में एक सदस्य ने कहा कि उस का व्यय बर्दाश्त करना कठिन है। हमारे कृषि की यह सब से बड़ी त्रुटि रही है। हम कृषि पर उतना व्यय करने के लिए तयार नहीं जितना कि उद्योग पर। कृषि के सुधार और कृषि उत्पादन के प्रोग्राम पर व्यय की सीमा नहीं होनी चाहिये। कृषकों का भाग्य फटे पुराने कपड़े में ही रहने का नहीं होना चाहिये। पैकेज प्रोग्राम ही इस का इलाज है। पैकेज प्रोग्राम के अन्तर्गत जिलों में दो वर्ष में १५ प्रतिशत उत्पादन बढ़ गया है। कुछ जिलों में २१.३ प्रतिशत और इस से भी अधिक उत्पादन हुआ है। अतः हम ने धान के लिए ४० और मक्की, दालों और अन्य फसलों के लिए १०० जिलों में सघन खेती करने का निर्णय किया है।

उत्तर प्रदेश में लगभग १५ लाख उपभाटकी हैं जिन का सरकार से सीधा सम्बन्ध है और बीच के सब व्यक्तियों को हटा दिया गया है। सम्पूर्ण देश में दो करोड़ से अधिक भाटकियों का सरकार से सीधा सम्बन्ध हो गया है। जहां सम्भव हुआ है वहां भूमि सुधार का प्रोग्राम कार्यान्वित कर दिया गया है।

७ लाख भूमिहीन परिवारों को ५० लाख एकड़ क्षेत्र पर आबाद करना है और उस पर ७ करोड़ रुपये का खर्च होगा। केन्द्र द्वारा पुरस्कृत योजना के लिये राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता का नमूना इस प्रकार होगा: (१) भूमि को कृषि योग्य बनाने की लागत केन्द्रीय और राज्य सरकारें बराबर वहन करती हैं, किन्तु इस की अधिकतम सीमा १५० रुपये प्रति एकड़ है। (२) पुनर्वास के कार्य सम्बन्धी शुल्क व्यय १०० प्रतिशत ही दिया जायगा जिस में से ७५ प्रतिशत अनुदानों के रूप में और २५ प्रतिशत उधार के रूप में होगा, किन्तु यह प्रति परिवार ५००० रुपये से अधिक नहीं होगा।

कुछ सदस्यों ने कहा है कि कृषि मंत्रालय में अधिक कर्मचारी हैं। इस सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार है: पहली अप्रैल, १९६० को ४४ टैक्नीकी राजपत्रित पदाधिकारी थे और ८४ गैर-टैक्नीकी अधिकारी थे। पहली मार्च, १९६३ को टैक्नीकी राजपत्रित अधिकारियों की संख्या ५३ हो गई है और गैर टैक्नीकी अधिकारियों की संख्या ८४ हो गई है। अप्रैल, १९६० में दूसरे अधिकारी ४९ टैक्नीकल और ५४१ गैर-टैक्नीकी थे। पहली मार्च, १९६३ को बढ़ कर ६२ टैक्नीकल और ५४० गैर-टैक्नीकल हो गए हैं। १९६० में २४४ चौथी श्रेणी के कर्मचारी थे और संख्या अब २३४ हो गई है। मितव्ययता समिति है जोकि लगातार हर मामले का पुनरीक्षण करती है।

मैं गलत प्रकार के मितोपभोग के पक्ष में नहीं हूं। जब उत्पादन बढ़ाना हो या युद्ध लड़ना हो तो छोटी वस्तुओं की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। उत्पादन बढ़ाने के लिए काफी सक्षम अधिकारियों की आवश्यकता है। बिजली और अन्य बातों के लिए बातचीत करने से आपात को कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

श्री विभूति मिश्र का यह सुझाव कि कृषि अधिकारियों की अखिल भारतीय सेवा होनी चाहिए मुझे बहुत पसन्द है। हर स्थान में वे द्वितीय श्रेणी के अधिकारी होते हैं और उन की शक्ति अधिक नहीं होती। जब तक उन्हें काम करने की आजादी नहीं होती, इस योजना को हानि पहुंचेगी। अतः मैं चाहता हूं कि कृषि अधिकारियों की अखिल भारतीय सेवा और अखिल भारतीय वनसेवा होनी चाहिए। वनों की देहरादून संस्था और भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था प्रशिक्षण और वन और कृषि सम्बन्धी काम के लिए प्रथम श्रेणी के स्नातक पैदा करने के लिए सर्वाधिक अंशदान कर रही हैं।

हमारे प्रोग्राम में पहाड़ी क्षेत्रों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों के न विकास होने के कारण ही हमें कठिनाई सहनी पड़ी। हमें छोटा नागपुर क्षेत्र का विकास करना चाहिए क्योंकि उड़ीसा और बिहार में सारान्दा वन दुनिया में सब से अच्छे साल वनों में है और शायद हमारे देश का सब से अच्छा वन है। हम इस बात की ओर ध्यान देंगे कि उस क्षेत्र के लोगों की कठिनाइयों को कम किया जाय और क्षेत्र को उचित सहायता दी जाय।

इस सम्बन्ध में शिमला में एक गोष्ठी हो रही है जहां सभी पहाड़ी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। अगले मास की १२ तारीख को खाद्य और कृषि मंत्री इस का उद्‌घाटन करेंगे।

फलों की खेती को बढ़ाने के लिए जो कुछ यह मंत्रालय कर सकता है करेगा। उस गोष्ठी का भी यह सब से महत्वपूर्ण पहलू होगा।

फलों सम्बन्धी अनुसन्धान केन्द्र के स्थापित करने पर भी ध्यान दिया जायगा।

विश्व कृषि मेले के इनामों की समय पर घोषणा के मामले की ओर ध्यान दिया जा रहा है।

ईंधन की समस्या बड़ी समस्या है और इस सम्बन्ध में श्री सौय के सुझाव को मैं स्वीकार करता हूं। उन का सुझाव है कि मैदानी क्षेत्रों में अधिक पेड़ लगाए जांय। हम यह काम कर रहे हैं। 'वन' के शीर्ष के अन्तर्गत हम तृतीय योजना में ५१ करोड़ रुपये और अधिक शीघ्र बढ़ने वाली किस्मों पर २७५ करोड़ रुपये का व्यय कर रहे हैं। उचित संख्या में रोपणियां स्थापित की जा रही हैं। हम ने राजस्थान नहर के दोनों ओर पेड़ लगाए हैं। ये कुछ प्रोग्राम है।

मैं सभा को आश्वासन दिलाता हूं कि हम कृषि उत्पादन बढ़ाने और लक्ष्य पूरा करने की कोशिश करेंगे।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती (झज्जर) : बहुत वर्ष नहीं हुए यह कहा जाता था "उत्तम खेती, मध्यम वाण, निखिद चाकरी, भीख नदान"। आज चाकरी को सब से उत्तम माना जाता है और जो खेती है वह आज सब से निखिद हो गई है। ऐसा समझा जाता है कि जिस को कोई और धंधा न मिल सके, उस बच्चे को खेती में डाल दो। इस का कारण क्या है? इस का कारण यह है कि खेती की तरफ उतना ध्यान नहीं दिया गया है जितना दिया जाना चाहिये। जैसे हमारे राष्ट्र रक्षा के लिए सेना के लोगों का होना अत्यन्त आवश्यक है, उसी तरह से दूसरे दर्जे पर यह खाद्य सामग्री आती है। पहले भी यह कहा जाता था :

कृषिमित्कृषस्व वित्ते रमस्व बहुमन्यमानः

अगर यह चाहते हो कि हम धन में रमण करें तो खेती करो। पहले सम्पत्ति और खेती दोनों का जोड़ा था। आज खेती और निर्धनता का जोड़ा हो गया है। इस का कारण यह है कि जिन बातों पर हमें ध्यान देना चाहिये था उन पर हम ने ध्यान नहीं दिया।

मैं किसी पर भी कोई आक्षेप नहीं करना चाहता हूं। मैं तो केवल मात्र आप के सामने कुछ सुझाव ही रखना चाहता हूं। खेती के लिए तीन चीज़ों की आवश्यकता है, भूमि, गौ और जल।

डा० मा० श्री० अणे (नागपुर) : जंगल भी।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती: भूमि में जंगल आ जाता है।

[श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती]

भूमि अच्छी हो, बोना जोतना सब कुछ ठीक हो तो अन्न अच्छा होगा। गौ तो खेती का प्राण समझो जाना चाहिये। मैंने कृषि विभाग की रिपोर्ट को पढ़ा है। उस ने कहा है कि हम ने गोसदन खोले हैं, गोशालायें खोली हैं और इस तरह इस तरफ भी ध्यान दिया है। लेकिन कहा गया है :

गावो विश्वस्य मातरः

संसार भर की माता तो गौ है। असली जननी तो डेढ़ दो साल तक ही दूध पिलाती है और गौ माता तो सौ सौ वर्ष तक जब हम बूढ़े भी होते हैं, दूध पिलाती है। गौ उस को भी दूध देती है जो कसाई उस के गले पर छुरी फेरता है। प्रातःकाल वह दुष्ट हत्यारा गौ का दूध पी कर उस को काटता है और गौ इतनी सीधी है, इतनी अनबा है कि उस को भी दूध पिलाती है। इसलिए अगर आप मुल्क की रक्षा करना चाहते हैं तो सब से पहला और आवश्यक कर्त्तव्य आपका यह है कि गो-हत्या पर आप पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दें। यह बहुत आवश्यक है। गौ से अकेले दूध ही नहीं मिलता और भी कई चीजें मिलती हैं। अगर और कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम बहुत नहीं तो दस साल के लिए गो, हत्या बन्द तो कर ही सकते हैं। इस अर्से में भी इतनी गाय मरेंगी कि आप के चमड़े की जरूरत पूरी हो सकेगी, हड्डी, खुर आदि भी उस की आप के काम में आयेगी, सींग भी काम में आयगे और उसके जीवित रहते सिधरी वगैरह कारखानों की आप को आवश्यकता नहीं होगी। अगर देश में खूब गाय हों तो गोबर हमें काफी मिल सकता है और उसके गोबर की खाद शुद्ध खाद होती है और उस में किसी भी तरह का कोई दोष नहीं होता है। वह खाद हमारी खेती बढ़ाने में बहुत ज्यादा सहायक हो सकती है। गोबर के अन्दर वे सारे तत्व उपस्थित रहते हैं जोकि हमारी खेती को बढ़ाते हैं। आज हम ने गौ को खोया, गोबर को खोया और इस का नतीजा यह है जितनी बाहर की गंदगी है, वह सारी हमारी सब्जी भाजी में आ गई है। सुबह के वक्त आप सब्जी मंडी में जा कर देखें जो गोभी के फूल होते हैं, जो इस तरह के बने हुए होते हैं, उन के अन्दर विष्टा लिपटा रहता है। इस का क्या कारण है ? इस का कारण यह है कि हम ने अपनी असली चीज़ को खोया और नकली चीज़ को अपनाया। इसी फूल को हम बढ़िया समझने लग गए हैं।

अब मैं जल की बात को लेता हूं। सिंचाई के लिए जल आवश्यक है। भगवान दया करे, ठीक समय पर वर्षा होती रहे तो बहुत कुछ काम ठीक बनता रहता है। नहरों से सिंचाई भी बहुत आवश्यक है। खेती की बात भी मुझे करनी पड़ती है। हम ने हरियाणा क्षेत्र वालों ने माननीय प्रधान मंत्री जी को, कृषि मंत्री जी को, सिंचाई मंत्री जी को और पंजाब को भी लिख कर दिया है कि हमें नहरों का पानी चाहिये, हमारी पिछली दोनों फसलें समाप्त हो गई हैं, खेती बरबाद हो गई है। अब भी लोगों का ईख का बीज जमीन में गड़ा पड़ा है, लेकिन क्या हो सकता है अगर पानी न मिले। अभी एक सैनिक बलिदान स्मृति दिवस रोहतक में नौ मार्च को मनाया गया था। आदरणीय प्रधान मंत्री जी वहां गये थे। उन्होंने हरियाणा के वीरों की प्रशंसा की और साथ ही यह भी कहा कि खूब खेती उपजाओ। एक किसान ने जो ७०-७५ वर्ष की उम्र का था, खड़े हो कर कहा कि पानी चाहिये। मेरी गर्दन शर्म से झुक जाती है, उस को सुन कर जो जबाब हमारे प्रधान मंत्री जी ने उस वक्त दिया। उन्होंने कहा कि क्या मेरी जेब में पानी है। भाई शिव जी की जटाओं से गंगा आ गई, क्या प्रधान मंत्री जी की जेब से नहर भी नहीं निकल सकती है। निकल तो सकती है लेकिन भावना चाहिये। इस तरह की चीजें हैं। बताइये बिना इस के कहां से खेती हो सकेगी ? उसी समय तत्काल उत्तर दिया सरदार प्रताप सिंह कैरों ने जो कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं।

†उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा ६ बजे तक बैठने के लिए तैयार है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**कुछ माननीय सदस्य :** हां ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** हम देखेंगे यदि सभा की अनुमति हो तो मुझे कोई एतराज नहीं ।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : हमारे पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने फरमाया कि तुम कुंएं खोदो मैं विजली दूंगा । लेकिन वहां खाली कुंएं खोदने से क्या फायदा ? मान भी लें थोड़ी देर के लिये कि वहां कुंएं खुद गये, लेकिन वहां कुंएं का पानी काम क्या देगा क्योंकि वहां का पानी बिल्कुल खारी है ? रेवाड़ी का हलका जितना है, झज्झर तहसील का हलका जितना है उस का पानी अच्छा नहीं है । वहां पर कुंएं का पानी काम नहीं दे सकता । वहां केवल नहर ही काम दे सकती है। इस तरह की चीजें अत्यन्त आवश्यक हैं । यहां जो कृषि मंत्रालय के मंत्री बैठे हुए हैं उन के प्रति हमारी शुभ भावनायें हैं और हम यह विश्वास भी करते हैं कि उनके हृदय के अन्दर यह भाव है कि हमारी खेती में अधिक उपज हो । इस नाते से मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं, आक्षेप की दृष्टि से नहीं ।

यहां पर बहुत सी बातें ऐसी हो रही हैं जिन में से कई में शायद यह मालूम पड़े कि मैं बहुत विचित्र रूप से बोल रहा हूं, लेकिन करूं क्या, मुझे बोलना पड़ता है । हमारे देश में मेले लगते हैं । मेले के अन्दर इनाम बांटे जाते हैं। जिला हिसार की एक गौ प्रथम आई जिस को फर्स्ट प्राइज दिया गया, रोहतक की एक भैंस प्रथम आई, लेकिन उन को इतना इनाम नहीं दिया जाता जितना एक मुर्गी को दिया जाता है। अजीब तमाशे की बात है मुर्गी को तो इतना इनाम और गाय और भैंस को कोई अच्छा इनाम नहीं । इस के आगे होगा क्या ? लोग कहते हैं कि अपनी आदत बदलो । इस रिपोर्ट में भी है कि लोग अपने खाने की आदत बदलें । यह भावना सन् १६४८ से चली आ रही है । कहा गया कि खुराक की आदत बदलो यानी मांस खाओ यह बहुत भंयकर बात है । जो भाई मांस खाते हैं वह उन का ही मांस खाते हैं जो खुद मांस न खा कर घास खाते हैं। उन्होंने शेर का मांस नहीं खाया, भेड़िया का मांस नहीं खाया वह तो उन्ही का मांस खाते हैं जो कि घासाहारी हैं और उसी प्रकार से दूध देते हैं अपने बच्चे को जिस प्रकार से सिंह भी अपने बच्चे को दूध पिला कर पालते हैं। मुर्गियों से होगा क्या मुर्गी कितनी गन्दी चीजें खाती है यह भी एक तमाशेकी बात है । मैं आज डा० राम सुभग सिंह से प्रार्थना करता हूं कि वह देखें कि मुर्गी क्या खाती है या सूअर क्या खाता है और इन्हीं जानवरों के लिए जनता से कहा जाता है कि उन को खाओ ।

इसी तरह से मछली का प्रचार चल पड़ा है। जब भी यहां स्टेशन पर जाते हैं तो देखते हैं कि उस का प्रचार बहुत तेजी से हो रहा है। छोटी छोटी शीशियों में पानी में कुछ मछलियों को डाल कर कहते हैं कि मछली का बीज लो। क्या यहां मछली वगैरह चल सकती हैं? बम्बई, कलक्ता आदि जो स्थान समुद्र के पास हैं वहां आप इसको कर सकते हैं । हमारे हरियाणा में इस के प्रचार से क्या होगा ? हमारे यहां तालाबों में सिंघाड़े बोये जाते हैं । लोग सिंघाड़ों को खाते हैं । कच्चा भी खा लिया और पक्का भी खा लिया, शाक भी बना लिया, औषधि भी बना ली, मिठाई भी बना ली । वहां पर सिंघाड़ा खूब पैदा होता है। सिंघाड़े की जगह लोग कहें कि मछली बोओ तो किस तरह से हो सकता है ? जहां से मैं आता हूं मैं वहां पहले कभी नहीं देखा कि मछली बिक रही हो इस तरह से छोटे छोटे टुक्ड़े कर के । जो दूसरे के प्राणों को ले कर अपना पेट भरता है उस के लिये बड़ी कठिन समस्या है कि उस का जीवन बना रहे । इस लिए यह आवश्यक है कि हम दूसरों का भी, पशुओं का भी ध्यान रक्खें । जितने ही पशु अधिक होंगे उतना ही घी दूध अधिक मिलेगा । जंगल भी होने चाहियें । एक किसान के पास अगर बीस बीघे जमीन हो तो सरकार की तरफ से उस को आदेश होना चाहिये कि दो बीघे भूमि वह गोचर भूमि के लिये छोड़ें । उस से लकड़ी भी मिलेगी, गौएं भी चरती रहेंगी, सब काम काज होगा और खेती भी ठीक होगी । सारी चीजें शुद्ध होंगी और पशु पूरी तरह से काम दे सकते हैं ।

---

†मूल अंग्रजी में

[श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती]

खाद्यान्नों पर जो सट्टा होता है वह भी बन्द होना चाहिये क्योंकि वह जुआ है। उस का बाजार भाव बदलता रहता है। यह बाजार भाव भी बड़े अचम्भे की चीज है। किसान अपनी गाड़ी ले कर मंडियों में जाते हैं। उन के चारों तरफ कौवों की तरह इक्ट्ठे हो कर व्यापारी लोग बोली बोलते हैं एक दो तीन, एक दो तीन। सारी दुनिया का यह कायदा है कि सारे व्यापारी लोग सारे आदमी अपनी अपनी चीज का मोल तोल खुद करते हैं और कहते हैं कि हम इस भाव नहीं बेचेंगे, लेकिन एक किसान ऐसा है जो किसी भी अपनी चीज का मोल तोल खुद नहीं कर सकता। दूसरे लोग कहेंगे कि इस भाव बिकेगा। जितनी भी किसानों की चीजें हैं उन की नीलामी होती है। सारे देश में इस के लिये कोई दूसरी पद्धति नहीं है। आज यहां पर स्थिति यह है कि एक किसान अपनी गाड़ी भर कर मंडी में ले जाता है तो फिर वह उस को उसी तरह से वापस नहीं लाता है। जो भी दाम उस को मिलता है उस से वह कपड़ा, लोहा आदि ले कर कन्धे पर डाल कर आता है। जो गाड़ी पहले भरी जाती है वह सारी की सारी खाली आती है। इस की ओर हमारे मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिये।

कल भी लोक सभा में ग्रामीण महिलाओं के सम्बन्ध में प्रश्न आया कि उन के ऊपर से काम का भार कम करना चाहिये। कल भी मैंने इस विषय में निवेदन किया था कि किसान का काम तब चलता है जब सात वर्ष के बच्चे से ले कर सत्तर वर्ष के बड्ढे तक काम में लगे रहें। तभी जा कर यह हालत पैदा होती है कि वह अपना गुजारा कर ले। जितने लोग यहां किसान वर्ग से आये हैं सब हृदय पर हाथ रख कर बता सकते हैं कि खेती के काम के कारण कोई अपने बच्चों को कालेज में नहीं पढ़ा सकता है, जब तक कि उन के पास कोई और धन्धा न हो। एक बुड्ढा कह रहा था कि अगर कोई यह सोचे कि खेती की पैदावार से वह अपने बच्चे को ऊंची शिक्षा दिला सके तो यह बिल्कुल मानने योग्य बात नहीं है।

यह ठीक है कि कहते हैं कि भाव कम कर दो किसान के लिये, लेकिन यह भी आप को ध्यान रखना चाहिये कि किसान जो सामान लेता है चाहे लोहा हो, चाहे सीमेन्ट हो, चाहे कपड़ा हो, या और चीजें हों, उन के भाव भी उसी अनुपात से कम होने चाहियें। बात तो हम बहुत करते हैं लेकिन इस के लिए काम कुछ नहीं किया गया।

दूसरी चीज यह है कि प्रचार के लिये आप ने लिखा है कि आप हिन्दी में करते हैं। यह और अधिक किया जाय। किसान पढ़ेगा तो तब जब कि उस को उस की भाषा में दिया जाय। वहां अगर आप अंग्रेजी में दे देते हैं तो उस का क्या फायदा ?

डा० राम सुभग सिंह : हिन्दी में देना चाहिये।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : मैं आप का आभारी हूं कि आप ने इस को स्वीकार किया। आप ने जो प्रचार किया है उस को ज्यादा बढ़ा कर लोगों को उत्साहित कीजिये।

इस के साथ ही मैं आप को ध्यान दिलाऊं कि किसानों के ऊपर जो अनिवार्य बचत के रूप में टैक्स लगा है, लगान का पचास प्रतिशत, यह उन के लिये बहुत भारी बोझ है। अनेक किसान इस प्रकार के हैं जो पहले बीज तक मोल लेते हैं कर्ज पर। वे बीज को कर्ज पर मोल ले कर बोते हैं। आप बतलाइये कि वह पहले कर्ज को पाटने के लिये पैसा देंगे या कि बचत में। उन्हें अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई करानी है, बताइये वे कहां से उन की पढ़ाई लिखाई करा सकेंगे। यह बड़ी कठिन समस्या है और अनिवार्य बचत योजना का जो टैक्स है यह बहुत बाधक है, उन के लिये बहुत हानिकर है।

साथ ही हम देखते हैं कि किसानों में कुछ कुरीतियां भी पाई जाती हैं। सौभाग्य है कि इस समय सरकार भी उन की ओर कुछ ध्यान दे रही है। अभी सर्वखाप पंचायत बड़ोत में हुई थी। उस में जैसा

माननीय मोरार जी देसाई जी चाहते हैं उस के अनुसार यह रक्खा गया कि दिल्ली के चारों ओर १०० मील की एरिया में जो सर्वखाप पंचायत के लोग हैं उन्होंने सोने के जेवर का उपयोग बिल्कुल बन्द कर दिया है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का बहुत आभारी हूं कि आप ने मुझे समय दिया । मैंने कुछ सुझाव रक्खे हैं । वे मैंने सच्चे हृदय से रक्खे हैं, आक्षेप की दृष्टि से नहीं । और मैं आशा करता हूं कि उन पर ध्यान दिया जायेगा ।

श्री पु० र० पटेल (पाटन) : हमारी खाद्यान्न की आयात की नीति हानिकारक है । हम हर वर्ष कई करोड़ रुपयों के खाद्यान्न का आयात करते हैं । हमें अपना उत्पादन बढ़ाना चाहिए ।

हम ने तृतीय योजना में किसान को आश्वासन दिया था कि न्यूनत्तम मूल्य उन्हें दिया जाए ताकि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा । क्या इस सम्बन्ध में कार्यवाही की गई है ? यदि इस सम्बन्ध में कोईकदम नहीं उठाए गए हैं तो तृतीय योजना के लक्ष्य की पूर्ति के बारे में क्या कठिनाई है ? इन परिस्थितियों को स्पष्ट करना चाहिए ।

हर वर्ष कई लाख टन गेंहू मंगवाया जाता है । गेंहूं की कीमतें गिर रही हैं । किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए गेंहू का मूल्य उचित रखने की कोशिश की जानी चाहिए । इस समस्या का समाधान भी उत्पादन बढ़ाने से होगा ।

किसान जिन चीजों का प्रयोग करता है सभी का मूल्य बढ़ गया है । अपरिष्कृत तेल की कीमत दुग्नी हो गई है । इंजनों और पम्पों की कीमत बढ़ गई है । कृषि के लिए लोहे और इस्पात की जो आवश्यकता पड़ती है उस की कीमत भी बढ़ गई है । कपड़ा इत्यादि कोई भी वस्तु लीजिए सभी का मूल्य बढ़ गया है । किसान पर विभिन्न प्रकार के करों का भोझा बढ़ गया है, परन्तु गेंहू का मूल्य गिर गया है । अतः यदि आयात को रोकना है और उत्पादन को बढ़ाना है तो गेंहू की कीमत उचित स्तर पर निर्धारित कर देनी चाहिये ।

†**श्री शिवनंजप्पा** (मंड्या) : यह मंत्रालय कई कामों के लिए बधाई का पात्र है । खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता के लिए काफी कोशिश की गई है । किसान के जीवन को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए भी कार्यवाई की गई है । अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति के लिए कृषि उत्पादन में वृद्धि आवश्यक है । सरकार ने देशमें खाद्यान्न का उत्पादन बढाने के लिये बहुत कोशिश की, परन्तु अभी ऐसी स्थिति नहीं हुई है कि खाद्यान्न का आयात बन्द कर दिया जाये ।

कृषि उत्पादन में प्रगति की दर बहुत कम रही है और तृतीय योजना में ६ प्रतिशत की वृद्धि के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये बहुत कोशिश की आवश्यकता है ।

खाद्यान्न के सम्बन्ध में असन्तोषजनक स्थिति का एक कारण यह है कि उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं थे । कृषि विस्तार योजनाओं को मजबूत बनाने की आवश्यकता है ।

सिंचाई की गुप्त शक्ति का पूरा प्रयोग करने के लिए भरसक चेष्टा की जानी चाहिए । भूमि संरक्षण और सूखी खेती के प्रोग्राम को अच्छा बनाना चाहिए। बीजों की अच्छी किस्में पैदा की जानी चाहिएं । चीनी का भी सुधार किया जाना चाहिए । दक्षिण में नई चीनी के कारखाने बनाने को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ।

मैसूर में धान का मूल्य गिर गया है। सरकार को वहां धान खरीदना चाहिए । मैसूर के मांड्या जिले में लघु सिंचाई योजनाओं को मंजूरी देनी चाहिए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री करुथिरमण (गोबीनेट्रिट्पलयम) : मद्रास में धान की जो कीमत है वह बहुत कम है। उसे बढ़ा दिया जाना चाहिए। तभी किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। अधिक कृषि विश्वविद्यालय खोलने की आवश्यकता है। मद्रास राज्य में भी एक ऐसा विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहिए। एक अखिल भारतीय कृषि सेवा स्थापित की जानी चाहिए। कृषि से सम्बन्धित अधिकारियों की अवस्था में सुधार किया जाना चाहिए। उन्हीं से क्लर्कों का काम नहीं लेना चाहिए।

कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार को सघन खेती की योजना को अपनाना चाहिए। किसानों को प्राकृतिक खाद का प्रयोग करना चाहिए।

यदि उत्पादन की वृद्धि को प्रोत्साहन देना है, किसानों को उचित मूल्य दिया जाना चाहिए। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देश में चावल २५ रुपये प्रति मन बेचा जाय। किसानों को कम से कम २१ रुपये प्रति मन की कीमत मिलनी चाहिए। उपभोक्ताओं को भी अधिक कीमत पर चावल नहीं मिलना चाहिए। किसानों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए।

†श्री सोलंकी (कैरा): कृषि हमारे देश की जान है। यद्यपि देश में कृषि की प्रगति के लिए २०० करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं हमें खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता की आशा नही है। इस का कारण यह है कि सरकार ने किसान को उचित मूल्य दिलाने की चेष्टा नहीं की गई है। सरकार को इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि देश की कृषि पदार्थों का मूल्य उचित स्तर पर कायम रहे ताकि उन्हें उत्पादन के लिए प्रोत्साहन मिले।

कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार को बीजों के सुधार तथा उर्वरकों और सिंचाई की सुविधाओं में त्रुटियां दूर करनी चाहिएं। किसानों को आसानी से ऋण भी मिलना चाहिए। कैरीं में कुछ किसानों को कपास की खेती करने वाले बीजों की किस्म के लिए प्रमाण पत्र नहीं दिए गए, क्योंकि उन्होंने इंसपेक्टर को घूस नहीं दी। सरकार को इस बात की जांच करनी चाहिए। जिन किसानों को प्रमाण पत्र नही मिल सके उन्हें अपनी कपास बाजार के मूल्य से सस्ती बेचनी पड़ी।

सरकार को इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि दिल्ली दुग्ध योजना के लिए दूध किसानों से लिया जाए, ठेकेदारों से नहीं।

सहकारी खेती हमारे देश में सफल नहीं होगी क्योंकि किसानों को भूमि पर सांझे अधिकार पसन्द नहीं होंगे। भूमि पर अपना अधिकार रखने की उन की प्रबल इच्छा है। कुछ लोग भूमि के लिए जान देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन के बाप दादा ने इसे खरीदा था। सरकार को उन की भूमि नहीं छीननी चाहिए।

श्री तुलशीदास जाधव : उपाध्यक्ष महोदय, ऐग्रिकल्चर डिपार्टमेंट पर जो डिमान्ड है उस को सपोर्ट करते हुए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। यह जो लैंड का धन्धा है इस को व्यवसाय मानना चाहिए। इस के बगैर इस में जो खेउत लोग काम करते हैं उन को शाश्वति नहीं मिलेगी। दूसरे जितने धन्धे चलते हैं उन के बारे में जहां पर कुछ गारन्टी होती है कि उस की इतनी इनकम होनी चाहिये, और इतना एक्स्पेंडिचर होना चाहिये, वहां पर धन्धे ठीक चलते हैं। लेकिन इस खेती के बारे में कोई ऐसी चीज नहीं है। काश्तकार और उस की खेती का जो मामला है वह बिल्कुल अव्यवस्थित रूप से चलता है। देश भर में जो प्लैनिंग चली है वह खेती के बारे में या काश्तकार के बारे में नहीं है। इस की ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिये। जिस तरह से अभी यहां शूगर केन के मामले में नार्थ

†मूल अंग्रेजी में।

इंडिया और साउथ इंडिया का सवाल उठा उस तरह का सवाल किसी भी अनाज के बारे में पैदा नहीं होता । उस की वजह यह है कि शुगर केन के रेट के लिये यहां पर गारन्टी दी गई है । इस गारन्टी में यह देखा जाता है कि जो गन्ने के काश्तकार का एक्स्पेन्डिचर होता है और जो इनकम होती है उस के हिसाब से गन्ने की खेती के लिये उस के पास इन्सेन्टिव है या नहीं। जिस तरह से शुगर केन के बारे में या काटन के बारे में है उसी तरह से अनाज के बारे में भी होना चाहिए । जो चीज खेत में होती है अगर उस के लिये गारन्टी नहीं मिलती वह धन्धा ठीक तरह से नहीं चलेगा, वह नुक्सान में चलेगा । जब वह नुक्सान में चलता है तो फिर यह बात होती है कि उस को यह सहूलियत दे दो, वह सहूलियत दे दो । यह तो डोल देने जैसी बात है । जहां पर किसान लोग काम करते हैं वहां कुछ हो जाये, बाढ़ आ जाय, सूखा पड़ जाय तो थोड़ी मद्द दे दो । हम ने खेती के अन्दर देखा है कि कभी उस को कुछ तकावी दे दी गई । जब तक देश में इस तरह के डोल्स चलते हैं तब तक मेरे अन्दर ऐसी भावना है कि जो हमारी पापुलेशन देहात के अन्दर ऐसी भावना है कि जो हमारी देहात के अन्दर रहती है उस के प्रति अनादर की भावना है । किसी भी दूसरे धन्धे में ऐसी बात नहीं है ।

अगर देखा जाय तो हिन्दुस्तान में जितनी पापुलेशन आज है उतनी पापुलेशन आज चाइना को छोड़ कर कहीं भी नहीं है । सन् १९५१ में हमारे देश की पापुलेशन ३६१ मिलियन थी, सन् १९६१ में ४३० मिलियन थी और १९७१ में यह बढ़ कर ५२७ मिलियन हो जायेगी । इस पापुलेशन में से २४९ मिलियन देहातों में रहती है, बाकी पापुलेशन अरबन है। इतनी बड़ी पापुलेशन को अगर सम्भालना हो उस के लिए हम को पहले प्रायोरिटी देनी चाहिये। लेकिन यह बात कहीं नहीं होती न इस के लिये कोई प्लैनिंग है । सुबह कंसल्टेटिव कमेटी की एक मीटिंग हुई, उस में मैंने एक सवाल पूछा था । लेकिन उस उत्तर से मुझे कोई सन्तोष नहीं हुआ । मैं जब रूस गया और खेती की रिपोर्ट देखी उस का किस्सा मुझे याद आ गया । वहां पर ग्राम सभा के नाम से एक समिति थी । उस में किस खेत में कितना अनाज तैयार करना है इस का कोटा दिया जाता है। वहां पर इस का पूरा हिसाब होता है कि किस जमीन में कौनसा अनाज पैदा करना है । उस के लिये एक प्लैन होता है । मुझे से उस के सम्बन्ध में बात चीत वहां पर हुई, उस में अंकों की कोई गलती हो गई । जब हम लोग स्टालिन ग्रेड आये जो ग्राम सभा का प्रेजिडेंट था उस के ध्यान में यह बात आई कि उस अंक में कोई गलती है । उस के बाद उस ने मास्को को फोन किया और उस के बाद जो वहां के ऐग्रीकल्चर मिनिस्टर थे वह प्लेन से स्टालिनग्रेड आये और कहा कि आप इंडियन डेलिगेशन में हैं। जो फिगर्स में गलती हो गई है उस को कृपा कर के आप सुधार लें । कहने का तात्पर्य यह है कि एक मामूली सी बात पर भी वहां पर इतना ध्यान दिया जाता है जबकि यहां पर यह बात नहीं है । मैं डा० राम सुभग सिंह के लिये यह नहीं कह रहा हूं क्योंकि वे बड़े सिंसिअरली काम करते हैं। उन से मेरी विनती है कि जब तक वे इस विभाग में हैं तब तक जिस तरह से काम होना चाहिये उस का प्लैन बनाया जाय । बिना प्लैन किये हुए हमारा काम ठीक से नहीं चल सकता होगा । खाली काश्तकारों को फरटिलाइजर दे देने से या कुंएं खुदवा देने से ही काम नहीं चलेगा खेती के बारे में पूरी तरह से प्लैनिंग होनी चाहिये। आजकल ग्राम पंचायत है, आप उस को प्लैन दीजिये कि इस गांव में इतनी ज्वार की उपज होनी चाहिये, इतनी कपास होनी चाहिये। आप काश्तकार को इस रीति से प्लैन दीजिये कि उस को सहूलियत मिले और वह काम करने के लिये तैयार होगा ।

आप ने देखा कि शुगर केन का पैसा मिलता है काश्तकार को । उस के लिये आप ८० टन पर एकड़ गिनते हैं । जैसा डिप्टी मिनिस्टर महोदय ने कहा, आप हमारे शुगर केन के खेत में चले जाइये । जैसे मां बच्चे को सम्भालती है उसे खिलाती पिलाती है, जिस तरह से उस का पालन पोषण करती है, जब उसी तरह से एक एक गांव का पालन पोषण होगा तभी खेती की उपज बढ़ सकती है । इस

[श्री तुलशी दास जाधव]

लिये मेरा कहना है कि काश्तकार खुद पूरी तरह से मेहनत करने के लिये तैयार हैं, चौबीस घंटे काम करने के लिये तैयार हैं, लेकिन जितनी सहूलियत उस को चाहिये वह नहीं मिलती है। एक तो उस को प्लैन दी जाय और उस के बाद उस को प्राइस की गारेन्टी दी जाय। यह दो बातें हैं उस के जीवन में जिस से उस को शाश्वति मिल सकती है। काश्तकार का जितना खर्च होता है उस के हिसाब से उस को पैसा मिल जाय तो कोई जरूरत नहीं कि आप यह सोचिये कि इतना दिया गया या उतना दिया गया। मैं आज पूछना चाहता हूं कि कितने आर्टिकल्स में प्राइस गारेन्टी काश्तकार को दी गई है।

एक माननीय सदस्य : प्राइस गारेन्टी नहीं दी गई है।

†**कुछ माननीय सदस्य :** यह बात ठीक नहीं है।

श्री तुलशीदास जाधव : यह बात ठीक नहीं है। सिर्फ कपास और गन्ने के बारे में गारेन्टी दी है कि फ्लोर प्राइस उस की क्या हो। यह तो मैं रेट्स के बारे में कहना चाहता हूं।

दूसरी बात यह है कि अगर देखा जाय कि दुनिया में पर एकड़ ईल्ड क्या है वह चीज हमारे यहां वगैर इन्टेन्सिव कल्टिवेशन के नहीं हो सकती। मेरे पास आज मीट्रिक टन्स में दुनिया भर के आंकड़े मौजूद हैं। अगर देखा जाय तो जहां हिन्दुस्तान में एक एकड़ में चावल १२२४ मीट्रिक टन होता है वहां पाकिस्तान में १२४० मीट्रिक टन होता है, चाइना में २६०९ मीट्रिक टन होता है, जापान में ३९५२ मीट्रिक टन होता है, अमरीका में ३२०२ मीट्रिक टन होता है और इजिप्ट में ४९६० मीट्रिक टन होता है। यह आंकड़े तो मैंने चावल के दिये। गेंहूं की वही हालत है, गन्ने की वही हालत है हिन्दुस्तान में जो गन्ना होता है वह एक एकड़ में ३२८४७ मीट्रिक टन होता है जब कि इजिप्ट जैसे देश में वह ८००९४ मीट्रिक टन होता है। अपने उत्पादन से तीन गुना और चौगुना पड़ता है। जब वहां इतना उत्पादन हो सकता है तो हमारे यहां क्यों नहीं हो सकता ?

एक माननीय सदस्य : यह फिगर गलत है।

श्री तुलशीदास जाधव : मैंने इस को सरकारी किताब में से लिया है।

श्री क० ना० तिवारी (बगहा) : उपाध्यक्ष महोदय, अनेक माननीय सदस्यों ने प्राइस के बारे में कहा है। मेरा भी ख्याल है कि जब तक प्राईस ठीक नहीं होगी, तब तक इंसेंटिव ग्रोअर्स को नहीं मिल सकता और उत्पादन नहीं बढ़ सकता। भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है। यहां ८२.२ परसेंट लोग देहातों में रहते है और १७.८ परसेंट लोग शहरों में रहते है। यहां वार्षिक कम्पाउंड ग्रोथ आफ पापुलेशन २ परसेंट है। इन सब को खिलाने का भार किसानों के ऊपर है। इसके साथ साथ और बाढ़ को नहीं रोका जाता तब तक उसका टारजेट पूरा नहीं हो सकता। किसानों को खास कर प्राकृतिक प्रकोपों का भी सामना करना पड़ता है। मेरे पास समय कम है, इसलिये मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता। लेकिन इनसे मालूम होता है कि वर्षा का कोई ठिकाना नहीं है। कभी किसी देश में ज्यादा वर्षा होती है तो कभी कम होती है, कभी बाढ़ आती है, तो कभी सूखा पड़ जाता है। इस कारण जब तक सिंचाई का ठीक प्रबन्ध नहीं होता तब तक सरकार जो टारजेट मुकर्रर करती है वह पूरा नहीं हो सकता। इसलिये कृषि विभाग के लिये यह सबसे जरूरी है कि वह प्लानिंग विभाग से मिल कर सिंचाई के लिये ज्यादा से ज्यादा पया खर्च करे।

१९५८-५९ में ३२३.६ मिलियन एकड़ जमीन जोत में थी जिसकी १८ परसट ही पटती रही है। और बाकी जमीन के लिये सिंचाई का कोई इन्तिजाम नहीं ह। अगर रासायनिक खाद दी

†मूल अंग्रेजी में।

जाती है तो जब तक पानी का पूरा प्रबन्ध न हो तो हम जितनी पैदावार लेना चाहते हैं वह हमको नहीं मिल सकती। इकाफे की रिपोर्ट में लिखा है कि नेचुरल कलेमिटीज की वजह से, पानी का प्रबन्ध ठीक न होने के कारण और क्लाइमेट के कारण जो सरकार टारजेट रखती है वह पूरा नहीं हो पाता। उसकी रिपोर्ट में लिखा है :

> "इकाफे क्षे की, जो जापान से इरान तक फैला है १९६२ में वास्तविक आय २ प्रतिशत कम हो गयी है। इसका कारण फसल की खराबी और निर्यात से आमदनी की कमी है।"

तो मैं सबसे पहले कृषि विभाग का ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहता हूं कि सिंचाई का पूरा प्रबन्ध होना चाहिये।

अनेक माननीय सदस्यों ने कहा है कि पैदावार बढ़ाने का किसान को तब तक कोई इंसेंटिव नहीं हो सकता जब तक कि उसकी पदावार का उचित दाम न तै किया जाये। जो १२ परसेंट लोग शहरों में रहते हैं उनको खिलाने का भार भी किसानों पर ही है और इन शहर के लोगों के हाथों में अखबार है। यही लोग ज्यादा हल्ला करते हैं कि गल्ले का भाव बढ़ रहा है और इसलिये सरकार घबरा कर गल्ले के भाव को कम करती है। किसान मुल्क की आमदनी का लगभग ५० परसेंट देता है। विदेशी मुद्रा कमाने में भी उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। इसके अलावा उस पर अनेक करों का भार है। प्रांतीय कर है, पंचायती कर है, केन्द्रीय कर है। इसके अलावा चन्दे का भार उस पर है। मेहमानों का और अफसरों की खातिर का भी उसको खर्च करना पड़ता है। एक माननीय सदस्य ने बहुत ठीक कहा है कि किसान अपनी खेती की आमदनी से अपने बच्चे को स्कूल या कालिज की शिक्षा नहीं दिलवा सकता। जो चीजों के दाम बढ़ गये हैं, उनका भार भी उस पर पड़ रहा है। पोस्टकार्ड का दाम बढ़ गया है, करोसीन का दाम बढ़ गया है और दूसरी चीजों का दाम बढ गया है। इस सब खर्च को किसान को सहन करना पड़ता है।

किसान की उपज का हिसाब आज तक कृषि विभाग के पास नहीं है कि किसान का अपना गल्ला पैदा करने में कितना पैसा लगता है। सरकार के पास ईख का, धान का या गेहूं का किसी का हिसाब नहीं है। अगर किसान की उपज का हिसाब करके उसकी जो लागत लगती है उस पर उसको कुछ लाभ नहीं दिया जायेगा तो किसान की हालत रद्दी होती चली जायेगी।

इसके अलावा उनको कर्ज लेना पड़ता है। हमने हिसाब लगाकर देखा है कि जो किसान २५ एकड़ इर्रीगेटेड जमीन की खेती करता है उसको साल में १५०० पया कर्ज लेना पड़ता है तब वह खेती चला सकता है। यह बड़ी कंट्रोवर्शल बात है। देहातों के लिये इनकम की सीलिंग की गयी लेकिन अरबन इनकम की सीलिंग नहीं की ग ी। इस प्रश्न को अन्य माननीय सदस्यों ने भी उ ाया है। इस तरह आप देखें कि जितने भार हैं वे कृषकों के ऊपर आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिये कि वह इन सारी बातों पर ध्यान दे।

दूसरी बात है कर्ज की। आज सुबह हमारे एक एफ० ए० ओ० की किताब दी गयी है। उसमें भी कहा गया है कि यह प्राबलम दुनिया भर में है। केवल हिन्दुस्तान में ही यह प्राबलम नहीं है। उसमें लिखा है। विश्व की आबादी इस समय ३०० करोड़ है जिनमें से १ करोड़ से अधिक को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। यह हालत है सारी दुनिया की। और हिन्दुस्तान को भी यह लड़ाई लड़नी पड़ रही है। तो किसानों को अपनी खेती के लिये पये ैसे की कमी है। इसमें एक सजेशन दिया गया है। एक्सटेंशन आफ एग्रीकल्चुरल क्रेडिट के लिये और उसका प्रोग्राम भी रखा गया है। लेकिन हमने देखा है कि जो रुपया किसान को सरकार द्वारा दिया जाता है वह देहात के बनिये द्वारा दिये गये रुपये से मंहगा पड़ता है। अगर किसान को सौ रुपया सरकार से लेना है तो उसका ५०

[श्री क० ना० तिवारी]

रुपया ऊपर खर्च हो जाता है । इसका हिसाब कितना इतना काम्प्लीकेटेड है कि किसान तबाह हो जाता है । इसको सिम्पलीफाई करना चाहिये । दूसरे जो वसूली होती है वह सब चीजों की एक साथ होती है । हमारे प्रांत में आजकल वसूली हो रही है, तो इनकम टैक्स की वसूली हो रही है, सेल्स टैक्स की वसूली हो रही है, नेशनल डिफेंस के लिये वसूली हो रही है और एग्रीकल्चुरल लोन की वसूली हो रही है । ये जितनी वसूलियां हैं ये सब एक साथ हो रही हैं । नतीजा यह है कि किसान को अपनी जमीन जायदाद और मवेशी बेच कर सरकार का कर्जा अदा करना पड़ रहा है । में यह नहीं कहता कि सरकारी कर्जा वसूल न किया जाये लेकिन निवेदन यह ह कि यह वसूली किस्तों के आधार पर हो तो किसान को उतना भार नहीं प्रतीत होगा और उसे अपना सब कुछ गिरो नहीं रखना पड़ेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि किसानों को जो कर्जा दिया जाय वह बिलकुल हलके टर्म्स पर दिया जाये और वह किस्तों में उनसे वसूल किया जाये ।

ईख की खेती के बारे म जैसा कि श्री विभूतिमिश्र ने तथा अन्य कुछ लोगों ने कहा है, इस बारे में मैं भी उनसे राय रखता हूं । एक सैकंड में एक बात अवश्य कह देना चाहता हूं कि अभी स विषय को लेकर जो नौर्थ और साउथ की एक कंट्रोवर्सी तो पैदा हो गई है उसके लिये मेरा यह कहना है कि अगर साउथ में चीनी का उत्पादन बढता है यह बड़ी खुशी की बात है और उसे ब ना ही चाहिये । लेकिन उत्तरप्रदेश और बिहार में अभी तक यह देखा जाता है कि यहा की जो शुगर इंडस्ट्री है, यहां के जो केन ग्रोअर्स हैं, उनके प्रबंध में कुछ इस तरह की पालिसी ''ीय सरकारों और सैंट्रल गवर्नमेंट की है जिसकी कि वजह से गन्ने की क्रौप जोकि उत्तरप्रदेश और बिहार के किसानों की मनी क्रौप होती हैं और जिससे कि उनको पैसा मिल सकता है, जितना मिलना चाहिये वह उनको नहीं मिल पाता है । अगर इस इंडस्ट्री को नुकसान हुआ तो लाजिमी तौर पर किसानों पर इसका बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और उनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा । इसलिये स ओर भी मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं और आशा करता हूं .के वे उस पर अवश्य ध्यान देंगे ।

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, २१ मार्च, १९६३/३० फाल्गुन, १८८४ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

दैनिक संक्षेपिका

बुधवार, २९ मार्च १९६३/२९ फाल्गुन, १८८४ (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		२१८५—२२११
तारांकित प्रश्न संख्या		
४९७	अनुसूचित आदिम जातियों का विकास . . .	२१८५—८७
४९८	मद्य-निषेध	२१८७—९२
४९९	औद्योगिक इंजीनियरों की राष्ट्रीय संस्था . . .	२१९२–९३
५००	शिक्षा उपकर	२१९३—९६
५०१	दिल्ली की प्रशासन व्यवस्था में परिवर्तन . . .	२१९६—९८
५०२	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी आवश्यकतायें	२१९९–२२००
५०३	प्राथमिक विद्यालयों के ढांचे . .	२२००—०२
५०४	पन्ना की हीरे की खानें	२२०२—०६
५०५	सागर ज़िले में प्राप्त ऐतिहासिक वस्तुएं . .	२२०६
५०६	चीनी नज़रबन्दों की पत्नियां . .	२२०७–०८
५०७	दिल्ली का इंजीनियरिंग कालेज .	२२०८–०९
५०८	दिल्ली में ज़मीन की बिक्री .	२२०९—११
प्रश्नों के लिखित उत्तर		२२११—३४
तारांकित प्रश्न संख्या		
५०९	प्रतिकरात्मक भत्ते का बन्द किया जाना .	२२११
५१०	स्कूल एटलस . .	२२१२
५११	शिक्षा पद्धति में परिवर्तन	२२१२–१३
५१२	मिट्टी के तेल के मूल्यों में वृद्धि .	२२१३
५१३	उत्तर प्रदेश–बिहार सीमा विवाद . .	२२१३
५१४	कोयला तैयार करना तथा कोयला कार्बनीकरण .	२२१३–१४
५१५	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जांच समिति का प्रतिवेदन	२२१४

3211 (Ai) L.S.—9.

विषय		पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अतारांकित
प्रश्न संख्या

९६९	दिल्ली में जहर देने के मामले . . .	२२१४–१५
९७०	ग्राम उच्च शिक्षा संस्था, श्रीनिकेतन के विद्यार्थियों की हड़ताल .	२२१५
९७१	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण .	२२१५–१६
९७२	स्वयंसेवक शिक्षा संगठनों को सहायता . .	२२१६
९७३	भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत नजरबन्द किये गए विदेशी	२२१६–१७
९७४	हिन्द महासागर अभियान . .	२२१७
९७५	सीमावर्ती क्षेत्रों के लिये टेक्निकल संस्थायें तथा इंजीनियरी कालेज	२२१७
९७६	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में नौकरी करने वाले विदेशी .	२२१८
९७७	उत्तर प्रदेश के कालेजों को अनुदान . . .	२२१८
९७८	यवतमाल में पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को मैट्रिक के आगे अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां .	२२१८
९७९	राष्ट्रीय छात्रवत्ति योजना . .	२२१८–१९
९८०	उड़ीसा के स्कूलों तथा कालेजों में आडिटोरियम	२२१९
९८१	मैट्रिक के आगे अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां	२२२०
९८३	आपातकाल में पुरातत्वीय परियोजनायें	२२२०
९८४	बुनियादी शिक्षा	२२२०–२१
९८५	आदिम जातियों के बच्चों की शिक्षा .	२२२१
९८६	इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति	२२२१–२२
९८७	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड	२२२२
९८८	टेक्निकल शिक्षा की बरबादी .	२२२२
९८९	दिल्ली में कारों की चोरी	२२२३
९९०	दरीबा (राजस्थान) में तांबा निक्षेप .	२२२३
९९१	बिहार में तेल की खोज . .	२२२३
९९२	संघ राज्य क्षेत्रों में भर्ती नियम . .	२२२३–२४
९९३	निवेली में उर्वरक कारखाना . .	२२२४
९९४	संयुक्त राष्ट्र संघ के आदेशों के प्रचार के लिए स्कूल . .	२२२४
९९५	भारत में अफ्रीकी विश्वविद्यालय के लोगों के लिये अधिछात्रवृत्ति	२२२४–२५
९९६	अखिल भारतीय खेल कांग्रेस .	२२२५
९९७	मनीपुर में स्कूल .	२२२५

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या

९९८	निकोबार के नारियल और पान की बिक्री .	२२२५–२६
९९९	मध्य प्रदेश में सिंगरौली कोयला खान . . .	२२२६
१०००	नई दिल्ली में कनाट प्लेस में कारों का खड़ा किया जाना .	२२२६–२७
१००१	भ्रष्टाचार के मामले	२२२७
१००२	अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जातियों के कृषक .	२२२७
१००३	इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली . .	२२२७–२८
१००४	गुलबर्ग में आण्विक खनिज	२२२८
१००५	निवेली तापीय बिजली घर . . .	२२२८–२९
१००६	राष्ट्रीय पुस्तक न्यास	२२२९
१००७	गुजरात में क्लोराइट और लिगनाइट के निक्षेप .	२२२९
१००८	श्री लंका को तेल का दिया जाना . . .	२२३०
१००९	निवेली लिगनाइट योजना की उर्वरक कारखाने की इमारत	२२३०
१०१०	राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पूना . .	२२३०–३१
१०११	इंजीनियरी कालेज, दिल्ली	२२३१
१०१२	भारत में सुरमित द्रव्यों का उत्पादन . .	२२३१
१०१३	केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों का समय . .	२२३१–३२
१०१४	मद्रास राज्य के चिंगलपेट ज़िला में कोयले के निक्षेप .	२२३२
१०१५	रानीगंज कोयला क्षेत्र .	२२३२
१०१६	कोयले की औद्योगिक मांग . . .	२२३३
१०१७	पेट्रोल प्रोद्योगिकी में डिग्री . . .	२२३३
१०१८	बम्बई में अनुसंधान केन्द्र .	२२३४
१०१९	राइफलों की कमी	२२३४

सभा पटल पर रखे गये पत्र २२३४–३५ .

(१) कोयला खान (संरक्षण और सुरक्षा) अधिनियम, १९५२ की धारा १२ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत, वर्ष १९६०–६१ के लिए कोयला बोर्ड के लेखे के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट की एक प्रति .

पृष्ठ

(२) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति . . . .

(एक) दिनांक २ फरवरी, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १६४ में प्रकाशित भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) संशोधन नियम, १९६३ .

(दो) दिनांक २ फरवरी, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १६५ में प्रकाशित भारतीय प्रशासन सेवा (परिवीक्षा) संशोधन नियम, १९६३

राज्य सभा से सन्देश २२३५

सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त एक सन्देश की सूचना दी कि लोक-सभा द्वारा १३ मार्च, १९६३ को पास किये गए विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक १९६३ के बारे में राज्य सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है .

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित

सोलहवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया . . . २२३५

लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित

नवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया . . . २२३५

मन्त्री द्वारा वक्तव्य

खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) ने राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड की किरीबुरु परियोजना के स्थान पर भीड़ द्वारा किये कुछ हिंसात्मक कार्यों के बारे में एक वक्तव्य दिया . . २२३५—३६

अनुदानों की मांगें

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की मांगों पर चर्चा जारी रही। चर्चा समाप्त नहीं हुई। . . . . २२३७—२३०४

गुरुवार, २१ मार्च, १९६३/३० फाल्गुन, १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा और मतदान . . . . . .

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संबंध में अनुदानों की मांगों पर चर्चा

श्रीमती यशोदा रेड्डी . . २२९०–९१

डा० राम सुभग सिंह . . . . २२९१—९५

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती २२९५—९९

श्री पु० र० पटेल २२९९

श्री शिवनंजप्पा २२९९

श्री करुथिरमण २३००

श्री सोलंकी . २३००

श्री तुलशी दास जाधव २३००—०२

श्री क० ना० तिवारी २३०२—०४

दैनिक संक्षेपिका २३०५—०८

PLS. 41. XV. 23. 63.
160

© १९६३ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित ।